

लोक सभा वाद-विवाद  
का  
संक्षिप्त अनूदित संस्करण  
**SUMMARISED TRANSLATED VERSION**  
**OF**  
**4th**  
**LOK SABHA DEBATES**

दसवा सत्र  
Tenth Session



( खंड 40 में अंक 41 से 50 तक हैं )  
( Vol. XL contains Nos. 41 to 50 )

लोक-सभा सचिवालय  
नई दिल्ली  
**LOK SABHA SECRETARIAT**  
**NEW DELHI**

# विषय-सूची/CONTENTS

अंक 44, शुक्रवार, 24 अप्रैल, 1970/4 वैशाख, 1892 (शक)

No. 44, Friday, April 24, 1970/Vaishakha 4, 1892 (Saka)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

| विषय  | Subject   | पृष्ठ/Pages |
|---|---|-------------|
| 11. उच्च न्यायालयों के तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों में वृद्धि                                | Increase in Salaries of High Court and Supreme Court Judges   | 1           |
| 12. कलकत्ता से मोटर बोटों तथा स्टीमरों द्वारा यात्रियों तथा माल का यातायात                                    | Carrying of Passengers and Goods by Motor Boats and Staemers from Calcutta.                         | 6-7         |
| 13. आसाम में स्वाधीन सरकार बनाने का षडयंत्र   | Conspiracy to Form independent Government in Assam  | 7-11        |
| 4. श्री ज्योति बसु की हत्या का प्रयत्न  | Attempt on Shri Jyoti Basu's Life   | 11-14       |
| 5. होटल उद्योग में विदेशी सहयोग   | Foreign Collaboration in Hotel Industry   | 14-19       |
| 1209. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनों में वृद्धि और राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया | Increase in Salaries of Judges of Supreme Court and Hight Courts and re-action of State Governments | 2-6         |

### अल्प सूचना प्रश्न

### SHORT-NOTICE QUESTION

|  |  |       |
|--|--|-------|
| 23. विभिन्न राज्यों में वार्षिक परीक्षाओं के दौरान छात्रों द्वारा प्रिंसिपलों और अध्यापकों पर आक्रमण | Attack on principals and Teachers by Students during Annual Examinations in Various States | 19-25 |
|--|--|-------|

### तारांकित प्रश्न

### STARRED QUESTIONS

|  |   |       |
|--|---|-------|
| 1206. राष्ट्रीय राजपथों के बारे में केन्द्रीय सरकार के नौवहन तथा परिवहन उपमंत्री का मंगलौर में वक्तव्य | Statement made by Union Deputy Minister of Shipping and Transport in Mangalore re : National Highways | 26    |
| 1207. विदेशों में रोजगार पाने के इच्छुक बेरोजगार इंजीनियर  | Unemployed Engineers seeking employment in Foreign Countries  | 26-27 |
| 1208. पर्यटन-संवर्धन के निदेशकों का सम्मेलन  | Conference of Directors Incharge of Tourist Promotion   | 27-28 |

\* किसी नाम पर अंकित यह—इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

\*The sign† marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.



श्रुता० प्र० सं०

S. Q. Nos.

|  |   |       |
|--|---|-------|
| 1210. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के मामलों की जांच की मांग  | Demand for enquiry into the Affairs of Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee  | 28    |
| 1211. पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ के अधिकार क्षेत्र से चार जिलों का गुरुनानक विश्वविद्यालय अमृतसर के अधिकार क्षेत्र में स्थानान्तरण स्थगित करने की मांग | Demand for deterring transfer of four Districts from the jurisdiction of Punjab University, Chandigarh to the jurisdiction of Guru Nanak University, Amritsar | 28-29 |
| 1212. पश्चिम बंगाल में निवारक निरोध अधिनियम का विकल्प  | Alternative to Preventive Detention Act in West Bengal  | 29    |
| 1213. फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा कलाओं का परिरक्षण और संरक्षण  | Preservation and Conservation of Arts by Fort Foundation  | 29    |
| 1214. केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नीति निर्धारण निकाय में छात्रों के भाग लेने सम्बन्धी विधेयक   | Bill on Students' Participation in policy making bodies of Central Universities   | 29-30 |
| 1215. पिछड़े वर्गों के आरक्षित कोटे में वृद्धि   | Increase in Reservation quota for backward Classes  | 30-31 |
| 1216. अहमदाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डा  | International Airport at Ahmedabad  | 31    |
| 1217. मुख्य भूमि और अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बीच नौवहन सेवा   | Shipping services between Mainland and Andaman and Nicobar Islands  | 31-32 |
| 1218. जम्मू और काश्मीर के लिये एक नया संविधान बनाने के बारे में जनमत संग्रह मोर्चे की योजना  | Plebiscite front plan for a New Constitution for J. & K.  | 32-33 |
| 1219. गणतन्त्र दिवस पुरस्कार   | Republic day Awards   | 33    |
| 1220. केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास जांच के अनिर्णीत मामले  | Enquiries pending before C. B. I.   | 33-34 |
| 1221. नौवहन उद्योग में विदेशी सहयोग की प्रतिशतता   | Percentage of Foreign participation in Shipping Industry  | 34    |
| 1222. विदेशों में रह रहे भारतीय वैज्ञानिकों को स्वदेश लौटने के लिये आकर्षित करने के उपाय   | Measures to attract Indian Scientists abroad  | 35    |
| 1223. कलकत्ता की सड़कों की शोचनीय अवस्था   | Appalling condition of roads in Calcutta  | 35    |
| 1224. दिल्ली में बच्चों के अपहरण की घटनाएं   | Child-lifting Menace in Delhi   | 36    |

अता० प्र० सं०

U. S. Q. Nos.

|  |   |       |
|--|---|-------|
| 1225. सम्मानक (आनरेरी) उपाधियों का प्रदान किया जाना  | Awarding of honorary Degrees  | 36    |
| 1226. सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व सेवानिवृत्त करना  | Retirement of Government Employees before the age of Superannuation   | 36-37 |
| 1227. एयर इंडिया द्वारा यात्रा एजेंटों को 7 प्रतिशत कमीशन देना   | Payment of 7 per-cent Commission by Air India to Travel Agents  | 37-38 |
| 1228. दंगों पर नियन्त्रण पाने के आधुनिक तरीके  | Modern methods of Riot Control  | 38-39 |
| 1229. सरकारी कार्यालयों में हिन्दी कार्य   | Hindi work in Government Offices  | 39    |
| 1230. विद्यार्थियों द्वारा अनुशासनहीनता  | Indiscipline by Students  | 39-40 |
| <b>अतरांकित प्रश्न</b>   |   |       |
| <b>Unstarred Question</b>  |   |       |
| 7365. लेनिन शताब्दी समारोह के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रदर्शनी  | Exhibition by National Book Trust during Lenin Centenary celebration  | 40    |
| 7366. पर्यटन के विकास के लिए अभिकरणों के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन   | Changes in organisational set-up of Agencies for development of tourism   | 40    |
| 7367. भारतीय युवकों में अश्लील साहित्य का वितरण  | Distribution of obscene literature among Indian Youth   | 41    |
| 7368. भारत में पुराने शाही परिवारों के पेंशन-भोगी व्यक्ति  | Pensioners in India from old Royal Families   | 41-42 |
| 7369. प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा को अधूरा छोड़ देने वाले विद्यार्थी  | Drop-outs from primary Schools  | 42-43 |
| 7370. संसदीय तथा सरकार द्वारा प्रायोजित प्रतिनिधि मंडलों में राज्य विधान सभाओं तथा परिषदों के सदस्यों का शामिल किया जाना | Inclusion of Members of State Legislative Assemblies and Councils in Parliamentary and Government sponsored delegations | 43    |
| 7371. पश्चिम बंगाल में लाठी और अन्य हथियार ले कर चलने पर रोक   | Ban on carrying lathis and other weapons in West Bangal   | 43-44 |
| 7372. नक्सलवादियों द्वारा हथियार उठाने का आह्वान   | Naxalite call for taking up Arms  | 44    |
| 7373. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (इलाहाबाद) द्वारा आयोजित परीक्षाओं को मान्यता                                       | Recognition to Examination conducted by Hindi Sahitya Sammelan, Prayag (Allahabad)                                      | 44    |

| विषय   | Subject  | पृष्ठ/Pages |
|--|--|-------------|
| अता० प्र० सं०  |  |             |
| U. S. Q. Nos.  |  |             |
| 7374. गोआ के वैगाटोर में कैसीनों एवं नाइट क्लब   | Casino-cum-Night club at Vagator in Goa  | 44-45       |
| 7375. शास्त्री और आचार्य की डिग्री को मान्यता  | Recognition of Degree of Shastri and Acharya   | 45          |
| 7376. अन्य विभागों को स्थानान्तरित केन्द्र सरकार के स्थायी कर्मचारियों का पूर्वाधिकार बनाये रखना             | Retention of Lien of Permanent Central Government Employees transferred to other departments           | 45-46       |
| 7377. भारतीय समाचारपत्रों को विदेशी सहायता   | Foreign assistance to Indian Press   | 46          |
| 7378. पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में हरिजनों पर किये गये प्रहार  | Assaults on Harijans in Madhya Pradesh   | 47          |
| 7379. पटना में बेरोजगार तथा अपूर्ण नियोजित स्नातक इंजीनियर संस्था द्वारा पारित संकल्प                        | Resolution passed by General Meeting of unemployed and under-employed graduate Engineers' Associations | 47          |
| 7380. मंत्रियों तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा पद संभालने से पहले अपनी आस्तियां बताना।                         | Disclosure of assets by Ministers and Government Officers before entering office                       | 47-48       |
| 7381. औद्योगिक अनुसंधान प्रबन्ध सम्बन्धी अखिल भारतीय विचार गोष्ठी  | All India seminar on management of Industrial Research   | 48-49       |
| 7382. अखिल भारती पब्लिक स्कूल सम्मेलन  | All India Public Schools Conference  | 49-50       |
| 7383. विश्वविद्यालयों तथा स्टेट बैंक द्वारा कामर्स में नेशनल डिप्लोमा को मान्यता                             | Recognition of National Diploma in Commerce by Universities and State Bank of India.                   |             |
| 7384. कृषिजन्य माल की ढुलाई के लिये प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रेलरों पर लिया जाने वाला सड़क कर                     | Road Tax charged on Tractor Trailers used for transporting Agricultural Goods                          | 50          |
| 7385. अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का प्रबन्ध करने के लिये एक सांविधिक निगम स्थापित करने के सम्बन्ध में मतभेद | Differences in regard to setting up of a statutory corporation for Managing International Airports     | 50          |
| 7386. जूनागढ़ जिले में मंग्रोल में खुदाई   | Excavation at Mangrol in Junagarh District   | 51          |
| 7387. चयन पदों पर पदोन्नति के सिद्धान्त  | Principles of Promotion to Selection Posts   | 51-52       |

| विषय   | Subject  | पृष्ठ/Pages |
|--|--|-------------|
| ग्रन्ता० प्र० सं०  |  |             |
| U. S. Q. Nos.  |  |             |
| 7388. मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बेंच  | Bench of Allahabad High court at Meerut  | 52          |
| 7391. न्याय प्राप्त करने के वर्तमान तरीकों तथा प्रक्रियाओं के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधिपति के विचार    | Views of Chief Justice of India on present methods and Procedures to get Justice             | 52          |
| 7392. पाकिस्तानी जासूस लड़की का भारती सेना के एक अधिकारी के साथ पकड़ा जाना                                   | Arrest of a Pakistani Spy Girl with an Indian Army officer                                   | 53          |
| 7393. ब्रुसेल्स में ग्लोबल एटमोस्फैरिक रिसर्च प्रोग्राम सम्मेलन  | Conference of Global Atmospheric Research Programme at Brussels.                             | 53-54       |
| 7394. सीमा सुरक्षा दल कर्मचारियों और पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच गोली-बारी                                  | Exchange of fire between border security force personnel and Pak Intruders                   | 54          |
| 7396. दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमान सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिश के सम्बन्ध में अभ्यावेदन | Representation re Recommendations of working group on Pay Scale of Delhi University Teachers | 54-55       |
| 7397. बर्दवान की घटना की न्यायिक जांच  | Judicial Inquiry into Burdwan Incident   | 55          |
| 7398. बालासौर (उड़ीसा) में चन्डीपुर आन-सी का विकास   | Development of Chandipore-on Sea in Balasore (Orissa)  | 55-56       |
| 7399. वरिष्ठ असैनिक कर्मचारियों द्वारा समय का बेकार नष्ट किया जाना   | Idling away of time by Senior Civil Servants   | 56          |
| 7400. गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान दिया जाना                                  | Central Grants to private Educational Institutions   | 56          |
| 7401. केन्द्रीय स्कूलों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या  | Number of Employees working in Central Schools   | 57          |
| 7402. चौथी पंचवर्षीय योजना में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये धन का नियतन                                    | Allocation of funds for Cultural Programmes during Fourth Five year Plan                     | 57          |
| 7403. शिक्षा मंत्री की विवेकाधीन निधि में से विद्यार्थियों को अनुदान   | Grants to Students out of Education Minister's Discretionary Fund                            | 57-58       |
| 7404. दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शनों के लिये आचार संहिता  | Code of Conduct for Demonstrations in Delhi University                                       | 58          |

| विषय  | Subject   | पृष्ठ/Pages.) |
|---|---|---------------|
| ता० प्र० सं०<br>S. Q. Nos.  |   |               |
| 7406. संसद् कार्य करने वाले सहायकों का स्थानान्तरण                              | Transfer of Parliament Assistants   | 58            |
| 7407. शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग                                      | Use of Hindi in Education Ministry  | 58-59         |
| 7408. हिन्दी टाईप की मशीनों के कुंजी फलक (की बोर्ड) में किये गये परिवर्तन       | Changes made in the Key Board of Hindi Typewriter                               | 59-60         |
| 7409. हिन्दी टाइपराइटर का कुंजी फलक (की बोर्ड)                                  | Key Board of Hindi Typewriters  | 60-61         |
| 7410. शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी में किया जा रहा कार्य                          | Work carried out in Hindi in Education Ministry                                 | 61            |
| 7411. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में हिन्दी कार्य करने वाले अधिकारी | Officers engaged in Hindi work in Council of Scientific and Industrial Research | 61-62         |
| 7412. पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति               | Appointment of Judges to Punjab and Haryana High Court                          | 62            |
| 7413. पुलिस और सेना द्वारा जनता पर गोली चलाया जाना                              | Firing by Police and Military on public   | 62            |
| 7414. खेल-कूदों के स्तर में सुधार करने के लिये कार्यवाही                        | Steps to improve standard of sports   | 63            |
| 7415. औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान तथा इसका उद्योगों में लागू किया जाना      | Industrial and Scientific Research and its application to Industry              | 63            |
| 7416. महत्वपूर्ण निर्णय करने में विलम्ब   | Delays in taking important decisions.   | 64            |
| 7417. प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन   | Reports of Administrative reforms commission                                    | 64-65         |
| 7418. मार्च, 1970 के दौरान दिल्ली तथा नई दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएँ             | Road Accidents in Delhi and New Delhi during March, 1970                        | 65            |
| 7419. बर्दवान में मार्क्सवादियों द्वारा जिला कलेक्टर का पीटा जाना               | Beating of District Collector of Burdwan by Marxists.                           | 66            |
| 7420. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद के बजट अनुमान                     | Budget Estimates of Regional Research Laboratory, Hyderabad                     | 66            |

| विषय   | Subject  | पृष्ठ/Pages |
|--|--|-------------|
| अज्ञात० प्र० सं०   |  |             |
| U. S. Q. Nos.  |  |             |
| 7421. स्कूल के बच्चों के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित "साहसी बालक" पाठ्य पुस्तक के बारे में ज्ञापन      | Memorandum regarding "Sahasi Balak"—a text book prescribed by Delhi Administration for School Children | 66-67       |
| 7422. दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में "साहसी बालक" पाठ्य पुस्तक की आलोचना | Criticism against text book "Sahasi Balak" prescribed by Delhi Administration for Primary Schools      | 67          |
| 7423. पटना में सरकारी होटल खोलने के लिये दलील  | Plea for a Hotel in Public Sectors at Patna.   | 67          |
| 7424. बिहार में पर्यटक केन्द्रों में सरकारी होटल   | Government Hotels in Tourist Centres in Bihar.   | 67-68       |
| 7425. 1969-70 में मनीपुर यू० टी० विभागों द्वारा स्वीकृत धनराशि का वापिस किया जाना                              | Surrender of Sanctioned Money by Departments of U. T. of Manipur during 1969-70                        | 68-70       |
| 7426. मनीपुर के एल० पी० स्कूल अध्यापकों की वरीयता  | Seniority among L. P. School Teachers, Manipur   | 71          |
| 7427. मनीपुर के वाइखोंग ग्राम में आग   | Fire in Waikhong village of Manipur  | 71          |
| 7428. मनीपुर सरकार के कर्मचारियों के वेतन-मान  | Pay Scales of Manipur employees  | 71-72       |
| 7429. मनीपुर सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि   | Increase in Dearness Allowance for Manipur Employees   | 72          |
| 7430. ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य जातियों को भी पुरोहित पद देना  | Extension of Priesthood to Communities other than Brahmins   | 72          |
| 7431. स्कूल के बच्चों के लिये भोजन और दूध की व्यवस्था  | Provision for Food and Milk for School Children  | 73          |
| 7432. गुरु रविदास जी के जन्म दिवस को राजपत्रित छुट्टी घोषित करने के बारे में मांग                              | Demand for Declaration of birthday of Guru Ravidas Ji as Gazetted Holiday                              | 73-74       |
| 7433. आसाम में पाकिस्तानी घुसपैठिये  | Pakistani infiltrators in Assam  | 74          |
| 7434. कश्मीर घाटी में पुलों को आग लगाने का प्रयास  | Attempt to set fire to bridges in Kashmir Valley   | 74          |
| 7435. आनन्द मार्ग संख्या को विदेशी सहायता  | Foreign aid to Anand Marg  | 75          |

| विषय  | Subject  | पृष्ठ/Pages |
|---|--|-------------|
| अता० प्र० सं०   |  |             |
| U. S. Q. Nos.   |  |             |
| 7436. मिजो पहाड़ी क्षेत्र में मजदूरों को मजूरी का भुगतान न किया जाना  | Non-Payment of Wages for Labour in Mizo Hills  | 75          |
| 7437. राजनीतिक नेताओं के लिए पुलिस संरक्षक  | Police Guards for Political Leaders  | 75-76       |
| 7438. जयपुर, बूंदी और कोटा से होकर जाने वाले दिल्ली-बम्बई मार्ग को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने की आवश्यकता   | Need for Delhi-Bombay route via Jaipur, Bundi and Kota being declared as National Highway  | 76          |
| 7439. राजस्थान स्थित कोटा विमान अड्डे के हैंगर की जीर्ण-शीर्ण अवस्था  | Dilapidated condition of Hangar at Kota Aerodrome (Rajasthan)                              | 76          |
| 7440. कोटा (राजस्थान) में चलाई जा रही डालमिया विमान सेवा  | Dalmia Air Service operating at Kota (Rajasthan)   | 76-77       |
| 7441. राजस्थान में कोटा तथा बूंदी पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास   | Development of Kota and Bundi in Rajasthan as Tourist Centres                              | 77          |
| 7442. कलकत्ता रेसकोर्स के निकट किडपुर में ट्रामों की दुर्घटना   | Accident of two Tram cars near Calcutta Race Course in Kidderpore                          | 77          |
| 7443. विश्वविद्यालयों के ढाँचे में परिवर्तन   | Changes in University Structure  | 77-78       |
| 7444. पश्चिम बंगाल में जोतेदारों द्वारा कृषकों पर गोली चलाया जाना   | Firing on Peasants by Jotedars in West Bengal  | 78          |
| 7445. हिन्दी प्रशिक्षण तथा कार्यान्वयन योजना के अन्तर्गत प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना                     | Submission of Progress Reports under the Hindi Training and Implementation Scheme          | 78-79       |
| 7446. दिल्ली में परिवहन समस्या  | Transport Problem in Delhi.  | 79          |
| 7447. पश्चिम बंगाल में हत्या, आक्रमण अथवा आगजनी के मामले में अन्तर्गत व्यक्तियों के विरुद्ध वारंट जारी करना | Issue of Warrants against Persons involved in murder Assault or Arson Cases in West Bengal | 80          |
| 7448. राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक   | Meeting of National Integration Council  | 80          |
| 7449. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के पुलिस विभाग द्वारा संचालित निधियां                                  | Funds maintained by Police Department of Andaman and Nicobar Islands                       | 80-81       |
| 7450. अन्दमान तथा निकोबार पुलिस विभाग की कल्याण निधि  | Welfare Fund of Andaman and Nicobar Police Department                                      | 81-82       |
| 7451. केन्द्रीय सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगें   | Demands of Central Secretariat class IV Employees  | 82          |



अता० प्र० सं०

U. S. Q. Nos.

|   |   |       |
|---|---|-------|
| 7452. हिन्दी सहायकों के वेतनमानों के बारे में हिन्दी सलाहकार की सिफारिशें   | Recommendations of Hindi adviser regarding Pay Scales of Hindi Assistants                       | 82-83 |
| 7453. अनुभाग अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा  | Examination for appointment of Section Officers   | 83    |
| 7454. हिन्दी आफिसरों तथा अन्य आफिसरों के लिये भरती के नियम  | Recruitment rules for Hindi officers and others   | 84    |
| 7455. पश्चिम बंगाल से भारतीय प्रसासनिक सेवा/भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को वापिस बुलाना।                                    | Recall of I.A.S./I.C.S. Officers from West Bengal   | 84    |
| 7456. भारतीय अधिकारियों की विदेशी पत्नियां  | Foreign wives of Indian officers  | 84-85 |
| 7457. हिन्दी अधिकारियों, हिन्दी सहायकों तथा हिन्दी अनुवादकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन।                                       | Annual Confidential reports of Hindi Officers, Hindi Assistants and Hindi Translators           | 85    |
| 7458. लोहिया विश्वविद्यालय की स्थापना   | Establishment of Lohia University   | 85-86 |
| 7459. राष्ट्रीय स्वस्थता दल के महानिदेशक की नियुक्ति  | Appointment of Director-General, National Fitness Corps   | 86    |
| 7460. स्वतन्त्रता सेनानी  | Freedom Fighters  | 86-87 |
| 7461. सूर्य ग्रहण का अध्ययन करने के लिये मैक्सिको भेजे गये भारतीय वैज्ञानिक   | Indian Scientists sent to Mexico to observe eclipse of the Sun                                  | 87    |
| 7462. पश्चिम बंगाल सरकार की सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की प्रतिशतता                      | Percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in service of West Bengal Government        | 87    |
| 7463. दिल्ली प्रशासन में स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोटे का आरक्षण | Reservation quota for S. C. & S. T. for posts of Post-Graduate teachers in Delhi Administration | 87-88 |
| 7464. शिक्षा मंत्रालय द्वारा खरीदे गये "नवीन" किस्म के "कूलर"   | "Naveen" type coolers purchased by Education Ministry   | 88    |
| 7465. चण्डीगढ़ में सड़क दुर्घटनायें   | Road accidents in Chandigarh  | 88-89 |
| 7466. पर्यटन विभाग में तृतीय श्रेणी के क्लर्कों के पदों के लिये भर्ती करने का ढंग   | Method of recruitment to class III clerical posts in department of tourism                      | 89-90 |
| 7767. भूतपूर्व संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में पुलिस कर्मचारियों को बर्खास्त करना                                  | Dismissals of policemen in West Bengal by last United Front Government                          | 90    |



अता० प्र० सं०

U. S. Q. Nos.

|   |   |        |
|---|---|--------|
| 7468. वेस्ट बंगाल पुलिस एमोशियेशन को अनर्ह करार देना और पश्चिम बंग अराजपत्रित पुलिस कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान करना | Dis-affiliation of West Bengal Police Association and Recognition of Paschim Banga Non-gazetted Police Karamchari Sangh | 90-91  |
| 7469. प्राथमिक शिक्षा के लिये मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता   | Financial Assistance to Madhya Pradesh for Primary education  | 91     |
| 7470. मध्य प्रदेश में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव ।   | Proposal to attract more Tourists to Madhya Pradesh   | 92     |
| 7471. दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की इमारतों में चल रहे कालेजों के लिये नई इमारतें                               | New buildings for Colleges functioning in Higher Secondary School buildings in Delhi                                    | 92     |
| 7472. पश्चिम दिल्ली में एक सार्वजनिक पुस्तकालय की मांग  | Demand for a public Library to West Delhi   | 92-93  |
| 7473. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा खरीदे जा रहे विमानों के क्रय मूल्य  | Purchase price of Aircraft by I. A. C.  | 93     |
| 7475. श्री ज्योति बसु के जीवन का अन्त करने लिये किये गये यत्न के पश्चात् पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन तथा हड़तालें         | Demonstrations and Hartals in West Bengal after attempt on the life of Shri Jyoti Basu                                  | 93-94  |
| 7478. विदेशी जासूसों की गतिविधियों को रोकने के लिये विधान   | Legislation to check activities of Foreign Spies  | 94     |
| 7479. हिमाचल प्रदेश के श्री बलदेव सिंह की हत्या   | Murder of Shri Baldev Singh of Himachal Pradesh   | 94     |
| 7480. कलकत्ता पत्तन में माल की चोरी की घटनायें  | Incidents of Goods Pilferage at Calcutta Port   | 95     |
| 7481. पर्यटन के प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम केन्द्र  | Centres of Training courses on Tourism  | 95-96  |
| 7482. डैनियल बालकाट से बच निकलने का सामान पकड़ा जाना  | Seizure of an Escape kit from Daniel Walcott  | 96     |
| 7483. राजस्थान में पर्यटन   | Tourism in Rajasthan  | 96-97  |
| 7484. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के स्कूलों में अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात   | Teacher—student ratio in schools in Andaman and Nicobar Islands   | 98-99  |
| 7485. कट्युरी राजधानी के स्थान के बारे में खोज  | Discovery Re: Location of Katyuri Capital   | 99-100 |
| 7486 विदेशी धर्म प्रचारकों की गतिविधियां  | Activities of Foreign Missionaries  | 100    |

| विषय  | Subject  | पृष्ठ/ Pages |
|---|--|--------------|
| अता० प्र० सं०   |  |              |
| U. S. Q. Nos.   |  |              |
| 7487. सहायकों को तालिका को पुनः प्रवर्तित करने का प्रस्ताव  | Proposal to Revive the panel of Assistants   | 100-102      |
| 7488. सेवा काल के आधार पर सहायकों की पदोन्नति   | Promotion of Assistants on the basis of Length of service                                  | 102-103      |
| 7489. मैसूर में हुबली में हवाई अड्डा  | Aerodrome at Hubli in Mysore   | 103          |
| 7490. फोर्ड फाउन्डेशन तथा एशिया फाउन्डेशन द्वारा गृह-कार्य मन्त्रालय के अधिकारियों को निमन्त्रण                               | Officers of Ministry of Home Affairs invited by Ford Foundation and Asia Foundation        | 103-104      |
| 7491. बोर्ड फाउन्डेशन तथा एशिया फाउन्डेशन द्वारा आमन्त्रित किये गये गृह-कार्य मन्त्रालयों के अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण | Training given to officers of Home Ministry invited by Ford Foundation and Asia Foundation | 104-105      |
| 7492. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी प्रशासनीय सेवाओं के लिये सरकार   | Awards for Central Employees for Meritorious services                                      | 105          |
| 7493. गोवा से शराब चोरी छिपे लाने के लिए उड्डयन क्लब के विमानों का प्रयोग   | Use of flying club plane for smuggling liquor from Goa                                     | 105-106      |
| 7494. दिल्ली में सक्रिय डाकू दल   | Gang of Robbers Active in Delhi  | 106          |
| 7495. कोचीन बन्दरगाह के लिये अतिरिक्त घाट   | Additional berths envisaged in Cochin Harbour  | 106-107      |
| 7496. दिल्ली में टैक्सी चालकों द्वारा किराए में वृद्धि की मांग  | Demand for increase in fares by taxi operators in Delhi                                    | 107          |
| 7497. पालम हवाई अड्डे पर रेस्तरां चलाने के लिये मैसर्स वोल्गा रेस्तरां से लिया जा रहा किराया                                  | Rent charged from M/s. Volga Restaurant for running Restaurant at Palam Airport            | 107-108      |
| 7498. पटना से वाराणसी तक स्टीमर सेवा  | Steamer service from Patna to Varanasi   | 109          |
| 7499. बलिया (उत्तर प्रदेश) में नक्सलवादियों का प्रभाव   | Influence of Naxalites in Ballia (U.P.)  | 109          |
| 7500. उत्तरी त्रावणकोर (केरल) का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास  | Development of Northern Travancore (Kerala) as a Tourist Centre                            | 109-110      |
| 7501. राज्यों में सीमा सुरक्षा दल में भर्ती   | Recruitment to border security Force from States   | 110-112      |
| 7502. सड़क दुर्घटनाएं   | Road accidents   | 112-113      |
| 7503. महाराष्ट्र में पर्यटक रुचि के स्थान   | Places of tourist interest in Maharashtra  | 113-114      |

| विषय  | Subject   | पृष्ठ/Pages |
|---|---|-------------|
| अता० प्र० सं०   |   |             |
| U. S. Q. Nos.   |   |             |
| 7504. उड़ीसा के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक अलग सर्किल खोलना                                  | Separate circle of Archaeological Survey of India for Orissa                    | 114         |
| 7505. थेक्केडी (केरल) में हिप्पियों की गति-विधियां  | Activities of Hipies in Thekkady (Kerala)                                       | 115         |
| 7506. थेक्केडी वन्य पशु संरक्षण स्थल (केरल) में नावे  | Boats in Thekkady wild life sanctuary (Kerala)                                  | 115         |
| 7507. पेरियार झील में नौकाओं का उपयोग   | Use of boats in Periyar lake  | 115-116     |
| 7508. राज्यों को पुस्तकालयों के लिए सहायता  | Aid to states for libraries   | 116         |
| 7509. श्री काकुलम जिले में नक्सलवादियों द्वारा एक आदिवासी महिला की हत्या                              | Murder of a tribal woman by Naxalites in Srikakulam district                    | 116         |
| 7510. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर से बमों तथा बन्दूकों का बरामद होना                       | Recovery of Bombs and Guns from Regional Engineering College, Durgapur          | 116-117     |
| 7511. आसाम के नदी यातायात में विकास   | Development of river transport in Assam   | 117         |
| 7512. ब्रिटिश लेखक की पुस्तकों का भारत में पुनः प्रकाशन   | Reproduction of British Authors' books in India                                 | 117-118     |
| 7513. अमरीका के साथ विमान सेवा समझौता   | AIR Pact with U. S. A.  | 118         |
| 7514. विभिन्न विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह   | Convocation in various Universities   | 118         |
| 7515. अशोका होटल, नई दिल्ली, में खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि                                  | Increase in Food charges in Ashoka Hotel, New Delhi                             | 118-119     |
| 7516. भारतीय प्रशासनिक सेवा में भाग लेने वाले स्नातकों में प्रथम श्रेणी स्नातकों की प्रतिशतता कम होना | Lower percentage of first class Graduates Joining Indian Administrative Service | 119-120     |
| 7517. आगरा में "समाधि लेखों का नष्ट किया जाना" (हैवीकप्लेड विद एपिटॉफ्स)                              | "Havoc played with Epitaphs" in Agra  | 120         |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाया जाना—   | Calling attention to matter of urgent public importance                         | 121-128     |
| बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचन   | Elections to the Bihar Legislative Council                                      | 121         |
| आर्यव्रत के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न  | Question of privilege against the Editor 'Aryavarta'.                           | 128         |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र   | Papers laid on the table  | 128         |

अता० प्र० सं०

U. S. Q. Nos.

|   |   |         |
|---|---|---------|
| सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति<br>(एक) कार्यवाही सारांश<br>(दो) 67वां प्रतिवेदन                   | Committee on Public Undertakings<br>(i) Minutes<br>(ii) Sixty-seventh Report                                      | 130     |
| प्राक्कलन समिति<br>119 वां प्रतिवेदन  | Estimates Committee<br>Hundred and nineteenth report  |         |
| नियम 377 के अन्तर्गत मामला<br>तीसरे वेतन आयोग की नियुक्ति   | Matter under 377<br>Appointment of Third Pay Commission   | 130-136 |
| अनुदानों की मांगे, 1970-71<br>श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय                                  | Demands for grants, 1970-71<br>Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation                                  | 136     |
| श्री स० कृण्डू<br>डा० मेलकोटे<br>डा० मैत्रेयी बसु<br>श्री बे. कृ. दासचौधरी                        | Shri S. Kundu<br>Dr. Melkote<br>Dr. Maitreyee Basu<br>Shri B. K. Daschowdhury                                     |         |
| पुरःस्थापित विधेयक  | BILLS INTRODUCED  |         |
| (1) श्री मधु लिमये का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 16, 19, आदि का संशोधन)                    | (1) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 16, 19, etc.) by Shri Madhu Limaye                       | 141     |
| (2) श्री चिन्तामणि पाणिग्रही का कम्पनी (संशोधन) विधेयक (नयी धारा 224क, 224ख और 224ग का रखा जाना)  | (2) Companies (Amendment) Bill Insertion of new sections 224 A, 224 B and 244 C) by Shri Chintamani Panigrahi     | 141     |
| (3) श्री तेन्नेटि विश्वनाथम का खाद्य अप-मिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक (धारा 2, 3, आदि का संशोधन)  | (3) Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill Amendment of Sections 2,3, etc.) by Shri Tenneti Viswanatham |         |
| श्री मधु लिमये का संविधान(संशोधन)विधेयक (अनुच्छेद 314 का हटाया जाना)—<br>चर्चा स्थगित             | Constitution (amendment) Bill debate adjourned (omission of article 314) by Shri Madhu Limaye                     |         |
| विचार करने का प्रस्ताव<br>श्री रघुवीर सिंह शास्त्री<br>श्री शिव चन्द्र झा<br>श्री बाकर अली मिर्जा | Motion to consider<br>Shri Raghuvir Singh Shastri<br>Shri Shiv Chandra Jha<br>Shri Bakar Ali Mriza                |         |
| श्री प्र. के. देव का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 164 में संशोधन)<br>विचार करने का प्रस्ताव  | Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 164) by Shri P. K. Deo<br>Motion to consider                  | 146-155 |

अता० प्र० स०

U. S. Q. Nos.

श्री प्र. के. देव

श्री रणधीर सिंह

श्री रवि राय

श्री रा० ढो० भण्डारे

श्री मृत्युंजय प्रसाद

श्री शारदा नन्द

श्री एस. कण्डप्पन

श्री के. नारायण राव

Shri P. K. Deo

Shri Randhir Singh

Shri Rabi Ray

Shri R. D. Bhandare

Shri Mrityunjay Prasad

Shri Sharda Nand

Shri S. Kandappan

Shri K. Narayan Rao

**लोक-सभा**  
LOK-SABHA

शुक्रवार, 24 अप्रैल, 1970/4 वैशाख, 1892 (शक)  
Friday, April 24, 1970/ Vaishakha 4, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई  
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ]  
[ Mr. SPEAKER IN THE CHAIR ]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 1201 श्री नायडू !

श्री श्रद्धाकर सुपकार : प्रश्न संख्या 1209 भी उसी प्रकार का है। उसे भी इसके साथ ही ले लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर  
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उच्च न्यायालयों के तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि

\*1201. श्री मयावन : श्री नि० रं० लास्कर  
श्री चेंगलराया नायडू : श्री आत्मदास :  
श्री दण्डपाणि :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उच्च न्यायालयों के तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों में 500 रुपये प्रति मास की वृद्धि करने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या न्यायाधीशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो उनके द्वारा इसका विरोध किये जाने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या उन्होंने सुझाव दिया है कि उनके वेतनों में वृद्धि करने के बजाय सरकार द्वारा उन्हें कुछ अन्य सुविधाएं दी जाएं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार उनके अनुरोध से कहां तक सहमत है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) :** (क) न्यायाधीशों के वेतन में 500 रु० की वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। चूंकि इसमें संविधानिक संशोधन शामिल था, अतः हाल में संसद में विरोधी दलों के नेताओं के साथ परामर्श किया गया था। सर्वसम्मति इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थी।

(ख), (ग) तथा (घ) : न्यायाधीशों में से किसी न्यायाधीश से इस प्रस्ताव के विरुद्ध कोई सुझाव या अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए थे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

### उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनों में वृद्धि और राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया

\* 1209. **श्री श्रद्धाकर सुपकार :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनों में प्रस्तावित 500 रुपये की वृद्धि की जाने के बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया मालूम की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या परिणाम निकला है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री मयावन :** क्या सरकार इस वेतन के संदर्भ में आयकर में छूट को बढ़ाने के संबंध में भी विचार करेगी ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न से संबंधित नहीं।

**श्री यशवंतराव चव्हाण :** जैसा कि मैंने कहा, आम राय तो इस 500 रुपये की वृद्धि के भी विरुद्ध है। आयकर छूट का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मूल प्रस्ताव आयकर में छूट से संबंधित नहीं था।

**श्री मयावन :** क्या इस बारे में राज्य सरकार से परामर्श किया जायेगा ?

**श्री यशवंतराव चव्हाण :** हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। वस्तुतः जब हम संविधान में संशोधन ही नहीं कर रहे, तो राज्य-सरकारों से विचार-विमर्श करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि हम ऐसा करना चाहेंगे तो अवश्य ही उनकी सलाह लेंगे।

**श्री श्रद्धाकर सुपकार :** क्या इस प्रस्ताव को प्रारम्भ में केन्द्र सरकार ने उठाया था तथा क्योंकि राजनैतिक दल इसके पक्ष में नहीं थे। क्या सरकार का विचार न्यायाधीशों की उपलब्धियों



तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि करने का है क्योंकि शायद केन्द्र सरकार यह मान गई है कि रुपये के मूल्य को देखते हुए यह वेतन पर्याप्त नहीं है।

**श्री यशवंतराव चव्हाण :** यदि यह प्रश्न सामान्य तौर से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में वृद्धि करने के बारे में है, तो और बात है। हम तो उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा-शर्तों के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस कार्य के लिये सर्वाधिक प्रतिभा वाले व्यक्ति मिलें। न्यायाधीशों में भी यह अनुभव कर रहे थे कि इस उद्देश्य के लिये कोई कार्यवाही की जानी चाहिये। पिछले दो वर्षों के दौरान तथा विशेष रूप से गत कुछ महीनों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में समय से पूर्व त्यागपत्र देने की प्रवृत्ति रही है, जिससे कि वे उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकें। अतः इस समस्या का हल ढूँढ़ना था। अतः हम यह विचार कर रहे थे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की सीमा को 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयुसीमा को 65 से बढ़ाकर 68 वर्ष कर दिया जाये। इस कार्यवाही के लिये भी संविधान में संशोधन करना पड़ता है, इसलिए हमने विरोधी पक्ष के नेताओं की सलाह लेना आवश्यक समझा। गत वर्ष मई में हमने इस पर चर्चा की थी। उन्होंने ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि हमें परिवर्तन न करें तथा इसके स्थान पर कोई अन्य विकल्प ढूँढ़कर कार्यवाही करके देखा जाये। अतः यह विकल्प सोचा गया था कि उनके वेतनों में 500 रुपये की वृद्धि कर दी जाये।

**श्री पीलु मोडी :** क्या इसके लिये संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है ?

**श्री यशवंतराव चव्हाण :** इसके लिये भी संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। मैं पूरी पृष्ठभूमि बता रहा हूँ ताकि और अधिक अनुपूरक प्रश्नों के पूछने की आवश्यकता न पड़े। दूसरा प्रस्ताव यह था कि वकीलों में से भर्ती किये गये न्यायाधीशों के लिये भी पारिवारिक पेन्शन तथा उपदान की योजना लागू कर दी जाये। जो न्यायाधीश भारतीय सिविल सेवा से संबंधित हैं या न्यायिक सेवा से भर्ती किये गये हैं, उन पर यह योजना पहले ही से लागू है। परन्तु प्रश्न तो वकीलों में से अच्छी प्रतिभा वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने का है, जिन पर यह योजना लागू नहीं है। अतः हम उन पर भी यह योजना लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। कुछ मानदीय सदस्यों का यह कहना भी ठीक है कि जिन न्यायाधीशों पर यह योजना लागू है, वह भी पर्याप्त नहीं है। अतः हमें इस विशिष्ट योजना को भी अधिक उदार बनाने के बारे में विचार करना चाहिये। हम उस पर भी विचार कर रहे हैं।

**श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या अभी हाल ही में कुछ ऐसे मामले भी हुए हैं कि सरकार ने काफी अभ्यस्त वकीलों की सेवायें प्राप्त करने का यत्न किया हो और उन्होंने उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने से इन्कार कर दिया हो ?

**श्री यशवंतराव चव्हाण :** कुछ अच्छे वकीलों के बारे में मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों सहित राज्य सरकारों से विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। उन पर उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है और कुछ को अस्वीकार कर दिया जाता है।

**श्री श्रद्धाकर सूपकार :** मंत्री महोदय मेरा आशय नहीं समझे। क्या न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के भी कोई मामले हुए ?



**श्री यशवंतराव चव्हाण :** इस समय तो मुझे ऐसा कोई विशिष्ट मामला याद नहीं है, परन्तु गृह-कार्य मंत्री के अपने 10 या 18 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हुए कुछ मामलों के बारे में मैं जानता हूँ। यहां तक कि मुख्य मंत्री के रूप में कार्य करते हुए भी मेरे सामने ऐसे मामले आये जबकि अनेक अच्छे वकीलों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तक का पद पेश किया गया और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। ऐसा अनेक बार हुआ है।

**श्री सोनावने :** जबकि सरकार मजदूरों के वेतनमानों में वृद्धि करने में हिचकिचा रही है, विशेष रूप से इंडियन इग्ज एण्ड फार्मसियुटिकल लिमिटेड में, जहां पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय उनकी न्यायोचित मांगें पूरी नहीं कर रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के इन न्यायाधीशों के 500 रुपये की वेतन वृद्धि के बारे में किन परिस्थितियों के वश होकर विचार किया जा रहा है? मैं नहीं जानता कि हम ऊँचे वेतन पाने वाले लोगों के वेतनों में अपनी प्रतिभा आकर्षित करने के नाम में वृद्धि करने के क्यों इतने इच्छुक हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि ऊँचे वेतन पाने वालों की वेतन वृद्धि करने का विचार का कब तक अन्त होगा?

**श्री यशवंतराव चव्हाण :** मैंने न्यायिक सेवाओं के लिये जो कि हमारी सारी प्रणाली का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से पेश किये प्रस्तावों का विस्तृत व्यौरा पेश किया है। उनमें से यह भी एक प्रस्ताव था। हम इस पर विचार करने से तो इन्कार नहीं कर सकते।

**श्री रंगा :** क्या सरकार को मालूम है कि कुछ समय पूर्व एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने यह सुझाव दिया था कि उन्हें राज्यों के मुख्यालयों में निवास की सुविधा दी जाये? मैं नहीं जानता कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को यहां, अथवा फिर उच्च श्रेणी तक के सरकारी कर्मचारियों के समान ही यह सुविधा दी जा रही है। क्या सरकार ने इस बारे में विचार किया है या विचार करेगी क्योंकि यह भी एक प्रकार से उपलब्धियों, सुविधाओं या अन्य बातों में सुधार ही होगा? उन्हें पर्याप्त निवास-स्थान पाने में बड़ी कठिनाई होती है।

**श्री कृष्ण मूर्ति :** दूसरे देशों की तुलना में विशेष रूप से अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल उनके जीवन भर तक होता है और उनके वेतन न केवल आकर्षक ही बल्कि अन्य अधिकारियों से बहुत ही ऊँचे होते हैं। यहां भारत में, न्यायाधीशों के वेतनों का निर्धारण काफी समय पूर्व किया गया था। अतः न्यायाधीशों के वेतनों में वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक है। यदि मंत्री महोदय यह समझें कि न्यायाधीशों के वेतनों में 500 रुपये या 1000 रुपये की वृद्धि की जानी चाहिये तो वह इस आशय का विधेयक पेश करें। न्यायाधीशों के वेतनों में वृद्धि के लिये वे सभी दलों का मत क्यों लेते हैं? इस से तो ऐसा दिखता है कि वह न्यायाधीशों का वेतन नहीं बढ़ाना चाहते। वह इस सम्बन्ध में चर्चा करने और विभिन्न दलों की सम्मति लेने को क्यों इच्छुक हैं?

**श्री यशवंतराव चव्हाण :** मेरे विचार से विवादपूर्ण मामलों पर सर्वसम्मति प्राप्त कर लेना एक अच्छी और लोकतांत्रिक परम्परा है। इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है।

**श्री पीलु मोडी :** क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि एक अच्छा वकील 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक प्रतिमास कमा लेता है। सरकार के लिये यह बड़ा अच्छा होगा कि वह उनकी

सेवायें न्यायाधीशों के रूप में प्राप्त करें। यदि मंत्री महोदय उनकी वेतन वृद्धि संबंधी विधेयक को संसद में पारित कराना कठिन समझते हैं तो पहले दिये गये इस सुझाव पर, कि न्यायाधीशों के वेतन को आयकर तथा अन्य करों से मुक्त कर दिया जाये, और कि इसके लिये संविधान में संशोधन करने की भी आवश्यकता नहीं है। मंत्री महोदय इस दृष्टिकोण से गम्भीरता से विचार करेंगे कि देश में अत्यन्त ऊँचे स्तर पर शुद्ध न्याय प्राप्त किया जा सके ?

**श्री यशवंतराव चव्हाण :** मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त भावनाओं को समझता हूँ। परन्तु हमें कोई ठोस हल भी निकालना है। यह हो सकता है कि धन की दृष्टि से कुछ अच्छे वकील खूब कमा रहे हैं परन्तु मैं उनके बारे में निश्चय से कुछ नहीं जानता क्योंकि मैंने उनका आयकर का व्यौरा नहीं देखा है।

**श्री पीलू मोडी :** आपको वह व्यौरा मिलेगा भी नहीं।

**श्री यशवंतराव चव्हाण :** कुछ अच्छे वकील हैं जो कि इन दिनों काफी धन कमा रहे हैं, यह सच है। इसीलिये वे न्यायाधीशों के पद पर आने में अत्यन्त कम रुचि रखते हैं। वस्तुतः इसी समस्या का हम सामना कर रहे हैं। और इसी कारण हम विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं।

**Shri Prem Chand Verma :** Different views have been expressed on this matter here. When we have decided to bridge the gap between the poor and the rich and also see that the salaries vary only to the ratio of 1 : 10. In that context, if we think of increasing the salaries of judges by Rs. 500 per month, and also that of MPs, MLAs and Ministers and other high officials we are vying with each other without regard particularly when there is a lot of discontent prevalent among lower class of employees due to the constant increase in prices—for example the NCOs in Himachal Pradesh have gone on strike in support of their demand for increase in their salaries, and there is a lot of discontent among them.

In view of all this would the Government think in terms of lessening the gap between the poor and the rich and also reducing the existing difference in the salaries, so as to eliminate the prevalent sense of discontent.

**श्री सोनावाने :** इस अन्तर को कम करने की बजाये वह तो इसे और बढ़ा रहे हैं।

**श्री यशवंतराव चव्हाण :** मैं माननीय सदस्य के सिद्धान्त से सहमत हूँ। परन्तु साथ ही हमने देखना है कि न्यायिक सेवाओं में अच्छे लोग आयें। इस संदर्भ में हमें कुछ व्यावहारिक बातों को भी तो देखना है।

जहां तक नीचे की श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों तथा सेवा-शर्तों का सम्बन्ध है, सरकार न केवल इस सम्बन्ध में पूरी तरह जागरूक है, बल्कि पूरी सहानुभूति भी रखती है। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों के बारे में भी सरकार सहानुभूतिपूर्ण विचार करने का प्रयत्न कर रही है।

**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या मंत्री महोदय यह नहीं जानते कि इस आर्थिक लाभ को प्रतिभाशाली वकील अत्यधिक महत्व नहीं देते, तथा इस उद्देश्य के लिये, सामाजिक प्रगति के दृष्टिकोण से ऐसे व्यक्तियों को भर्ती करने की आवश्यकता है जिनमें सामाजिक मूल्यों और सांसारिक दृष्टिकोणों का समावेश हो। इस विचार से मंत्री महोदय इस विचार पर क्यों इतना

जोर देते जा रहे हैं कि हम 50,000 रुपये मासिक कमाने वाले लोगों में से भर्ती करें ? हम किसी अन्य स्रोत का सहारा क्यों न लें ? क्या इस क्षेत्र से बाहर भी अनेक प्रतिभाशाली लोग हैं ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ । ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति अन्य स्थानों में भी उपलब्ध हैं । मैं स्वयं भी इस व्यवसाय से सम्बन्धित था । हम उस सिद्धान्त को भी विचार में रखे हुये हैं । परन्तु जब हम ठीक रूप में, व्यावहारिक रूप में देखते हैं, तो कुछ विभिन्न बात ही पाते हैं ।

**श्री हो० ना० मुकर्जी :** समाजवाद के बारे में मन्त्री महोदय की बातें बिल्कुल निस्सार और निरर्थक हैं ।

#### Carrying of Passengers and Goods by Motor Boats and Steamers Form Calcutta

1202. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) the names of the cities to which passengers and goods will be carried by motor boats and small steamers from Calcutta after the completion of Farakka Barrage ; and

(b) the complete details in this regard ?

**संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० रघुरमैया) :** (क) और (ख) फरक्का बांध के पूरा हो जाने के बाद गंगा नदी में कलकत्ता से भागीरथी होकर नदी सेवाओं को चलाने की योजना को यातायात अध्ययन के आधार पर अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । इस क्षेत्र में अन्तर्देशीय संचालन शक्यता का मूल्यांकन करने वाला अध्ययन प्रगति पर है, अतः इस समय उन स्टेशनों का नाम देना सम्भव नहीं है जहां कलकत्ता से माल मोटर नावों और छोटे स्टीमरों से ले जाया जायेगा ।

परन्तु यह बताया जा सकता है कि अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति ने अपने अन्तरिम रिपोर्ट, जो दिसम्बर 1969 में दी, गंगा में बक्सर और फरक्का के बीच सेवाओं को चलाने की सिफारिश की है । समिति की यह सिफारिश बिहार सरकार के परामर्श से विचाराधीन है ।

**Shri Maharaj Singh Bharati :** The Hon. Minister has stated that he would assess to traffic. But when there is no traffic what will he assess ? The point is that the transportation of raw material from Uttar Pradesh and Bihar to Calcutta can be much cheaper by water than by rail. After the completion of Farakka Barrage.....

**Mr. Speaker :** Pleased put your question.

**Shri Maharaj Singh Bharati :** I am putting a straight question. Had there been no Farrakka Barrage, it would have not arisen. I want to know whether after the water becoming available on the completion of Farrakka Barrage, which would facilitate steamer service, the Govt would see that a regular steamer service both for goods and passengers from Calcutta to at least Kanpur or Allahabad would be put into operation ?

**Shri Iqbal Singh :** As regards steamer service, there was a time when it used to ply, but that proved uneconomic and so was wound up. Now the question is about resuming it. It is proposed to have this service from Farrakka to Calcutta and also upto Haldia after the Jangipur canal of the Farrakka Barrage is completed. But for the present the Committee has recommended it from Farrakka to Buxar. Therefore, the whole study is

being done—as to the quantum of traffic expansion, Originating traffic and other points. These aspects are under consideration and the State Government is being consulted about this scheme.

**Shri Maharaj Singh Bharati :** It is true that previously this service was there, and after Pakistan came into being, this service was closed down since enough water was not available in the Hugli and Ganges. It means that this service could be easily operated when water will be available from Farrka. Then why do the Government want to delay it on the pretext of traffic? Why an assessment is not being made now itself as to on which town would it stop because it will require railway siding and also road-links, and that will take time. Why do the Government want to delay it unnecessarily?

**Shri Iqbal Singh :** There is a long story behind its closing down. Previously there was a triangle service. Agricultural produce were transported from Bihar to Assam, and Jute and tea were transported from Assam to Calcutta and there-after it would come here. After the close down of this triangle this service became uneconomic and was, therefore, closed down. Now we are considering to resume it for comparatively a limited area and also to see as to how can it be made economic.

#### Conspiracy to Form Independent Government in Assam

\*1203. **Shai Raghuvir Singh Shastri :**

**Shri Yajna Datt Sharma :**

**Shri Hardayal Devgun :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a conspiracy to form a separate independent Government in Assam in collusion with the underground Nagas and some foreign agents has come to light ;

(b) if so, the names of the countries and the persons concerned as also the names of the political parties, if any which are involved in the said conspiracy ; and

(c) the action taken against them ?

**The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :** (a), (b) and (c) A statement is placed on the Table of the House.

#### STATEMENT

There is no information about any specific plan of extremist elements to form an independent government of Assam in collusion with underground Nagas and foreign agents. However, the interest of China and Pakistan in this region is also well-known. During 1966-67, some extremist communists under the leadership of Shah Syed Hussain of Sibsagar district had come to notice for hatching a plan in collusion with the Naga hostiles for the so-called liberation of Assam along with Nagaland. It is reported that in January 1967 eleven persons received training at a Naga Army camp in Nagaland. This group was responsible for two acts of sabotage during February and March, 1967 on the railway tracks near Kharikatia and Titabar railway stations, both in Sibsagar district of Assam. In March, 1968 the Assam Police arrested twentyone persons in connection with these cases. The police also recovered a live plastic bomb from one of the accused. Shah Syed Hussain, however, absconded and went underground till he was arrested on the 17th March, 1970.

**Shri Raghuvir Singh Shastri :** In a statement it has been stated that a person named Shah Sayed Hussain has been traced, who is planning to liberate Assam. It has been stated that after that he absconded. It is not clear whether he was arrested and whether he disappeared while in custody. Secondly, it has been stated that that person was arrested in March 1970. What had been his activities during these three years, and whether the Govt. had been watching his activities ?

**गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** यह सच नहीं है कि उसकी गिरफ्तारी की गई थी। उसे जब यह भय हुआ कि उसे गिरफ्तार किया जायेगा तो वह छिप गया था। उसे गोहाटी में फरवरी या मार्च में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है।

**Shri Raghuvir Singh Shastri :** I want to know whether the attention of the Minister has been drawn to the statement made by the Revenue Minister in reply to a calling Attention Notice in the Assam Assembly on 7th April in which he had stated that some murders had been committed there and some posters and other articles have been siezed in which it had been mentioned that their plan of murder is going on according to the schedule? I want to know the effective steps being taken by the Government to stop these activities?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** इस विषय पर हम एक घंटे चर्चा कर चुके हैं जिसमें प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये थे। आसाम विधान सभा में श्री चौधरी द्वारा दिये गये वक्तव्य पर उठाये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मैं उत्तर दे चुका हूँ। उन्होंने राज्य में घटने वाली कुछ घटनाओं का उल्लेख किया था। उन्होंने स्वयं उल्लेख किया था कि वह इस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं। राज्य के लिये आवश्यक सहायता के बारे में भी मैंने आसाम सरकार को आश्वासन दिया था। यद्यपि मैं वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में गारन्टी नहीं दे सकता। यदि कोई पुलिस की सहायता की आवश्यकता होगी तो, वह हमेशा दी जायेगी।

**श्री रंगा :** क्या यह सहायता दी जा रही है ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** राज्य की पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि यदि राज्य को इस सम्बन्ध में तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी तो उसे उक्त सहायता दी जायेगी।

**Shri Hardayal Devgun :** The views of the builder of Pakistan and after its formation the views of its rulers are well known. The Government has now itself accepted that Pakistan is interested in Assam. Before that people from Pakistan have been coming to India and they have settled there with the blessings of the Congress Govt. Seeing the increasing number of these Pakistanis, the Government of India opposed it. But the Pakistan Government did not agree to it. Taking all these things into consideration, I want to know whether the Government will implement Shri Nanda's plan and see that the number of Pakistanis and Chinese agents may not increase in any case and take care to impose strict restrictions on the borders?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मैं यह नहीं समझता कि माननीय सदस्य को श्री नन्दा की योजना की वास्तविक जानकारी है। श्री नन्दा की यह योजना थी कि न्यायाधिकरण की स्थापना के बाद शरणार्थियों के बीच घुसपैठियों का पता लगाया जाये। उन्होंने अधिक समय तक काम नहीं किया और वे कुछ व्यक्तियों को वापिस भेजने में सफल हुये। इसके साथ-साथ हमारी सीमा सुरक्षा दल और सीमा पड़ताल चौकियां भी इस सम्बन्ध में कार्य कर रही हैं। सीमा पड़ताल चौकियां बहुत प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रही हैं।

**Shri Hardayal Devgun :** Please tell us something about the scheme to clear on mile strip along the border.

**Shri Y. B. Chavan :** This matter has been taken up in the Consultative Committee several times.



**श्री रा० बरुआ :** क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शाह सैयद हुसैन षडयन्त्र के अतिरिक्त नेफा और आसाम के समस्त भाग विशेषकर आसाम के उत्तरी भाग में पाकिस्तानी एजेंटों की कार्यवाहियां बहुत तेजी पर हैं ? इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार उनकी गतिविधियों को रोकने के लिये सक्रिय कार्यवाही कर रही है ? मैं इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। इस बारे में केवल मार्क्सवादियों को ही एकाधिकार प्राप्त नहीं है। इस समस्या से अन्य लोग भी सम्बन्धित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार उन क्षेत्रों के विकास के प्रस्ताव के बारे में कार्यवाही करने की इच्छुक नहीं है। इस बारे में मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** माननीय सदस्य द्वारा आसाम में प्रशासन के मूल ढांचे के निर्माण के बारे में जोर देने की बात को मैं समझता हूं। मुझे इस बारे में उनसे पूर्ण सहानुभूति है और मैं इस सम्बन्ध में उनका समर्थन करूंगा। इस सम्बन्ध में कुछ बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। आसाम तथा केन्द्रीय सरकार को इस बारे में पूरी जानकारी है। इसके साथ-साथ ऐसी भावना पैदा करता कि वहां यह समस्या विद्यमान है और उस समस्या को हल करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, उचित नहीं। इससे निराशा की भावना उत्पन्न होती है।

**श्री रा० बरुआ :** नेफा और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में राजनीतिक असन्तोष व्याप्त है।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मेरे विचार से नेफा के बारे में उनकी धारणा ठीक नहीं है। कुछ सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के बारे में आसाम में असन्तोष है। इस बारे में मुझे जानकारी है।

**श्री हेम बरुआ :** आसाम के लोगों में विद्यमान सामाजिक-आर्थिक असन्तोष को ध्यान में रखते हुये क्या यह सच नहीं है कि वहां पृथक् रहने की भावना बढ़ रही है जिसके परिणामस्वरूप "सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न आसाम" के कुछ समर्थकों ने विद्रोही नागाओं के नेताओं से एक समझौता करने हेतु कुछ वर्ष पूर्व जोहराट के एक बाग में विचार-विमर्श किया था ? क्या नक्सलवादी नेता, सैयद हुसैन और मार्क्सवादी नेता श्री सुरेन हजारिका (जो काफी समय से अपने को छिपा रहे थे), की गिरफ्तारी के बाद सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न आसाम सम्बन्धी अभियान का कोई संकेत मिला है अथवा नहीं ? सरकार का सामाजिक-आर्थिक असन्तोष को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** भारत सरकार आसाम की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के बारे में ध्यान दे रही है। उन पर समय-समय पर विचार किया जाता है। अन्य बातों के बारे में जानकारी देना बहुत कठिन है।

**श्री हेम बरुआ :** उन्हें इस बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। मैंने काफी समय पूर्व इस बात का उल्लेख किया था कि इन लोगों ने किसी समझौते पर पहुंचने के लिये नागा नेताओं से जोहराट के एक उद्यान में विचार-विमर्श किया था और विद्रोही नागाओं का प्रतिनिधित्व श्री रामेओ ने किया था।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मैं इस बारे में अवश्य जानकारी प्राप्त करूंगा।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** अध्यक्ष महोदय, कल आपने विनिर्णय दिया था कि ऐसे व्यक्तियों के नाम का उल्लेख नहीं किया जायेगा जो अपनी सफाई देने के लिए यहां नहीं हैं। लेकिन अभी ऐसा किया गया है यह उचित नहीं है। आप दोहरा मानक अपना रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** ये आरोप नहीं हैं। यदि एक व्यक्ति हत्या करता है तो क्या यह उचित है कि उस व्यक्ति के नाम का इस आधार पर उल्लेख न किया जाये कि वह अपनी सफाई में कुछ भी कहने में असमर्थ है ?

**Shri Ravi Rav :** Assam is a border area. I want to know whether it is a fact that the foreign missionaries and the owners of the oil Companies are giving encouragement to anti-national activities in Assam? If the Hon. Minister is aware of these facts I want to know the steps Government is going to take to stop these activities?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** जहां तक मिशनरियों का सम्बन्ध है जब आवश्यक होता है तो हम प्रत्येक व्यक्तिगत मामले पर विचार करते हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति आसाम छोड़कर चले गये हैं। लेकिन हम उन लोगों का समर्थन करते हैं जो वहां वास्तव में काफी समय से सहायता और चिकित्सा सम्बन्धी कार्य कर रहे हैं। यह बहुत नाजुक मामला है, इसमें जबर्दस्ती नहीं बरती जा सकती। इस मामले के बारे में सावधानी और समझदारी बरतने की जरूरत है।

**Shri Ravi Rav :** Please tell us also something about the encouragement being given to the anti-national activities of the oil Companies.

**Shri Y. S. Chavan :** I have not got any information in this regard at the moment.

**श्री बेद्रव्रत बरुआ :** अब समय आ गया है कि हम इस बात को समझें कि चीनी विद्रोह की भावना को भड़काने की क्षमता रखते हैं। क्या विदेशी शस्त्रास्त्रों, विदेशी धन तथा नागालैण्ड को प्राप्त होने वाली अन्य वस्तुओं के बारे में पर्याप्त सजगता बरती गई है और क्या इस बारे में न केवल निम्न स्तर पर बल्कि सब स्तरों पर कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि आसाम में वृद्धि दर और आर्थिक विकास दर भारत में सबसे कम है ? केवल कानून और व्यवस्था के पहलू पर विचार करने की बजाये क्या इस समस्या का हल करने के लिये कोई उचित व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया गया है ? आसाम का विकास न होने का मुख्य कारण संचार की व्यवस्था का होना है।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** आसाम की सामाजिक-आर्थिक वृद्धि दर आदि सम्बन्धी समस्याओं के बारे में आसाम सरकार और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विचार किया जाता है। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही हमारी सजगता का प्रतीक है। जहां तक संचार सम्बन्धी समस्या का सम्बन्ध है, इस बारे में काफी कुछ किया जाना बाकी है लेकिन गत दो या तीन वर्षों में, मुझे जहां तक जानकारी है, वहां काफी कुछ किया गया है।

**श्री बेद्रव्रत बरुआ :** वहां केवल मीटर लाइन बिछाई गई है।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** सड़क निर्माण के सम्बन्ध में भी कार्य किया गया था।

**Shri Beni Shanker Sharma :** I want to know from the Hon. Minister whether the accident that took place in Gohati on 26th February, 1968 had any connection with the plan of Shah Hussain to separate Assam or not and whether any commission was appointed to

enquire into riots broke out during those days in Gohati and whether the Hon. Minister will also give some information regarding the work done by that commission ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मैं आयोग की शर्तों के बारे में पहले ही जानकारी दे चुका हूँ, इसकी नियुक्ति कुछ व्यक्तियों के वहाँ जाने के बाद हुई थी। इस समय उसकी सिफारिशों के बारे में मेरे पास विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

**श्री हेम बरुआ :** आपने कहा था कि आप आयोग का प्रतिवेदन सभा पटल पर रख देंगे।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मैंने ऐसा नहीं कहा था। उन्नत आयोग की नियुक्ति आसाम सरकार द्वारा की गई थी और इस बारे में निर्णय करना आसाम सरकार का काम है। मुझे याद है, मैंने यहाँ यह कहा था।

**Shri Beni Shanker Sharma :** The report of the Sen Commission has been submitted to the Assam Government in June, 1969. I want to know the reasons for not bringing it before us ? I also want to know its findings. It is no use appointing a Commission, if its findings are not brought before us.

**अध्यक्ष महोदय :** आप मुख्य प्रश्न से परे जा रहे हैं। यह प्रश्न मूल प्रश्न से नहीं उठता।

**श्री समर गुह :** क्या यह सच है कि वर्ष 1967 में कलकला से प्रकाशित होने वाले 'हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड' ने पेकिंग समर्थक तत्त्वों के एक पत्र की नकल प्रकाशित की थी जिसमें पश्चिम बंगाल, पूर्व पाकिस्तान, आसाम और अन्य भागों को एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में स्थापित करने के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया था और इसमें चाऊ-इन-लाई से धनराशि की मांग की गई थी ? इस संदर्भ में क्या यह सच है कि पेकिंग समर्थक दल—नेशनल अवामी पार्टी, मौलाना भसानी के नेतृत्व में उक्त विचारों का लगातार प्रचार कर रही है और उक्त योजना को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से ढाका में जयदेवपुर माईमिन सिंह जिले में सुसिन और स्लेहट और चिट्टागांव पहाड़ी क्षेत्र में नागा और मिजो को प्रशिक्षण देने के लिये बीनी गुरिल्ला विशेषज्ञ श्री फेंग द्वारा अनेक शिविर चलाये जा रहे हैं ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** इस बारे में मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है, अतः मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

**श्री समर गुह :** क्या आप इस सम्बन्ध में बाद में जानकारी प्राप्त कर लेंगे और बाद में मुझे उससे सूचित करेंगे ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मैं इस सम्बन्ध में वचन नहीं दे सकता। आपके पास जो जानकारी है वह आप भेज दें और मैं इस बारे में जो कुछ भी करने में समर्थ हूँगा, करूँगा।

#### Attempt on Shri Jyoti Basu's Life

\*1204. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**  
**Shri Sitarm Kesri :**

**Shri S. M. Banerjee :**  
**Shri Jageshwar Yadav :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the steps taken to trace the culprits involved in the attempted assassination of Shri Jyoti Basu, former Deputy Chief Minister of West Bengal, on the 31st March, 1972 and the result thereof ?



**गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** उक्त घटना के सम्बन्ध में दर्ज किये गये मामले की बिहार राज्य के खुफिया विभाग द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है। अब तक सन्देह में पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

**Shri Yashwant Singh Kushwah :** I want to know whether the assistance of C.B.I. has also been taken in this investigation and whether the car found in front of the Patna Station has been taken into custody and whether the owner of the car has been traced and has been arrested? I also want to know whether the whereabouts of the persons arrested have been known and whether these people had personal grudge against Shri Jyoti Basu or they had some political motive behind this attempted murder?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि बिहार गुप्त-चर विभाग के नेतृत्व में जांच की जा रही है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय पुलिस द्वारा आवश्यक सहायता दी जा रही है। इस सम्बन्ध में उन्हें अंगुली छाप ब्यूरो तथा अन्य वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इस बारे में मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ। जांच-कार्य के सम्बन्ध में जानकारी देना मेरे लिये बहुत कठिन है। ऐसा करना न तो जांच के ही हित में होगा और ना ही अन्य बातों के हित में होगा।

**Shri Yashwant Singh Kushwah :** The followers of Joyti Basu have given a slogan of "blood for blood" and Shri Joyti Basu has himself stated that they will give west Bengal a blood bath. I want to know what steps Government have taken to secure the life of Shri Joyti Basu and to maintain law and order there?

**Shri Sita Ram Kesri :** The Hon. Minister has just stated that five persons have been arrested in connection with the attempted murder of Shri Joyti Basu. I want to know which party these people are connected with?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मुझे इन व्यक्तियों की राजनीतिक प्रवृत्ति या राजनीतिक विचार-धाराओं के बारे में जानकारी नहीं है।

**श्री स० मो० बनर्जी :** यदि माननीय मंत्री को इस मामले में उक्त व्यक्तियों की राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि उनमें से एक या दो व्यक्ति आनन्दमार्ग नामक संस्था से सम्बन्धित रहे हैं। यदि हां, तो क्या पुलिस द्वारा उन व्यक्तियों से पूछताछ की गई है; और यदि हां, तो उक्त पूछताछ के क्या परिणाम निकले? मैं उन व्यक्तियों के नाम जानना चाहता हूँ।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मैं उन व्यक्तियों के यहां नाम नहीं दे सकता। ना ही मुझे विदित है कि उनका सम्बन्ध किन राजनीतिक दलों या विचारधाराओं से है। जब इस सम्बन्ध में जांच चल रही है तो मेरे लिये इस मामले में कुछ कहना और सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम बताना बहुत कठिन है। मेरे पास उनके नामों की सूची भी यहां नहीं है।

**Shri Jageshwar Yadav :** In case this tendency of murdering political workers continues, how can we make their lives safe? Will the violence be allowed to clear the one's political path? Can Government not make arrangement for the safety of the political workers? I was also threatened by some gundas and was asked either to keep Rs. 3500 at such and such a place or I would be assassinated.

**Mr. Speaker :** Hon. Minister has written to me in this connection. He has also asked the question in the same matter.

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** जहां तक राजनीतिक नेताओं और राजनीतिक विरोधियों की हत्या किये जाने का सम्बन्ध है इसकी निन्दा की जानी चाहिये। इसकी हर प्रकार से निन्दा की जाएगी और इसका समर्थन करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक किन्हीं व्यक्तियों को मारने की धमकी देने का प्रश्न है, यदि इस बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है तो हम उनके लिए हर प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। मुझे आशा है, इस मामले में माननीय मंत्री ने राज्य सरकार को लिखा है और यदि इस मामले से मुझे सूचित किया गया तो हम इस मामले में सहायता देने का प्रयास करेंगे।

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने इस सम्बन्ध में आपको एक पत्र भेजा है।

**श्री शशि रंजन :** क्या सरकार का ध्यान इस बारे में अब तक की गई जांच के सम्बन्ध में पहुंचे निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि उक्त घटना की व्यवस्था मार्क्सवादी व्यक्तियों ने बिहार में जहाँ उनकी स्थिति बहुत महत्वहीन है, राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की और श्री अली इमाम की हत्या एक घटना मात्र थी ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** इस बारे में जांच जारी है और अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है।

**श्री जि० मो० बिस्वास :** यह विदित हुआ है कि श्री ज्योति बसु की हत्या का प्रयास किये जाने के बाद सरकार ने उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी है। क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि संयुक्त मोर्चा सरकार के एक भूतपूर्व मंत्री, पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष श्री मजूमदार पर भी हमले किये गये थे। सरकार इन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये क्या व्यवस्था कर रही है ? श्री ज्योति बसु की सुरक्षा के लिये रक्षक की व्यवस्था पर सरकार कितना खर्च कर रही है ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** सुरक्षा पर चाहे कितनी धनराशि खर्च करनी पड़े, रक्षक की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। इस मामले में आप इस पूरे खर्च होने वाली राशि के बारे में नहीं सोच सकते। अन्य व्यक्तियों के मामले में भी यदि उनके लिये सुरक्षा व्यवस्था करनी आवश्यक हुई तो हम उस पर भी अवश्य विचार करेंगे।

**श्री जि० मो० बिस्वास :** उपाध्यक्ष महोदय के घर पर भी हमला हुआ था।

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न केवल श्री ज्योति बसु के सम्बन्ध में है।

**श्री फ० गो० सेन :** क्या अपराधी व्यक्ति को पहचानने के लिये कोई पहिचान परेड की गई थी ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मेरे खयाल में जांच के दौरान वे पहिचान परेड कर चुके हैं। शायद ऐसी और परेडें भी करनी पड़ें।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** यह प्रश्न मार्क्सवादी साम्यवादी दल के नेता की हत्या का प्रयास के सम्बन्ध में है और आप मुझे इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहे हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** आपके साथियों को इसकी अनुमति दी जा चुकी है ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** मैंने इस बारे में अल्प सूचना प्रश्न दिया था लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया ।

**श्री हेम बरुआ :** क्या मैं यह जान सकता हूँ कि श्री बसु की हत्या करने का प्रयास किया गया था अथवा श्री अली इमाम की ? इसकी जानकारी नहीं दी गई है कि किसकी हत्या का लक्ष्य किया गया था । मुझे बताया गया कि पिस्तौल 10 फुट से चलाया गया था । ऐसा किये जाने पर लक्ष्य से चूकना बहुत कठिन है ।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** माननीय सदस्य ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जैसे वह न्यायालय के सामने जिरह कर रहे हों । मैं इन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता । सारे मामलों की जांच की जा रही है ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या माननीय मन्त्री यह बतलायेंगे कि पटना में बांकीपुर जेल में न्यायालय की कार्यवाही बन्द कमरे में क्यों की जा रही है और सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं की जा रही ? श्री ज्योति बसु के कथित हत्यारे पर बन्द कमरे में मुकदमा क्यों चलाया जा रहा है और सार्वजनिक रूप से मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** यदि माननीय सदस्य इस बारे में मुझे सूचना दें तो मैं अवश्य इस सम्बन्ध में पूछताछ करूंगा ।

**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न :

**Shri Ramavtar Shastri :** Sir, I belong to Patna and therefore, I may also be given a chance to put a question.

**श्री जि० मो० बिस्वास :** यह पटना के निवासी हैं, अतः इन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं सदस्यों के शोर मचाने से डरने वाला नहीं हूँ । अगला प्रश्न ।

### होटल उद्योग में विदेशी सहयोग

\*1205. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा होटल उद्योग में विदेशी सहयोग की अनुमति दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 1968, 1969 के वर्षों में तथा 1970 के पहले दो महीनों में कितने मामलों में इस प्रकार के सहयोग की अनुमति दी गई;

(ग) प्रत्येक मामले में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है; और

(घ) प्रत्येक मामले में विदेशी सहयोगियों का कितना हिस्सा है और होटल उद्योग में विदेशी सहयोग की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

**पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) :** (क) से (घ) विदेशी पर्यटकों के लिए उपयुक्त आवास की अत्यधिक कमी और इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होटल शृङ्खलाएं विदेशी पर्यटन के विकास के लिए मूल्यवान साधन का काम करती हैं, होटल उद्योग में विदेशी सहयोग की अनुमति दी जा रही है।

1968 से 1970 तक जिन होटल सहयोगों को अनुमति प्रदान की जा चुकी है, उनके बारे में आवश्यक ब्यौरे सहित एक स्थिति-सूचक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

### विवरण

| वर्ष | भारतीय पक्ष   | विदेशी पक्ष                                      | प्रायोजना की अनुमानित लागत | विदेशी सहयोगी द्वारा विनियोजित पूंजी |
|------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|
| 1968 | ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड (ओवेराय), नई दिल्ली।         | शेराटन इन्टरनेशनल, संयुक्त राज्य अमरीका          | 652.5 लाख रुपये            | 52.5 लाख रुपये (विदेशी मुद्रा में)   |
| 1969 | मेट्रोपोलिटन होटल्स लिमिटेड (शिव सागर एस्टेट्स), बम्बई। | हिल्टन होटल्स इन्टर-नेशनल, संयुक्त राज्य अमरीका। | 500.0 लाख रुपये            | 30.0 लाख रुपये (विदेशी मुद्रा में)   |
| 1970 | —   | कोई नहीं   | —                          | —                                    |

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** एक ओर सरकार एकाधिकार को खत्म करने की बात कर रही है और दूसरी ओर सरकार विदेशियों को होटल उद्योग पर एकाधिकार दे रही है। वह स्थानीय प्रतिभा का विकास करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। वर्ष 1973 के लिये होटलों में 10,290 मर्दों का लक्ष्य है और उस पर व्यय करने के लिये सरकार को 69.87 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। योजना में इसके लिये बहुत थोड़ी राशि रखी गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि शेष धनराशि सरकार कहां से लायेगी ?

**पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) :** माननीय सदस्य ने प्रश्न की जो भूमिका बांधी है उसका मैं अवश्य उत्तर दूंगा। विदेशी एकाधिपत्य का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वास्तव में विदेशी सहयोग से भारतीय होटल स्थापित किये जा रहे हैं, विदेशी होटल नहीं। दूसरे, इन होटलों से देश में होटलों में कुछ स्थान की ही व्यवस्था हो सकेगी। माननीय सदस्य ने यह उचित कहा है कि हमारे होटलों में वर्ष 1973 तक 10,000 स्थानों की कमी रहेगी। वर्तमान परियोजना के अनुसार हमने इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र में 5,000 और सरकारी क्षेत्र में लगभग 2,000 व्यक्तियों के लिये स्थान की व्यवस्था करने की अनुमति दी है। इस प्रकार 3000 व्यक्तियों

के लिये स्थान की कमी फिर भी रह जायेगी। अतः हम इस बारे में लोगों से हाथ बढ़ाने का अनुरोध कर रहे हैं। हम उन्हें वित्तीय, राजकोष और होटल ऋण विकास निधि से सहायता दे रहे हैं तथा विभिन्न दूसरे प्रकार के होटल उद्योगों को पैसा देकर प्रोत्साहन दे रहे हैं। उक्त सुविधाएं गैर-सरकारी न्यासों और धर्मार्थ न्यासों को भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। अतः हम यह चाहते हैं कि उक्त अन्तर को दूर करने के लिये अधिक से अधिक जनता इस उद्योग को अपनाये।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** एक समाचार के अनुसार सरकार ने समिति का एक और सुझाव स्वीकार कर लिया है जिसके अनुसार विदेशी व्यक्ति भी होटल उद्योग में हिस्सा ले सकेंगे और 1 करोड़ रुपये की धनराशि का विदेशी सहयोग प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह धन कहां से आयेगा? क्या होटल उद्योग में विदेशी विनियोजकों को अर्थात् विदेशी एकाधिपत्यवादियों को भारतीयों की भांति होटल उद्योग में करों में छूट आदि की सुविधाएं दी जायेंगी?

**डा० कर्ण सिंह :** भारत में अभी तक विदेशी सहयोग से नई दिल्ली में केवल एक इन्टर-कोण्टीनेन्टल होटल चल रहा है। इससे पूर्व कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूँ मैं यह बताना चाहूंगा कि अकेला यह होटल प्रतिवर्ष 1.8 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। अतः इस होटल का अनुभव यह बताता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होटलों से सहयोग करने से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, क्योंकि तब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बुकिंग होती है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** इसके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र को क्षति पहुंचती है।

**डा० कर्ण सिंह :** नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत, जैसा कि मैं बताने जा रहा था, किसी भी शहर में विदेशी सहयोग से संचालित होटल का अस्तित्व ही स्वतः अन्य होटलों को भी अपना स्तर ऊंचा करने के लिए बाध्य करता है। परन्तु यदि 'इन्टर कोन्टीनेन्टल' न होता तो सम्भवतः सरकारी क्षेत्र के होटलों को अपने यहां सुधार करने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। हमें उनके साथ प्रतियोगिता करनी है और इसलिए इसका लाभदायक परिणाम होता है। जब कभी किसी होटल को विदेशी सहयोग की सुविधा मिल जाती है, तो इससे अन्य होटलों का स्तर ऊंचा होता है, क्योंकि उन्हें आपस में प्रतिस्पर्धा करनी होती है। जहां तक "अशोक होटल" का सम्बन्ध है और जो सीधे मेरे अधिकार-क्षेत्र में है, मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि आज वह गैर-सरकारी क्षेत्र के समवर्ती होटलों से अगर बेहतर नहीं, तो उनके बराबर तो अवश्य ही है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** वह एक सूनी जगह है। वहां जाने वाले किसी भी आदमी से पूछिये।

**डा० कर्ण सिंह :** जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने बताया कि ये भारतीय कम्पनियां हैं और विदेशी कम्पनियां नहीं। मेरे विचार में ये भारतीय कम्पनियां उन्हीं कर-सम्बन्धी और वित्तीय सुविधाओं की हकदार होंगी जिनकी अन्य होटल परियोजनायें हकदार हैं।

**श्री मु० न० नाघनूर :** मन्त्री महोदय ने यह कहा कि लगभग 10,000 व्यक्तियों के लिये स्थानों की आवश्यकता होगी। क्या मन्त्री महोदय ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि जम्बो जेट विमानों के चालू हो जाने से भारत को आने वाले यातायात में वृद्धि होगी। दूसरी बात यह कि देश के विभिन्न भागों में होटलों की स्थापना करने के लिए विवरण-पत्र में बताये गये प्रस्तावों के



अलावा और अधिक सहयोग करने सम्बन्धी कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं और तीसरी बात यह कि क्या रूस तथा पूर्वी यूरोपीय देशों जैसे कम्युनिस्ट देशों से सहयोग का भी कोई प्रस्ताव है ?

**डा० कर्ण सिंह :** यह सच है कि जम्बो जेट विमानों द्वारा अधिक पर्यटकों के आने की सम्भावना है। वस्तुतः, मैं इस अवसर पर सदन को ख़ुशखबरी देना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष हमारे देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मुझे, कभी बोलने का मौका नहीं मिलता, मेरी मन्त्रालय की मांगें सदैव ही मुखबन्ध (गिलोटीन) द्वारा समाप्त कर दी जाती हैं। इसलिए, मैं इस अवसर पर यह बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1968 की अपेक्षा वर्ष 1969 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 34% वृद्धि हुई। यह बहुत उत्साहजनक आंकड़े हैं।

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाये हैं, उनके बारे में मुझे यह कहना है कि विदेशी सहयोग के केवल वे ही प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जिनका मैंने उल्लेख किया है। कुछ अन्य सामान्य प्रस्ताव भी आये हैं, परन्तु हम अभी उस स्थिति में नहीं पहुँचे हैं कि उन पर कोई अन्तिम निर्णय लिया जा सके। जहाँ तक सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के अन्य देशों का सम्बन्ध है, अभी तक सहयोग का कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। परन्तु यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो उस पर सावधानीपूर्वक उचित विचार किया जायेगा।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** हम चाहते हैं कि मन्त्री महोदय बोलें, परन्तु मेरे विचार में, जब वह यह कहते हैं कि अब 'अशोक होटल' भी उन्नति कर रहा है और वह 'इन्टर-कौन्टीनेन्टल' के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है, तो वह सर्वथा गलत कहते हैं। 'अशोक होटल' एक निर्जीव स्थान है। मुझे वहाँ सम्मानार्थ भोजन नहीं मिलता, मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मन्त्री महोदय ने बताया है कि इन सहयोगों को इसलिए अनुमति दी जा रही है, क्योंकि अन्य बातों के साथ-साथ, इससे होटलों की एक शृंखला अथवा संगठन स्थापित होता है। अगर एक ऐसे होटल के साथ सम्पर्क से, जिसका सारे विश्व में जाल फैला हुआ है, यात्रियों के आवास की स्थिति में सुधार होता है, तो सरकारी क्षेत्र के एक हितचिन्तक के रूप में, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि 'अशोक होटल' की अत्यन्त खराब हालत को सुधारने के लिए क्या वह इसकी विदेशी होटलों की किसी शृंखला के साथ समुचित व्यवस्था अथवा उपयुक्त सहायता या सहयोग करने पर विचार करेंगे जिससे कि अशोक होटल भी 'इन्टर कौन्टीनेन्टल' के मुकाबले एक अच्छे होटल के रूप में चल सके ?

**डा० कर्ण सिंह :** माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं उनकी इस टिप्पणी का विरोध करना चाहूँगा कि अशोक होटल एक निर्जीव स्थान है; इसके विपरीत, मेरे विचार में, जो भी व्यक्ति हाल में वहाँ गया है, वह इस बात को महसूस करेगा...(व्यवधान)

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** अगर वह मेरे साथ छद्मवेश में चलें—वह बहुत सुन्दर है...(व्यवधान)

**श्री हेम बरुआ :** वह इतने ज्यादा सुन्दर है कि अपने आपको छिपा नहीं सकेंगे।

**श्री पीलु मोड़ी :** वह श्री नन्दा से मूँछें उधार ले सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** आप किसी समय उनके साथ जा सकते हैं।

**डा० कर्ण सिंह :** मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, अगर माननीय सदस्य मेरे साथ 'अशोक होटल' चलें और भोजन करें।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** छद्मवेश में।

**डा० कर्ण सिंह :** अब हमने अशोक होटल के सारे प्रवेश-द्वार को एक नया रूप दे दिया है। यह अब पहले से ज्यादा चमकदार है। मुझे विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि यह और ज्यादा दमकने लगेगा। हम स्टीगेनबर्गर नाम की एक जर्मन फर्म के साथ सम्पर्क में हैं, जिसकी यूरोप में सुप्रसिद्ध होटल शृंखला है। हम जर्मन-सहायता से एक ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं, जिसके अन्तर्गत यह स्टीगेनबर्गर फर्म तकनीकी सहायता और कर्मचारियों के रूप में सहायता प्रदान करेगी, परन्तु यह सहयोग नहीं है। मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि अशोक होटल में काफी सुधार हुआ है और इसमें सुधार होता रहेगा।

**श्री रा० कृ० बिड़ला :** मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या वह इससे अवगत हैं कि किसी भी उद्योग में विदेशी सहयोग की दो उद्देश्यों के लिये आवश्यकता होती है—या तो तकनीकी जानकारी के लिये अथवा वित्तीय सहायता के लिये? इस समय देश में जितने विदेशी सहयोगों से कार्य चल रहा है, उनमें से कितने तकनीकी जानकारी के लिए हैं और कितने वित्तीय सहायता के लिये?

**डा० कर्ण सिंह :** विदेशी सहयोग के बारे में तीन पहलू हैं...

**श्री स० मो० बनर्जी :** चार पहलू हैं; चौथा पहलू यह है कि अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए विदेशी मुद्रा का उपयोग किया जाये।

**डा० कर्ण सिंह :** पहला तो यह कि इससे बुकिंग की एक शृंखला कायम होती है; दूसरा यह कि जहां भी आवश्यक हो तकनीकी जानकारी प्राप्त होती है और अपेक्षित मात्रा में विदेशी मुद्रा का एक अंश भी प्राप्त होता है। यही तीन पहलू हैं।

**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या मन्त्री महोदय का यह विचार और दृष्टिकोण है कि होटल उद्योग को विदेशी सहयोग के रूप में प्रोत्साहन और सहारा दिये बिना हम होटल उद्योग को एक सुदृढ़ स्थिति में नहीं ला सकते और अगर ऐसा नहीं है, तो हम इस बात पर जोर क्यों नहीं देते कि हम विदेशी सहयोग नहीं लेंगे। बल्कि हम यथोचित रूप में केवल तकनीकी मामलों में ही सहायता प्राप्त करेंगे? हम अपनी तकनीकी जानकारी की बजाय विदेशी सहयोग के समझौतों पर इतना अधिक आश्रित हों, इसके क्या कारण हैं?

**डा० कर्ण सिंह :** मेरा यह तर्क नहीं है कि विदेशी सहयोग के बिना हमारे होटलों में सुधार होना संभव ही नहीं है। जो कुछ मैंने कहा वह यह है कि विदेशी सहयोग का यह तत्त्व हमारे लिए सहायक होता है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसे संयुक्त अरब गणराज्य और ईरान जैसे विकासशील देशों द्वारा भी अपनाया गया है और यूगोस्लाविया तथा बुल्गारिया भी विदेशी सहयोग ले रहे हैं, क्योंकि इससे एक शृंखला स्थापित होती है जो अत्यधिक उपयोगी है और इससे महत्वपूर्ण तकनीकी

ज्ञान और तकनीकी सहायता भी प्राप्त होती है। अपने तेजी से विकसित होने वाले होटल उद्योग के लिए विदेशी सहयोग को मैं छोटा सा, परन्तु महत्वपूर्ण तत्त्व मानता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं अन्य-सूचना प्रश्न को लेता हूँ। श्री प्रकाशवीर शास्त्री।

**Shri Molahu Prasad :** Mr. Speaker, I rise on a point of order. I want to invite your attention to clause 7 of sub-rule 2 of Rule 41 of Rules of Procedure in Lok Sabha. It is mentioned therein "It shall not relate to a matter which is not primarily the concern of the Government of India." Please see Rules of Procedure, 41 (2) (vii).

I want to know under which of the lists it comes -Central list or Concurrent list or State list? If it does not fall under any list, then under which rule it has been admitted?

**Mr. Speaker :** It falls under both the lists. It is a matter of great importance to the country as a whole.

**Shri Molhu Prasad :** Under which of the lists? Under which of the lists-Concurrent, State or Central list does it fall?

**Mr Speaker :** Where do you come from? Will you mind addressing the Chair properly? I have given my ruling? This is perfectly relevant. You are unnecessarily disturbing the proceedings of the House?

### अल्प-सूचना प्रश्न SHORT-NOTICE QUESTION

#### Attack on Principals and Teachers by Students During Annual Examinations in Various States

23. Shri Prakash Vir Shastri :

Shri Raghuvir Singh Shastri :

Shri Chandrika Prasad :

Shri Hem Barua :

Shri R. Barua :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in some States, the principals and teachers detecting the students copying in the examination and stopping them therefrom are being attacked with knives and are even being fired at :

(b) if so, whether it is also a fact that some principals and teachers have even died as a result thereof :

(c) if so, whether some consultations have been made with concerned States Governments for checking the said incidents : and

(d) if so, the reaction of Government in this regard ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (प्रो० बी० के० आर० बी० राव) :** (क), (ख), (ग) और (घ) परीक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा नकल करने तथा अध्यापकों और प्रिंसिपलों पर छुरों तथा गोली तक से वार करने के सम्बन्ध में, समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं। इन समाचारों में यह भी कहा गया है कि इनके फलस्वरूप कुछ अध्यापकों और प्रिंसिपलों की मृत्यु भी हो गई है। जिन दो गम्भीर दुर्घटनाओं का उल्लेख किया गया है इनमें से एक इकरासानन्द इण्टरमीडिएट कालेज, मैनपुरी के उप-प्रिंसिपल श्री एस० पी० उपाध्याय की उन पर लाठियों और छुरों से हमले के फलस्वरूप मृत्यु और दूसरी मुरादाबाद के एक रसायन प्राध्यापक पर गोली चलाने के फलस्वरूप उन्हें



चोट लगना है। मध्य प्रदेश के सतना नगर में सामूहिक रूप से नकल करने में सरकारी रुकावट पैदा करने के विरुद्ध विद्यार्थियों द्वारा हिंसा की दूसरी गम्भीर दुर्घटना का उल्लेख है।

राज्य सरकार से की गई पूछताछ से ऐसा पता चलता है कि श्री उपाध्याय की मृत्यु का सम्बन्ध सीधे ही परीक्षाओं से नहीं था। बताया गया है कि परीक्षा-कक्षों में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये, उत्तर प्रदेश सरकार विशेष कदम उठा रही है और मध्य प्रदेश की सरकार ने इस आशय का एक नीति सम्बन्धी निर्णय की घोषणा की है कि कानून और व्यवस्था के लिये कार्य-भारी प्राधिकारी, परीक्षाओं के संचालन में तथा सामान्य और शान्तिपूर्ण परिस्थितियाँ कायम रखने के लिये हर प्रकार की सहायता और सहयोग प्रदान करेंगे।

अब तक प्राप्त सूचना अपूर्ण है और हम पूरी सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी बीच, मुझे विश्वास है कि परीक्षा कक्षों में सदाचार अपनाने की भर्त्सना करने और अपने शैक्षिक कर्तव्यों के पालन में लगे शैक्षिक व्यक्तियों पर हुए हमलों की निन्दा करने में सदन मेरे साथ होगा। मेरा विचार उन सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर यह अनुरोध करने का है जिनमें अब तक इस प्रकार की दुर्घटना हुई है कि शिक्षा कार्य में लगे शैक्षिक व्यक्तियों को सभी सम्भव संरक्षण प्रदान किया जाये। इस मामले पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यपुस्तक बोर्ड की आगामी बैठक में भी विचार किया जायेगा, जिनमें अधिकांश राज्यों के शिक्षा मंत्रियों द्वारा भाग लिये जाने की सम्भावना है।

**Shri Prakash Vir Shastri :** Mr. Speaker, Sir, the Hon'ble Minister in his statement has referred to only two States U. P. and M.P., whereas the fact is that it had appeared in the press a few days back that certain similar incidents had occurred in Bihar also, weere teachers and principals had been attacked during the examinations. A similar situation had also arlsen in Bengal also a few days back. These incidents have increased so much that in some of the States, students appear in the examinations with pistols, knives and daggers. Up till now only Principals and teachers were being attacked, but now attacks on their families have also started.

I want to know through you from the Education Minister whether it is a fact that if such a situation continues it would not be possible to hold the examinations in certain States after two years hence. I want to know whether the Ministry of Education has paid serious thought to all these circumstances, if this tendency of attacking teachers and principals could not be checked even with the help of police, does it consider to modify examination system so that violent incidents of this type could not take place and Examiners as well as Principals who are in a helpless position today, could be saved.

**डा० बी० के० आर० बी० राव :** माननीय सदस्य की चिन्ता से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और मुझे विश्वास है कि सदन भी माननीय सदस्य के साथ चिन्तित होगा। हाल के कुछ महीनों में परीक्षा-कक्षों और सम्बद्ध मामलों के बारे में कुछ घटनायें घटी हैं। निरीक्षकों और अध्यापकों पर आक्रमण एक ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि देश का शिक्षक समुदाय सारी स्थिति के बारे में गम्भीर रूप से व्यग्र हो उठा है। मेरे विचार में यह सदन देश के विद्यार्थी वर्ग पर अपना नैतिक प्रभाव डालेगा और उन्हें यह बता देगा कि शिक्षकों के शरीर के अंगों को किसी भी प्रकार की क्षति की आशंका के बिना उन्हें अपने शैक्षणिक दायित्वों का पालन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाय।

जहां तक प्रश्न का सम्बन्ध है, इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अभी हाल में हुई घटनाओं की ओर संकेत किया गया है। मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार बंगाल में परीक्षाओं के बारे में कोई घटनाएँ नहीं हुई हैं। हम राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क में हैं। मई के प्रथम सप्ताह में होने वाले राज्यों के शिक्षा-मंत्रियों के सम्मेलन में भी मैं इस प्रश्न पर चर्चा करना चाहता हूँ और हम अपना भरसक प्रयास करेंगे तथा यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही कहा है कि उन्होंने यह नीति बना ली है कि परीक्षा-निरीक्षकों आदि को आवश्यकतानुसार पुलिस-सुरक्षा प्रदान की जायेगी। उ० प्र० सरकार ने भी मुझे बताया है कि निरीक्षकों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान को जाएगी। कानून की प्रक्रिया द्वारा किये जाने वाले उपायों की अपेक्षा अन्तोगत्वा इस समस्या को हल करने के लिये इस समय का नैतिक प्रभाव बहुत कारगर सिद्ध होगा।

**Shri Prakash Vir Shastri :** Second question, I would like to know whether any information has been collected from the State Governments in regard to the teachers and principals who have been killed while detecting students copying or in regard to the family members who have also died, so that some sort of protection could be extended to their families in future or some financial help could be given to them and they would not be forced to beg in the streets ?

Secondly, you have stated that this matter would be discussed in the next meeting of the Central Advisory Board of Education and the National Board of School Text Books. A part from this, would you prepare a code of conduct after consultation with big political parties and guardians of the students so that unanimous decision could be taken to check this growing tendency, among the new generation of the country, of destroying the future of the country. Have you prepared any scheme in this connection ?

**डा० बी० के० आर० बी० राव :** पहले प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि हमने शीघ्र ही स्वयं इस प्रश्न को उठाया था। इस बारे में जो एक मात्र अध्यापक मारा गया, उस पर लाठियों और छुरों से वार किया गया था और चोटों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इस बारे में भी हमें पता चला है कि यह मामला परीक्षा से सम्बन्धित नहीं था, बल्कि इसका कारण कुछ पुरानी दुश्मनी थी। फिर भी, हमने शीघ्र ही इस प्रश्न को उठाया। हमने सिफारिश की कि अध्यापक कल्याण निधि में समुचित अनुदान दिया जाये और अध्यापक कल्याण-निधि में अनुदान दिया गया। परन्तु, शिक्षा मन्त्रालय इस तथ्य अनुदान से संतुष्ट नहीं है। हम सभी राज्य सरकारों को यह बता देना चाहते हैं कि जब कभी इस प्रकार की घटनाएँ हों और अध्यापकों पर अगर हमला किया जाये और अपने शिक्षा सम्बन्धी कर्तव्यों का पालन करते हुए वे घायल हो जायें अथवा उनकी मृत्यु हो जाए, तो वस्तुतः उन्हें उन सरकारी कर्मचारियों के समान माना जाये जिनकी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु हो जाती है अथवा जो घायल हो जाते हैं और या तो उन्हें अथवा उनके परिवारों को क्षतिपूर्ति के रूप में पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए। हमने इस प्रश्न को उठाया है।

**Shri Prakash Vir Shastri :** I know at least two such persons who were killed while detecting students copying in the examinations, one is a Principal of Mainpuri School and the other one belongs to Moradabad-and no help has been given to their families so far and they are in a very helpless condition. Either you should provide help from the Central Fund which has been created for helping the teachers or force the State Govt. to extend help to them so that their children may not suffer.

**डा० बी० के० आर० बी० राव :** मैनपुरी वाले मामले में राज्य सरकार ने अध्यापक-कल्याण निधि से 1000 रु० का अनुदान दिया है। मुरादाबाद वाले मामले में जिस अध्यापक को गोली मारी गई थी उसका कारण अध्यापक द्वारा नकल करते हुए पकड़ जाना नहीं था। वह एक ऐसे छात्र को बचाने की कोशिश कर रहा था जिस पर एक विरोधी भीड़ हमला कर रही थी और जो गोली छात्र के ऊपर चलाई गई थी, वह अध्यापक को लगी और वह घायल हो गया।

**Shri Raghubir Singh Shastri :** Sir, Hon'ble Minister has assured in his statement certain concrete measures were being taken to check the recurrence of such incidents in the Examination Halls, but I would like to say that this risk to the lives of Examiners is not only in the Examination Halls, it is outside also. Mother-in-law of a teacher was killed at her residence in Jhansi. In Amroha an examinee had taken a dog with him and set it free there so that no examiner could come near him and in Jaunpur a college building was set on fire. I want to know from the Minister whether under these circumstances would he consider this suggestion that teachers should not be appointed as invigilators in the Examination Halls, but this work should be transferred to Executive Officers and the police and till the situation returns to normal, executive personnel and the police would continue to do this job so that teachers may continue to do their teaching work peacefully?

**डा० बी० के० आर० बी० राव :** मेरे विचार में यह सुझाव देना उचित नहीं होगा कि अगर किसी कार्य में खतरे हैं, तो उसे अध्यापन-व्यवसाय से सरकारी कर्मचारियों के किसी अन्य वर्ग को सौंप दिया जाय। परन्तु मैं माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूँ कि यह विशेष समस्या इस सीमा तक बढ़ चुकी है कि केवल परीक्षा केन्द्रों में ही नहीं, बल्कि अन्य स्थानों में भी इस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं। यह प्रश्न श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने उठाया था। मैं समझता हूँ कि इस सदन के विभिन्न दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई जाये और एक अनौपचारिक रूप से चर्चा की जाये। हम विविध तथ्यों को और समस्या की गम्भीरता को उन्हें बतायेंगे और उनसे सलाह लेंगे कि जनता की राय को अपने पक्ष में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे इस प्रकार की घटनाएँ न हों।

**श्री हेम बरुआ :** परीक्षा केन्द्रों में हालत इतनी अधिक खराब हो गई है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश में एक कालेज के वाइस-प्रिन्सिपल की हत्या कर दी गई। एक लड़का अल्फ्रेडसियन कुत्ते को अपने साथ ले गया और नकल करने लगा। जब उसे निरीक्षक ने पकड़ लिया, तो कुत्ता निरीक्षक के ऊपर झपट पड़ा और निरीक्षक को अपनी जान बचाने के लिये भागना पड़ा। इस प्रकार की घटनाएँ केवल परीक्षा केन्द्रों में ही नहीं हो रही, बाहर भी हो रही हैं। सुझाव दिये गये हैं कि पुलिस वहाँ नहीं जानी चाहिये, क्योंकि पुलिस शैक्षणिक वातावरण के अनुपयुक्त है। मैं जानना चाहता हूँ कि इन सब घटनाओं के सन्दर्भ में, इस कुप्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर अमल किये जाने पर विचार कर रही है, जिसके अन्तर्गत परीक्षा केन्द्रों में कोई भी निरीक्षक न हो? अगर सरकार बिना निरीक्षक वाली इस योजना पर अमल करने में एक परीक्षा केन्द्र पर सफल हो जाती है तो इसे अन्य परीक्षा केन्द्रों में भी लागू किया जा सकता है। कल एक अध्यापक की हत्या कर दी गई, क्योंकि उसने कुछ लड़कों द्वारा लड़कियों को छेड़े जाने पर एतराज किया था। आप कह सकते हैं कि लड़कों द्वारा लड़कियों का छेड़ा जाना तो आम बात है, मगर यह एक ऐसा मामला है जिसमें एक अध्यापक अपनी जान से हाथ धो बैठा। श्रीमान् जी, यह घटना आसाम में हुई है।

डा० बी० के० आर० बी० राव : माननीय सदस्य द्वारा दिये गये विभिन्न रचनात्मक सुझावों पर हम विचार करेंगे ।

श्री रा० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूँ कि इस प्रकार की समस्या अधिकांशतः साधारण महाविद्यालयों तक ही सीमित है और विज्ञान विभागों में यह समस्या नहीं है । अगर ऐसा है, तो क्या यह सच नहीं है कि उच्चतर शिक्षा के लिए योग्य छात्रों को अवसर देकर शिक्षा का पुनर्गठन करना होगा ? अन्यथा इस प्रकार की हिंसा से बचने के लिये वातावरण तैयार करना संभव नहीं होगा ।

डा० बी० के० आर० बी० राव : यह सच है कि साधारण विषय पढ़ने वाले छात्र इस प्रकार की हिंसक घटनाओं में अन्य संकायों की अपेक्षा अधिक भाग लेते हैं । हम उनकी शक्तियों को अधिक रचनात्मक मोड़ देने का प्रयास कर रहे हैं तथा राष्ट्रीय सेवा दल, राष्ट्रीय खेल संगठनों और एन० सी० सी० तथा अन्य छात्र कल्याण गतिविधियों से स्थिति का मुकाबला करने में सहायता मिलेगी ।

डा० सुशीला नैयर : श्रीमान् जी, अभी-अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि अगर यह एक खतरे से पूर्ण कार्य है, तो इसे अध्यापकों से नहीं ले लेना चाहिये । श्रीमान् जी, अध्यापक का शैक्षणिक-कार्यो से सम्बन्ध होता है । क्या परीक्षाओं की निगरानी करना भी कोई शैक्षिक-कार्य है ? अध्यापकों को खतरों में डालने की बजाय, पुलिस अथवा अन्य किसी को इनकी निगरानी करने का कार्य क्यों नहीं सौंप दिया जाता, जिनसे छात्रों में डर की भावना रहे ?

मैं यह और भी जानना चाहती हूँ कि इस उद्देश्य के लिये वह पुलिस के साथ-साथ लड़कों के माता-पिता को इस कार्य के लिए क्यों नहीं नियुक्त कर देते ?

श्री स० मो० बनर्जी : पुलिस रिश्तत ले सकती है ।

डा० सुशीला नैयर : रिश्तत का सवाल कहाँ आता है ? पुलिस छात्रों की परीक्षा लेने नहीं जा रही ? मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहती हूँ कि अगर कोई अध्यापक किसी छात्र की रक्षा करते हुये धायल हो जाता है, तो क्या वह ड्यूटी पर धायल नहीं माना जायेगा ? क्या उसकी मदद करना सरकार का कर्तव्य नहीं है ? मन्त्री जी ने यह भी कहा कि एक अध्यापक के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में 1,000 रुपये दिये जा रहे हैं । क्या यह पर्याप्त क्षतिपूर्ति है ? यह एक गम्भीर मामला है । इसलिये, इस सदन के विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्यों को इस मामले पर चर्चा करने के लिए बुलाने के बजाय, इस समस्या से निपटने के लिये राज्यों के मन्त्रियों और राज्यों के अन्य राजनैतिक दलों की बैठक क्या मन्त्री महोदय आयोजित करेंगे ?

डा० बी० के० आर० बी० राव : माननीय सदस्या ने अनेकों प्रश्न पूछे हैं । मेरे सुझाव का आशय यह नहीं था कि अध्यापकों को मुख्यतः और विशेषतः खतरनाक काम सौंपे जायें । माननीय सदस्या को मैं यह बताना चाहूँगा कि निरीक्षण कार्य को अभी तक पुलिस का कार्य नहीं माना जाता । निरीक्षण का सम्पूर्ण भाव यह है कि अध्यापक छात्रों के सम्मान के पात्र होंगे, और एक ऐसे वातावरण का निर्माण करेंगे जिसमें नकल करने के प्रलोभन पर रोक लगेगी ।

परीक्षाओं का किस प्रकार निरीक्षण किया जाये और माननीय सदस्या ने जो सुझाव पेश किये हैं—इन सभी बातों पर विचार करना होगा, ताकि हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि

क्या हम उन्हें परीक्षाओं के निरीक्षण कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। इसका निर्णय प्राप्त परिणामों के आधार पर ही किया जा सकता है।

जहां तक 1,000 रु० की क्षतिपूर्ति का सम्बन्ध है, मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि यह अपर्याप्त है। मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। मैंने सदन को बताया है कि मैं सारे प्रश्न पर विचार करना चाहता हूं। अगर कोई अध्यापक काम पर मर जाता है अथवा उसे घायल कर दिया जाता है, तो उस मामले में क्षतिपूर्ति की राशि क्या होनी चाहिये यह एक ऐसा मामला है जिस पर मैं राज्य के शिक्षा मन्त्रियों के साथ परामर्श करना चाहता हूं।

**डा० सुशीला नैयर :** श्रीमान् जी, मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

**अध्यक्ष महोदय :** अब श्री रणजीत सिंह।

**श्री रणजीत सिंह :** क्या यह सच है कि इस अत्यधिक अहितकर समस्या का मूल कारण यह है कि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् भी छात्रों में अत्यधिक असुरक्षा की भावना पाई जाती है?

इसलिए, क्या मन्त्री महोदय अपने मन्त्रालय और अन्य मन्त्रालयों के साथ अन्य पार्टियों का शीघ्र ही एक सम्मेलन बुलायेंगे जिससे समस्याओं का पता लगाया जा सके और सुझाव आमन्त्रित किये जायें तथा इन सब बातों के मूल कारणों में सुधार करने के लिये उपाय ढूँढ़े जायें।

**डा० बी० के० आर० बी० राव :** समस्या उतनी सरल नहीं है, जैसा कि सदस्य महोदय ने वर्णन किया है। मैं निश्चित रूप से इस पर विचार करूंगा।

**श्री जी० भा० कृपालानी :** हम जब कभी कुछ लिखते हैं, तो पुस्तकें देखे बिना या विद्वानों से पूछे बिना नहीं लिखते। जब हम यहां भाषण देते हैं, तो केवल शोर नहीं मचाते, बल्कि सन्दर्भों और प्रसंगों के साथ तैयार होकर आते हैं। छात्रों को अपने भावी जीवन में जो करना है, उसे अभी से करने की अनुमति क्यों न दे दी जाये? हम समस्त ज्ञान को याद नहीं रखते, बल्कि हमें लगातार किताबों का आश्रय लेना पड़ता है। छात्रों को पुस्तकालयों में क्यों नहीं छोड़ दिया जाता जिससे वे पुस्तकों का आश्रय लेकर लिख सकें? तब परीक्षक भी जान सकेगा कि कौन-सा छात्र अच्छा है और कौन खराब? यह एक बहुत सीधा सादा हल है। यह कार्य करने का उपयुक्त तरीका है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर दीजिये। छात्रों को पुस्तकालय जाने की सुविधा दीजिये और उन्हें निगरानी के बिना लिखने दीजिये, सिर्फ इस बात का ध्यान रखिये कि वे अपने साथ किताबें न ले जायें। उन्हें वह करने दीजिये जो उन्हें भावी जीवन में करना है। अन्यथा, वे मूर्ख रहेंगे, वे कुछ भी नहीं लिखेंगे अथवा निरुद्देश्य भाषण करेंगे जैसा कि हम में से कुछ यहां करते हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** यह एक ऐसा सुझाव है जिसका मेरे विचार में, छात्र वर्ग स्वागत करेगा।

**श्री जी० भा० कृपालानी :** क्या मन्त्री महोदय स्वयं पुस्तकों की सहायता लिये बिना लिखते हैं?

**डा० बी० के० आर० बी० राव :** आचार्य जी जैसे श्रद्धेय अध्यापक और साथी द्वारा दिये गये इस अत्यधिक महत्वपूर्ण सुझाव पर अत्यधिक सम्मान के साथ विचार किया जायेगा।

**श्रीमती सुशीला रोहतगी :** छात्र जगत् में आज जो घटित हो रहा है क्या वह सम्पूर्ण समाज



और साथ ही परिवार के विघटन का प्रतीक नहीं है ? अध्यापकों और संरक्षकों के मध्य अधिक सम्पर्क क्या ठीक नहीं होगा और छात्रों के चरित्र को एक नई दिशा की ओर मोड़ने में इससे क्या अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह तो एक सुझाव है ।

**श्रीमती सुशीला रोहतगी :** मैं एक स्पष्ट प्रश्न पूछ रही हूँ कि अध्यापकों और संरक्षकों के मध्य अधिक अच्छे सम्पर्क से छात्रों के चरित्र को इच्छित दिशा में मोड़ने का क्या अच्छा परिणाम नहीं होगा ?

**डा० बी० के० आर० बी० राव :** देश में अनेकों अध्यापक संरक्षक संघ हैं । मुझे विश्वास है कि वे उक्त सुझाव को स्वीकार कर लेंगे ।

**श्री एस० कण्डपन :** मन्त्री महोदय की बातों से ऐसा पता लगता है कि उन्होंने इस समस्या को गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया है । हम जो कुछ देख रहे हैं, वह कोई नई चीज नहीं है । सिवाय अपनी पावन भावनार्यें व्यक्त करने के कि संसद् सदस्य अपने प्रभाव का उपयोग करें और कुछ भी नहीं कहा गया है । मुझे नहीं मालूम कि हम क्या नैतिक प्रभाव डाल सकते हैं । जो सुझाव पहले स्वीकार किये जा चुके हैं और साथ ही आचार्य कृपालानी द्वारा सुझाया गया परीक्षा-प्रणाली में सुधार तथा इस क्षेत्र के प्रमुख विद्वानों द्वारा व्यक्त विचारों के अलावा मुझे यह कहना है कि क्या वह देश की सभी संस्थाओं से सम्बद्ध संरक्षक संघों की स्थापना करने पर विचार करेंगे जिसका बहुत हितकर प्रभाव होगा ? अभी पिछले दिनों मेरे राज्य में, जब एक संस्था में हड़ताल और उत्पात हो गया, तो संरक्षक एक समूह में गये और उनमें से कुछ के पास डण्ड थे और उन्होंने छात्रों को संस्था में घुसने और शान्तिपूर्वक व्याख्यान सुनने के लिये बाध्य किया । इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा ।

**डा० बी० के० आर० बी० राव :** मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य को इस समस्या के सम्बन्ध में मेरी व्यग्रता के बारे में गलतफहमी हो गई है । अन्य बातों के अलावा, स्वयं एक अध्यापक होने के नाते, मैं पूर्णतया स्पष्ट शब्दों में यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि गत दो वर्षों में जो कुछ हो रहा है, उस पर मुझे अत्यधिक व्यग्रता है । मैंने सदन से नैतिक समर्थन का अनुरोध किया है । ऐसा करते समय, मैंने यह नहीं कहा कि केवल उसी से अभीष्ट की पूर्ति हो जायेगी । हमें निश्चित रूप से परीक्षा-प्रणाली में सुधारों का अध्ययन करना होगा और माता-पिता तथा संरक्षकों का समर्थन प्राप्त करना होगा तथा अन्य तरीकों पर भी विचार करना होगा । परन्तु, मैंने यह भी सोचा कि अगर महान् सदन सर्वसम्मति से यह राय व्यक्त करे कि जब कोई अध्यापक अपने शैक्षिक कार्यों को करता है, तो वह सुरक्षित होना चाहिये, तो इसका छात्र समुदाय पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा..... (अन्तर्बाधाएं)

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीय राजपथों के बारे में केन्द्रीय सरकार के नौवहन तथा परिवहन  
उपमंत्री का मंगलौर में वक्तव्य

\*1206. श्री बाबू राव पटेल : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के नौवहन तथा परिवहन उपमंत्री ने 17 फरवरी, 1970 को मंगलौर में कहा था कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले मौजूद, 15000 मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथों में स्वतन्त्रता के बाद से केवल 32 मील की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 32 मील की यह वृद्धि क्यों और कहां पर की गई थी; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में राजपथों में कितने मील की वृद्धि करने का विचार है, और यह वृद्धि देश में किन भागों में की जायेगी ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति को विस्तार करने का प्रश्न धन की उपलब्धता और राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल करने के लिए सड़कों के चुनाव की कसौटी की दृष्टि से अभी विचाराधीन है ।

## विदेशों में रोजगार पाने के इच्छुक बेरोजगार इंजीनियर

\*1207. श्री रा० कृ० बिड़ला :

श्रीमती सुधा बी० रेड्डी :

श्री जि० ब० सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय शिक्षण, औषधि, इंजीनियरी, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र तथा सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्रों में विशेषज्ञों की तालिकाएं रखता है ; यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार बेरोजगार इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को विदेश में रोजगार ढूँढ़ने के किये प्रोत्साहित करती है ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा बरती जाने वाली नीति का व्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय इंजीनियरों की बहुत मांग है ; और



(ङ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में, वर्ष-वार हमारे इंजीनियर किन-किन देशों को भेजे गये हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) जी हां, श्रीमान् । ये तालिकाएं विकासशील देशों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेन्सियों द्वारा सूचित रिक्तियों के लिए उपयुक्त अधिकारियों का नामांकन करने के लिए रखी जाती हैं । इन तालिकाओं में लगभग 5000 व्यक्ति हैं ।

(ख) और (ग) विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों के माध्यम से तकनीकी विशेषज्ञों को मित्र देशों को उनके विकास कार्यक्रमों में सहायता देने के लिए भेजने के विशेष प्रयास किये जाते हैं । इस प्रयोजन के लिए भारतीय इंजीनियरों ने जिन क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य किये हैं वे क्षेत्र विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों को सूचित किये गये हैं ।

(घ) जी हां, श्रीमान् । अफ्रीकी देशों में अधिक मांग है ।

(ङ) 1968-69

ईराक तथा आबू धाबी ।  
1969-70

तंजानिया, घाना, अपर वोल्टा, फिजी तथा नाइजेरिया ।

#### पर्यटन संवर्धन के निदेशकों का सम्मेलन

\*1208. श्री बाल्मीकी चौधरी : श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा, अमरीका, मैक्सिको, यूरोप, आस्ट्रेलिया और जापान स्थित पर्यटन संवर्धन निदेशकों का एक सम्मेलन मार्च, 1970 के दूसरे सप्ताह में हुआ था जिसमें पर्यटक यातायात की सम्भावनाओं और पर्यटन कार्यक्रम में परिवर्तन करने के बारे में चर्चा की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई ; और

(ग) गत दो वर्षों में विभिन्न देशों से भारत में वायु, समुद्र और सड़क द्वारा कितने पर्यटक आये ?

**पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) जी, हां । न्यूयार्क, सान फ्रांसिस्को, टोरांटो, टोकियो, सिडनी, लंदन, जैनेवा, पैरिस, फ्रैंकफर्ट, ब्रुसेल्स, स्टॉकहॉल्स और मिलान में नियुक्त पर्यटन विभाग के अधिकारियों की एक बैठक संगठनात्मक विषयों पर विचार-विमर्श करने तथा भारत के लिए पर्यटक यातायात की अभिवृद्धि के लिए पथ निर्देशक नीति की रूपरेखा निर्धारित करने के उद्देश्य से मार्च, 1970 के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह के दौरान नई दिल्ली में हुई । मैक्सिको में नियुक्त अधिकारी ने बैठक में भाग नहीं लिया ।

(ख) बैठक द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशों का संबंध इन विषयों से था—पर्यटन के आधारभूत उपादानों का विकास, विशेषतया भारत में आवास एवं परिवहन विषयक सुविधाएं; प्रोत्साही रियायती किरायों तथा चार्टरों द्वारा दल-यात्राओं को प्रोत्साहन; तथा मार्केट के दृष्टिकोण से अधिक क्रियाशील कार्य-प्रणाली अपना कर विदेशों में भारत के लिये पर्यटन की अधिक प्रभावी रूप से अभिवृद्धि।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3300/70]

### शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के मामलों की जांच की मांग

\*1210. श्री भोगेन्द्र भा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सभा के नव निर्वाचित सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह ने इस आशय की मांग की है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी जो गुरुद्वारों का प्रबन्ध चलाती है उस में हो रहे भ्रष्टाचार तथा अन्य सभी मामलों की जांच कराई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार ने एक प्रेस रिपोर्ट को देखा है जिसके अनुसार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के कार्यों की जांच कराने के लिए एक आयोग की स्थापना की मांग लेकर श्री भूपेन्द्र सिंह एक शिष्ट मंडल का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रपति से मिलना चाहते थे। अभी तक ऐसा कोई शिष्ट मंडल राष्ट्रपति से नहीं मिला है।

### पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ के अधिकार क्षेत्र से चार जिलों का गुरुनानक विश्वविद्यालय अमृतसर के अधिकार क्षेत्र में स्थानान्तरण स्थगित करने की मांग

\*1211. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से यह मांग की गई है कि पंजाब सरकार की उस अधिसूचना की क्रियान्विति को, जिसके अन्तर्गत चण्डीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में से चार जिलों को निकाल कर अमृतसर के गुरुनानक विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में लाये जाने की व्यवस्था है, उपर्युक्त विश्वविद्यालय के विकसित होने तक कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) और (ख) भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में, और जिसकी एक प्रति मुझे दी गई थी, यह कहा गया है कि “बहुत से ऐसे सुव्यवस्थापित पुराने कालेजों को जो उच्च स्तर की अच्छी प्रदान कर रहे हैं, अलग करना तथा उन्हें एक विलकुल नए विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध करना, जिसका कोई संगठन नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई भवन नहीं है और जिसका अपना अहाता नहीं है, एक विपरीत

गति में उठाना होगा।" पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट ने भी एक संकल्प पारित किया है जिसमें पंजाब सरकार की अधिसूचना में उठाए गए कानूनी और संवैधानिक मसलों को ध्यान में रखते हुए तथा विश्वविद्यालय के सम्मुख आने वाली सम्भावित आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं के बारे में कुलाधिपति तथा केन्द्रीय सरकार की सलाह मांगी गई है।

मामला विचाराधीन है।

#### पश्चिम बंगाल में निवारक निरोध अधिनियम का विकल्प

\*1212. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में समाज-विरोधी तत्त्वों का सामना करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह निवारक निरोध अधिनियम, के विकल्प की व्यवस्था करे ;

(ख) क्या सरकार ने इस बीच उक्त अनुरोध पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्यावरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) और (ग) मामला विचाराधीन है।

#### फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा कलाओं का परीक्षण

##### और संरक्षण

\*1213. श्री लखन लाल कपूर : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड फाउन्डेशन में गवेषणात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम को, विशेषकर कलाओं के परिरक्षण और संरक्षण के क्षेत्र में आरम्भ करने के लिये सरकार से अनुमति मांगी है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने उक्त परियोजना की मंजूरी नहीं दी है ; और

(ग) यदि हां, तो किन कारणों से ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) मामला विचाराधीन है।

#### केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नीति निर्धारण निकायों

##### में छात्रों के भाग लेने संबंधी विधेयक

\*1214. श्री रवि राय : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नीति निर्धारण निकायों में छात्रों के भाग लेने के संबंध में एक विस्तृत विधेयक लाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) इस विषय में एक निजी सदस्य का विधेयक पहले से ही इस सदन के विचाराधीन है। और कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

### पिछड़े वर्गों के आरक्षित कोटे में वृद्धि

\* 1215. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के आरक्षित कोटे में और वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी वृद्धि की गई है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) भारत सरकार के अधीन पदों और सेवाओं की भर्ती में अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों के आरक्षण का प्रतिशत 1961 की जनगणना में दिखाई गई इन जातियों की जनसंख्या को ध्यान में रख कर 25 मार्च, 1970 से बढ़ा दिया गया है। आरक्षण के पूर्ववत तथा संशोधित प्रतिशत का एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त किन्हीं पिछड़े वर्गों के लिये भारत सरकार के अधीन सेवाओं / पदों में कोई आरक्षण नहीं है।

### विवरण

#### आरक्षण के पूर्ववत और संशोधित प्रतिशत का विवरण

|   | अनुसूचित जातियां |                 | अनुसूचित आदिम जातियां |                 |
|---|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|   | पूर्ववत प्रतिशत  | संशोधित प्रतिशत | पूर्ववत प्रतिशत       | संशोधित प्रतिशत |
| (i) अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती :—   |                  |                 |                       |                 |
| (क) खुली प्रतियोगिता द्वारा<br>(अर्थात् सं० लो० से० आ० द्वारा अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा ली गई प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा) | 12½%             | 15%             | 5%                    | 7½%             |
| (ख) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त अन्य विधि से  | 16-2/3%          | 16-2/3%         | 5%                    | 7½%             |

(ii) पदोन्नति द्वारा भरे गये पद :—

(क) सीमित विभागीय प्रतियोगी 12½ % 15% 5% 7½%

परीक्षा द्वारा उन श्रेणी ii,  
iii और iv के पदों / ग्रेडों /  
सेवाओं के भीतर जिनमें  
सीधी भर्ती का तत्व, यदि कोई  
हो, 50 प्रतिशत से अधिक नहीं  
होता

(ख) प्रवरण द्वारा उन ग्रेडों अथवा 12½ % 15% 5% 7½%

सेवाओं के श्रेणी iii और श्रेणी  
iv पदों में जिन में, सीधी भर्ती  
का तत्व यदि कोई हो, 50  
प्रतिशत से अधिक नहीं होता ।

#### अहमदाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

\*1216. श्री रा० की० अमीन : क्या पर्यटन तथा असाैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद हवाई अड्डे को एक वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने की घोषणा कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसके लिए वहां पर उन सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है जो इस दर्जे के हवाई अड्डों के लिए अपेक्षित होती हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार अहमदाबाद में एक आधुनिक टर्मिनल भवन समेत सभी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था कब तक कर देगी ?

पर्यटन तथा असाैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ । अहमदाबाद विमान क्षेत्र को बंबई विमान क्षेत्र के एक वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र की संज्ञा दी गयी है ।

(ख) और (ग) नियमित अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन की अवधि के दौरान एवं पूर्व प्रार्थना पर सीमा शुल्क, आप्रवास तथा स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होती हैं ।

सरकार टर्मिनल भवन में सुधार करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है । धन के अत्यन्त सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण, इस प्रायोजना को एक क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार पूरा करना होगा ।

#### मुख्य भूमि और अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बीच नौवहन सेवा

\*1217. श्री बेदब्रत बरुआ : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौवहन निगम मुख्य भूमि और अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बीच जो नौवहन सेवा चला रहा है उसमें बहुत हानि हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हानि का पर्याप्त मुआवजा दिये बिना सरकार द्वारा जहाज चलाने का काम निगम पर थोप दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि नौवहन निगम ने इस मामले को गृह-कार्य मंत्रालय के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरमैया) :** (क) जी, हां। वार्षिक हानि का अनुमान लगभग 86 लाख रुपये हैं।

(ख) से (घ) निगम को हुई हानि की प्रतिपूर्ति का प्रश्न कुछ समय से भारत सरकार के विचाराधीन रहा है। अब यह निश्चय कर लिया गया है कि निगम को 1969-70 के वर्ष में हुई हानि का उनको प्रतिपूर्ति की जाये। जहां तक चालू वर्ष और बाद के वर्षों और 1967-68 और 1968-69 वर्षों में हुई हानि का संबंध है, अन्तर्ग्रस्त मामले पर सरकार और जांच कर रही है।

### **जम्मू और काश्मीर के लिये एक नया संविधान बनाने के बारे में जनमत संग्रह मोर्चे की योजना**

\* 1218. **श्री जय सिंह :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस प्रकार का कोई संकेत मिला है कि यदि जनमत संग्रह मोर्चा आगामी चुनावों में जम्मू और काश्मीर में सत्तारूढ़ हो गया तो उसकी योजना वहां के लिए एक नया संविधान बनाने की है;

(ख) क्या मोर्चे के उप-प्रधान, सूफी मुहम्मद अकबर ने उपर्युक्त बात एक सार्वजनिक भाषण में स्पष्ट कर दी थी जबकि वह इस बात की आलोचना का उत्तर दे रहे थे कि मोर्चा भारतीय संविधान के अन्तर्गत राज्य विधान सभा के चुनावों में भाग लेने को तैयार है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान श्री अकबर के इस वक्तव्य की ओर भी दिलाया गया है कि "हम दूसरा संविधान बनाकर इस संविधान को बदल देंगे। हम एक नए संविधान की मांग करेंगे जो हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा"; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 13 जनवरी, 1970 को सूफी मोहम्मद अकबर ने एक भाषण में कहा था कि जनमत संग्रह मोर्चे ने चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया है क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं और यह कि राज्य का विधान एक 'दैनिक दस्तावेज' नहीं है और व्यक्तियों द्वारा कल्याण के अनुकूल बदला जा सकता है।



(घ) जनमत मोर्चा के नेताओं द्वारा व्यक्त किये गये विचार गलत हैं और उनका तथ्यों तथा वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।

#### गणतन्त्र दिवस पुरस्कार

\*1219. श्री रामस्वरूप विद्यार्थी : श्री राम सिंह अयरवाल :

श्री कंवरलाल गुप्त :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा गणतन्त्र दिवस पर कुछ पुरस्कार अवांछनीय व्यक्तियों को दिये जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये पुरस्कार तथा उपाधियां कभी-कभी राजनीतिक दृष्टिकोण से दिये जाते हैं ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में सरकार को इन पुरस्कारों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) इन पुरस्कारों को अस्वीकार करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) पुरस्कार संबंधित व्यक्तियों की गतिविधि के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा की मान्यता में, न कि राजनीतिक विचारों पर दिये जाते हैं। सरकार द्वारा कोई उपाधियां नहीं दी जाती हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान् । अभ्यावेदनों की जांच की गई थी किन्तु यह पाया गया कि उन पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) अपेक्षित सूचना को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

#### केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास जांच के अनिर्णीत मामले

\*1220. श्री शारदा नन्द : श्री सूरज भान :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 मार्च, 1970 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास जांच के कितने मामले अनिर्णीत थे;

(ख) यह 6 महीने, एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष तथा इससे भी अधिक समय से पृथक्-पृथक् जांच के कितने मामले अनिर्णीत हैं;

(ग) दो वर्ष से भी अधिक समय से अनिर्णीत जांच-मामलों का व्यौरा क्या है; और जांच पूरी करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि विभाग के कुछ अधिकारी जांच पूरी करने में जानबूझ कर विलम्ब करते रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार जांच के इन मामलों को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपाय करने का है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) 15 मार्च, 1970 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास 1191 जांच के मामले अनिर्णीत पड़े थे। इस संख्या के अवधिवार अलग-अलग आंकड़े निम्नलिखित हैं :---

| अवधि                            | संख्या |
|---------------------------------|--------|
| (i) 6 महीने से कम               | 848    |
| (ii) 6 और 12 महीने के बीच       | 268    |
| (iii) एक वर्ष और दो वर्ष के बीच | 74     |
| (iv) 2 और 3 वर्ष के बीच         | 1      |
| (v) 3 वर्ष से अधिक              | शून्य  |

(ग) एक मामले का सम्बन्ध, जिसमें जांच दो वर्ष से अधिक लम्बित है भारी रकम के तथा-कथित गबन और झूठे लेखों से है। इस मामले की जांच-पड़ताल में एक विशेष लिपि में लिखे विस्तृत अभिलेखों तथा बहीखातों की जांच तथा लेखों में उल्लिखित अलग-अलग फरीकों से देश में विभिन्न स्थानों पर सम्पर्क कर संदिग्ध लेन-देन की जांच करना शामिल था। मुकदमे के कारण केन्द्रीय जांच ब्यूरो को एक वर्ष तक कुछ दस्तावेज प्राप्त नहीं करने दिये गये। जांच-पड़ताल अभी जारी है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

#### Percentage of Foreign Participation in Shipping Industry

\*1221. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Merchant Shipping Act, 1958 provides foreign participation in the Shipping industry to the extent of 25 per cent., but this percentage was raised to 40 in 1963 on account of Emergency and it is continuing till now ; and

(b) if so, whether Government propose to continue the existing percentage of foreign participation in spite of the recommendations made by the National Shipping Board and the Shipping Industry, or whether it is proposed to reduce the same to 25 per cent in conformity with the provisions of the said Act ?

**The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah)** : (a) The maximum permissible percentage of foreign participation in the shipping industry was raised from 25% to 40% in 1963 not on account of the "Emergency" but because of acute scarcity of foreign exchange required for acquisition of ships from abroad.

(b) The question of reducing the existing percentage to the original level of 25% does not arise at present, as the scarcity of foreign exchange still continues. In any case no such recommendation has been received either from the National Shipping Board or the Shipping Industry.

**विदेशों में रह रहे भारतीय वैज्ञानिकों को स्वदेश लौटने के लिए आकर्षित करने के उपाय**

\*1222. श्री बीरेन्द्र कुमार शाह : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रह रहे भारतीय वैज्ञानिकों को पुनः स्वदेश लौटने के लिए आकर्षित करने की एक कार्यवाही रूप में कुछ वर्ष पूर्व मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक संस्थानों में अधिसंख्या पद बनाने की एक योजना बनाई गई थी ;

(ख) क्या एक अथवा दूसरा वहाना बना कर केन्द्रीय सरकार के कई मंत्रालयों ने उक्त योजना को क्रियान्वित नहीं किया है;

(ग) क्या कुछ मंत्रालयों ने अधिसंख्या पद न बनाने का कारण उपर्युक्त वैज्ञानिकों का उपलब्ध न होना बताया है, जबकि वैज्ञानिकों तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा रखे जा रहे हैं। विदेशों में रह रहे वैज्ञानिकों के रजिस्टर में 8000 वैज्ञानिकों के नाम हैं; जिनमें से प्रतिवर्ष 1000 वैज्ञानिक भारत वापस लौटते हैं; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) से (ग) तक के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो उक्त योजना को सफल बनाने के लिए उनके मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (श्री बी० के० आर० बी० राव) : (क) जी, हां। यह योजना 1963 में बनाई गई थी।

(ख) से (घ) योजना को लागू न करने के जो कारण केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा दिए गये हैं तथा योजना का उचित उपयोग करने के लिए जो कार्यवाही विचाराधीन है उसके सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 3301/70]

**कलकत्ता की सड़कों की शोचनीय अवस्था**

\*1223. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता की सड़कों की शोचनीय अवस्था की ओर दिलाया गया है जिनमें जगह-जगह पर गड्ढे हैं और जिनकी पूर्ण मरम्मत की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार जानती है कि कलकत्ता निगम धनाभाव के कारण इस विशाल कार्य को हाथ में लेने में अममर्थ है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस बात को देखते हुये कि कलकत्ता एक महानगर है और संपूर्ण भारत का है, कम से कम मुख्य सड़कों की मरम्मत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेगी ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## दिल्ली में बच्चों के अपहरण की घटनाएं

\*1224. श्री हिम्मत सिंहका : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में दिल्ली में बच्चों के अपहरण की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में अब तक बच्चों के अपहरण के कितने मामले दर्ज कराये गये हैं तथा उनमें से कितने बच्चों को अब तक बरामद किया गया है और वर्ष 1969 के प्रथम चार महीनों के इस सम्बन्ध में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इस मामले में अब तक की गई जांच के परिणामों का विस्तृत व्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3302/70]

## Awarding of Honorary Degrees

\*1225. Shri Mrityunjay Prasad : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether Government propose to make certain changes or some improvements in the practice being followed by the Universities in respect of awarding Honorary degrees of LL.D., D.L., D.C.L., D. Litt., Ph.D., D.S.C. etc. for political reasons to such persons particularly to the Ministers and other persons in power, whose academic qualifications are very low and could not otherwise obtain such degrees and who are also not litterateurs ;

(b) if so, the details in this regard ; and

(c) if not, the measures Government propose to adopt to prevent the Universities and the persons awarded honorary degrees from becoming an object of ridicule ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c) Honorary degrees are awarded by the Universities in accordance with the provisions of their Acts, Statutes and Ordinances. There is no proposal to initiate any changes in this respect in the procedure at present followed in the Universities.

## सरकारी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति की आयु से पूर्व सेवा निवृत्त करना

\*1226. श्री यशपाल सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल नियम 56 (जे) के उपबन्धों के अनुसार कई सरकारी अधिकारियों को सेवा निवृत्ति की आयु से पूर्व सेवा निवृत्त कर दिया गया है और उनको अपने बचाव में कुछ कहने का मौका नहीं दिया गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि इससे प्रभावित कुछ अधिकारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उच्च न्यायालय ने कुछ रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और सेवा निवृत्ति सम्बन्धी आदेशों को रद्द कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार समता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार मूल नियम 56 (जे) का प्रयोग करने की वांछनीयता पर अथवा मूल नियमों में से इस उपबन्ध को सम्पूर्णतः निकाल देने पर विचार करेगी ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क), (ख), (ग) और (घ) मूल नियम 56 (जे) एक सांविधिक नियम है जिसमें यह व्यवस्था है कि उपयुक्त प्राधिकारी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी सरकारी कर्मचारी को :

(i) यदि वह कर्मचारी प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी की सेवा अथवा पद में हो तथा उसने 35 वर्ष की आयु होने से पूर्व सरकारी सेवा में प्रवेश किया हो तो 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद ।

(ii) अन्य किसी मामले में उसके 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद ।

कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देकर अथवा उसके बदले में तीन महीने का वेतन तथा भत्ते देकर सेवा निवृत्त कर सके, यदि उनके मतानुसार ऐसा करना लोकहित में है ।

मूल नियम 56 (जे) के अधीन सरकारी कर्मचारी में भी उपरोक्त परिस्थितियों में तीन महीने का नोटिस देकर सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त होने का समान अधिकार निहित है । उपर्युक्त नियमों के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति दण्ड के रूप में नहीं है । यह राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन निर्धारित सेवा की एक शर्त है । अतः कोई कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं है जिसमें सरकारी कर्मचारी को अपने वचाव में कुछ कहने का अवसर दिया जाना हो ।

2. जहां तक गृह मंत्रालय को जानकारी है कुछ अधिकारियों ने मूल नियम 56 (जे) के अधीन अपनी सेवा निवृत्ति के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में लेख याचिकाएं दायर की थीं । दिल्ली उच्च न्यायालय ने अब तक एक मामले का फैसला किया है जिसमें लेख याचिका स्वीकार कर ली गई है । कुछ उच्च न्यायालयों (उदाहरणार्थ, पंजाब उच्च न्यायालय) ने मूल नियम 56 (जे) के अधीन की गई कार्रवाई को कायम रखा है । यहां तक कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस नियम को अवैध नहीं ठहराया है । उसने केवल यह कहा है कि मूल नियम 56 (जे) के अधीन नोटिस तामील करने से पहले एक नोटिस भेजा जाना चाहिये ताकि अधिकारी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकें ।

3. सरकार ने उपरिनिर्दिष्ट दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की है तथा यह अपील सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है । सरकार द्वारा आवेदन दिये जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रवर्तन को स्थगित कर दिया है । अपील पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने तक मामले में आगे कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है ।

**एयर इंडिया द्वारा यात्रा एजेंटों को 7 प्रतिशत कमीशन देना**

\*1227. श्री लोबो प्रभु : क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया द्वारा यात्रा एजेंटों को 7 प्रतिशत कमीशन देने के क्या कारण हैं जबकि बिक्री करने वाले इसके अपने कर्मचारी हैं और यह इंडियन एयरलाइन्स को एजेंटों के तौर पर प्रयोग में ला सकता है;

(ख) अन्य देशों में अदा की जाने वाली तुलनात्मक दरें क्या हैं; और

(ग) गत वर्ष यात्रा एजेंसियों को कुल कितना कमीशन दिया गया और यह कितने प्रतिशत टिकटों पर था ?

**पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) सब अंतर्राष्ट्रीय हवाई कंपनियां इस नीति को अपनाती हैं कि वे आई० ए० टी० ए० द्वारा अनुमोदित यात्रा अभिकर्ताओं को अपने बिक्री अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त करती है। इंडियन एयरलाइन्स बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास को छोड़ कर शेष समस्त भारत के लिये एयर इंडिया के बिक्री अभिकर्ता हैं।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय यात्री परिवहन की बिक्री के लिये एजेंसी कमीशन की मानक दर प्रयोज्य दरों का 7% है। यात्रा अभिकर्ताओं को देय कमीशन दरें आई० ए० टी० ए० द्वारा प्रशासित होती हैं।

(ग) यात्रा अभिकर्ताओं को कमीशन के रूप में लगभग एक करोड़ रुपया दिया गया। मार्च, 1968 से अप्रैल, 1969 तक एयर इंडिया द्वारा अपने समस्त क्षेत्र से होने वाली यात्री-आय (पैसेंजर रेवन्यू) का मोटे तौर पर 35% यात्रा अभिकर्ताओं द्वारा उपार्जित किया गया था।

#### दंगों पर नियन्त्रण पाने के आधुनिक तरीके

\*1228. श्री जी विश्वनाथन :

श्री बृजराज सिंह कोटा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंगों पर नियन्त्रण पाने के आधुनिक तरीकों के बारे में कोई अध्ययन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) और (ख) भीड़-नियंत्रण विषय का 1955 से समय-समय पर अध्ययन / जांच की जाती रही है। यह अध्ययन मोटे तौर पर निम्नलिखित मदों को आवृत्त करता है :—

- (1) अनियंत्रित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग के प्रबन्धक सिद्धान्त,
- (2) पुलिस के लिए सुरक्षात्मक उपकरण,
- (3) पूर्वानुमानित निरोधात्मक कार्यवाही,
- (4) भीड़-नियंत्रण तकनीकियों में पुलिस का गहन प्रशिक्षण,
- (5) पुलिस को अश्रुगैस तथा वायरलैस उपकरण से सुसज्जित करना ,
- (6) भीड़-नियंत्रण उपकरण का विकास।

पुलिस मामलों से संबंधित गृह मंत्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों द्वारा इन पहलुओं का निरन्तर अध्ययन किया जा रहा है और जहां कहीं आवश्यक होता है इन पहलुओं पर अध्ययन करने,



अनुसंधान करने तथा परीक्षण करने के लिए कम से कम बल प्रयोग से दंगों पर कारगर तथा शीघ्र नियंत्रण करने के मुख्य उद्देश्य से विशेषज्ञ अध्ययन दल बनाए जाते हैं।

#### Hindi Work in Government Offices

\*1229. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5944 on the 10th April, 1970 regarding Hindi work in Government offices and state :

(a) the number, designation and pay-scales of the staff appointed for Hindi work in the Publications Division, Collected Works of Mahatma Gandhi, All India Radio, Press Information Bureau, Railway Headquarters, Headquarters of the three Services, Council of Scientific and Industrial Research, Council of Agricultural Research, Government sponsored Undertakings and Corporations Offices, of the Chief Engineers, Departments of Irrigation, Housing and Road ;

(b) the persons who perform the Supervisory duties in respect of the work in Hindi and those who issue the directions for the development thereof in the absence of Class I posts therefor ; and

(c) the reasons for which the said posts have not so far been created in spite of Hindi being the Official Language, when there are many posts for work in English which is only an associate official language ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library See No. LT 3303/70]. Information in regard to Government sponsored Undertakings and Corporations is not available with the Ministry of Home Affairs.

#### विद्यार्थियों द्वारा अनुशासनहीनता

\*1230. **श्री हेम बहगुना :** **श्री रामावतार शर्मा :**  
**श्री शिव कुमार शास्त्री :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विद्यार्थियों में विशेषकर परीक्षा हालों में अनुशासनहीनता के कारणों का विश्लेषण तथा मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विद्यार्थियों की वर्तमान समस्याओं को हल करने के लिये कोई उपाय किये हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० बी राव) :** (क) डा० कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग द्वारा 1966 में प्रकाशित की गई रिपोर्ट में विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता के कारणों का निरीक्षण किया गया है। आयोग ने अनुशासनहीनता के निम्नलिखित कारणों का पता लगाया है :—

1. शिक्षित युवकों में व्याप्त अनिश्चितता,
2. बहुत से पाठ्येतर कार्यक्रमों की यांत्रिक एवं असंतोषप्रद प्रकृति,
3. बहुत सी संस्थाओं में अध्ययन तथा अध्यापन की अपर्याप्त सुविधाएं

4. विद्यार्थी अध्यापकों के खराब सम्बन्ध,
5. बहुत से अध्यापकों की अदक्षता तथा अधिवृत्तियों की कमी,
6. अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों की समस्याओं में अपनी रुचि दिखाने में असफलता,
7. संस्थाओं के प्रमुखों में कल्पना शक्ति, व्यवहार कुशलता के साथ-साथ दृढ़ता में कमी,
8. राजनीतिक दलों द्वारा शैक्षिक कार्य में हस्तक्षेप के प्रयत्न,
9. अध्यापकों में व्याप्त दलबन्दी, और
10. देश में जनसाधारण के जीवन की परिस्थितियों का असर, व्यक्तियों में अनुशासनहीनता का गिरता हुआ स्तर तथा नागरिक चेतना एवं एकता को कमजोर बनाना ।

(ख) हालांकि विद्यार्थियों की अशांति के कुछ उपचार शिक्षा प्रणाली के बाहर के हैं, सरकार यह मानती है कि शैक्षणिक कमियों को दूर करने तथा पर्याप्त सलाहकार और प्रशामनिक मशीनरी की स्थापना से विद्यार्थियों की अशांति तथा अनुशासनहीनता को हल करने में बहुत सहायता मिल सकती है ।

### लेनिन शताब्दी समारोह के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रदर्शनी

7365. श्री बाबू राव पटेल : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में लेनिन शताब्दी समारोह के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा की जाने वाली प्रदर्शनी पर कितना व्यय आयेगा;

(ख) प्रदर्शनी किन-किन स्थानों पर की जायेगी और प्रत्येक स्थान पर वह प्रदर्शनी कितने समय तक रहेगी; और

(ग) क्या भारतीय लेनिन शताब्दी समारोह के बिना भी गुजर कर सकते थे क्योंकि वे पहले ही गांधी शताब्दी तथा गांधी शताब्दी समारोह देख चुके हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) इस कार्य के लिए 30,000 रुपयों की व्यवस्था की गई है ।

(ख) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास प्रत्येक स्थान पर तीन या चार दिन के लगभग ।

(ग) गांधी शताब्दी समारोहों के आयोजन का अर्थ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों की जन्म शताब्दियां मनाने में कोई रुकावट नहीं है ।

### पर्यटन के विकास के लिए अभिकरणों के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन

7366. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : श्री बालमीकि चौधरी :

क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन के विकास के लिये विद्यमान अभिकरणों के संगठनात्मक ढांचे में अनेक परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यटन संवर्धन सम्बन्धी अधिकांश गतिविधियों को भारतीय पर्यटन विकास निगम को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) से (घ) पर्यटन की अभिवृद्धि से सम्बन्धित मामलों का समेकित रूप से निर्वाह करने के उद्देश्य से अशोक होटल्स लिमिटेड और जनपथ होटल्स लिमिटेड का अब भारत पर्यटन विकास निगम में विलय कर दिया गया है। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि पर्यटन विभाग के कार्यकारी क्रियाकलापों को उत्तरोत्तर निगम को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए ताकि यह पर्यटन के समेकित विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सके, जिसके कार्य-क्षेत्र में होटलों, मोटलों और पर्यटक बंगालों का निर्माण एवं संचालन; तथा विदेशों में पर्यटन प्रोत्साही कार्यों का आयोजन; कारों, कोचों अथवा छोटी बसों वाले पर्यटकों के लिये परिवहन सेवाएं; ध्वनि प्रकार प्रदर्शनों सहित मनोरंजनों की व्यवस्था; अपने अन्तर्राष्ट्रीय विमान-क्षेत्रों पर शुल्क-मुक्त दुकानों की स्थापना तथा इनसे सम्बद्ध अनेक अन्य क्रियाकलाप सम्मिलित होंगे।

### भारतीय सेवकों में अश्लील साहित्य का वितरण

7367. श्री देविन्दर सिंह गार्ना :

श्री बालमीकि चौधरी :

श्री एन० शिवप्पा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश के युवकों में अश्लील साहित्य को बांटने और उसका व्यापार करने वाले एक अन्तर्राज्यीय गिरोह की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार गिरोह का पता लगाने और उससे अश्लील साहित्य के पकड़ने में सफल हो गई है; और

(घ) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और वर्ष 1969 में तथा इस वर्ष अब तक राज्यवार ऐसा कितना साहित्य बरामद किया गया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में एक समाचार पत्र में रिपोर्ट देखी है।

(ख) से (घ) तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

### भारत में पुराने शाही परिवारों के पेंशनभोगी व्यक्ति

7368. श्री बाबू राव पटेल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पुराने शाही परिवारों से संबंधित राज्यीय पेंशनभोगी व्यक्तियों के नाम क्या

हैं जो भूतपूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा पहिले दिये गये वचनों के अनुसार वार्षिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष कितनी पेंशन मिलती है;

(ख) शिवाजी के एक उत्तराधिकारी सतारा छत्रपति को कितनी पेंशन मिलती है और उनके सम्बन्ध में पिछली बार उनकी उपलब्धियों में कब और कितनी वृद्धि मंजूर की गई और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन पेंशनों को समाप्त करने का है क्योंकि अन्य भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियां इस कारण समाप्त की जा रही हैं कि उनकी वर्तमान स्थिति में कालदोष बताया जाता है, और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) इस सम्बन्ध में 10 मई, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 10321 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। प्रत्येक पेंशनभोगी व्यक्ति को दी गई राशियों के बारे में सूचना राज्य सरकारों तथा महालेखा-पालों से अभी एकत्रित की जा रही है।

(ख) सतारा राज्य परिवार के उत्तराधिकारी को 1874 में 30,000 रु० वार्षिक पेंशन मंजूर की गई थी और उस परिवार के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उसे चार पीढ़ियों तक बिना किसी कमी के जारी रखा गया था। सन् 1952 में किये गये एक पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप यह निश्चय किया गया कि 2,500 रु० प्रतिमाह की पेंशन वर्तमान पेंशनभोगी के जीवन पर्यन्त जारी रखी जाय और उसके उत्तराधिकारी के लिए इसे जारी रखने के प्रश्न पर अवसर आने पर विचार किया जाय।

(ग) सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 366 (22) के अन्तर्गत यथा परिभाषित नरेशों की निजी थैलियों तथा विशेषाधिकारों को समाप्त करने का निश्चय किया है। भूतपूर्व शासक परिवारों को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई राजनीतिक पेंशनों के प्रश्न पर अभी तक पूर्ण रूप से विचार नहीं किया गया है।

#### **प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा को अधूरा छोड़ देने वाले विद्यार्थी**

7369. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और प्राथमिक शिक्षा देने वाले स्कूलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा को अधूरा छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता में वृद्धि हो रही है जिससे प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्राथमिक शिक्षा को अधूरा छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की वास्तविक प्रतिशतता क्या है; और

(घ) शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा प्रायोजित 27 जनवरी, 1970

को नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में शिक्षा-विशेषज्ञों द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी बनाये गये कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) :** (क) सूचना अनुबन्ध I में दी गयी है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3304/70]

(ख) और (ग) पिछले वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। शिक्षा छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता से कमी की प्रवृत्ति झलकती है। 1949-50 वर्ष में, पहली श्रेणी के 100 विद्यार्थियों में से Vवीं कक्षा में केवल 32 विद्यार्थी थे। 1960-61 में यह संख्या 33 तक बढ़ गयी थी। मिडिल स्कूलों में 1949-50 में पांचवीं श्रेणी के 100 विद्यार्थियों में से आठवीं श्रेणी में केवल 76 विद्यार्थी थे। 1962-63 में यह संख्या 80 तक पहुंच गयी थी।

(घ) कार्यक्रम की मुख्य बातें अनुबन्ध II में दी गयी हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3304 70]

### संसदीय तथा सरकार द्वारा प्रायोजित प्रतिनिधिमण्डलों में राज्य विधान

#### सभाओं तथा परिषदों के सदस्यों का शामिल किया जाना

7370. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या संसद्-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों को भेजे जाने वाले संसदीय तथा सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य प्रतिनिधिमण्डलों में राज्य विधान सभाओं तथा परिषदों के सदस्यों को शामिल किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार तथा प्रत्येक देश का दौरा करने वाले प्रत्येक प्रतिनिधिमण्डल में शामिल किये गये ऐसे सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन प्रतिनिधिमण्डलों में राज्यों के विधायकों को शामिल किये जाने के फलस्वरूप इनका व्यय कौन वहन करता है ?

**संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री के० रघुरमैया) :** (क) से (ग) विदेशों को संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का कार्य लोक-सभा और राज्य सभा के अधिष्ठाताओं का है, अतः इस संबंध में आवश्यक जानकारी दोनों सभाओं के सचिवालयों के पास उपलब्ध होगी। जहां तक सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य प्रतिनिधिमंडलों का संबंध है, विभिन्न मंत्रालयों से जानकारी इकट्ठा की जा रही है।

#### Ban on Carrying Lathis and other Weapons in West Bengal

7371. Shri Ramesh Chandra Vyas : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Governor of West Bengal has promulgated an order to the effect that no person can move about armed with lathis and other weapons ;

(b) whether it is also a fact that some workers of the Communist Party of India (Marxist) come to attend their meeting with lathis in their hands, thus violating the aforesaid order ; and

(c) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :**

(a) According to information received from the Government of West Bengal, the Commis-

sioner of Police, Calcutta has issued an order prohibiting the carrying of lathis, spears and other offensive weapons by any person in any public place within the limits of the city and the suburbs of Calcutta.

(b) and (c) Facts are being ascertained from the state government.

#### **Naxalite Call for Taking up Arms**

7372. **Shri Ramesh Chandra Vyas :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in a public meeting held in the last week of March in Madurai, some leaders of Naxalite Communist Party had told the workers and educated unemployed persons to take up arms in their hands in order to get employment and also told that the real people's government could only be established by force ; and

(b) if so, the action Government propose to take against the persons who instigate the poor workers in this way ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :**

(a) and (b) Facts are being ascertained from the State Government.

#### **Recognition to Examinations Conducted by Hindi Sahitya Sammelan, Prayag (Allahabad)**

7373. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the names of the various examinations which are conducted by the Hindi Sahitya Sammelan, Prayag (Allahabad) and whether different examinations are held for men and women ;

(b) whether the examinations conducted by the Sammelan have been recognised by the Board of High School and Intermediate Education, U. P. ; and

(c) the names of examinations of the Sammelan recognised as equivalent to those of the Board ?

**The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) :** (a) As far as information is available in this Ministry, the Hindi Sahitya Sammelan conducts the following examinations :—

Prathama ; Madhyama (Visharad) ; Uttama (Sahitya Ratna) ; Sahitya Mahopadhyaya ; Upvaidya, Vaidya Visharad ; Ayurved Ratna ; Krishi Visharad ; Shiksha Visharad ; Sampadan-Kala Visharad ; Sheeghra-Lipi ; Prathama ; Sheeghra Lipi ; Visharad ; and Lipik.

According to the information with us, separate examinations are not held for men and women.

(b) and (c) This information is not available in this Ministry.

#### **गोआ के वैगाटोर में कैसीनों एवं नाइट क्लब**

7374. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या पर्यटन तथा अस्सैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ सरकार को गैर-सरकारी पार्टियों से गोआ के वैगाटोर में कैसीनो एवं नाइट क्लब स्थापित करने के बारे में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;



(ख) यदि हां, तो पार्टियों के नाम तथा भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई योजना का प्रमुख व्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति दिये जाने में क्यों देरी की जा रही है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) और (ख) संघ राज्यक्षेत्र की सरकार को श्री एम० एम० पी० डिसूजा से निम्न दो चरणों में वैगाटोर के निकट चापोरा के पुराने किले के प्रांगण में एक लम्बरी होटल और कैसीनो बनाने के सम्बन्ध में अनुमोदनार्थ एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है :—

(क) एक कैसीनो, रेस्टोरैन्ट्स, बालरूम, ओपर एयर कैफे, और मोटल टाइप के लम्बरी आवास;

(ख) होटल स्थान का विकास तथा स्विमिंग पूल, आरोग्य साधनालय (फिजिकल्चर क्लिनिक), व्यायामशाला, नौका-विहार, जल-स्कीइंग की व्यवस्था ।

इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है ।

#### शास्त्री और आचार्य की डिग्री को मान्यता

7375. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री शास्त्री और आचार्य की डिग्री को मान्यता देने के सम्बन्ध में 23 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5490 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं में है, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इसको कब तक एकत्रित कर लिया जायगा ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :** (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकारों से अभी तक प्राप्त उत्तरों के सारांश दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3305/70]

(ग) वाकी की राज्य सरकारों को फिर स्मरण करा दिया है।

#### अन्य विभागों को स्थानान्तरित केन्द्र सरकार के स्थायी कर्मचारियों का पूर्वाधिकार बनाये रखना

7376. **श्री गुरगानन्द ठाकुर :** श्री हीरजी भाई :

क्या गृह-कार्य मंत्री आवेदन-पत्रों को आगे भेजने के बारे में 3 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4981 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह मूल कार्यालय की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वह जिन स्थाई सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं बिना किसी पूर्व शर्तों के और मंत्रालय के कार्यालय जापन दिनांक 14 जुलाई, 1967 के पूर्व ऊंचे पदों के लिए चुने जाने पर स्थानान्तरित हो गई हैं, उनको वर्तमान नियुक्ति द्वारा

स्थाई न बनाये जाने पर भी उनके स्थायी पदों से त्याग पत्र देने / अपने स्थाई पदों पर वापस आने पर बल दे सकता है;

(ख) यदि हां, तो इससे संगत नियम क्या हैं तथा उनके क्या कारण हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो भारत सरकार के कुछ कार्यालयों द्वारा इस प्रकार का बल देने के क्या कारण हैं;

(घ) वह कौन से नियम हैं जिनके अन्तर्गत स्थायी सरकारी कर्मचारी को अन्य केन्द्रीय विभागों के पदों के लिए आवेदन पत्र भेजने के समय यह लिखित बचन देना पड़ता है कि दो वर्ष की अवधि के अन्दर वे स्थायी पद से त्यागपत्र देंगे। वहां से अपने स्थायी पद पर वापस आ जायेंगे; और

(ङ) क्या सरकार का स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इस बारे में कोई-और आदेश जारी करने का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मूल कार्यालय प्रशासनिक आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए तथा मूल कार्यालय में दूसरों की पदोन्नति / स्थायीकरण के अवसरों पर संवर्ग पद से उसकी अनिश्चित अनुपस्थिति के प्रभाव को ध्यान में रख कर अपने अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी सरकारी कर्मचारी को किसी निःसंवर्ग पद से अपने पूर्व पद पर, जिस पर धारणाधिकार रखा गया है, हमेशा बुला सकता है जब तक कि वह सरकारी कर्मचारी त्यागपत्र देकर उस पद से पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद करने का विकल्प नहीं देता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) उक्त बचन गृह मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 60/37/63-ईस्ट्स (ए), दिनांक 14 जुलाई, 1967 में निहित अनुदेशों के अनुसार अपेक्षित है ।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान् ।

#### भारतीय समाचारपत्रों को विदेशी सहायता

7377. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय समाचारपत्रों को दी जाने वाली विदेशी सहायता के प्रभाव के बारे में अपनी जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) अभी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**Assaults on Harijans in Madhya Pradesh**

7378. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

- (a) the number of assaults made on Harijans in Madhya Pradesh during the last three years ;
- (b) the steps taken by Government for their security;
- (c) the number of persons making the said assaults who have been punished and the number thereof who have been acquitted ; and
- (d) the number of those who have been sentenced to imprisonment ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :**  
(a) to (d) Facts are being ascertained.

**पटना में बेरोजगार तथा अपूर्ण नियोजित स्नातक  
इंजीनियर संस्था द्वारा पारित संकल्प**

7879. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बेरोजगार तथा अपूर्ण नियोजित स्नातक इंजीनियर संस्था, बिहार, पटना की 4 जनवरी, 1970 को इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स (इंडिया), पटना में हुई आम बैठक में पारित संकल्प में दिये गये सुझावों का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :** (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) उक्त संस्था द्वारा पारित अधिकांश संकल्प बिहार सरकार को संबोधित हैं । ये संकल्प बिहार सरकार के विचाराधीन हैं ।

इन संकल्पों में बेरोजगार इंजीनियरों के लिए अधिक नौकरियों की व्यवस्था करने के लिए सुझाव भी हैं । 1968 में इंजीनियरों के लिए अतिरिक्त नियोजन अवसरों के सृजन के लिए उपाय आरम्भ करने के इसी प्रकार के सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले ही विचार किया गया है । बिहार सरकार ने अग्रिम योजना एकांकों को स्थापित करने, ठेके का काम लेने के लिए बेरोजगार इंजीनियरों द्वारा बनाई गई समितियों को प्रोत्साहन देने, ठेकेदारों को अपने अधीन इंजीनियरों को नियोजित करने की अपेक्षा करने तथा लघु उद्योग स्थापित करने के इच्छुक बेरोजगार इंजीनियरों को सुविधाएं देने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है ।

उक्त संस्था ने यह भी सुझाव दिया है कि स्नातक इंजीनियरों के लिए अखिल भारतीय सेवा परीक्षा में बैठने के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए और यह कि भारतीय इंजीनियरी सेवा तुरन्त बनाई जाय । ये सुझाव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं ।

**Disclosure of Assets by Minister and Government  
Officers before Entering Office**

7380. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

- (a) whether the Prime Minister had ever considered a proposal to ask Ministers,

Government Officers and other persons holding big posts in public life to disclose their assets before entering upon their respective offices ;

(b) whether there was also a proposal to ask these persons to submit returns showing increase in their income every year ; and

(c) if so, the action taken so far thereon ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :**

(a) to (c) On the recommendations of the Santhanam Committee a Code of Conduct for Ministers at the Centre has been laid down already. Under this Code a person is required before assuming office as a Minister and subsequently after intervals of one year, to submit to the Prime Minister a statement of assets etc. in respect of himself/herself and the members of his/her family. Officers of the Central Government are governed by their respective Conduct Rules which contain the necessary provision for obtaining returns of their assets periodically. As regards annual returns of income the taxation laws of the country contain necessary provisions already.

### औद्योगिक अनुसंधान प्रबन्ध सम्बन्धी अखिल भारतीय विचार गोष्ठी

7381. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बड़ौदा में औद्योगिक अनुसंधान प्रबन्ध के बारे में पांच दिन को एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी ; और

(ख) इस गोष्ठी की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :** (क) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी अमरीका के सहयोग से, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान) द्वारा औद्योगिक अनुसंधान प्रबन्ध तथा संगठन संबंधी भारत-अमरीकी कार्यशाला का आयोजन बड़ौदा में 2 से 6 मार्च, 1970 तक किया गया था ।

(ख) सेमिनार की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) वैधानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिपद्, औद्योगिक अनुसंधान संगठन, विश्व-विद्यालय और प्रौद्योगिकी संस्थानों के अनुसंधान तथा विकास निदेशकों का एक औपचारिक संगठन होना चाहिए ।

(2) औद्योगिक तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिए जटिल तथा मूल्यवान उपस्करों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए, चुने हुए विश्वविद्यालयों में, क्षेत्रीय उपस्कर तथा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए ।

(3) उद्योग तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं के बीच सम्पर्क की व्यवस्था करने तथा प्रौद्योगिकी में पूर्वानुमान के लिए, अनुसंधान में औद्योगिक हिस्सेदारी के संबंध में एक कार्यालय की स्थापना की जानी चाहिए ।

(4) लघु तथा मध्यम कोटि के उद्योगों संबंधी तथा उनके विकास की अन्तर्भूत आवश्यकता का अध्ययन करना चाहिए ।

(5) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और सार्वजनिक उद्योगों की खाई पाटी जानी चाहिए और औद्योगिकी प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिक संगठनों तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के राजकीय नीति निर्धारकों के बीच विचार विनियम तथा उनके सम्मेलन होने चाहिए ।

(6) राष्ट्रीय सांख्यिकी तथा आंकड़े एकत्रित करने तथा विभिन्न खोज तथा अध्ययन शुरू करने के लिए, या तो आयोजना आयोग, अथवा विज्ञान प्रौद्योगिक समिति में एक उपयुक्त संगठन स्थापित किया जाना चाहिए ।

(7) विशिष्ट समवाय अथवा प्रयोगशाला के नियत कार्यों पर भारत में निर्धारित अवधि के लिए, वैधानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा अन्य संगठनों द्वारा सेवा निवृत्त अनुसंधान निदेशकों जैसे विदेशी अनुभव-प्राप्त अनुसंधान प्रशासकों को आमंत्रित करना चाहिए ।

(8) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और प्राइवेट औद्योगिक संगठनों के अनुसंधान वैज्ञानिकों और प्रशासकों के अमरीका के औद्योगिक संगठनों के लिए अध्ययन दौरों को प्रोत्साहित करना चाहिए । इस प्रकार के दौरों से भारतीय कार्मिकों को उद्योग में अनुसंधान तथा विकास संबंधी प्रक्रियाओं की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने तथा उनका समवाय कार्यकरण के साथ सम्बन्ध जानने आदि में सहायता मिलेगी ।

(9) शिक्षा में विशेषज्ञता तथा औद्योगिक आवश्यकताओं और अनुसंधान संबंधी अध्ययन हाथ में लिया जाना चाहिये । भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, अमरीका को द्विपक्षी विनियमों के लिये आयोजनाएं शुरू करनी चाहिए । भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा भारतीय प्रबन्ध संस्थानों को, भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अनुसंधान तथा प्रशासन संबंधी कार्यक्रमों का विकास करना चाहिए ।

#### All India Public Schools Conference

7382. **Shri Bansh Narain Singh :**

**Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of Education and Yonth Services be pleased to state :

(a) whether the Session of the Indian Public Schools Conference is convened by his Ministry and the expenditure in respect of the said Conference is also borne by the said Ministry ;

(b) whether the policy of his Ministry is to encourage separate school arrangements for the poor and rich and, if so, the reasons therefor ; and

(c) if not, the reasons for which the 30th Session of the Indian Public Schools Conference was inaugurated by him and the journal of the said conference published by his Ministry ?

**The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) :** (a) : This Ministry does not convene "The Indian Public Schools Conference". nor does it bear any expenditure in this respect.

(b) No, Sir. The resolution on National Policy on Education envisages that to promote social cohesion and National integration the Common School System as recommended by the Education Commission should be adopted. It further envisages that efforts should be made to improve the standard of education in general schools and that all special schools like Public Schools should be required to admit students on the basis of merit

and also to provide a prescribed proportion of free-studentships to prevent segregation of social classes. In the 30th Session of the Indian Public Schools Conference, which was held in New Delhi in February, 1969, a resolution was passed for instituting scholarships on the basis of means and merit.

The Government of India also implements a merit scholarship scheme under which about 200 scholars selected on the basis of merit and means are placed in selected residential schools including Public Schools.

(c) The Minister of Education was invited at the 30th Session of the said Conference to give the valedictory address. No journal in respect of the said Conference was published by this Ministry.

#### **Road Tax Charged on Tractor Trailers Used for Transporting Agricultural Goods**

7384. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state:

(a) the names of the States where road tax is charged for the trailer of the private tractor used for transporting agricultural goods ; and

(b) whether the Central Government have taken some steps to exempt tax on those private tractors which are used for transportation of one's own agricultural products, fertilizers, etc. ?

**The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) :** (a) Assam, Gujarat, Rajasthan, U. P., West Bengal and Manipur.

(b) The question of taxation on motor vehicles used for agricultural purposes came up for discussion at the seventh meeting of the Transport Development Council held in June 1968 at Mysore. The Council noted that several State Governments were already granting concession in tax on motor vehicles like tractors used for agricultural purposes. The Council commended this practice for adoption by other State Governments. Being a State subject, the matter is being pursued with them.

#### **Difference in Regard to Setting up of a Statutory Corporation for Managing International Airports**

7385. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been a difference between the recommendations made by the Tata Committee and the decision taken by Government in regard to the setting up of a Corporation under the Companies Act for looking after the four International airports in the country, as Government have taken a plea that the expenditure involved would be infructuous ; and

(b) if so, the suggestions made by the Tata Committee in respect of setting up of the said Corporation and the reaction of Government thereto ?

**The Minister of Tourism & Civil Aviation (Dr. Karar Singh) :** (a) and (b) The Tata Committee had recommended that a Corporation should be created under the Indian Companies Act for the ownership and management of the four International Airports. The recommendation to set up a Corporation for this purpose has been accepted, but after careful consideration it has been decided to create such a Corporation under an Act of Parliament rather than the Indian Companies' Act.



### जूनागढ़ जिले में मंग्रोल में खुदाई

7386. श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1970 में जूनागढ़ जिले के मंग्रोल नगर में कुछ प्राचीन मूर्तियां पाई गई थीं ; और

(ख) क्या इस मामले में कोई शोध-कार्य किया गया है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

### चयन पदों पर पदोन्नति के सिद्धान्त

7387. श्री मृत्युंजय प्रसाद : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चयन पदों पर पदोन्नति के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय द्वारा 16 मई, 1957 को जारी किये ये कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 1/4/55 आर० पी० एस० का कहां तक अनुसरण किया जाता है ;

(ख) क्या इस बीच इसे रद्द करके एक दूसरा शासकीय ज्ञापन जारी किया गया है और इस मामले में नवीनतम अनुदेश क्या हैं ;

(ग) इसे किन-किन मंत्रालयों को परिचालित किया गया था और किन मंत्रालयों ने उसे पूर्णतः स्वीकार किया है और किन मंत्रालयों ने संशोधित रूप में और किन-किन संशोधनों के साथ ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न उपक्रमों तथा उसके नियंत्रणाधीन अन्य संस्थानों पर वह कहां तक अनिवार्य है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/4/55 आर० पी० एस० दिनांक 16-5-1957 में निहित अनुदेश कार्यकारी अनुदेश हैं जो परमाणु ऊर्जा विभाग, रेल मंत्रालय और प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन संगठनों के अन्तर्गत सेवाओं को छोड़कर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के अधीन सेवाओं पर लागू हैं । फिर भी, यदि किसी मंत्रालय विभाग ने अपने अधीन किसी सेवा विशेष के लिये सांविधिक नियम बनाये हों, जिनमें उनके प्रवरण पदों के लिये पदोन्नति के लिये भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों के लिये व्यवस्था हो, तो उन सांविधिक नियमों के उपबन्ध 16-5-1957 के कार्यालय ज्ञापन के उपबन्धों के स्थान पर उस सेवा में लागू होंगे ।

(ख) इस कार्यालय ज्ञापन को अभी तक परिशोधित नहीं किया गया अथवा इसके स्थान पर अन्य कोई ज्ञापन नहीं निकाला गया है ।

(ग) कार्यालय ज्ञापन भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को सम्बोधित था । ऊपर बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए मन्त्रालयों द्वारा इसे स्वीकार किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) चूंकि कार्यालय ज्ञापन के उपबन्ध सरकार के अधीन “प्रवरण” पदों में केवल पदोन्नति के लिये लागू हैं, अतः कार्यालय ज्ञापन के केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त संगठनों आदि पर लागू होने का प्रश्न नहीं उठता ।

#### Bench of Allahabad High Court at Meerut

7388. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh have made a proposal for setting up a Bench of the Allahabad High Court at Meerut ; and

(b) if so, whether the Central Government have considered the matter and, if so, the decision taken thereon ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :**

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

#### न्याय प्राप्त करने के वर्तमान तरीकों तथा प्रक्रियाओं के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधिपति के विचार

7391. **श्री जार्ज फरनेन्डोज :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली से निकलने वाले ‘दि स्टेट्स’ के 21 मार्च, 1970 के अंक में प्रकाशित भारत के मुख्य न्यायाधिपति के विचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या न्याय प्राप्त करने के वर्तमान तरीकों तथा प्रक्रियाओं में आमूल परिवर्तन करने के बारे में सरकार विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है ।

(ख) तथा (ग) विधि आयोग ने दीवानी मुकदमों में विलम्ब को दूर अथवा कम करने तथा इसके द्वारा व्यय को घटाने के उद्देश्य से अपने 27वें प्रतिवेदन में व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 में कुछ विशिष्ट संशोधनों का सुझाव दिया है । उन संशोधनों को कार्यरूप देने के लिए उस संहिता को और अधिक संशोधित करने का एक विधेयक इस समय संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष लम्बित पड़ा है । इस समिति का प्रतिवेदन अभी आना है ।

विधि आयोग द्वारा अभी हाल में दण्ड प्रक्रिया संहिता की जांच विस्तार में की गई है और उसके 41वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की जांच राज्य सरकारों के परामर्श से की जा रही है ।

**Arrest of a Pakistani Spy Girls with an Indian Army Officer**

7392. **Shri Ramesh Chandra Vyas-**  
**Shri Manibhai J. Patel :**

**Shri Valmiki Choudhury :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Pakistani girl was apprehended with an Indian Officer in the Husainiwala border on the 19th March, 1970 ;

(b) whether the said Indian was an Officer in the Army ; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government against the said Officer ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :**

(a) to (c) Miss Malik Sultana, a Pakistani national, was apprehended at Husainiwala border on 19.3.1970. Since her travel documents were not in order, she was prosecuted under section 14 of the Foreigners Act and sentenced on 8.4.1970 to undergo seven days' rigorous imprisonment. She was released from jail on 14th April and was deported to Pakistan the same day. It is not a fact she was apprehended with any Indian officer, of the armed forces or of any civil service. Therefore, the question of any action against any officer does not arise.

**ब्रुसेल्स में ग्लोबल एटमोस्फैरिक रिसर्च प्रोग्राम सम्मेलन**

7393. **श्री चेंगलराया नायडू :**

**श्री मयाबन :**

**श्री दण्डपाणि :**

**श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या पर्यटन तथा अस्त्रैतिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 से 21 मार्च, 1970 तक ब्रुसेल्स में हुए ग्लोबल एटमोस्फैरिक रिसर्च प्रोग्राम के प्रथम सम्मेलन में भारतीय मानसून के अध्ययन, उसकी वृद्धि तथा विकास के प्रक्रम (मैकेनिज्म) पर विचार-विमर्श किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत ने इस प्रयास (मूव) का स्वागत किया है ;

(घ) इस सम्मेलन में और कितने विषयों पर विचार-विमर्श किया गया ; और

(ङ) क्या भारत ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था ?

**पर्यटन तथा अस्त्रैतिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) जी, हां । विश्व वायुमण्डलीय अनुसंधान कार्यक्रम की आयोजना समिति ने अखिल विश्व पैमाने पर पृथ्वी के वायुमण्डलीय परिसंचरण के अध्ययन के लिए एक गहन अनुसंधान कार्यक्रम के तकनीकी एवं वैज्ञानिक पक्षों पर विचार-विमर्श किया । क्योंकि भारतीय मानसून विश्व परिसंचरण का एक महत्वपूर्ण भाग है, अतः उस पर भी विचार-विमर्श किया गया ।

(ख) भारतीय मानसून परिसंचरण का अध्ययन प्रथम विश्व वायुमण्डलीय अनुसंधान कार्यक्रम प्रयोग के, जिसके कि 1975-76 में प्रारम्भ किये जाने की योजना है, एक भाग के रूप में किया जायेगा । परन्तु सीमित पैमाने पर प्रारम्भिक अध्ययन का कार्य भारत द्वारा रुचि रखने वाले अन्य

देशों के सहयोग से हाथ में लिया जा सकता है। इस प्रकार के अध्ययन के लिये विश्व वायुमण्डलीय अनुसंधान कार्यक्रम के भारतीय कार्यकारी दल द्वारा एक योजना तैयार की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) उष्ण कटिबंधीय अतलान्तिक और प्रशान्त महासागरों पर मेघ समूहों के अध्ययन के लिये परीक्षण, तथा इस प्रकार के अध्ययनों के लिए जटिल साधन विनियोगों जैसे कि जलयानों, विमानों और उपग्रहों का प्रयोग, कम्प्यूटरों द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण तथा अन्य विवरणों पर विचार-विमर्श किया गया।

(ङ) जी, हां।

### सीमा सुरक्षा दल कर्मचारियों और पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच गोली-बारी

7394. श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 फरवरी, 1970 को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नवीनगर तेहत्ता पुलिस स्टेशन पर पाकिस्तानी घुसपैठियों और सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों के बीच गोलियां चली थीं;

(ख) इस गोली-बारी में कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने जखमी हुए; और

(ग) क्या इस मामले में पाकिस्तान सरकार को कोई विरोधपत्र भेजा गया है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) 7/8 फरवरी, 1970 की रात को लगभग 1 बज कर 30 मिनट पर 15-20 पाकिस्तानी शरारती नाबिन नगर (न कि नवीननगर) थाना तेहाता, जिला नादिया में घुस आये। सीमा सुरक्षा दल के गश्ती दल द्वारा लल-कारे जाने पर शरारतियों में से एक ने एक राउण्ड गोली चलाई। उत्तर में हमारी गश्ती टुकड़ी द्वारा गोली चलाये जाने पर शरारती व्यक्ति चले हुए एक कारतूस सहित एक डी० बी० बी० एल० बन्दूक छोड़कर पाकिस्तान की ओर भागे। हमारी ओर का कोई भी व्यक्ति न तो मारा गया और न घायल हुआ। जिला मजिस्ट्रेट, नादिया ने उप आयुक्त कुशतिया (पूर्वी पाकिस्तान) को कड़ा विरोध पत्र भेजा है।

### दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमान सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिश के सम्बन्ध में अभ्यावेदन

7396. श्री चेंगलराया नायडू : श्री नि० रं० लास्कर :

श्री दण्ड पाणि : श्री मयावन :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध कालिजों के प्रधानाचार्यों ने उपकुलपति के अध्यापकों के वेतन-मान सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिशों के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य शिकायतें क्या हैं; और

(ग) उपकुलपति उनकी शिकायतों के बारे में जांच करने के लिये कहां तक सहमत हुए हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

#### बर्दवान की घटना की न्यायिक जांच

7397. श्री चॅंगलराया नायडू :

श्री रवि राय :

श्री दण्ड पाणि :

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

श्री मयाबन :

श्री हेम बरुआ :

श्री सीताराम केसरी :

श्री सरदार अमजद अली :

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को बर्दवान घटना की न्यायिक जांच करवाने के लिये कहा है;

(ख) क्या राज्यपाल को जांच समिति का प्रतिवेदन मिल गया है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन घटना की एक जांच करने का निश्चय किया है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

#### बालासौर (उड़ीसा) में चण्डीपुर आन-सी का विकास

7398. श्री स० कुन्दू : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने बालासौर (उड़ीसा) में चण्डीपुर आन-सी का पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने की कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बीच उस पर कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या सरकार स्वतः उसका विकास करेगी; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असेैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं भेजी गयी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने अपनी पर्यटन विषयक चौथी पंचवर्षीय योजना में चांदीपुर के विकास को सम्मिलित किया है ।

**वरिष्ठ असेैनिक कर्मचारियों द्वारा समय का बेकार नष्ट किया जाना**

7399. श्री प्र० के० देव :

श्री मीठा लाल मीना :

श्री गार्डिलिंगन गौड़ :

श्री रा० की० अमीन :

श्री अ० दीपा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मार्च, 1970 के “लिक” नामक एक साप्ताहिक पत्रिका के पृष्ठ 10 पर प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कुछ वरिष्ठ असेैनिक अधिकारी कुछ स्थानान्तरण एवं नियुक्तियां न किये जाने के कारण अपना समय बेकार नष्ट कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) हमारी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

#### Central Grants to Private Educationat Institutions

7400. Shri Ram Charan :

Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry provides grants to various private educational Institutions functioning in various States for their development, purchase of scientific instruments and construction of hostels ;

(b) whether it is also a fact that the said institutions are required to make applications for this purpose through their respective State Governments ;

(c) whether Government propose to formulate such a scheme as would enable the said institutions to submit applications direct to the Union Ministry of Education and, if not, the reasons therefor ;

(d) whether Government have under considerations a scheme for providing grants to educational institutions during 1970-71 ; and

(e) if so, the time by which the said scheme is likely to be implemented and whether Government propose to make an amendment in the said scheme to the effect that the educational institutions could make direct applications to the Centre in this regard ?

**The Minister of Education and Youth Services (Prof. V. K. R. V. Rao) :** (a) & (b) Yes, Sir.

(c) to (e) The Scheme for giving grants-in-aid to Voluntary Organisations is under review. It is likely to take some time.



### Number of Employees Working in Central Schools

7401. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the number of Class II and Class III Gazetted and non-Gazetted employees working in the various Central Schools in the country separately ; and

(b) the number among them of these employees belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other castes separately ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) The number of employees of Kendriya Vidyalayas (Central Schools) as on 1-8-1969, corresponding to class II and class III Gazetted or Non-gazetted status under the Central Government, is as under :—

| Gazetted      | Non-Gazetted |
|---------------|--------------|
| Class II—118  | Nil          |
| Class III—Nil | 4198         |

(b) The necessary information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

### Allocation of funds for Cultural Programmes during Fourth Five Year Plan

7402. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state the reasons for which twenty-one crores of rupees have been allocated for cultural programmes during the Fourth Five Year Plan period when the funds for important programmes relating to education are being reduced ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : The allocation to Cultural Programmes is not Rs. 21 crores. It stands only at Rs 12 crores (Rs. 9 crores in the Centre and Rs. 3 crores in the States) in a total plan of Rs. 829 crores. This allocation is, in fact, not adequate to meet the requirements of cultural programmes.

It would not be correct to say that this allocation has been provided at the cost of more important educational programmes. Cultural development has its own significance and needs to be provided for in the Five Year Plans.

### Grants to Students out of Education Minister's Discretionary Fund

7403. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that grant is given to the poor students for studies from his Discretionary Fund ;

(b) the names of the persons to whom grants are likely to be given in 1970-71 ; and

(c) the names of the students of District Pauri Garhwal, Uttar Pradesh who were given grants from the aforesaid Fund during the last three years and the amount of grant given to each of them ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) Applications will be considered as and when received. No advance programme has been drawn.

(c) The information is given below :

| Year    | Name of the grantee      | Amount Rs. |
|---------|--------------------------|------------|
| 1967-68 | Nil                      |            |
| 1968-69 | (i) Smt. Chandrama Devi, | 300.00     |
|         | (ii) Shri Bishan Dutt.   | 200.00     |
| 1969-70 | Shri Shambhu Prasad      | 250.00     |

### दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शनों के लिये आचार संहिता

7404 श्री मुहम्मद शरीफ : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन के लिये, न कि घेराव तथा अन्य हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा प्रदर्शन करने के लिये एक नई आचार संहिता बनाने पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) और (ख) एक नई आचार संहिता, विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।

### Transfer of Parliament Assistants

7406. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8707 on the 26th April, 1968 regarding officials dealing with Parliamentary work and state :

(a) whether Government propose to look into the fact that apparently any of the Ministries of the Government of India is not prepared to transfer the Parliament Assistant on the plea of "in the interest of efficiency" but in fact the Under Secretaries responsible for looking after the Parliament work are not capable of looking after such work ; and

(b) whether it is also a fact that the Ministry of Education prolonged the case for transfer of the Parliament Assistant in the Ministry for ten years on the plea of "in the interest of efficiency ?"

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) No, Sir. The existing instructions on the subject envisage that in the interest of efficiency of work exceptions may be made in the normal procedure.

(b) The particular person was appointed as Parliament Assistant in the erstwhile Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs. With the merger of the staff of the erstwhile Ministry of S. R. & C. A. in the Ministry of Education in March, 1964, transfers of members of staff were made as and when necessary in the interest of public service. Change in the incumbency of Parliament Assistant in the Ministry of Education was effected in February, 1969.

### Use of Hindi in Education Ministry

7407. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to refer to the reply

given to Unstarred Question No. 4608 on the 19th December, 1969 regarding use of Hindi in Education Ministry and state :

(a) the reasons for not starting the entire work in Sanskrit Unit. Hindi Section and the Indian Languages Sections in Hindi when these Sections have no connection with English ;

(b) whether Government propose to deal with all the papers received in the said Sections and Units in Hindi itself at all levels :

(c) if so, from which date and, if not, the reasons therefor ; and

(d) the educational qualifications and the knowledge of the language of the Section Officers, Under Secretaries, Deputy Secretaries and Joint Secretaries incharge of the said Sections and Units ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) :** (a), (b) & (c) It has not been possible to start all the work in Hindi due to lack of adequately trained staff in Hindi at all levels. Efforts are being made to teach Hindi and impart training in Hindi noting and drafting. Work will be progressively done in Hindi as the requirements of trained staff are met at all levels.

(d) A statement is attached. [Placed in Library. see No. LT—3306/70]

#### **Changes Made in the Key Board of Hindi Typewriter**

7408. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

**Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3602 on 20th March, 1970 regarding changes made in the Key Board of Hindi Typewriter and state :

(a) whether the complete plans of each of the Key Boards of Hindi typewriters which have been changed four or five times, would be laid on the Table of the House and the dates on which the said changes were made and the names given to the changed Key Boards ;

(b) whether his attention has been drawn to the results of the competition in Hindi Stenography announced by the Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad and published on page 3, column first of the Daily Hindustan dated the 30th March, 1970.

(c) whether it is a fact that all the grants are given to the said Parishad by his Ministry and the Under Secretaries etc. to the Government of India are its office bearers ;

(d) the maximum speed achieved on Model No. 18 and 1964 Model in the competition in Hindi typing conducted by the said Parishad ; the result of which was declared in March, 1970 ; and

(e) whether the said maximum speed was lower or higher than what it was in the previous year and the model used therein (Model No. 18 or 1964 Model) ?

**The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) :** (a) Copies of the charts, showing the Key Boards finalised in 1957, 1960, 1962 and 1964, are not available in stock. Copies of the Charts showing the Key Board for Hindi-Maharathi typewriter approved in 1969, are available in the Parliament Library:

The name of the Key Board and the relevant year, in which it was modified/finalised, is indicated below :—

| Name of the Key Board  | Year in which finalised |
|--|-------------------------|
| 1. Finalised Key Board for the Standard Hindi typewriter (46 keys).                  | 1957                    |
| 2. Modified Key Board for the Standard Hindi Typewriter                              | 1960                    |
| 3. Final Key Board for the Standard Hindi Typewriter (46 keys).                      | 1962                    |
| 4. Final Key Board for the Standard Devanagari Typewriter (Hindi—Marathi) (46 keys). | 1964                    |
| 5. Key Board for the Standard Typewriter (Hindi—Marathi) (46 keys).                  | 1969                    |

(b) This Ministry is not directly concerned with the results of the competitions in Hindi Stenography held by the Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, New Delhi.

(c) The membership of the Parishad is open to employees of the Central Government and Institutions and it is fully financed by the Central Government. The Office bearers of the Parishad are drawn from these members.

The source of income of the Parishad is membership subscription and grant-in-aid from this Ministry.

(d) & (e) According to our information the Parishad had divided the Typewriters into two categories for purposes of competition-viz. (i) 1964 Model and (ii) other Models. The maximum speed achieved on 1964 Model was 53 words per minute and 81.02 words per minute on other Models as against a speed of 61.04 words per minute and 90.06 words per minute respectively achieved in the competitions held in 1967.

#### Key Board of Hindi Typewriters

7409. Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1899 on the 6th March, 1970 regarding Key Board of Hindi Typewriter and state :

(a) which of the letters of the Hindi language (from अ to ह) come into use frequently and those which are used less ;

(b) the row from bottom in the Key Board of the typewriters approved in January, 1969 in which the letters used frequently fall ;

(c) whether the Chart showing the Key Board approved in January, 1969 would be laid on the Table of the House ;

(d) whether the Hindi typewriters with the Key Board approved in 1964 are being used in the office of the Government of India.

(e) if so, whether some specimens of the material typed on the said machine and Model No. 18 separately would be laid on the Table of the House ; and

(f) whether the reply given to the aforesaid Unstarred Question on the 6th March, 1970 was typed out on Model No. 18 and, if so, the reasons for not typing it out on the typewriter with the Key Board approved in 1964 ?

The Minister of State in the Ministry of Education & Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) All letters from अ to ह excepting ङ, ञ, ट, ठ, छ, ड, ढ and झ are frequent use.

(b) Letters, which are comparatively of more frequent use, have been provided in the lower shift of the 2nd and the 3rd rows from the bottom of the Key Board.

(c) Copies of the Charts, showing the Key Boards approved in January, 1969, are available in the Parliament Library.

(d) Yes, Sir.

(e) & (f) The material furnished in reply to Unstarred Question No. 1899 on the 6th March, 1970 was typed on both 1964 and old models and may be seen as specimens of material typed on these models.

It would, therefore, be clear that the typewriter with 1964 Key Board was also used.

#### **Work carried out in Hindi in Education Ministry**

7410. Shri Bansh Narain Singh :

Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state:

(a) the names of the Sections, Units, etc. in his Ministry in which work in respect of letters received in Hindi is carried out in Hindi at all levels ;

(b) whether his Ministry proposes to carry out the work in Hindi at all levels in respect of the letters received in Hindi in the remaining Sections and Units ;

(c) whether it is also a fact that in his Ministry action is taken on the letters received in Hindi without getting them translated into English ; and

(d) if so, the names of the said Sections and Units and the time by which his Ministry proposes to take action in respect of the letters received in Hindi in the remaining Sections and Units without getting them translated into English ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) Yes, Sir. This will be done when Hindi—knowing trained staff is available at all levels.

(c) This is done in some Sections and Units in the Ministry.

(d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

#### **Officers Engaged in Hindi Work in Council of Scientific and Industrial Research**

7411. Shri Bansh Narain Singh :

Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the total number of employees and officers engaged in the Hindi work in the Council of Scientific and Industrial Research and their scales of pay ;

(b) the details of their educational qualification as also of their duties ;

(c) whether it is a fact that the entire translation of the Parliamentary Hindi work of the Councils done in the Ministry and, if so, the total translation work so done in 1969; and

(d) whether arrangements are proposed to be made to ensure that the entire Hindi translation work of the Council is done in the Council itself ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b) The Council of Scientific and Industrial Research (CSR) have engaged one Junior Steno-



grapher and one Hindi Teacher for Hindi work at the Headquarters, details of which are given in the Statement attached. [Placed in Library see No. L. T.—3307170]

(c) Only answers to Parliament Questions, fulfilment of assurances, and statement to be made by the Minister are translated in Hindi by the Ministry of Education and Youth Services as these require authentication. The Council of Scientific and Industrial Research has answered in Hindi 128 Questions, fulfilled 3 assurances and laid 5 Statements in both the Houses of Parliament during the Calendar year 1969.

(d) The matter will be given due consideration.

### पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति

7412. श्री राम किशन गुप्त : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिस व्यक्ति की दो पत्नियां हों, उसको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करते समय इस नियम का पालन किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के संबंध में ऐसी कोई अपात्रता निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

### पुलिस और सेना द्वारा जनता पर गोली चलाया जाना

7413. श्री अब्दुल गनी डार : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार पुलिस अथवा सेना ने जनता पर कितनी बार गोली चलाई और इस गोली चलाने के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कितने-कितने व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए;

(ख) पुलिस और सेना ने अलग-अलग कितने राउन्ड चलाये; और

(ग) उक्त वर्षों में पुलिस ने कितने अश्रु गैस गोले छोड़े ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार अन्दमान व निकोबार द्वीपसमूह, लक्कादीव मिनिकाय, अमिनदीव द्वीप समूह, हरियाणा, चण्डीगढ़, नेफा, दिल्ली, मनीपुर, गोवा, दमन व दीव में 1967, 68, 69 के वर्षों में सेना द्वारा कोई गोली नहीं चलाई गई थी। इन राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3308/70] शेष राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।



### Steps to Improve Standard of Sports

7414. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether Government are considering some steps to bring about improvement in the standard of sports in consultation with the national sports organisations ; and

(b) the details of the recommendations for improving the standard of sports made by the All India Sports Council ?

**The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan)** : (a) Yes, Sir.

(b) On the recommendation of the All India Council of Sports, following steps are being taken for improving the standard of Games and Sports in the country :—

- (i) Grants are given to National Sports Federations for holding National Competitions in India, sending teams abroad, inviting foreign teams to India, organising Coaching Camps for training of teams, purchase of sports equipment and for paid Assistant Secretaries employed by them etc.
- (ii) Grants are also given to State Sports Councils for improvement of facilities, including construction of stadia, holding of Coaching Camps, purchase of sports equipment and establishment of Rural Sports Centres etc.
- (iii) A Sports Talent Search Scholarships Scheme has been instituted for students in Schools and Colleges.
- (iv) Development of Sports and Games in Universities and Colleges is encouraged under the National Sports Organisation programme ; and
- (v) Opening of Regional Coaching Centres at various places has been approved under the revised National Coaching Scheme.

### औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान तथा इसका उद्योगों में लागू किया जाना

7415. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के दल ने सिफारिश की है कि औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान तथा औद्योगिक क्षेत्र में उसकी क्रियान्विति के बीच अन्तर को समाप्त किया जाना चाहिये;

(ख) क्या सरकार ने इस सिफारिश पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इसको स्वीकार करने का है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) वैज्ञानिक विभागों से सम्बन्धित अध्ययन दल द्वारा जनवरी, 1970 में प्रशासनिक सुधार आयोग को प्रस्तुत प्रतिवेदन के अध्याय VIII की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । इस प्रतिवेदन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

(ख) और (ग) : अध्ययन दल के प्रतिवेदन का उद्देश्य आयोग को स्वयं अपने निष्कर्षों पर पहुंचने में सहायता प्रदान करना है । आयोग को इस विषय पर सरकार को अपना प्रतिवेदन अभी प्रस्तुत करना है । इस अवस्था में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

**Delays in Taking Important Decisions**

7416. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that when Government have to taken an important decision on a file in respect of any case, the said case has to be approved by, or referred to for advice of, 42 Officers and one or two Ministers, while the number of the said Officers in case of Britain is 11, America 9, France 6 and Sweden 9 ;

(b) if so, whether advice and approval of 42 Officers is taken to check bungling ;

(c) if so, whether it is also a fact that the persons indulging in bungling get more time in case file is pending with so many Officers for such a long time ;

(d) whether Government propose to ensure that movement of a file, however important that might be, should be confined only to ten to twelve Officers at the maximum and to fix a limit of three months for a decision to be taken on the said file ; and

(e) whether Government propose to take action against the Officers responsible for delay or those who are hesitant or incapable of taking decision or those who try to shirk responsibility ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :**

(a) to (c) Important decisions often require a good deal of consultation, both intra-ministry, inter-ministry and in this process the relevant files have to be referred to all the concerned officers. The number of officers to be consulted depends on the nature of a particular case. Consultation with all concerned officers ensures sound decision-making, but does sometimes cause delay.

(d) The Administrative Reforms Commission has made certain recommendations regarding procedures of work and these are under consideration.

(e) Suitable action is taken against an officer for delays in disposal or unwillingness to assume responsibility, where such charges are proved.

**Reports of Administrative Reforms Commission**

7417. **Shri Bansh Narain Singh :**

**Shri S. A. Agadi :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri, had appointed the Administrative Reforms Commission ;

(b) if so, whether it is also a fact that the said Commission has almost completed its work and has submitted to Government its reports almost on all the matters referred to it ;

(c) if so, the suggestions made by the said Commission to streamline the administrative machinery of the Government of India particularly the working of the Ministry of Home Affairs ; and

(d) the time by which these reforms are proposed to be implemented ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :**

(a) and (b) Yes, Sir.

(c) Attention is invited to the Commission's report on "The machinery of the Government of India and its Procedures of work", copies of which were laid on the Table of the House on 13-11-1968. Attention is also invited to two other reports of the Commission.

ion which have a special bearing on the work of the Ministry of Home Affairs, one on the "Administration of Union Territories and NEFA" and the other on "Personnel Administration". Copies of the former were laid on the Table of the House on 20-2-1969, while those of the latter were placed in the Parliament Library.

(d) Some of the recommendations made by the Commission in its report on the Machinery of the Government of India and its Procedures of Work have been accepted by Government. The remaining recommendations in that report and the other two reports are receiving consideration.

### मार्च, 1970 के दौरान दिल्ली तथा नई दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

7418. श्री अदिचन :

श्री दे० अमात :

क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1970 के दौरान दिल्ली तथा नयी दिल्ली में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुईं और वे कहां-कहां हुईं और प्रत्येक दुर्घटना में मरे और घायल हुये व्यक्तियों के नाम तथा आयु कितनी थी और कितनी दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की मृत्यु दुर्घटना स्थल पर ही हो गई;

(ख) प्रत्येक मामले में ड्राइवरों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या कुछ दुर्घटनाओं के मामलों में ड्राइवरों को दोषमुक्त घोषित कर दिया गया, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कानून की किस धारा के अन्तर्गत उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया था ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

|                            |     |       |
|----------------------------|-----|-------|
| (1) बिना चोट की दुर्घटनाएं | —   | 367   |
| (2) चोट वाली दुर्घटनाएं    | —   | 275   |
| (3) घातक दुर्घटनाएं        | —   | 42    |
|                            |     | ----- |
|                            | कुल | 684   |
|                            |     | ----- |

6 चोट वाले और 47 व्यक्तियों की आयु सहित जो घातक दुर्घटनाओं में मरे, का ब्यौरा अनुबन्ध 1 में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3309/70] 275 चोटवाली दुर्घटनाओं में चोट खाये व्यक्तियों का ब्यौरा दिल्ली प्रशासन द्वारा समेकित किये जा रहे हैं और उसे यथासमय लोक सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) और (ग) 10 घातक दुर्घटनाओं में, चालक भाग गये। उनको खोजने का प्रयास जारी है। कुल 684 मामलों में से, 61 बिना चोट वाले और 22 चोट वाले मामलों पर अभी भी जांच हो रही है और 225 बिना चोट वाले और 60 चोट वाले मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि घटना आकस्मिक थी और चालकों पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता था। शेष 316 मामलों में कार्यवाही प्रगति पर है जैसा अनुबन्ध 2 में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3309/70]

**Beating of District Collector of Burdwan by Marxists**

7419. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the details of the incident in which the District Collector of Burdwan was beaten by Marxists in the presence of the Governor and the steps taken by Government in this regard?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : Facts are being ascertained from the State Government.

**क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद से बजट अनुमान**

7420. **श्री यशपाल सिंह** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद के बजट अनुमान अभी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा मंजूर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि कर्मचारियों को निर्धारित तिथि पर वेतन मिले ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० बी० के० आर० बी राव)** : (क) और (ख) 1970-71 के वर्ष के लिये स्टाफ के वेतन तथा भत्तों के लिये की गई अस्थायी व्यवस्थाएं क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद को बतला दी गई हैं। तथापि जैसा कि केन्द्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के उपनियम में अपेक्षित है, प्रयोगशाला की कार्यकारी परिषद् ने प्रयोगशाला के बजट प्राक्कलनों पर अभी तक विचार और सिफारिश नहीं की है।

(ग) 1 अप्रैल, 1970 को भुगतान किये जाने वाले मार्च, 1970 के वेतनों के लिये निधियां मार्च में ही भेज दी गई थीं; 4 लाख रुपयों की एक और राशि प्रयोगशाला को 8 अप्रैल, 1970 को हस्तांतरित कर दी गई थी तथा प्रयोगशाला को सलाह दी गई थी कि कार्यकारी परिषद् की बैठक बुलाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायं।

**Memorandum Regarding "Sahasi Balak"—A Text Book Prescribed by Delhi Administration for School Children**

7421. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Federation of Indian Women have submitted a memorandum to him in respect of "Sahasi Balak", a text book prescribed by the Delhi Administration for school children ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of Government in regard thereto and the action taken or proposed to be taken by them in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan)** : (a) A memorandum under reference was received. But "Sahasi Balak" is not a prescribed Text-book in Delhi Administration schools. It is one of the books recommended for study under the scheme of Moral Education by the Delhi Municipal Corporation.

(b) The President, National Federation of Indian Women, has alleged that some of the stories in the book 'Sahasi Balak' highlight feelings of communal disharmony among the school children.

(c) The matter is under examination of the Government.

**Criticism Against Text Book "Sahasi Balak" Prescribed by Delhi**

**Administration for Primary Schools**

7422. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a text-book "Sahasi Balak" has been prescribed for the Primary Schools run by the Delhi Administration ;

(b) whether it is also a fact that the impressionable minds of the children are vitiated by communal thought contained in the said text-book ;

(c) whether it is further a fact that the feeling of hatred and enmity against Muslims are sprad through the said book and, if so, whether Government propose to exclude the said book from the syllabus ; and

(d) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in this regard and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir. Under the scheme of Moral Education introduced in the Corporation Schools, 'Sahasi Balak' is one of the books which have been recommended for study.

(b) to (d) The Delhi Municipal Corporation have stated that the book does not generate feelings of communal/sectional hatred and enmity. However, on receipt of a reference from the National Federation of Indian Women, the matter is under examination of the Government.

**Plea for a Hotel in Public Sectors at Patna**

7423. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no Government hotel in Patna ;

(b) whether Government propose to open a good hotel in the public sector in Patna considering that it is an ancient city and a State Capital ; and

(c) if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : Yes, Sir.

(b) and (c) Due to construction of resources, there is no proposal at present with the Government of India for the construction of a public sector hotel in Patna.

**Government Hotels in Tourists Centres in Bihar**

7424. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) the number and names of tourist centres in Bihar ;

(b) whether it is a fact that there are no Government hotels in the said centres in Bihar at present and, if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government have formulated a scheme for setting up tourist hotels for the convenience of tourists ; and

(d) if so, the details thereof and the time by which Government propose to implement the said scheme ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :** (a) Tourist facilities have been provided by the Central Government or by the Central Government jointly with the State Government at Bodhgaya, Rajgir, and at Tilaya, Maithon and Bokaro. In addition, the India Tourism Development Corporation has established a Transport Unit for the benefit of tourists at Patna. During the Fourth Plan period, it is proposed to further develop the Bodhgaya, Rajgir and Nalanda complex and to construct a Reception Centre at Patna. Some facilities will also be provided at Vaishali.

(b) The only Public Sector Hotel in Bihar is owned by the Ministry of Railways in Ranchi. There is, however, a Travellers' Lodge at Bodhgaya, a Tourist Bungalow at Rajgir and Lower Income Group Rest Houses at Tilaya, Maithon and Bokaro.

(c) and (d) Due to constriction on resources, there is no plan at present to set up any hotels in the Public Sector in Bihar.

### 1969-70 में मनीपुर के यू० टी० विभागों द्वारा स्वीकृत धनराशि का वापिस किया जाना

7425. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969-70 के अन्त में मनीपुर सरकार के विभागों ने बड़ी मात्रा में स्वीकृत धनराशि वापिस लौटाई है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न विभागों ने विभागवार कितनी अप्रयुक्त धनराशि वापिस लौटाई ; और

(ग) उक्त धनराशि को वापिस लौटाने और उसका अवधि के अन्दर प्रयोग न करने के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) 1969-70 के अन्त तक मनीपुर सरकार के विभागों द्वारा 1,30,40,100 रुपये की धनराशि वापिस लौटायी गई थी ।

(ख) लौटायी गई धनराशि के विभागवार व्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ग) वचत के लिए विभागवार कारण इस प्रकार हैं :—

#### (I) राज्य व्यापार

| मूल अनुदान  | लौटाई गई धनराशि |
|-------------|-----------------|
| 2,42,69,000 | 1,16,81,600     |

वचत चावल और धान की सम्भावित खरीद से कम खरीद के कारण हुई क्योंकि अच्छी फसल हुई थी और हाथ में भारी मात्रा में स्टॉक था ।



## (II) बिजली

| मूल अनुदान | लौटायी गई धनराशि |
|------------|------------------|
| 90,00,000  | 8,00,000         |

बचत ट्रान्समिशन लाइन की संरचना के बारे में आसाम बिजली बोर्ड से कम विकल्पों की प्राप्ति के कारण हुई थी।

## (III) कृषि

| मूल अनुदान | लौटायी गई धनराशि |
|------------|------------------|
| 34,03,000  | 3,59,400         |

बचत मुख्यतः सम्भावित सीमा तक कुछ योजनाओं को हाथ में न लेने के कारण हुई जैसे पौधा-संरक्षण, भू-संरक्षण, आलू और सब्जी-विकास योजना, राज्य यांत्रिक फार्म तथा गहन कृषि कार्यक्रम।

## (IV) नागरिक सुरक्षा

| मूल अनुदान | लौटायी गई धनराशि |
|------------|------------------|
| 55,000     | 34,500           |

बचत रिक्तियों तथा एक एम्बुलेंस गाड़ी को न खरीदने के कारण हुई।

## (V) सहकारिता

| मूल अनुदान | लौटायी गई धनराशि |
|------------|------------------|
| 1,80,000   | 26,000           |

बचत नगण्य है और कुछ ग्रामीण समितियों को अंश पूंजी अंशदान के भुगतान न करने के कारण हुई थी।

## (VI) अकाल

| मूल अनुदान | लौटायी गई धनराशि |
|------------|------------------|
| 50,000     | 23,000           |

बचत सम्भावित सीमा तक परीक्षण राहत कार्यों को हाथ में न लेने के कारण हुई थी।

## (VII) सिविल सप्लाय

| मूल अनुदान | लौटायी गई धनराशि |
|------------|------------------|
| 2,35,000   | 29,400           |

## (VIII) श्रम

| मूल अनुदान | लौटायी गई धनराशि |
|------------|------------------|
| 4,05,000   | 19,300           |

## (IX) मोटर गाड़ियां

|            |                  |
|------------|------------------|
| मूल अनुदान | लौटायी गई धनराशि |
| 1,20,000   | 20,000           |

## (X) उद्योगों

|            |                  |
|------------|------------------|
| मूल अनुदान | लौटायी गई धनराशि |
| 19,25,000  | 18,100           |

## (X) आबकारी

|            |                  |
|------------|------------------|
| मूल अनुदान | लौटायी गई धनराशि |
| 1,58,000   | 19,000           |

## (XII) न्यायकरण

|            |                  |
|------------|------------------|
| मूल अनुदान | लौटायी गई धनराशि |
| 4,63,000   | 7,800            |

## (XII) आंकड़े

|            |                  |
|------------|------------------|
| मूल अनुदान | लौटायी गई धनराशि |
| 5,37,000   | 2,000            |

सभी उपरोक्त विभागों में बचत नगण्य है और या तो रिक्तियों या वस्तुओं की कम खरीद के कारण हुई थी।

## विवरण

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 7425 के भाग (ख) के  
उत्तर में उल्लिखित विवरण

| क्रम संख्या विभाग का नाम | 1969-70 में लौटायी गई धनराशि<br>रुपये |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. राज्य व्यापार         | 1,16,81,600                           |
| 2. बिजली                 | 8,00,000                              |
| 3. कृषि                  | 3,59,400                              |
| 4. नागरिक सुरक्षा        | 34,500                                |
| 5. सिविल सप्लाई          | 29,400                                |
| 6. सहकारिता              | 26,000                                |
| 7. अकाल                  | 23,000                                |
| 8. श्रम                  | 19,300                                |
| 9. मोटर गाड़ियो          | 20,000                                |
| 10. उद्योग               | 18,100                                |
| 11. आबकारी               | 19,000                                |
| 12. न्यायकरण             | 7,800                                 |
| 13. आंकड़ा               | 2,000                                 |
|                          | <hr/>                                 |
| कुल                      | 1,30,40,100                           |

### मनीपुर के एल० पी० स्कूल अध्यापकों की वरीयता

7426. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एल० पी० स्कूलों में मुख्य पंडितों की नियुक्ति के लिए एल० पी० स्कूल अध्यापकों की वरीयता निर्धारित करने के लिये वर्ष 1969 अथवा इसके आसपास एक परिपत्र जारी किया था;

(ख) क्या उस परिपत्र में सेवा अवधि तथा वरीयता की उपेक्षा की गई है और केवल वेतन-क्रम पर बल दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उसके बाद कई मुख्य पंडितों की पदोन्नति की गई है और सेवावधि में उनसे कनिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति हुई है; और

(घ) क्या मनीपुर, सरकार परिपत्र में संशोधन कर रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना मनीपुर प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

### मनीपुर के वाइखोंग ग्राम में आग

7427. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में वाइखोंग ग्राम में 23 मार्च, 1970 को आग लग जाने के कारण बहुत से मकान नष्ट हो गये थे;

(ख) क्या ग्रामवासियों को इससे बहुत अधिक हानि हुई थी; और

(ग) क्या प्रभावित परिवारों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) मनीपुर सरकार ने सूचित किया है कि 23-3-70 को मनीपुर के वाइखोंग ग्राम में आग लग जाने से 48 व्यक्तियों के 49 मकान नष्ट हो गये । पीड़ितों को राहत 780 रु० के मूल्य के राशन के रूप में दी गई थी । मनीपुर सरकार ने आग के 48 पीड़ितों को, प्रत्येक को 100 रु० की दर से (वस्तुओं के रूप में दी गई राहत समेत) 4,800 रु० की नकद राहत देना भी मंजूर किया है । अनुमान है कि आग से कुल क्षति एक लाख रुपये की हुई है ।

### मनीपुर सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान

7428. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6 मार्च, 1970 से केन्द्रीय वेतनमान लागू करने से मनीपुर सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में आये परिवर्तनों का व्यौरा क्या है;

(ख) यदि किन्हीं पदों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, तो वे कौन से हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान को लागू करने सम्बन्धी नई नीति

को लागू करने से मनीपुर सरकार के कर्मचारियों का वेतन का एक बार फिर पुनरीक्षण हो जायेगा और या तो भत्ता दरों में परिवर्तन हो जायेगा अथवा वर्तमान भत्तों के उपयोग में; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) मनीपुर सहित सभी संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्तों के केन्द्रीय प्रतिमान के अनुकरण करने का फैसला किया गया है। इस फैसले को अमल में लाने की दृष्टि से संघ राज्य क्षेत्रों में पदों के वेतन तथा भत्तों इत्यादि के सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री एकत्रित की जा रही है। उन पदों का निर्धारण, जिन पर केन्द्रीय प्रतिमान पर वेतन-संशोधन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, वर्तमान तथा संशोधित प्रतिमान पर वेतन तथा भत्तों की तुलनात्मक जांच पूरी हो जाने पर ही किया जायेगा।

#### मनीपुर सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि

7429. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार के अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मनीपुर सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 20 रुपये की वृद्धि की गई है और क्या केन्द्रीय वेतनमानों को बाद में लागू किये जाने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों को उक्त लाभों से वंचित रखा जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) मामले की जांच की जा रही है।

#### Extension of Priesthood to Communities Other than Brahmins.

7430. Shri Ramavtar Sharma :

Shri Shivkumar Shastri :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state : (a) whether it is a fact that the Government of Tamil Nadu have taken a decision that the priesthood should not be confined to the Brahmin community now as had been the case so far and that now the priests would be taken from all the communities;

(b) whether it is also a fact that the allurements of new education and employment opportunities have slashed down the number of priests performing religious rites and, if so, whether the Central Government also propose to adopt the said proposal and advise all the State Governments accordingly; and

(c) the time by which Government propose to take some steps in this regard and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :  
(a) to (c) Facts are being ascertained from the state government.

**Provision for Food and Milk for School Children**

7431. **Shri Ram Avtar Sharma :**

**Shri Atam Das**

**Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that under some schemes nutritious food, milk, etc., are being supplied free to school children in the various parts of the country ;

(b) the details of such schemes which are sponsored by the Government of India, State Governments and the international aid funds; and

(c) the amount spent in Ladakh under the said scheme during the last three years, year-wise?

**The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan):** (a) Yes, Sir.

(b) Under the Indo-CARE Agreement, mid-day meals programmes are being implemented in all States, except Assam, J&K & Nagaland. The number of beneficiaries at the end of 1969-70 was approximately one crore. The quantity of food per day per child is :

(a) C. S. M. / (Corn, Soya & Milk—3 oz) and oil ( .75 oz) or

(b) C. S. M. / Bulgar wheat (3 to 4 oz) oil (1/2 oz) or

(c) Milk (1 oz) or

(d) Milk (1 oz) + Wheat flour (1 oz) or

(e) Milk (1 oz) + Milk Bread (1 oz)

The feeding days are limited to 200 in a year. The size of each programme is determined by the States according to their needs and financial capabilities. While food commodities are provided free of cost, the administrative expenditure and transport costs in India are borne by the States.

(c) Nil, as there is no school feeding programme in the State of Jammu & Kashmir.

**गुरु रविदास जी के जन्म दिवस को राजपत्रित छुट्टी  
घोषित करने के बारे में मांग**

7432. **श्री बेणी शंकर शर्मा :**

**श्री कंवरलाल गुप्त :**

**श्री श्रीचन्द गोयल :**

**श्री सूरजभान :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी धर्मों के गुरुओं के जन्म दिनों को राजपत्रित छुट्टी घोषित कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जाति के लोगों और उनके संगठनों द्वारा बार-बार अनुरोध / अभ्यावेदन करने के बावजूद भी गुरु रविदास जी के शुभ जन्म दिवस को राजपत्रित छुट्टी घोषित नहीं किया गया है;

(ग) अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध उक्त भेदभाव करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में गुरु रविदास जी के जन्म दिवस को राजपत्रित छुट्टी घोषित करने का है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपभन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ग) जी नहीं, श्रीमान् । अतः अनुसूचित जातियों के विरुद्ध भेदभाव का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) इस दिन छुट्टी नहीं होती है किन्तु इसे 1958 से वैकल्पिक छुट्टियों में शामिल किया गया है ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् । छुट्टियों की वर्तमान संख्या को बढ़ाना सम्भव नहीं है क्योंकि अधिक छुट्टियों से लोक-कार्य के निष्पादन पर असर पड़ेगा ।

### आसाम में पाकिस्तानी घुसपैठिये

7433. श्री एन० शिवप्पा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से दिसम्बर, 1969 की अवधि में आसाम राज्य में घुसने वाले पाकिस्तानी घुसपैठियों की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा इन पाकिस्तानी घुसपैठियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1969 तक की अवधि में 2477 पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का असम में अवैध रूप से घुसने का पता लगाया गया, उनमें से 386 पुनः प्रवेश करने वाले घुसपैठिये थे ।

(ख) सीमा सुरक्षा दल की व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और सीमा बाहरी चौकियों को ऐसे स्थानों पर पुनः स्थापित किया गया है ताकि सीमा की गश्त बार-बार की जा सके । इसके अतिरिक्त, नये तथा पुराने घुसपैठियों का पता लगाने के लिये पूरी सतर्कता बरतने हेतु सीमाओं और इस समस्या से प्रभावित राज्य के भीतरी क्षेत्रों में पुलिस की निगरानी चौकियों का जाल बिछा है ।

### कश्मीर घाटी में पुलों को आग लगाने का प्रयास

7434. श्री एन० शिवप्पा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विनाशकारी तत्वों ने हाल में कश्मीर की घाटी में झेलम नदी पर बने जैनाकादल तथा कानीकादल पुलों में आग लगाने का प्रयत्न किया था;

(ख) क्या गैर-कानूनी गतिविधियों की इस नई लहर के पीछे किन्हीं विदेशी हाथों का पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार हाल में ऐसे कोई प्रयास नहीं किये गये हैं । अगस्त, 1969 में श्रीनगर में झेलम पर जैनाकादल और कानीकादल पुलों को जलाने तथा हानि पहुँचाने के प्रयास की खबर थी । बताया गया है इन प्रयासों में किसी विदेशी हाथ होने का पता नहीं लगा है ।

(ग) सरकार सावधान है ।



## Foreign Aid to Anand Marg

7435. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 867 on the 21st November, 1969 regarding foreign aid to Anand Marg and state :

(a) whether the required information about the foreign aid to Anand Marg has since been collected;

(b) if so, the details thereof ;and

(c) if not, the reasons therefor and the time by which the requisite information is expected to be laid on the Table of the House ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidhya Charan Shukla) :**

(a) Yes Sir.

(b) Government have no evidence regarding the foreign assistance] received by Anand Marg.

(c) Does not arise.

**मिजो पहाड़ी क्षेत्र में मजदूरों की मजूरी का भुगतान न किया जाना**

7436. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजो पहाड़ी क्षेत्र के जोमन तथा कुछ अन्य क्षेत्रों के लोगों से सुरक्षा सेनाओं के लिए उनके द्वारा की गई बेगार के लिए उनके मंत्रालय को मजूरी के भुगतान न किये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि सरकार द्वारा उन पर कोई कार्यवाही की गई हो तो वह क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

**राजनीतिक नेताओं के लिए पुलिस संरक्षक**

7437. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राजनीतिक नेताओं (मंत्रियों के अलावा) के लिये पुलिस संरक्षकों की व्यवस्था की गई है;

(ख) उक्त राजनीतिक नेताओं के नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में पुलिस संरक्षकों की व्यवस्था किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस व्यवस्था पर कुल कितना खर्च आता है और उसमें से कितना खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) से (घ) जब कभी राजनीतिक नेताओं तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन को खतरा होता है तो उनके लिए सुरक्षात्मक प्रबन्ध सम्बन्धित राज्यों द्वारा किये जाते हैं । ऐसे प्रबन्ध या तो दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन होते हैं और

प्रत्येक मामले की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हैं। सुरक्षा प्रबन्धों पर खर्च राज्यों द्वारा विधि तथा व्यवस्था प्रबन्धों के एक भाग के रूप में वहन किया जाता है। ऐसे नेताओं की संख्या अथवा नाम प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

**Need for Delhi-Bombay Route Via Jaipur, Bundi  
and Kota Being Declared as National Highway**

7438. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi-Bombay route via Jaipur, Bundi and Kota is the shortest route and there are towns en route where petrol and boarding facilities are also available for the passengers, but Government are not declaring it a National Highway ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

**The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh)** : (a) and (b) No, Sir. The proposed route via Bundi and Kota is not the shortest route connecting Delhi and Bombay. The two existing National Highways No. 3 via Agra-Gwalior-Indore and No. 8 via Jaipur-Udaipur and Ahmedabad connecting Delhi and Bombay are comparatively shorter in distance and adequately serve the area.

**Dilapidated Condition of Hangar at Kota Aerodrome  
(Rajasthan)**

7439. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the hangar at Kota aerodrome has been lying in a dilapidated condition for the last 7-8 months ;

(b) if so, the reasons for which the same is not being rebuilt ;

(c) whether it is also a fact that the capacity of the old hangar is very limited ; and

(d) whether Government propose to increase its capacity ?

**The Minister of Tourism & Civil Aviation (Dr. Karan Singh)** : (a) The hangar at Kota aerodrome was badly damaged in May 1969 in an unusually heavy storm.

(b) It would not be economical to repair the hangar as a new one is not required.

(c) The floor area of the hangar was 20,979 square feet.

(d) It is not proposed to construct a hangar at Kota as there is no demand for hangar accommodation from any of the airlines.

**Dalmia Air Service Operating at Kota (Rajasthan)**

7440. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Dalmia Air Service operates in Kota (Rajasthan) ;

(b) if so, the reasons for which Government have not taken over the said service and the aerodrome ;

(c) whether it is also a fact that this route is most convenient for the persons going to Bombay ; and

(d) if so, the reasons for which it has been left in the private sector ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :** (a) No, Sir. However, M/s. Jamair operate Dakota aircraft on the route New Delhi-Jaipur-Kota-Jodhpur and return, on a non-scheduled basis.

(b) and (d) Kota aerodrome is maintained by the Civil Aviation Department. Since the airfield is not suitable for operation by F-27 type of aircraft belonging to Indian Airlines, Government have permitted a private airline to operate on this route on a non-scheduled basis.

(c) No, Sir. The route to Bombay via Kota is not as convenient as the direct route to Bombay.

#### Development of Kota and Bundi in Rajasthan as Tourist Centres

7441. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are many attractive spots in Kota and Bundi in Rajasthan, such as Boroli, Geparya, Mahadev, Bundi Ka Qila, Boor Mahadev, Rameshwar, etc., where thousands of people go daily for sight seeing ; and

(b) if so, whether it is proposed to develop these spots as Tourist Centres ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :** (a) and (b) Government are aware of the several attractive places in Kota and Bundi, but due to limited resources are not at present in a position to take up their development as tourist centres.

#### कलकत्ता रेस कोर्स के निकट किहूरपुर में ट्रामों की दुर्घटना

7442. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 मार्च, 1970 को कलकत्ता रेस कोर्स के निकट किहूरपुर में दो ट्रामों के टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने का कोई समाचार प्राप्त हुआ था और इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना में कितमें व्यक्ति मरे या घायल हुये; और

(ग) इस सम्बन्ध में की गई जांच का व्यौरा क्या है ?

**संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :** (क) से (ग) सूचना पश्चिम बंगाल सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे लोक सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

#### विश्वविद्यालयों के ढांचे में परिवर्तन

7443. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विश्वविद्यालयों के ढांचे में आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता का

अध्ययन करने के बारे में सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं, और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) :** (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में ऐसी किसी समिति की नियुक्ति नहीं की है। किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के अभिशासन के लिये एक समिति नियुक्त की है। आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1970 के अंत तक दे देगी।

#### **पश्चिमी बंगाल में जोतेदारों द्वारा कृषकों पर गोली चलाया जाना**

7444. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस मामले की कोई जांच की गई थी जिसमें 2 मार्च, 1970 की जोतेदारों द्वारा चांदीपुर (पश्चिम बंगाल) में कृषकों पर गोली चलाये जाने के कारण 6 व्यक्ति मर गये थे और अनेक घायल हो गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन जोतेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) और (ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

#### **Submission of Progress Reports Under the Hindi Training and Implementation Scheme**

7445. **Shri Narain Swaroop Sharma :** **Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that each Ministry has to submit quarterly half-yearly reports under the Hindi Training and Implementation Scheme ;

(b) if so, the number of sections in various Ministries where noting and drafting work is being done in Hindi, as per the four quarterly reports submitted by each Ministry for the year 1969 ;

(c) whether Government propose to issue orders to all the Ministries of the Government of India to do the entire administrative work relating to Class III and Class IV employees in Hindi ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :**  
(a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

| Period  | Statement | No. of Sections of various Ministries/<br>Departments in which Hindi is<br>being used for noting and<br>drafting in varying<br>proportions. |
|---|-----------|---|
| 1. Quarterly Report ending<br>March, 1969     |           | 176   |
| 2. Quarterly Report ending<br>June, 1969      |           | 183   |
| 3. Quarterly Report ending<br>September, 1969 |           | 215   |
| 4. Quarterly Report ending<br>December, 1969  |           | 219   |

(c) and (d) Since both Hindi and English can be used for union official work under the Official Languages Act, 1963 all Government employees are free to use Hindi or English for official work. All general orders including those relating to Class III and IV employees are required to be issued both in Hindi and English. Replies to letters received from them in Hindi are given in that language.

#### Transport Problem in Delhi

7446. **Shri Narain Swaroop Sharma :** Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is an acute transport problem in the metropolitan cities like Delhi ;

(b) whether it is also a fact that the transport in all the metropolitan cities like Delhi has been nationalised ;

(c) whether it is further a fact that the high officials of the Delhi Transport Undertaking, who go to their place of duty by cars, do not feel concerned about the harassment and inconvenience experienced by the common masses ;

(d) if so, whether Government propose to amend the relevant rules and make it compulsory for the Officers of the Delhi Transport Undertaking to travel by the D. T. U. buses while going to, and returning from, their place of duty ; and

(e) if so, by when and, if not, the reasons therefor ?

**The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) :** (a) There has been a shortage of buses in Delhi to meet the transport requirements. Steps are being taken by the D. T. U. to bring additional buses into use.

(b) Yes.

(c) No.

(d) No.

(e) The proposal is not feasible.

पश्चिम बंगाल में हत्या, आक्रमण अथवा आगजनी के मामले में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध वारंट जारी करना

7447. श्री रा० कृ० बिड़ला : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री-यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में ऐसे अनेक व्यक्ति फरार हैं जिनके विरुद्ध हत्या अथवा आक्रमण अथवा आगजनी के मामलों में सहभागिता के कारण वारंट जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा के पश्चात् ऐसे कितने मामलों में वारंट जारी किये गये थे और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(ग) राष्ट्रपति शासन की घोषणा के पश्चात् राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये सरकार द्वारा तुरन्त क्या कार्यवाही की गई थी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक

7448. श्री रा० कृ० बिड़ला :

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक बुलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब और उसकी बैठक किस स्थान पर होगी; और

(ग) राष्ट्रीय एकता परिषद् की श्रीनगर में हुई प्रथम बैठक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफल रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफारिशों के कार्यान्वयन को बताने वाला एक विवरण लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2841 के उत्तर में 13 मार्च, 1970 को सदन के पटल पर रखा गया था ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के पुलिस विभाग द्वारा संचालित निधियां

7449. श्री के० आर० गणेश : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार पुलिस विभाग पुलिस अधीक्षक के अधीन विभिन्न प्रकार की सरकारी, सरकारी तथा गैर-सरकारी निधियों का संचालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन विभिन्न प्रकार की निधियों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है तथा उनके



पास कितनी राशियां हैं और क्या इन राशियों को श्रेणीवार बैंक अथवा डाक घर में जमा किया गया था;

(ग) क्या उक्त राशियों में से कोई राशि पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में रखी तिजोरी में रखी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है तथा क्या वह राशि हाल में उस इमारत में जिस में पुलिस अधीक्षक का कार्यालय स्थित है, हाल में लगी आग में नष्ट हो गई थी ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3310/70]

(ग) और (घ) पुलिस मन्दिर समिति निधि की 375 रुपये की एक धनराशि, जो पुलिस उप अधीक्षक (सी० आई० डी०) के कार्यालय की एक लोहे की आलमारी में रखी गई थी, उस आग से नष्ट हो गई जिसके द्वारा 1/2 मार्च, 1970 की रात्रि को बिल्डिंग जल कर राख हो गई थी।

#### अन्दमान तथा निकोबार पुलिस विभाग की कल्याण निधि

7450. श्री के० आर० गणेश : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार पुलिस विभाग के पास जमा निधि तथा सहायता निधि नामक निधियां थीं;

(ख) यदि हां, तो इन दो निधियों में कुल कितनी राशि थी तथा वह कहां जमा थी;

(ग) क्या इन निधियों का संचालन किन्हीं नियमों तथा उपनियमों के अन्तर्गत किया जाता था और क्या इनके लेखों की लेखा परीक्षा की गई थी ; और

(घ) क्या इन दोनों निधियों को मिलाकर एक कल्याण निधि बना दी गई है; और यदि हां, तो किन उपबन्धों के अन्तर्गत तथा किसके आदेशानुसार ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) अन्दमान प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2 नवम्बर, 1969 को अन्दमान पुलिस विभाग में सहायक निधि तथा (ii) ऋण एवं जमा निधि के नाम से दो निधियां थीं।

(ख) 2 नवम्बर, 1969 को सहायक निधि में 55,946,12 रुपये की परिसम्पत्ति तथा ऋण एवं जमा खाते में 2,65,779,33 रुपये की परिसम्पत्तियां थीं। इन दोनों निधियों की परिसम्पत्तियां डाकखाने, स्टेट बैंक, राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाण-पत्र / राष्ट्रीय रक्षा प्रमाण पत्र स्टेट बैंक में सावधि निक्षेप खाता तथा सरकारी प्रामिसरी नोटों में जमा थी। कुछ नकद धन भी हाथ में था।

(ग) सहायता निधि और ऋण तथा जमा निधि को नियन्त्रित करने वाले नियम और उप-नियम थे। सहायता निधि के खातों की लेखा परीक्षा 1967-68 तक हो चुकी थी। ऋण तथा जमा-निधि के खातों की लेखा परीक्षा 1954 से नहीं हुई थी।

(घ) 3 नवम्बर, 1969 को सम्पूर्ण सहायता-निधि तथा ऋण और जमा निधि के एक भाग

को मिला कर पुलिस कल्याण निधि के नाम से एक नई निधि बना दी गई जिसके नियम अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अनुमोदित थे।

### केन्द्रीय सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगें

7451. श्री बाल्मीकि चौधरी :

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने धमकी दी है कि यदि उनकी मांगें न मानी गईं, तो वे आन्दोलन आरम्भ कर देंगे ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मांगों का व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की एसोसिएशन यह मांग करती रही है कि शैक्षिक रूप से अर्हक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये पृथक् की गई केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेना में निम्न श्रेणी लिपिक की श्रेणी में दस प्रतिशत रिक्तियाँ केवल वरिष्ठता के आधार पर भरी जायें, न कि विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, जैसा कि सरकार ने निश्चय किया है। इस मांग पर विचार किया गया किन्तु उसे स्वीकार न किया जा सका। फिर भी प्रथम दो परीक्षाओं के लिये ऊपरी आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष (अनुसूचित जाति / अनुसूचित आदिम जाति के लिये 50 वर्ष) कर दिया गया था। प्रथम परीक्षा यथा नियत 2 अप्रैल, 1970 को ली गई।

### Recommendations of Hindi Adviser Regarding Pay Scales of Hindi Assistants

7452. Shri Hardayal Devgun : Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No.3644 on the 20th March, 1970 regarding posts of Hindi Translators in Ministries and state :

(a) with reference to the reply given to part (c) of Unstarred Question No. 8721 on the 26th April, 1968 regarding Hindi Advisory Committee whether necessary action has been taken on the advice of the Hindi Adviser to the Government of India that the pay scales of the Hindi Assistants should be higher than those of other Assistants (English) because the translation work is more difficult than the noting and drafting, and additional qualifications are required for doing the translation work ;

(b) if so, whether the post of Hindi Assistants and new translators that are to fall vacant have been kept in the pay-scale of Rs. 210-425 on account of the anti-Hindi attitude of the senior and senior-most officers of his Ministry;

(c) if not, whether it is proposed to enhance the pay-scales of these posts of Hindi Assistants that have been kept alive, to Rs. 325-575 ; and

(d) if so, the date from which it is proposed to be done and, if not, the reasons for ignoring the advice of the Hindi Adviser ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :**  
 (a) Instructions were issued in November, 1968, to all the Ministries that no new post of Hindi Assistant should be created and whenever any existing post of Hindi Assistant falls vacant, it should be abolished. For Hindi translation work the required number of posts of Hindi Translators on appropriate scales of pay could be created by the Ministries concerned according to their needs. The usual scales of pay for Translators are Rs. 210-425 and Rs. 325-575. The latter is higher than the scale of pay of Secretariat Assistants.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Posts of senior Translators in the scale of Rs. 325-575 are created by Ministries/Departments according to the requirement of work.

#### **Examination for Appointment of Section Officers**

7453. **Shri Hardayal Devgun:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3642 on 20 March, 1970 regarding examination for appointment of Hindi Officers and state :—

(a) Whether it is a fact that the employees working in the Attached offices, which are not included in the Central Secretariat Services, are also allowed to appear in the limited examination for the appointment of Section Officers;

(b) the reasons for such a distinction specially when the employee, of the said offices have got their own avenues of promotion ;

(c) whether it is also a fact that the employees of some Subordinate Offices of the Government of India (except Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology, were also allowed to appear in the said examination ;

(d) from which offices the Hindi Teachers and the Supervisors who were allowed to appear in the said examination, had submitted certificates regarding their experience in translation work; and

(e) the reasons for not holding the examinations on the same principles for appointment to posts for Hindi and English work which carry the same pay—scales ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :**

(a) No, Sir.

(b) The question is not quite clear. However, if the reference is to the Section Officers' Grade limited competitive examination, the question does not arise.

(c) The reference probably is to the written test held by Union Public Service Commission in July 1969 for recruitment to the posts of Hindi officers/Hindi Supervisors. If so, the required information has already been laid on the Table of the House in reply to parts (a) and (b) of Unstarred Question No. 2899 on 13th March, 1970.

(d) The requisite certificate on the application of Hindi Teachers and Supervisors under the Hindi Teaching Scheme was issued by the Ministry of Home Affairs.

(e) As already stated in reply to parts (c), (d), (e) and (f) of Unstarred Question No. 3642 on 20th March, 1970, the recruitment to various posts under the Government is made according to the Recruitment Rules applicable to them. The method of recruitment could be different for different posts, though in similar pay-scales, depending upon various factors like type and nature of post, job requirements, etc.

**Recruitment Rules for Hindi Officers and Others.**

7454. **Shri Hardayal Devgun :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3645 on the 20th March, 1970 regarding recruitment rules for Hindi officers and Hindi Supervisors and state :

(a) whether it is a fact that in its Judgment the court has recognised no distinction between the subordinate and Attached offices of the Government of India and treated them at par with all the offices of the Government of India ;

(b) if so, whether the Hindi Officers, Hindi Assistants and Hindi Translators of the Ministry of Education would be given their due places in the Joint seniority list of the Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology ; and

(c) if so, from which date and, if not the reasons therefor?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :**

(a) In their judgment, the Honble High Court of Delhi have, inter alia, observed that the subordinate Offices are as much a part of the Ministry/Department as are the Attached Offices and that the Court cannot think of any intelligible differentia to place Attached offices and Subordinate offices into different and mutually exclusive classes ;

(b) and (c) The implications of the judgment are under examination in consultation with the Ministry of Law and the Union Public Service Commission.

**पश्चिम बंगाल से भारतीय प्रशासनिक सेवा / भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को वापस बुलाना**

7455. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि बङ्गला कांग्रेस ने भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय सिविल सेवा के कुछ अधिकारियों को उनके राजनैतिक दलगत दृष्टिकोण के कारण पश्चिम बंगाल से वापस बुलाने की केन्द्र से मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) बंगला कांग्रेस के सचिवालय ने 27 मार्च को पारित एक संकल्प में कहा था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा सवंगों के पश्चिम बंगाल में नियुक्त कृष्ण अधिकारी स्थानीय दलगत राजनीति में अन्तर्ग्रस्त हैं और उन्होंने राजनीतिक दलों के हित में कार्य किये हैं । उसने भारत सरकार से उन अधिकारियों को पश्चिम बंगाल से वापस बुलाने तथा उन्हें अन्यत्र नियुक्त करने का अनुरोध किया था ।

(ख) इस सम्बन्ध में 17-4-70 को तारांकित प्रश्न सं० 1055 के इस सदन में दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

**Foreign Wives of Indian Officers.**

7456. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Indian military or civil officer has to obtain the permission of Government to marry a foreign girl ;

(b) the names and number of those Indian high officials who married Pakistani girls with the permission of the Government of India ;

(c) the number of those Officers who married Pakistani girls without the permission of the Government of India ; and

(d) the action taken by Government against such Officers ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :**

(a) Members of the Armed Forces and Civilian Officers belonging to the Indian Foreign Service are alone required to obtain the permission of the Government before marrying a foreign lady.

(b) to (c) In so far as Officers of the Armed Forces are concerned the information is being collected and will be laid on the Table of the House. No Officers belonging to the Indian Foreign Service other than Shri J. F. Naegamwala, an Officer belonging to the Section Officer's Grade of the Indian Foreign Service (Branch 'B') has married a Pakistani lady. Shri Naegamwala had obtained Government's prior permission for the marriage and the lady has since acquired Indian Citizenship.

### **Annual Confidential Reports of Hindi Officers**

#### **Hindi Assistants and Hindi Translators**

7457. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Annual Confidential Reports of the Hindi Officers, Hindi Assistants and Hindi Translators in various Ministries and attached Offices are written by those Officers who neither possess any knowledge of Hindi nor any work done by the said employees is submitted to them, except the note for permission for late sitting ;

(b) if so, the number of aforesaid categories of employees whose work is not seen by any high Officer ;

(c) whether it is also a fact that some of the employees among them were not given promotion during the last few years for the reason that they had not been given good reports by the Under Secretary (Administration) or Deputy Secretary (Administration) ;

(d) if so, the names of such persons as also their scales of pay and the dates of their appointment to the post ; and

(e) whether Government propose to waive the condition of confidential report in respect of those employees whose work is not submitted to higher Officers ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :**

(a) No such instance has come to the notice of the Ministry of Home Affairs.

(b) Does not arise.

(c) and (d) No such information is available with the Ministry of Home Affairs.

(e) Does not arise, in view of reply to part (a) of the Question.

### **लोहिया विश्वविद्यालय की स्थापना**

7458. **श्री शिवचन्द्र भा :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार (डा० राम मनोहर लोहिया) विश्वविद्यालय स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और



(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अपने अपने क्षेत्रों में विश्वविद्यालय स्थापित करना मुख्यतः राज्य सरकारों पर निर्भर करता है।

### राष्ट्रीय स्वस्थता दल के महानिदेशक की नियुक्ति

7459. श्री स० मो० बनर्जी : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्वस्थता दल के महानिदेशक की नियुक्ति निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय स्वस्थता दल के वर्तमान महानिदेशक की नियुक्ति विशेष परिस्थितियों में तदर्थ आधार पर छः महीनों के लिये की गई थी और उन्हें 2½ वर्षों से अधिक समय तक पद पर बने रहने दिया गया है;

(ग) क्या सरकार भर्ती के लिये नियमों से हट गई, और यदि हां, तो उन्हें विशेष लाभ देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या नियमित रूप से नियुक्त करके सरकार उस पद पर किसी अन्य व्यक्ति को लगाने के लिये कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) से (घ) राष्ट्रीय स्वस्थता दल के महानिदेशक की नियुक्ति उक्त पद के लिये निर्धारित भर्ती के नियमों के अनुसार ही की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग की मंजूरी से ही नियुक्ति समय-समय पर तदर्थ आधार पर जारी रखी गई क्योंकि राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों का राज्यों में विकेन्द्रीकरण का प्रश्न सदा से ही सक्रिय रूप से विचाराधीन रहा है। चूँकि केन्द्रीकरण की प्रक्रिया निकट भविष्य में ही पूरी होने की सम्भावना है, अतः वर्तमान पदधारी के पद में कोई भी तबदीली वांछित नहीं समझी जाती।

### स्वतन्त्रता सेनानी

7460. श्री वि० नरसिम्हाराव : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजनीतिक पीड़ितों को स्वतन्त्रता सेनानी मानने का निर्णय किया है;

(ख) वर्ष 1969 में स्वतन्त्रता सेनानियों को कितना अनुदान दिया गया; और

(ग) वर्ष 1969 में किस-किस स्वतन्त्रता सेनानी को कितना-कितना अनुदान दिया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।



(ख) और (ग) : 1969-70 में 503 स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वेच्छानुदान से 2, 34, 900 रु० की राशि प्रदान की गई। हमारी यह प्रथा रही है कि लाभ पाने वालों के नाम प्रकट न किये जाएं ताकि वे सम्भावित परेशानियों से दूर रह सकें।

**सूर्य ग्रहण का अध्ययन करने के लिये मैक्सिको भेजे गये  
भारतीय वैज्ञानिक**

7461. श्री वि० नरसिम्हाराव : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड़्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 मार्च, 1970 को वीरा कूज से पूर्ण सूर्य ग्रहण का अध्ययन करने के लिये मौसम विज्ञान विभाग ने एक दल मैक्सिको भेजा था;

(ख) यदि हां, तो उन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं जो मैक्सिको गये थे;

(ग) उनके दौरे पर कितना धन खर्च किया गया; और

(घ) इन वैज्ञानिकों को कितनी सफलता प्राप्त हुई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड़्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त दल में कोडेकनाल खगोल-भौतिकी वेधशाला के निदेशक, डा० एम० के० वेणु, बाप्पु और सहायक निदेशक, श्री जे० सी० भट्टाचार्य सम्मिलित थे।

(ग) लगभग 67,600/-रुपये।

(घ) इन वैज्ञानिकों ने सौर कान्तिचक्र के उच्च वियोजन चित्र प्राप्त किये जिनसे कान्तिचक्रीय चापों तथा सौर कान्तिचक्र की अन्य विरचनाओं के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान में मूल्यवान सूचना की अभिवृद्धि होगी। वर्णक्रमलेखी द्वारा पश्चिमी पाद से आर्क के कुछ 'मिनट' परे के कान्तिचक्र का एक उत्कृष्ट वर्णक्रम चित्र प्राप्त किया गया। इससे विभिन्न सूर्यचित्रीय विक्षेपों के लिए कान्तिचक्र के उत्तेजन अभिलक्षणों को समझने में सहायता मिलेगी। प्रेक्षणा उपकरण का डिजाइन और निर्माण पूर्णतः कोडेकनाल वेधशाला में किया गया था।

**Percentage of Scheduled Castes and Scheduled  
Tribes in Service of West Bengal Government**

7462. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the latest details regarding the number and percentage of employees and Officers belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other castes in the Service of the Government of West Bengal, separately, Ministry-wise, department-wise and category-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : Required information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

**Reservation Quota for S. C. & S. T. for Posts of  
Post-Graduate Teachers in Delhi Administration**

7463. Shri Malahu Prasad : Will the Minister of Education and Youth Services be

pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3694 on the 20th March, 1970 regarding the reservation quota for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the post of Post-Graduate teachers in the Delhi Administration and state.

(a) the number of selected Scheduled Castes and non-Scheduled Castes Post-Graduate teachers who have been appointed so far by the Delhi Administration ;

(b) the time up to which the panel of the selected Post-Graduate teachers is likely to continue ;

(c) the reasons for which no Post-Graduate teachers from amongst those selected has so far been appointed ; and

(d) whether Government propose to form of a new panel after holding fresh interview in future and, if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) :** (a) to (d) The requisite information is being collected from the authorities concerned and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

#### **“Naveen” Type Coolers Purchased by Education Ministry.**

7464. **Shri J. Sunder Lal :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 961 on the 21st November, 1969 regarding Naveen Type coolers purchased by Education Ministry and state :

(a) the date on which, the source through which and the officer who invited the tenders and the number of coolers for which certificates were issued by the C. P. W. D.

(b) the date on which the said coolers manufacturing company or factory was set up the details of experience it has in this field, the amount of its initial capital investment and whether it was duly licensed for the manufacturing of coolers ; and

(c) whether a large number of complaints had been received about the working of those coolers and, if so, the nature of action taken thereon ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) :** (a) Tenders for the installation of coolers were invited by the competent authority in the Ministry on 20.1.1968 from various firms in the field, through the normal channel of official letters. All the coolers were inspected and certified by the C. P. W. D.

(b) This Ministry has no information as to when the factory was set up, its initial capital investment or whether it was licensed for the manufacturing of coolers. As regards their experience, while submitting their tender, the firm had submitted certificates from two parties with regard to their satisfactory performance in the field.

(c) There were some complaints about the performance of the coolers which were due to inadequate supply of electricity and water. With the removal of these faults, coolers have been functioning without any complaint.

#### **चण्डीगढ़ में सड़क दुर्घटनायें**

7465. **श्री श्रीचन्द्र गोयल :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ में सड़क दुर्घटनायें बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967, 1968, 1969 तथा 1970 में कितनी सड़क दुर्घटनायें हुईं;

और

(ग) बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) यह अभिनिश्चित किया गया है कि चन्डीगढ़ में दुर्घटनाओं की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) दुर्घटनाओं के आंकड़े निम्न प्रकार सूचित किये गये हैं :—

| वर्ष              | दुर्घटनाओं की संख्या |
|-------------------|----------------------|
| 1967              | 109                  |
| 1968              | 102                  |
| 1969              | 113                  |
| 1970 (31-3-70 तक) | 39                   |

(ग) दुर्घटनाओं के आपात को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए गये कदम नीचे दिये गये

- (1) उन प्रमुख चौराहों पर जहां यातायात अधिक है, प्रकाश सिग्नल लगा दिये गये हैं,
- (2) कुछ सड़कों चौड़ी कर दी गई हैं और यातायात सिपाही के लिए उपयुक्त प्लेटफार्म बना दिये गये हैं,
- (3) यातायात नियमों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए यातायात कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से चलते फिरते गस्त लगाये जा रहे हैं,
- (4) अधिक रफ्तार का पता लगाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा रफ्तार जाल बिछाया गया है,
- (5) सभी चौराहों पर यातायात सिपाही यातायात के विनियमन के लिए तैनात किये गये हैं,
- (6) आम बैठकों और छपे हुए इस्तिहारों के वितरण के जरिये यातायात नियमों के बारे में जनता को शिक्षित किया जाता है,
- (7) जनता को चेतावनी देने के लिए सभी सड़कों पर गति सीमा पटल और अन्य यातायात चिन्ह पटल लगा दिये गये हैं,
- (8) चालन जांच को अधिक शक्ति कर दिया गया है,
- (9) यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों का चालान किया जाता है।

पर्यटन विभाग में तृतीय श्रेणी के क्लर्कों के पदों के लिए  
भर्ती करने का ढंग

7466. श्री गार्डिलिंगन गौड : क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन विभाग में तृतीय श्रेणी के क्लर्कों के पदों के लिये भर्ती किस ढंग से की जाती है;

(ख) 1969 में इन पदों पर कितनी नियुक्तियां की गयीं;

(ग) क्या ये सभी नियुक्तियां भर्ती के निर्धारित ढंग के अनुसार की गई थीं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन तथा ग्रसैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) पर्यटन विभाग में श्रेणी III के क्लर्कों के पदों के लिये भर्ती गृह मंत्रालय के विशेष 'सेल' से अतिरिक्त घोषित किये गये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में से और वहां से कर्मचारी न मिलने पर रोजगार कार्यालय से भेजे गये व्यक्तियों में से की जाती है।

(ख) 14.

(ग) एक के अतिरिक्त अन्य सभी नियुक्ति भर्ती के लिये निर्धारित प्रणाली के अनुसार की गई।

(घ) कार्य के हित में एक नियुक्ति अस्थायी आधार पर सीधे की गई। नियुक्त किया गया व्यक्ति स्थानीय रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड था।

#### **भूतपूर्व संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में पुलिस कर्मचारियों को बर्खास्त करना**

7467. श्री समर गुह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की भूतपूर्व संयुक्त मोर्चा सरकार के गृह विभाग ने पश्चिम बंगाल पुलिस संघ के मंत्री तथा कुछ अन्य पुलिस कर्मचारियों को मनमाने तौर पर तथा संक्षेप्ततः नौकरी से बर्खास्त कर दिया था;

(ख) क्या ये साम्यवादी दल (मार्क्सवाद) द्वारा चलाये गये पश्चिम बंग नानगजेटेड पुलिस कर्मचारी संघ, नामक एक समकक्ष पुलिस संघ स्थापित करने के लिये आधार तैयार करने के हेतु की गई थी; और

(ग) क्या सरकार बर्खास्त किये गये पुलिस अधिकारियों तथा साधारण पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिये एक न्यायिक अथवा प्रशासनिक समिति नियुक्त करेगी और इस संघ जांच के निष्कर्षों के आधार पर संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा इनके विरुद्ध जल्दी में लिये गये निर्णय का यथास्थिति पुनरीक्षण अथवा उसकी पुष्टी करेगी ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) से (ग) अपेक्षित सूचना पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

#### **वेस्ट बंगाल पुलिस एसोशियेशन को अनर्ह करार देना और पश्चिम बंगाल अराजपत्रित पुलिस कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान करना**

7468. श्री समर गुह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पिछली संयुक्त मोर्चा सरकार ने वेस्ट बंगाल पुलिस एसोशिएशन को अनर्ह करार दिया गया था और 'पश्चिम बंगाल अराजपत्रित पुलिस कर्मचारी संघ' नामक हाल में गठित पुलिस संगठन को मान्यता प्रदान की गई थी;

(ख) क्या 'कर्मचारी संघ' एक दलगत है जिसे साम्यवादी (मार्क्सिस्ट) दल के एक विधान सभाई सदस्य श्री प्रलय तालकदार ने संगठित किया है जबकि वेस्ट बंगाल पुलिस एसोशियेशन को जो पश्चिम बंगाल पुलिस का जनरल एसोशियेशन है राज्य के अधिकाधिक पुलिसमैनो की निष्ठा प्राप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या वेस्ट बंगाल पुलिस एसोशियेशन को पुनः मान्यता प्रदान की जायेगी;

(घ) क्या इस नव निर्मित पुलिस कर्मचारी संघ ने 11 मार्च, 1970 अथवा उसके आसपास इस आशय का एक सार्वजनिक वक्तव्य जारी किया था कि संयुक्त मोर्चा सरकार गिरने पर पुलिस चुपचाप बैठी नहीं रहेगी;

(ङ) यदि हां, तो इस राज्य के पुलिस प्रशासन में पुनः अनुशासन कायम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

#### प्राथमिक शिक्षा के लिये मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता

7469. श्री गं० च० दीक्षित : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक स्कूलों के लिये मध्य प्रदेश के लिए कितनी वित्तीय सहायता नियत की गई है; और

(ख) यदि कोई राशि नियत नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (श्री बी० के० आर० बी० राव) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यों की योजनाओं को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का स्वरूप राष्ट्रीय विकास परिषद् ने मंजूर किया है। उपमें पूर्ण योजना को मिलने वाला कुल ऋण और अनुदान शामिल होता है। राज्य की योजना में शामिल किसी एक योजना के लिए केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती। प्राथमिक शिक्षा के लिए कोई केन्द्रीय योजना भी नहीं है। इस लिए यह बताना सम्भव नहीं है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश को प्राथमिक शिक्षा के लिए कितनी सहायता दी गई है।

तथापि प्राथमिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए, उसके लिए राज्यों की योजना में निश्चित राशि तय करने का निश्चय किया गया है और इस राशि को किसी अन्य कार्य में लगाने पर केन्द्रीय सहायता में कटौती कर दी जायेगी। मध्य प्रदेश की 1970-71 की योजना में प्राथमिक शिक्षा के लिए एक करोड़ रुपये का परिच्यय निश्चित किया गया है।

**Proposal to Attract more Tourists to Madhya Pradesh**

7470. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state the programmes proposed to be undertaken by the Tourist Department in Madhya Pradesh with the co-operation of the Air India and the Travel Agents with a view to attracting more tourists to Madhya Pradesh ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :** Tourist Offices of the Department as also travel agents and Air India include important tourist centres such as Khajuraho in Madhya Pradesh in their promotional activities.

**दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की इमारतों  
में चल रहे कालेजों के लिये नई इमारतें**

7471. **श्री बलराज मधोक :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध कई कालेजों, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिये बनाई गई इमारतों में चल रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में कई उच्चतर माध्यमिक स्कूल अब भी अस्थायी शैडों तथा ऐसी अन्य कच्ची इमारतों में लगते हैं; और

(ग) यदि हां, तो आरम्भ में स्कूलों के लिये बनाई गई इमारतें सम्बन्धित स्कूलों को देने तथा कालेजों के लिये नई इमारतें बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) :** (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रायोजित 11 कालेजों को राजकीय उच्चमाध्यमिक स्कूलों के लिये बनाये गये भवनों में चलाया जा रहा है ।

(ख) 278 राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में से 14 पूर्वनिर्मित भवनों में हैं । 1969-70 के दौरान काफी स्कूलों में लगभग 60 नलिकाकार कैची इमारत सायबान (चार कमरों वाले अस्थायी सायबानों) की व्यवस्था की गई है ताकि तम्बुओं के प्रयोग को समाप्त किया जा सके । इन स्कूलों में बिजली और पंखों की भी व्यवस्था की गई है । यह जगह स्कूलों में पहले ही से प्रयोग में आ रहे पक्के भवनों के अतिरिक्त है ।

(ग) अधिकांश कालेजों को कालेज भवनों के निर्माण के लिये भूमि का आबंटन पहले ही कर दिया गया है । दिल्ली प्रशासन द्वारा, कालेजों की शासी निकायों और प्रिंसिपलों से निर्माण कार्य को शीघ्रता से शुरू करने का अनुरोध किया गया है, जिसके लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और दिल्ली प्रशासन से निर्धारित पद्धति के अनुसार सहायता उपलब्ध है । कुछ कालेजों ने, भवन निर्माण की अपनी-अपनी आयोजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है और आशा है कि वे अपने भवनों को एक या दो वर्ष में पूरा कर लेंगे ।

**पश्चिम दिल्ली में एक सार्वजनिक पुस्तकालय की मांग**

7472. **श्री बलराज मधोक :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :



(क) क्या यह सच है कि सारी पश्चिम दिल्ली में कोई सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम दिल्ली की बस्तियों में रह रहे 5 लाख लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नजफगढ़ मार्ग पर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की एक शाखा अथवा एक स्वतंत्र पुस्तकालय खोलने के लिये सरकार से बार-बार अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वहां पर एक पुस्तकालय खोलने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (श्री बी० के० आर० बी० राव) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां । नजफगढ़ रोड के आगे बसी कालोनियों में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की शाखाएं खोलने के लिए समय-समय पर मांग आती रही है ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम दिल्ली में एक रीजनल लाइब्रेरी शुरू करने का बोर्ड का प्रस्ताव है और इस के लिए नजफगढ़ रोड और रिंग रोड के चौराहे पर उसने 1. 47 एकड़ का एक जमीन का टुकड़ा अधिग्रहीत कर लिया है ।

#### इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा खरीदे जा रहे विमानों के क्रय मूल्य

7473. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

श्री हिम्मत सिंहका :

क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मार्च, 1970 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित इंडियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष के उस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि बोइंग विमान खरीदने का, जिन्हें इस समय अमरीका से खरीदा जा रहा है, निर्णय 1½ वर्ष पूर्व लिया गया होता, तो उस का क्रय मूल्य काफी कम होता; और

(ख) यदि हां, तो विलम्बित निर्णय के लिए सरकार को कितना अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा ?

**पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) जी, हां । यह बात चेयरमैन ने वाणिज्यिक विमानों की कीमतों में विश्वव्यापी वृद्धि के संदर्भ में कही थी ।

(ख) बोइंग कम्पनी द्वारा 1968 के शुरू में उद्धृत की गयी 737-200 विमान की मूल कीमत 40.94 लाख डालर (3.07 करोड़ रुपये) थी, जबकि जिस मूल कीमत पर इंडियन एयरलाइन्स अब ये विमान खरीद रही है, वह पहले चार विमानों के लिये प्रति विमान 43.19 लाख डालर (3.24 करोड़ रुपये) है तथा शेष तीन विमानों के लिये 43.79 लाख डालर (3.28 करोड़ रुपये) प्रति विमान है ।

**श्री ज्योति बसु के जीवन का अन्त करने के लिये किये गये यत्न के पश्चात्  
पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन तथा हड़तालें**

7475. श्री दे० अमात : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य के भूतपूर्व उपमुख्य मंत्री, श्री ज्योति बसु के जीवन का अन्त करने के लिये पटना में किये गये यत्न के पश्चात् उस राज्य में हुए प्रदर्शनों, हड़तालों तथा बंधों का ब्यौरा क्या है और उनमें कितने व्यक्ति मारे गये, घायल हुए तथा कितनी सम्पत्ति की क्षति हुई;

(ख) उस राज्य में विधि तथा व्यवस्था की नवीनतम स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

**विदेशी जासूसों की गतिविधियों को रोकने के लिए विधान**

7478. श्री बृज भाषण : श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :  
 श्री कंवरलाल गुप्त : श्री बंश नारायण सिंह :  
 श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार विदेशी जासूसों की गतिविधियों को रोकने के लिये विधान बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) शासकीय भेद अधिनियम, 1923 के उपबन्धों की पर्याप्तता का सतत पुनरीक्षण किया जाता है और जब परिवर्तन आवश्यक समझे जायेंगे, संशोधन करने के लिए उपयुक्त विधान बनाया जाएगा ।

#### **Murder of Shri Baldev Singh of Himachal Pradesh**

7479. Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Onkar Lal Berwa :  
 Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 940 on the 27th February, 1970 regarding murder of Shri Baldev Singh and state :

(a) whether Government propose to investigate through the electrical experts or the Government of Himachal Pradesh has already made such an investigation that when there is any fault in the electricity system at any place, the Electricity Department immediately gets the information ;

(b) whether it is a fact that no fault in electricity was recorded in the local Electricity Department on the date on which Shri Baldev Singh is alleged to have been electrocuted in the flour mill of Shri Milkhi Ram ;

(c) whether Government propose to re-investigate the matter to ascertain that a fictitious story of death by electrocution has been created in order to conceal the reality ; and

(d) if not, the details of electric fault recorded on that date ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :  
 (a) to (d) This information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

### कलकत्ता पत्तन में माल की चोरी की घटनाएँ

7480. श्री बीरेन्द्र कुमार शाह : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 19 मार्च 1970 के 'इकनामिक्स टाइम्स' में 'माल की चोरी से पंजाब के एककों को हानि' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब के छोटे उद्योगों पर कलकत्ता पत्तन से निर्यात तथा आयात होने वाले माल की बड़े पैमाने पर चोरी होने से विपरीत प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या वे इस मामले की आवश्यक जांच करावेंगे और चोरी की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये उचित कार्यवाही करेंगे ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) सरकार को यह विदित नहीं है कि पंजाब के छोटे उद्योगों पर कलकत्ता पत्तन में माल की चोरी से विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । परन्तु यह बताया जा सकता है कि कलकत्ता पत्तन आयुक्त माल की चोरी रोकने के लिए सतत सतर्कता बनाये रखता है । पत्तन प्राधिकारियों का एक पहरा और निगरानी संगठन है और इसके अलावा राज्य सरकार का एक पृथक पत्तन पुलिस बल भी है ।

### पर्यटन के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम केन्द्र

7481. श्रीमती सुधा बी० रेड्डी : क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, कि :

(क) वर्ष 1969 में कितने केन्द्रों में पर्यटन के प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे; और

(ख) सरकार ने प्रत्येक केन्द्र पर कितना धन व्यय किया और कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया ?

पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1969 के दौरान भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, औरंगाबाद, जयपुर, आगरा और वाराणसी में पर्यटक सूचना पाठ्यक्रमों का, और मद्रास तथा बम्बई में गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया ।

| (ख) | केन्द्र   | प्रशिक्षित व्यक्तियों<br>की संख्या | व्यय की गई राशि<br>रुपये |
|-----|-----------|------------------------------------|--------------------------|
|     | दिल्ली    | 131                                | 12,968.00                |
|     | कलकत्ता   | 60                                 | 2,558.00                 |
|     | मद्रास    | 68                                 | 5,934.22                 |
|     | बम्बई     | 118                                | 4,106.45                 |
|     | औरंगाबाद  | 25                                 | 1,400.00                 |
|     | जयपुर     | 40                                 | 1,686.72                 |
|     | आगरा      | 50                                 | 2,527.00                 |
|     | वाराणसी   | 33                                 | 1,774.62                 |
|     | कुल योग : | 525                                | 32,955.01                |

डेनियल वालकाट से बच निकलने का सामान पकड़ा जाना

7482. श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री रामावतार शर्मा :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में डेनियल वालकाट भारी पुलिस के पहरे के दिल्ली लाया गया था;

(ख) क्या पुलिस ने वालकाट को हिरासत में लेने से पूर्व उसकी तलाशी ली थी;

(ग) यदि हां, तो तिहाड़ जेल के जेलर ने उससे बच निकलने का सामान कैसे बरामद किया; और

(घ) क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और अपराधियों को दंड देगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री ( श्री विद्याचरण शुक्ल ) : (क) से (घ) डेनियल एच वालकाट को 25 मार्च, 1970 को बम्बई पुलिस के पहरे में दिल्ली न्यायालयों में मुकदमे के लिए बम्बई जेल से स्थानांतरण कर दिल्ली सेंट्रल जेल में लाया गया था। तिहाड़ जेल में अभियुक्त की निजी तलाशी पर उससे बच निकलने का एक सामान बरामद हुआ। महाराष्ट्र सरकार से उन परिस्थितियों की जांच करने, जिसके अन्तर्गत उससे पहले बच निकलने का सामान बरामद नहीं किया जा सका, तथा कानून के अधीन अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

राजस्थान में पर्यटन

7483. श्री केवल किशोर शर्मा : क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967, 1968 और 1969 में राजस्थान में कुल कितने पर्यटक गये और देश में पर्यटक यातायात की तुलना में इनका अनुपात कितना है;

(ख) गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिये अवस्थापना का विकास करने के लिये कितना धन व्यय किया गया है और समूचे भारत में हुए व्यय की तुलना में इसका अनुपात कितना है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के लिये कितना धन नियत किया गया है और किन स्थानों पर तथा किस प्रकार इस धन को व्यय किया जायेगा ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) पर्यटन विभाग केवल विदेशी पर्यटकों के बारे में आंकड़े रखता है, जो कि अखिल भारतीय आधार पर रखे जाते हैं न कि राज्यवार आधार पर। तथापि, पर्यटन विभाग की ओर से हाल ही में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में से क्रमशः 10.2 प्रतिशत, 1.8 प्रतिशत और 0.3 प्रतिशत पर्यटक जयपुर, उदयपुर और अजमेर जाते हैं। इस आधार पर गत तीन वर्षों में इन स्थानों पर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या कुछ इस प्रकार बनेगी :—

|      | आनेवाले पर्यटकों<br>की कुल संख्या | पर्यटकों की संख्या |                   |                  |
|------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|      |                                   | जयपुर<br>के लिये   | उदयपुर<br>के लिये | अजमेर<br>के लिये |
| 1967 | 179565                            | 18320              | 3230              | 540              |
| 1968 | 188820                            | 19260              | 3400              | 570              |
| 1969 | 244724                            | 24960              | 4400              | 730              |

(ख) एक विवरण संलग्न है। पहली पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। पर्यटन योजनाओं के लिये धन विनियतन राज्यवार आधार पर नहीं, परन्तु पर्यटन स्थलों के पर्यटकों के लिये वास्तविक अथवा संभावित आकर्षण को ध्यान में रख कर किया जाता है।

(ग) जयपुर-भरतपुर-डींग काम्प्लेक्स में पर्यटन सुविधाओं की अभिवृद्धि के लिये 5 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। जयपुर में लगभग 2.5 लाख रुपये की लागत से एक युवा होस्टल के निर्माण का भी प्रस्ताव है। भरतपुर पक्षी शरणस्थान में आवास और परिवहन सुविधायें, और सारिस्का आखेट पशु चरण स्थान में परिवहन सुविधायें भी प्रदान की जा रही हैं। जयपुर और उदयपुर में भी सुविधाओं में अभिवृद्धि की जायेगी। इसके अतिरिक्त, भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा जयपुर में एक होटल के निर्माण की तथा उदयपुर में लक्ष्मी विलास पैलस होटल के विस्तार की योजना है।

**विश्वविद्यालयों तथा स्टेट बैंक द्वारा कामर्स में नेशनल डिप्लोमा को मान्यता**

†7383. श्री यशपाल सिंह :

श्री गजराज सिंह राव :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने भारत सरकार के नेशनल डिप्लोमाधारियों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं; और यदि हाँ, तो उसके क्या विशेष कारण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्टेट बैंक ने परिवीक्षाधीन अधिकारी परीक्षा, 1966 के लिये नेशनल डिप्लोमा (कामर्स) को मान्यता नहीं दी और प्रभावित व्यक्तियों को बदलने में अतिरिक्त अवसर नहीं दिया गया;

(ग) क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर, विशेषतः नेशनल डिप्लोमाधारियों के लिये, पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिये वित्तीय सहायता देने से सरकार ने इन्कार कर दिया है ;

(घ) सरकार नेशनल डिप्लोमा ( कामर्स ) छात्रों की गम्भीर समस्या का स्थायी हल किस प्रकार निकालना चाहती है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) :** (क) दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के लिये नेशनल डिप्लोमा (कामर्स) को विश्वविद्यालय की बी० काम० डिग्री के बराबर नहीं माना है। तथापि एक अस्थायी अध्यादेश (1968) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय ने नेशनल डिप्लोमा प्राप्त विद्यार्थियों के लिये एक विशेष व्यवस्था की है कि या तो वे विश्वविद्यालय की बी० काम० डिग्री परीक्षा में बैठें या दोनों ही मामलों में शैक्षणिक सत्रों के पाठ्यक्रम को पूरा कर एम० कौम० के लिये प्रवेश परीक्षा दें।

(ख) नेशनल डिप्लोमा (कामर्स) की 1966 में स्टेट बैंक ने प्रोबेशनरी आफिसर्स परीक्षा के लिये मान्य योग्यताओं की सूची में शामिल नहीं किया था। जिन लोगों ने इस परीक्षा के लिये आवेदन पत्र नहीं भेजा था उनके साथ भेदभाव न हो, इसलिये जिन नेशनल डिप्लोमाधारियों ने 1966 में आवेदन पत्र भेजे थे उन पर विचार नहीं किया गया। 1966 के बाद इस स्थिति को ठीक कर दिया गया, तथापि 1966 की परीक्षा में इस योग्यता को शामिल न करने के लिए नेशनल डिप्लोमाधारियों को कोई रियायत नहीं दी गई।

(ग) जी, नहीं। स्नातकोत्तर पत्राचार पाठ्यक्रम चालू करने के लिये, विशेष कर नेशनल डिप्लोमाधारियों के लिये, विश्वविद्यालय से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यह योजना अभी भी विश्वविद्यालय के विचारधीन है।

(घ) बहुत ने भारतीय विश्वविद्यालयों ने नेशनल डिप्लोमा को एम० कौम० में प्रवेश देने के लिये बी० कौम० के बराबर मान्यता प्रदान कर दी है। उन विश्वविद्यालयों में अपनी एम० कौम० की पढ़ाई पूरी करने में नेशनल डिप्लोमाधारियों को कोई कठिनाई नहीं है।

**अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के स्कूलों में**

**अध्यापक विद्यार्थी अनुपात**

7484. श्री के० आर० गणेश : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों,



सीनियर बेसिक स्कूलों तथा प्राथमिक विद्यालयों में अलग-अलग अध्यापक-विद्यार्थियों का अनुपात कितना है;

(ख) वर्ष 1967, 1968 और 1969 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या थी;

(ग) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान के अध्ययन के लिये क्या व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या विज्ञान के अध्यापकों की कमी है; और

(ङ) इन पदों पर नियुक्ति करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1:20 सीनियर बुनियादी स्कूलों में 1:23 प्राथमिक स्कूलों में 1:24 ।

(ख) उत्तीर्ण प्रतिशतता

1967-68 में 55

और

1968-69 में 45

(ग) उच्च माध्यमिक स्कूलों में अध्यापन के लिये, विज्ञान विषयों में स्नातक और उत्तर स्नातक अध्यापकों को नियुक्त किया गया है । प्रयोगशालाओं को विज्ञान उपस्करों से सज्जित किया गया है । आठ उच्च माध्यमिक स्कूलों में से चार में विज्ञान विषयों के अध्यापन की व्यवस्था है । निकोबार में विद्यार्थियों की संख्या फिलहाल विज्ञान शुरू करने के लिये पर्याप्त नहीं है, किन्तु निकोबार विद्यार्थियों के लिये पोर्ट ब्लेयर में छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(घ) जी हां, विशेष रूप से वरिष्ठ अध्यापकों की ।

(ङ) मुख्य भूमि के प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों में पदों को विज्ञापित किया गया था और रोजगार कार्यालयों तथा भारतीय विश्वविद्यालयों के विज्ञान संकायों से अनुरोध किया गया था । आवेदन-पत्र कम प्राप्त होने के कारण, इन रिक्त पदों को फिर से विज्ञापित किया जा रहा है ।

**कट्यूरी राजधानी के स्थान के बारे में खोज**

7485. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुमाऊं क्षेत्र में ऐसी कुछ खोजें हुई हैं जो कट्यूरी राजवंश की राजधानी कट्यूरी, जिन्होंने छठी शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक देश के उस भाग में शासन किया था, के स्थान की रहस्यमयता पर प्रकाश डालते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) इससे देश के इतिहास के इस अन्तराल का कहां तक पता चलेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहाननारा जयपाल सिंह) : (क) कुमाऊं-गढ़वाल क्षेत्र के पूर्व कट्यूरी शासकों (सर्का 8 वीं-10 वीं ईसवी शताब्दी) के प्रमुख नगर काति-

केपापुर नामक शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, जो कि अल्मोड़ा जिले की कत्यूरी घाटी में स्थित बैजनाथ (गरुपा) के साथ पहले ही शिनाख्त कर ली गई है। सुमिक्षापुर और ब्रह्मपुर के अन्य प्रमुख नगरों में से, सुमिक्षापुर को, एक कत्यूरी शासक, राजा सुमिक्षा राजदेव द्वारा कार्तिकेपापुर के निकट बनाये गये नये नगरों में एक के रूप में शिनाख्त की गई है।

हाल ही में प्रकाशित समाचारों के अनुसार, डी० एस० बी०, राजकीय डिग्री कालेज, नैनीताल के छात्रों की एक टोली का कुमाऊं क्षेत्र की प्राचीन राजधानियों के स्थान मालूम करने के लिये कत्यूरी घाटी का अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण करने का विचार है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त टोली के खोजों के व्यौरों की सरकार को जानकारी नहीं है।

### विदेशी धर्म-प्रचारकों की गतिविधियां

7486. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशी धर्म-प्रचारकों से यह कहने का निर्णय किया है कि वे क्रमबद्ध रूप से अपना कार्य समाप्त कर दें ;

(ख) क्या सरकार की यह नीति है कि वह किसी भी हालत में विदेशी धर्म-प्रचारकों को नये स्थानों पर नये केन्द्र खोलने की अनुमति नहीं देगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि भागलपुर जिला (बिहार) में कटोरिया पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत एक दूरस्थ तथा अगम्य पहाड़ी क्षेत्र में एक विदेशी धर्म-प्रचारक द्वारा एक नया केन्द्र खोला गया है और वह संदिग्ध ढंग से स्थानीय अनभिज्ञ संथाल लोगों का धर्म परिवर्तन करने के अतिरिक्त समाज-विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो नये केन्द्रों को खुलने से रोकने के लिये तथा ऐसे धर्म-प्रचारकों की गतिविधियों को दबाने के लिये सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो क्या ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। फिर भी, सरकार की भारत में विदेशी मिशनों का क्रमिक भारतीयकरण करने की नीति है।

(ख) सरकार की नीति यह है कि भारत में काम कर रहे विदेशी मिशन अथवा समितियों को बिना अनुमति प्राप्त किये नया केन्द्र नहीं खोलना चाहिये।

(ग) कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी बिहार सरकार से पूछ-ताछ की गई है जिनका उत्तर अपेक्षित है।

(घ) यदि बिना अनुमति के कोई नया केन्द्र खोला जाता है तो सरकार उन सुविधाओं के लिये इन्कार कर सकती है जो केन्द्र के लिये उससे मांगी जायं। जब कभी कोई विदेशी धर्म-प्रचारक अवांछनीय गतिविधियों के लिये ध्यान में आता है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त कानून के अधीन कार्यवाही की जाती है।

### सहायकों की तालिका को पुनः प्रवर्तित करने का प्रस्ताव

7487. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1959-60 की अनुभाग अधिकारी परीक्षा में न लिये गये सहायकों की तालिका को पुनः प्रवर्तित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्राक्कलन समिति ने सिद्धान्ततः ऐसी तालिका के निर्माण पर आपत्ति की थी ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने समिति को यह आश्वासन दिया था कि यह तालिका किसी भी स्थिति में 5 वर्ष से आगे, जो 30 सितम्बर, 1968 को समाप्त होती है, नहीं बढ़ाया जायेगा ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इसके बाद होने वाली परीक्षाओं में न लिये गये अभ्यर्थियों को कोई रियायत नहीं दी गई थी यद्यपि उन्होंने 1959-60 की परीक्षा में न लिये गये अभ्यर्थियों के 55 प्रतिशत अंक की तुलना में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे ; और यदि हां, तो इस भेदभाव का औचित्य क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

#### विवरण

अनुभाग अधिकारियों की श्रेणी में अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के अनुसार लिया जाता है जिनमें अन्य बातों के साथ व्यवस्था है कि प्रोन्नति पदों का एक निश्चित प्रतिशत 30 सितम्बर, 1967 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों की अवधि के लिये 1959 और 1960 में ली गई सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के न लिये गये अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित रखा जायेगा । पूर्वानुमानित रिक्तियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुये यह निश्चय किया गया कि 1959 तथा 1960 की परीक्षाओं के न लिये गये वे अभ्यर्थी, जिन्होंने 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये थे, उनके लिये सुरक्षित कोटा में खपा लिये जायें । पांच वर्ष की अवधि में 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले न लिये गये अभ्यर्थियों में से कुल 94 व्यक्तियों को पदोन्नत करना सम्भव हुआ और पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर 1960 की परीक्षा के 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले न लिये गए 51 व्यक्ति शेष बचे जिन्हें खपाया न जा सका । 1960 की परीक्षा के न लिये गये 51 अभ्यर्थियों के शेष रहने का कारण यह था कि 1963 से 1966 के दौरान केवल 4 परीक्षाएं ली गईं और 1967 में कोई परीक्षा न ली जा सकी । अतः पांच वर्षों की अवधि में पांच के स्थान पर केवल चार चयन सूचियां जारी की जा सकीं । न लिये गये अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित कोटा के लिये उपलब्ध प्रोन्नति पदों की संख्या भी पूर्वानुमानित सीमा तक नहीं पहुंची ।

2. तृतीय लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने अप्रैल, 1966 में प्रस्तुत अपनी 93वीं रिपोर्ट में कहा :—

“समिति समझती है कि यह रियायत 30 सितम्बर, 1967 से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी ।

वे इस बात पर बल देते हैं कि इस असाधारण रियायत की पुनरावृत्ति नहीं की जानी चाहिये क्योंकि यह जटिलताओं से परिपूर्ण है और उन व्यक्तियों के लिये लाभप्रद नहीं है जो पदोन्नति से अथवा

बाद की प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से अनुभाग अधिकारियों की श्रेणी में नियुक्त किये जाते ।”

सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे कि 1960 की परीक्षा के न लिये गये शेष अभ्यर्थियों को भी जो 30 सितम्बर, 1967 को न खपाये जाने के कारण शेष रहे, केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों के वर्तमान उपबन्धों को सितम्बर, 1967 से आगे बढ़ाकर खपा लिया जाय । 1960 के न लिये गये इन शेष अभ्यर्थियों को खपाने में न लिये गये अभ्यर्थियों के किसी नये वर्ग के लिए इस रिआयत की पुनरावृत्ति अन्तर्ग्रस्त नहीं है । कानूनी दृष्टिकोण से भी इसे उचित ठहराया गया है । इन विचारों को ध्यान में रखते हुये 1960 के न लिए गये उन शेष अभ्यर्थियों को, जिन्होंने 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये थे, खपाने का प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विचाराधीन है ।

3. 1959 तथा 1960 की परीक्षाओं के न लिये गये उन अभ्यर्थियों को, जिन्होंने 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये थे, यह रिआयत इसलिए दी गई थी क्योंकि यह महसूस किया गया था कि इन दो परीक्षाओं का प्रतियोगितात्मक स्वरूप सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को पर्याप्त स्पष्ट नहीं था । उनके बाद की परीक्षाओं के मामले में अभ्यर्थियों को पर्याप्त रूप से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि ये प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं न कि ग्रहक परीक्षाएं, यह कि परीक्षा के परिणामों के आधार पर चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का निश्चय करना पूर्णतया सरकार की क्षमता के भीतर होगा तथा यह कि इसलिए इन परीक्षाओं में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किये जाने के लिये किसी अभ्यर्थी का कोई हक नहीं होगा । प्राक्कलन समिति की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुये बाद की परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिये इस रिआयत की पुनरावृत्ति भी आपत्तिजनक होगी । अतः भेद-भाव का प्रश्न नहीं उठता ।

#### सेवा काल के आधार पर सहायकों की पदोन्नति

7488. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेवा काल के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों की सिविल सूची में उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखे बिना, पदोन्नति के लिये कोई कोटा निर्धारित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित किए गये वरिष्ठता सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार हैं;

(ग) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने ऐसा कोटा निर्धारित किये जाने के विपक्ष में राय व्यक्त की है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस वेतनमान में अधिक सेवा काल वाले तथा सिविल सूची में नीचे रखे गये वे सहायक हैं जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी भी स्थायीकरण / पदोन्नति परीक्षा में सफल नहीं हो सके हैं; और

(ङ) क्या कम योग्यता वाले सहायकों की अनुभाग अधिकारी के वेतनमान में पदोन्नति के लिये ऐसा कोटा निर्धारित करने का अर्थ अकार्यकुशलता के लिये इनाम देना तथा इनाम कर्मचारियों को निरुत्साहित करना नहीं होगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सदस्यों की शिकायतों की जांच करने तथा उपचारीय उपाय सुझाने के लिये सरकार द्वारा स्थापित समन्वय समिति ने अनुभाग अधिकारी ग्रेड में उन पदों पर पदोन्नति का कोटा निर्धारित करने की सिफारिश की थी जो एक विशिष्ट काल के लिये उन सहायकों द्वारा भरे जायेंगे जिन्होंने उस ग्रेड में लम्बी सेवा की हो। यह सिफारिश संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से सरकार के विचाराधीन है।

(घ) यह आवश्यक नहीं है कि वे सहायक जिन्होंने उस ग्रेड में लम्बी सेवा की है तथा वरिष्ठता सूची में जिनकी स्थिति बहुत नीची है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्थायीकरण। पदोन्नति की किसी परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहे हों।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

### मैसूर में हुबली में हवाई अड्डा

7489. श्री स० अ० अगड़ी : क्या पर्यटन तथा असेैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि एक हवाई अड्डे का निर्माण करने के लिये मैसूर राज्य में धारवाड़ जिले में हुबली के निकट एक स्थान का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है और उस पर अनुमानतः कितना व्यय किया जायेगा ; और

(ग) क्या इस योजना को चौथी योजना में शामिल किया गया है ?

पर्यटन तथा असेैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) नागर विमानन विभाग के एक तकनीकी सर्वेक्षण दल ने हुबली के समीप एक स्थान का अनन्तिम रूप से विमान क्षेत्र निर्माण के लिये चयन किया है। एच० एस-748 विमानों के परिचालन के लिये उपयुक्त एक विमान क्षेत्र के निर्माण पर भूमि अभिग्रहण के लिये 10 लाख रुपये सहित लगभग 45 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है।

(ग) जी, नहीं। धन की कमी और अन्य उच्च प्राथमिकताओं द्वारा प्रतिबद्ध होने के कारण, विभाग की चौथी योजना में इस प्रायोजना के लिये कोई धन उपलब्ध नहीं है।

### Officers of The Ministry of Home Affairs Invited by Ford Foundation and Asia Foundation

7490. Shri Swami Brahmanandji : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of high Officers of his Ministry invited by the Ford Foundation and the Asia Foundation to America during the last three years along with their names and other details ;

(b) the number of officers invited with family and the period for which each officer stayed there with family and without family, separately ;

(c) the names of the Ministries and other Departments where the said officers were posted as Official Training Incharge etc. on their return to India and the number out of them retained in the Ministry ; and

(d) the details of the difference in their efficiency after receiving special training from the Ford Foundation and the reaction of Government in regard thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :**  
 (a) The particulars of officers of the Ministry of Home Affairs who were deputed to the United States of America during the financial years 1967-68, 1968-69 and 1969-70, and whose deputation was financed from funds provided by the Ford Foundation, are shown in the accompanying statement. The deputations were approved by Government having regard to their value and need for them : none of the officers was invited by the Ford Foundation.

No deputation was financed by Asia Foundation.

(b) No funds were provided by the Ford Foundation to meet the cost of travel of the family of any of these officers nor was any such family invited by the Ford Foundation.

(c) The officers returned to the assignment that they held before proceeding on deputation.

(d) The knowledge acquired by these officers during their visits abroad has, on their return, been applied by them in their respective fields.

#### Statement

| S. No. | Name of Officers     | Designation and Office where working.                       |
|--------|----------------------|---|
| 1.     | Shri S. S. Dhanoa    | Deputy Director, National Academy of Admn. Mussorie.        |
| 2.     | Shri B. R. Kalra     | Research Officer, Office of the Registrar General of India. |
| 3.     | Shri K. D. Ballal    | Deputy Registrar General, Census.                           |
| 4.     | Shri K. F. Rustamji  | Director General, Border Security Force.                    |
| 5.     | Shri K. Ramamurti    | Deputy Director, Border Security Force.                     |
| 6.     | Shri R. S. Rathore   | Deputy Director, Border Security Force.                     |
| 7.     | Shri P. R. Rajgopal  | Deputy Director, Border Security Force.                     |
| 8.     | Shri A. K. Gosh      | Officer on Special Duty (Police, Ministry of Home Affairs). |
| 9.     | Shri B. C. Mathur    | Joint Secretary, Ministry of Home Affairs.                  |
| 10.    | Shri B. Venkataraman | Joint Secretary, Ministry of Home Affairs.                  |
| 11.    | Shri V. V. Chari     | Secretary, Administrative Reforms Commission.               |

#### Training Given to Officers of Home Ministry Invited by Ford Foundation and Asia Foundation

7491. **Shri Swami Brahmanandji :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the courses completed by those high officers of his Ministry who had been called by the Ford Foundation and the Asia Foundation in America for special training during the last three years ;

(b) whether those officers were given training by the American Officers of high ranks or by clerks ;



(c) if the aforesaid Indian Officers had been given training by the Officers of the Universities in America, whether it was not possible to send these Indian Officers back to the Indian Universities again ; and

(d) the reaction of the Government of India thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affair (Shri Vidaya Charan Shukla) :**

(a) The particulars of study done and training undergone by officers of the Ministry of Home Affairs who were deputed to the United States of America during the financial years 1967-68, 1968-69 and 1969-70, and whose deputation was financed from the funds provided by the Ford Foundation, are shown in the accompanying statement [Placed in Library see no. Lt- 3311/70] No Deputation was financed by the Asia Education.

In their study and training, the officers were assisted and guided by experts at appropriate levels in their respective fields.

(c) and (d) Training has been provided to improve the expertise of the officers in their respective fields so that public service should derive greater benefit from their employment. The question of their being sent to universities does not arise.

**केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उनकी प्रशंसनीय सेवा के लिये पुरस्कार**

7492. श्री न० रा० देवघरे : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये उनकी कुशल और प्रशंसनीय सेवाओं के लिये कुछ पुरस्कार नियत किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) विभिन्न मन्त्रालयों / विभागों से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायगी ।

**गोवा से शराब चोरी छिपे लाने के लिये उड्डयन क्लब के विमानों का प्रयोग**

7493. श्री यशपाल सिंह : क्या पर्यटन असेनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 मार्च, 1970 को गोवा से शराब चोरी छिपे लाने के लिये उड्डयन क्लब, बम्बई के एक विमान को प्रयोग में लाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह किन परिस्थितियों में हुआ ;

(ग) इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या अन्य उड्डयन क्लबों को ऐसी अवैध कार्यवाहियों के लिये चेतावनी दे दी गई है ?

पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) विमान क्षेत्रों के

नियंत्रक, बम्बई, ने सूचना दी है कि बम्बई फ्लाईंग क्लब का पाइपर विमान वी० टी-डी० एफ० टी, जो कि गोआ से बम्बई के लिये क्षेत्र-पार (क्रॉस-कंट्री) उड़ान पर था, तथाकथित रूप से जुहू विमान क्षेत्र पर शराब लेकर उतरा। मामले की राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) यह निर्णय किया गया है कि आगे जांच होने तक सम्बन्धित विमानचालक को फ्लाईङ्ग क्लब के विमान को विमानचालक के रूप में उड़ाने अथवा उसमें यात्री के रूप में उड़ाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। समुचित कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जायेगी।

(घ) विमान नियमों में विमानों का ऐसी अवैध कार्यवाहियों के लिये प्रयोग निषिद्ध है।

#### Gang of Robbers Active in Delhi

7494. Shri Onkar Lal Berwa

Shri Ram Gopal Shalwale

Will the Minister of Home Affairs be pleased state

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news item published in the Vir Arjun dated 29th March, 1970 to the effect that these days a gang of robbers is active in the capital; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) Yes, Sir; both the incidents of alleged robberies reported in the columns of "Vir Arjun" dated 29th March, 1970 have been investigated. In the first case Shri Santokh Singh lodged a report with the police against Tirlok Singh and his associates who are his relatives, under the influence of liquor. There was a quarrel between them, but no money was taken under duress or threat of force, as alleged. The complainant gave a statement to this effect the next day when he got over the influence of liquor, and it was corroborated by the witnesses. This case has been recommended for cancellation.

In the other incident at IBP Petrol Pump Karnal Road, all the four accused have since been arrested and the case is under investigation.

(b) Delhi Police have undertaken intensified patrolling, strict vigilance, and collection of criminal intelligence to curb and prevent this type of crime.

#### कोचीन बन्दरगाह के लिये अतिरिक्त घाट

7495. श्री ए० श्रीधरन : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े और छोटे बन्दरगाहों के विकास कार्यक्रम में कोचीन बन्दरगाह में कितने अतिरिक्त घाट बनाने का विचार किया गया है ; और

(ख) आगामी वर्ष में कोचीन बन्दरगाह से जहाजरानी सेवा में कितनी वृद्धि की सम्भावना है ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) कोचीन पत्तन के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम में गहरे डुबाव वाले तेल वाहकों के आवागमन के लिये 40 फुट तेल गोदी का निर्माण खुले माल की धराउठाई के लिये एनर्गिकुलम जलमार्ग

में खुलाघाट ब्यू-9 को 555 फुट 6 इंच से 808 फुट तक वृद्धि और समुद्रपार के जहाजों में यात्री यातायात की धराउठाई के लिये बैगेज शेड कम-पेसेन्जर टर्मिनल की परिकल्पना की गई है।

(ख) कोचीन पत्तन में 1969-70 में जिन जहाजों ने प्रवेश किया उनका कुल पंजीकृत टन-भार 83.30 लाख था। परन्तु इस समय ठीक-ठीक तौर से पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है कि कोचीन बन्दरगाह में आने वाले वर्षों में पोत परिवहन सेवाएं किस सीमा तक बढ़ जायेंगी।

**दिल्ली में टैक्सी चालकों द्वारा किराये में वृद्धि की मांग**

7496. श्री जार्ज फरनेन्डोज : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको दिल्ली के टैक्सी चालकों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने किराये आदि में वृद्धि की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई मांगों का व्यौरा क्या है ;

(ग) इन मांगों को कब स्वीकार करने का विचार है ?

**संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) :** (क) और (ख) पोत परिवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में कोई ऐसा ज्ञापन नहीं आया है। परन्तु दिल्ली प्रशासन को दिल्ली राज्य टैक्सी संघ की कार्य समिति और आटोरिक्सा संघ से ज्ञापन प्राप्त हुये हैं जिसमें डी एल टी टैक्सियों के किराया बढ़ाने के लिये मांग की गई है और पर्यटक परिवहन स्वामी संघ से भी डी एल वाई / डी एल जेड टैक्सियों के किराये में वृद्धि के लिये ज्ञापन प्राप्त हुये हैं।

कार्य समिति ने मांग की है कि डी एल टी टैक्सियों का किराया 1.6 कि० मी० के लिये 1 रुपया तक बढ़ा दिया जाय या प्रत्येक सफर पर 20 पैसे अतिभार या प्रथम किलोमीटर के लिये 40 पैसे कर दिया जाय जबकि इस वक्त 1.6 किलो मीटर के लिये 80 पैसे हैं।

डी एल वाई / डी एल जेड टैक्सियों के मामले में संघ ने मांग की है कि डी एल वाई टैक्सियों का किराया बढ़ाकर 96 पैसे प्रति मील या 60 पैसे प्रति किलो मीटर कर दिया जाय जबकि इस समय यह 40 पैसे प्रति किलोमीटर है और रोकने का प्रभार इस समय के 1.50 रुपये की अपेक्षा बढ़ाकर 2 रु० प्रति घन्टा कर दिया जाय। डी एल जेड कारों के लिये किराया दर 80 पैसे प्रति किलोमीटर या 1.28 रुपया प्रति मील और 2.50 रु० प्रति घन्टा रोकने का प्रभार कर दिया जाये जबकि वर्तमान दर क्रम से 50 पैसे प्रति किलो मीटर और रोकने का प्रभार 1.50 रुपया है।

(ग) मामला राज्य परिवहन प्राधिकार, दिल्ली जो न्यायिक कल्प संस्था है, के विचाराधीन है।

**पालम हवाई अड्डे पर रेस्तरा चलाने के लिये मैसर्स वोल्गा रेस्तरां से लिया जा रहा किराया**

7497. श्री जार्ज फरनेन्डोज : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन में मैसर्स वोल्गा रेस्तरां को दिये गये स्थान का कितना किराया लिया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि रेस्तरां ने कई महीनों से किराया नहीं दिया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) किराया न देने पर रेस्तरां के मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) आयकर आदि के भुगतान के बारे में पहले के अनुभव को ध्यान में रखते हुये क्या इस रेस्तरां को दिये गये लाइसेंस को तुरन्त रद्द करने का विचार है ?

**पर्यटन तथा श्रमिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) और (ख) दिल्ली विमान क्षेत्र पर रैफल्स रेस्टोरेंट का खान-पान व्यवस्था का ठेका 28 फरवरी, 1967 को समाप्त हो जाना था। अतः एक नये ठेके के लिये टैंडर मंगवाये गये थे तथा मैसर्स वोल्गा रेस्टोरेंट का टैंडर जो कि सबसे ऊंचा था 5200/-रुपया प्रति मास के अतिरिक्त कुल बिक्री का 12½ प्रतिशत की दर पर स्वीकार कर लिया गया था। ठेका पांच वर्ष की अवधि के लिये वैध था परन्तु रैफल्स रेस्टोरेंट ने ठेके की अवधि की समाप्ति पर रेस्टोरेंट के स्थान को खाली करने से इन्कार कर दिया और मामले को अदालत में ले गये।

क्योंकि इस प्रकार रेस्टोरेंट की जगह मैसर्स वोल्गाज को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, अतः उन्हें देशीय लॉज में एक स्नैक-बार के लिये जगह दे दी गई और उसके बाद उन्हें दूसरी मंजिल पर एक छोटे से रेस्टोरेंट के लिये, तथा अन्तर्राष्ट्रीय 'कनकोर्स' में एक स्नैक-बार के लिये जगह दे दी गई।

मैसर्स वोल्गाज ने अभ्यावेदन किया है कि क्योंकि उन्हें रेस्टोरेंट का नियमित स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है और क्योंकि रैफल्स रेस्टोरेंट अब भी विद्यमान है उनके द्वारा टैण्डर में दी गई राशि को कम कर दिया जाना चाहिये और उनसे कुल बिक्री के 12½ प्रतिशत के अतिरिक्त 1040 रुपये प्रति मास लिये जाने चाहिएं। यह व्यवस्था तब तक चलने दी जानी चाहिये जब तक रेस्टोरेंट का नियमित स्थान उन्हें नहीं दिला दिया जाता। नियमित स्थान दिला दिये जाने पर वे अपने टैण्डर में दी गई दर से भुगदान करना प्रारम्भ कर देंगे।

मैसर्स वोल्गाज को अपनी देशीय लॉज की स्नैक-बार के लिये उनके द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल के लिये स्टैंडर्ड रेंट (मानक किराये) के अतिरिक्त कुल बिक्री का 12½ प्रतिशत देना था। उन्होंने अप्रैल 1969 तक यह किराया दिया परन्तु इसके बाद मुख्य टर्मिनल भवन में व्यापक परिवर्तन एवं परिवर्धन कार्यों के कारण इस किराये के बढ़ाये जाने पर उन्होंने इसके विरुद्ध अभ्यावेदन किया। परन्तु स्नैक-बार से होने वाली कुल बिक्री का 12½ प्रतिशत वे देते जा रहे हैं। मैसर्स वोल्गाज अपने रेस्टोरेंट और अन्तर्राष्ट्रीय 'कनकोर्स' में स्नैक-बार से होने वाली कुल बिक्री का 12½ प्रतिशत भी दे रहे हैं। इन दो क्षेत्रों के लिए लिये जाने वाले किराये के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ग) अभी इस स्थिति में प्रश्न नहीं उठता क्योंकि मामले की जांच की जा रही है।

(घ) आयकर की अदायगी के सम्बन्ध में एक शिकायत की सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा छानबीन की जा रही है तथा छानबीन के जांच परिणाम प्राप्त हो जाने पर इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा।

#### Steamer Services from Patna to Varanasi

7498. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Inland Water Transport Committee had gone on a tour to Uttar Pradesh sometime back and at that time the Steamer service from Patna to Varanasi was also started ; and

(b) if so the details of the report submitted by the said Committee and the date from which this Steamer service would be introduced ?

**The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh)** : (a) The Inland Water Transport Committee visited Uttar Pradesh in February, 1970. No Steamer service between Patna and Varanasi was started at that time. However, a trial run was undertaken later between Patna and Varanasi with the vessels of the Inland Water Transport Directorate.

(b) The Committee has submitted any report on inland water transport in Uttar Pradesh. However in an interim report submitted in December, 1969, the Committee had recommended the running of river services on the Ganga between Buxar and Farakka. The recommendations are now being examined in consultation with the State Government of Bihar and the concerned Ministries.

#### Influence of Naxalites in Ballia (U. P.)

7499. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that under the influence of Naxalites the landless Harijans have submitted a memorandum signed by 50,000 persons to the Collector of Ballia, Uttar Pradesh ;

(b) whether Government propose to take some steps to check the increasing influence of Naxalites in the said area ; and

(c) if so, the details thereof and the time by which steps are likely to be taken ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)**

(a) to (c) Facts are being ascertained from the state Government.

#### उत्तरी त्रावनकोर (केरल) का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

7500. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तरी त्रावनकोर (केरल) पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है और वहां शिकार के भरपूर स्थल हैं;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन विभाग ने केरल के पर्यटन केन्द्रों का विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये वर्ष 1969-70 में कितना धन नियत किया गया ?

**पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वयं अथवा राज्य सरकार के साथ मिल कर जिन स्थानों पर पर्यटन सुविधायें प्रदान की गई हैं उनका व्यौरा नीचे दिया गया है :—

(i) थेक्केडी

1. अरण्ड निवास होटल का विस्तार ।
2. ढालू घाट (स्लोपिंग जेट्टी) ।
3. लांचें ।

(ii) त्रिवेन्द्रम्

1. मस्काट होटल का विस्तार ।

(iii) कोचीन

1. बोलघाटी महल में 'गोल्फ कोर्स' का सुधार ।
2. लांचें ।

(iv) कोवालम

कोवालम में राज्य सरकार द्वारा अभिगृहीत महल की सम्पत्ति का होटल परिचालन के लिये नवीकरण ।

(ग) 1969-70 के बजट में 15.00 लाख रुपये की एक धन-राशि रखी गई थी । इसमें से राज्य सरकार को उसके द्वारा अभिगृहीत भूमि एवं महल की सम्पत्ति का स्वामित्व भारत सरकार को कोवालम को समुद्र-तटीय विहार के रूप में विकसित करने के लिये हस्तांतरित करने के लिये 9.51 लाख रुपये की अदायगी की गई । पेरियार आखेट पशु शरण-स्थान को उन पांच पशु शरण-स्थानों में से एक के रूप में चुना गया है जिनके लिये चौथी योजना में वन्य जीव पर्यटन के लिये की गई व्यवस्था में से धन दिया जाना है ।

#### राज्यों से सीमा सुरक्षा दल में भर्ती

7501. श्री मंगलाथुमाडम : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सुरक्षा दल के लिये प्रत्येक राज्य से कितने कर्मचारी भर्ती किये गये;

(ख) 1969-70 में केरल राज्य से कितने व्यक्ति भर्ती किये गये;

(ग) कर्मचारियों को प्रदेश-वार भर्ती करने की प्रक्रिया क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि केरल में भर्ती केन्द्रों के न होने से उम्मीदवारों को अपना नाम दर्ज कराने की कठिनाई होती है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) सन् 1769 के दौरान सभी राज्यों में सीमा सुरक्षा दल के लिये 6844 व्यक्ति भर्ती किये गये । प्रत्येक राज्य में भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है । शेष अवधि के लिए विभिन्न भर्ती-केन्द्रों से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी ।



(ख) सन् 1969 में केरल राज्य से सीमा सुरक्षा दल में 585 व्यक्तियों को भर्ती किया गया ।

(ग) और (घ) सीमा सुरक्षा दल के भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए निम्नलिखित भर्ती केन्द्र हैं :—

| संगठन का स्थान        | आवृत क्षेत्र               |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. जोधपुर             | राजस्थान                   |
| 2. जालन्धर            | पंजाब और हरियाणा           |
| 3. जम्मू              | जम्मू और कश्मीर            |
| 4. कदमतला             | पश्चिम बंगाल               |
| 5. दन्तीवाड़ा         | गुजरात                     |
| 6. शिलोंग             | असम                        |
| 7. अगरतला             | त्रिपुरा                   |
| 8. टेकनपुर (ग्वालियर) | मध्य प्रदेश / उत्तर प्रदेश |
| 9. येलाहन्का          | मैसूर, आन्ध्र प्रदेश       |
| 10. (बंगलौर)          | केरल और तमिलनाडू           |
| 11. हजारीबाग          | बिहार और उड़ीसा            |

इन भर्ती केन्द्रों से राज्यों में भर्ती के लिए भर्ती-दल समय-समय पर राज्यों को भेजे जाते हैं । येलाहन्का (बंगलौर) में स्थित भर्ती-केन्द्र केरल राज्य की मांगों की भी पूर्ति करता है । भर्ती-दल भर्ती के लिए राज्य का दौरा करते हैं ।

#### विवरण

|                 |      |
|-----------------|------|
| पंजाब           | 799  |
| हरियाणा         | 254  |
| हिमाचल प्रदेश   | 154  |
| उत्तर प्रदेश    | 733  |
| राजस्थान        | 1567 |
| केरल            | 585  |
| दिल्ली          | 33   |
| जम्मू और कश्मीर | 265  |
| मध्य प्रदेश     | 116  |
| बिहार           | 520  |
| गुजरात          | 27   |
| महाराष्ट्र      | 126  |
| पश्चिम बंगाल    | 575  |
| असम             | 168  |
| मनीपुर          | 16   |

|               |     |
|---------------|-----|
| नागालैंड      | 2   |
| तामिलनाडू     | 339 |
| मैसूर         | 220 |
| आन्ध्र प्रदेश | 56  |
| त्रिपुरा      | 287 |
| उड़ीसा        | 2   |

कुल योग 6844.

### सड़क दुर्घटनाएं

7502. श्री लोबो प्रभु : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 30 मार्च, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित आई० ई० जे० डेविड के पत्र के सन्दर्भ में तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं क्योंकि भारत में 100 मील लम्बी सड़क पर तेज गति से गाड़ी चलाने से 66 प्राण घातक दुर्घटनाओं का रिकार्ड है जबकि अन्य देशों में दुर्घटनाओं की संख्या 10 है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को इस आशय का परामर्श देगी कि यातायात की कठिनाइयों के सम्बन्ध में सड़कों के लिये चेतावनी संकेतों, स्पीड ट्रेपों और सुधारों तथा विनियमों का एक मानकीकृत स्वरूप बनाये; और

(ग) दक्षिण कनारा जिले में जहां दुर्घटनाओं का अवांछनीय रिकार्ड है भाग (ख) में दिये गये सुझावों के अनुरूप क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) श्री डेविड द्वारा दी गई भारत में प्रति 100 मील की सड़क पर हुई घातक दुर्घटनाओं की संख्या सही नहीं है। तेजी से मोटर चलाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिये राज्य सरकारों द्वारा और केन्द्रीय प्रशासन द्वारा निम्नांकित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) चलते फिरते गस्त लगाने वालों से गाड़ियों की रफ्तार जाल प्रायः बिछाये जाते हैं और उन मोटर चालकों के विरुद्ध जो कि तेजी से और लापरवाही से मोटर चलाते हैं कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(2) चलते-फिरते पुलिस दस्ती द्वारा और उड़न-दस्तों द्वारा मोटर गाड़ियों की रफ्तार की आकस्मिक जांच की जाती है।

(3) बड़े-बड़े शहरों के कुछ क्षेत्रों में दिन के समय में भारी गाड़ियों को चलाने में रोक लगा दी गई है।

(4) कई सड़कों पर गाड़ियों की गति नियत कर दी गई है और पटल पर बताई गई है।

(5) यातायात नियमों के उल्लंघन की जांच करने के लिये विशेष कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं।

(6) मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत अधिक तेज रफ्तार से मोटर चलाने वालों पर जुमनि की सीमा बढ़ा दी गई है।

(ख) मोटर गाड़ी अधिनियम सन् 1939 के नवें अनुसूची के अंतर्गत चेतावनी के संकेत पटलों के पहले ही व्यवस्था कर दी गई है जिन्हें कि सभी राज्य सरकारों ने अपनाया है। जहां तक यातायात में रुकावट पैदा करने वाली सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार की जांच करने, उन पर सुधार करने और उनके लिये कानून बनाने का सम्बन्ध है राज्य सरकारों द्वारा आवश्यकता के अनुसार और स्थानीय हालतों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(ग) मैसूर राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

### महाराष्ट्र में पर्यटक रुचि के स्थान

7503. श्री देवराव पाटिल : क्या पर्यटन तथा अस्सैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में किस स्थान को पर्यटक केन्द्र के रूप में चुना गया है;

(ख) क्या सभी पर्यटक केन्द्रों में आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इन स्थानों का विकास करने के लिये कितना धन नियत किया गया है ?

पर्यटन तथा अस्सैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) महाराष्ट्र में जिन स्थानों पर पर्यटन विभाग द्वारा स्वयं अथवा राज्य सरकार के साथ मिल कर पर्यटन सुविधायें प्रदान की गई हैं, वे इस प्रकार हैं :—

#### पर्यटन केन्द्र

ऐलिफैंटा

अजन्ता

एलौरा

करनाला

औरंगाबाद

महाबलेश्वर

#### प्रदान की गई सुविधायें

कैन्टीन व विश्राम कक्ष, क्लोक रूम, जेटी।

निम्न आय वर्ग विश्राम-गृह, कैन्टीन व विश्राम कक्ष, क्लोक रूम, प्राकृतिक दृश्य योजना, अस्थायी जल व्यवस्था।

कैन्टीन।

पर्यटक कुटीरें।

पर्यटक बंगला (प्रथम श्रेणी), निम्न आय वर्ग विश्राम-गृह।

पर्यटन कार्यालय।

|        |                  |
|--------|------------------|
| काली   | अवकाश गृह ।      |
| जलगांव | स्वागत केन्द्र । |
| वार्धा | पर्यटक बंगला ।   |

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान अजन्ता, एलोरा और औरंगाबाद का समेकित आधार पर विकास करने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन के लिए 23.24 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। औरंगाबाद में एक युवा होस्टल के निर्माण का भी प्रस्ताव है। ऐलिफैंटा और बम्बई में अतिरिक्त पर्यटन सुविधायें प्रदान करने का प्रस्ताव है। भारत पर्यटन विकास निगम ने औरंगाबाद में एक परिवहन यूनिट स्थापित किया है और निगम वहां होटल आवास की अभिवृद्धि का भी आयोजन कर रहा है।

### उड़ीसा के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक अलग सर्किल खोलना

7504. श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से उड़ीसा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक अलग सर्किल खोलने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के अनुरोध का मुख्य कारण क्या है; और

(ग) सरकार ने इस अनुरोध पर क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती जहाननारा जयपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) मांग के समर्थन में जो मुख्य कारण दिये गये हैं वे हैं :—

(i) कि पूर्वी सर्किल, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है और जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैण्ड के केन्द्र संरक्षित स्मारकों/स्थलों की देखभाल करता है, अधीक्षक पुरातत्वविद और उसके स्टाफ को सौंपा गया एक दुःसाध्य कार्य है;

(ii) कि उड़ीसा में पुरातत्वीय अवशेषों की संख्या और उनके महत्व को देखते हुए उस राज्य में एक अलग सर्किल की स्थापना न्यायोचित है; और

(iii) कि मांग मान लेने से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और राज्य पुरातत्व विभाग के बीच निकट सहयोग और विचारों का अधिक आदान-प्रदान हो सकेगा ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

## थेक्केडी केरल में हिप्पियों की गतिविधियां

7505. श्री सी० के० चक्रपाणि :

श्री ई० के० नायनार :

श्री पी० पी० एस्थोस :

श्री के० एम० अब्राहम :

श्री के० रमानी :

क्या पर्यटन तथा अस्सैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिप्पियों द्वारा उत्पन्न असुविधाओं के कारण थेक्केडी (केरल) में विदेशी पर्यटकों की संख्या कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो हिप्पियों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है; और

(ग) वर्ष 1968-69 में पेरियार तथा थेक्केडी में कितने हिप्पी गये थे ?

पर्यटन तथा अस्सैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आंकड़े इस वर्गीकरण के अनुसार नहीं रखे जाते ।

## थेक्केडी वन्य पशु संरक्षण स्थल (केरल) में नावें

7506. श्री पी० पी० एस्थोस :

श्री गणेश धोष :

श्री विश्वनाथ मेनन :

श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या पर्यटन तथा अस्सैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थेक्केडी वन्य पशु संरक्षण स्थल (केरल) में 6 नावों में से 5 नावें कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) पर्यटन निगम को इस कारण कितने धन की हानि हुई है ?

पर्यटन तथा अस्सैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) नौकाओं की कुल संख्या 10 है, जिनमें से होटल अरण्य निवास, पेरियार के पास छः, और केरल सरकार के वन विभाग के पास चार नौकायें हैं । सूचना प्राप्त हुई है कि इनमें से आठ नौकाओं की मरम्मत की आवश्यकता है ।

(ख) और (ग) उक्त सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है ।

## पेरियार भील में नौकाओं का उपयोग

7507. श्री अ० कु० गोपालन :

श्री के० एम० अब्राहम :

श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री के० रमानी

क्या पर्यटन तथा अस्सैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेरियार झील में जल में वृक्षों के ठूठ होने के कारण प्रातःकाल तथा रात्रि में नौका चलाने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ठूठों को निकालने के लिये कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन तथा अर्सनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार झील से वृक्षों के ठूठ हटाने के उपाय कर रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

#### Aid to States for Libraries

7508. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the amount given as grant to various States as aid to libraries during the last year ; and

(b) the grant given to Madhya Pradesh last year and the grant likely to be given this year for the said purpose ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahnara Jaipal Singh) :** (a) to (b) There is no scheme under which grants are given to State Governments for running the Libraries.

#### श्रीकाकुलम जिले में नक्सलवादियों द्वारा एक आदिवासी महिला की हत्या

7509. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नक्सलवादियों के एक गिरोह ने आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में पोल्ला गांव के निकट नायाकपागुडा नाम के एक छोटे गांव पर छापा मार कर सावारा जनजातीय महिला जिसका नाम नाटकम्मा था, का वध कर दिया था और उसके किचागाडु नाम के भाई का अपहरण कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस घटना की पृष्ठभूमि क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) से (ग) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

#### क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर से बमों तथा बन्दूकों का बरामद होना

7510. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के अहाते से 100 बम तथा बन्दूकें बरामद की गई थीं;

(ख) क्या इस बारे में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं; और



(ग) यदि हां, तो गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

### आसाम के नदी यातायात में विकास

7511. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने उस राज्य में नदी यातायात के विकास के लिये एक व्यापक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(घ) क्या चौथी योजना में इस योजना को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) असम सरकार से प्राप्त लगभग 5 करोड़ की अनुमानित लागत की योजनाओं में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों, वोरक, कापीली और सुवानसीरी नदियों में तिरते सूखी गोदी के निर्माण और घाटों के पहुंच मार्गों की व्यवस्था के अलावा, वाणिज्यिक सेवाओं को चलाने का विचार है।

(घ) योजनाओं की अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति द्वारा संवीक्षा की जा रही है। उनकी इस संबंध में सिफारिशों की प्रतीक्षा है। चौथी योजना में इन योजनाओं का केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तौर पर शामिल करने के प्रश्न पर उनकी सिफारिशों की दृष्टि से विचार किया जायेगा।

### ब्रिटिश लेखकों की पुस्तकों का भारत में पुनः प्रकाशन

7512. श्री लोबो प्रभु : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एटन बरो की पुस्तक की ओर दिलाया गया है तथा क्या ब्रिटिश पुस्तकों के प्रकाशन के प्रस्ताव की केवल एक शर्त के साथ कि लेखक के अधिकारों को उचित संरक्षण मिलेगा, जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी पुस्तकों की कोई सूची तैयार की गई तथा पुस्तकों को पुनः प्रकाशित करने या उनका अनुवाद करने के बारे में बातचीत आरम्भ कर दी है; और

(ग) उनके मन्त्रालय ने भारतीय प्रकाशकों तथा पुस्तक विक्रेताओं संघ को भारत के लिये आवश्यक पुस्तकों का पुनः प्रकाशन करने के लिये ब्रिटिश प्रकाशकों के साथ साझा करने के हेतु क्या सहायता दी है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) जी हां। श्री एटनबरो

के नेतृत्व में ब्रिटिश पब्लिशर्स मिशन टू इण्डिया की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और उसकी जांच की जा रही है।

(ख) विश्वविद्यालय स्तर की इससे पहले संकलित पुस्तकों की सूची के अनुवाद पुनर्मुद्रण/अधिकारों को प्राप्त करने की शर्तों पर ब्रिटिश प्रकाशक मिशन और भारत सरकार के बीच विचार-विनिमय को ध्यान में रखकर बातचीत की जा रही है।

(ग) मंत्रालय को अब तक सहायता के लिए, कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

#### अमरीका के साथ विमान सेवा समझौता

7513. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : श्री मणिभाई जे० पटेल :  
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या पर्यटन तथा असेैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने एक विमान सेवा के संचालन के लिये अमरीका के साथ एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) इस नये समझौते द्वारा कितना राजस्व अर्जित किये जाने की आशा है ?

पर्यटन तथा असेैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) द्विपक्षीय हवाई परिवहन करार संबंधित सरकारों द्वारा किये जाते हैं। यू० एस० ए० के साथ इसी प्रकार के एक हवाई करार पर 3 फरवरी, 1956 को हस्ताक्षर किये गये थे। इसके अनुसार दोनों देशों की नामित हवाई कम्पनियों को पारस्परिक आधार पर विमान सेवाओं के परिचालन की अनुमति दी गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कोई नया करार नहीं किया गया है।

#### Convocation in Various Universities

7514. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether the Convocations in various Universities and Colleges are held on the Western style even so many years after the independence ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action proposed to be taken by Government to hold such convocations on Indian style ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c) The rituals, procedure and academic dress at the Universities and College Convocations are laid down in the rules and regulations of the Universities, which are autonomous organizations. Some Universities have made changes in these after Independence. The matter in all aspects is, however, under consideration of the University Grants Commission.

#### अशोक होटल, नई दिल्ली में खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि

7515. श्री लोबो प्रभु : क्या पर्यटन तथा असेैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 8 अप्रैल, 1970 के स्टेट्समैन में प्रकाशित गोपेश ओझा के पत्र के सन्दर्भ में नई दिल्ली स्थित अशोका होटल में सादी चाय की कीमत 1.80 रुपये से बढ़ाकर 2.50 रुपये तथा अन्य सभी खाद्य पदार्थों की कीमतों में 20 प्रतिशत वृद्धि किस आधार पर की गई है;

(ख) इसका आधार क्या है कि बिस्तर पर चाय दिये बिना ही एक कमरे के 110 रुपये लिये जाते हैं और जब से यह होटल खुला है तब से अब तक कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) गत वर्ष इस होटल का उपयोग करने वाले विदेशी पर्यटकों की प्रतिशतता कितनी है;

(घ) क्योंकि वास्तविक अतिथि उन दरों पर भुगतान कर रहे हैं जो व्यय लेखों में दिखाये जाते हैं तो क्या उपभोक्ता अन्त में लगाई गई दरों पर भुगतान नहीं करता है; और

(ङ) गैर-सरकारी क्षेत्र के होटलों पर अशोका होटल तथा अन्य सरकारी होटलों में ली जा रही कीमतों के सीमित प्रभाव के बारे में किस प्रकार की जांच की गई है ?

**पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) अशोक होटल के रेस्टोरेन्ट और डाईनिंग हाल में दी जा रही चाय की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह कीमत अब भी 1.50 रुपये प्रति ट्रे है। परन्तु कमरों में दी जाने वाली चाय की दर बढ़ा कर 2 रुपये प्रति ट्रे कर दी गयी है। इसी तरह रेस्टोरेन्टों और कमरों दोनों में ही दी जाने वाली सुबह के नाश्ते (ब्रेकफास्ट) की चीजों की दरों में मामूली वृद्धि कर दी गई है। यह वृद्धि कीमतों में हुई वृद्धि के अनुरूप है।

(ख) सिंगल रूम के लिये किराये की चालू दर 70-75 रुपये है और यह जनवरी, 1968 से चली आ रही है। होटल 1956 में खोला गया था। जीवन निर्वाह के मूल्य सूचक (कॉस्ट ऑफ़ लिविंग इंडेक्स) में वृद्धि तथा होटल कर्मचारियों के वेतन बिलों में वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान दरों की 24 साल पहले की दरों से तुलना यथार्थवादी नहीं होगी। अशोक होटल में चालू दरें उसके समकक्ष अन्य होटलों में चालू दरों के मुकाबले में काफी माकूल हैं।

(ग) लगभग 70 प्रतिशत।

(घ) होटल में ठहरने वाले सब भारतीय अतिथि अपनी-अपनी कम्पनी के व्यय खाते (एक्सपेंस एकाउंट) में से ही भुगतान नहीं करते।

(ङ) निजी अथवा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों के अंतर्गत होटल दरों में वृद्धि का अनुमोदन पर्यटन विभाग वृद्धि विषयक प्रस्तावों के औचित्य की ध्यानपूर्वक समीक्षा करने के बाद ही करता है।

**भारतीय प्रशासनिक सेवा में भाग लेने वाले स्नातकों में**

**प्रथम श्रेणी स्नातकों की प्रतिशतता कम होना**

7516. श्री लोबो प्रभु : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए प्रत्याशियों की संख्या कम हो गई है तथा उनमें प्रथम श्रेणी के स्नातकों का अनुपात ऐसे स्नातकों की कुल संख्या के 11 प्रतिशत से घट कर 6 प्रतिशत रह गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है;

(ग) क्या यह कभी गैर-सरकारी क्षेत्र में वेतन तथा सेवा की अच्छी शर्तों के कारण हुई है और क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए भी प्रतियोगिता के आधार पर अर्हक परीक्षा लेने की व्यवहार्यता की जांच की है जिससे कि कम्पनियां भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्मचारियों के समान वेतन लेने वाले अपने ऊंचे कर्मचारियों की नियुक्ति केवल उसी पूल में से करें; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय का समवाय कानून प्रशासन से इस बारे में विचार करने को कहने का प्रस्ताव है कि जिससे केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा में विद्यमान वर्तमान निराशा ही दूर न होगी अपितु गैर-सरकारी क्षेत्र में नियुक्तियों में होने वाले पक्षपात के सम्बन्ध में विद्यमान असन्तोष भी दूर होगा ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):** (क) और (ख) सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए उज्ज्वल युवा स्नातकों की उपलब्धि के बारे में एक अध्ययन किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अनेक केन्द्रीय सेवाओं, श्रेणी I श्रेणी II, की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई वार्षिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 818 प्रथम श्रेणी के स्नातकों सहित 6572 उम्मीदवार 1959 की परीक्षा में बैठे थे। 1965 में ये आंकड़े गिर कर क्रमशः 476 और 4501 रह गये। तब से तनिक सी वृद्धि हुई है और 1969 में 618 प्रथम श्रेणी के स्नातकों सहित 5706 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे। 1950-55 की अवधि में प्रथम श्रेणी के स्नातकों का 29 प्रतिशत परीक्षा में बैठ रहा था किन्तु 1960 तक यह प्रतिशत गिर कर 10.2 रह गया और 1967 में हुई परीक्षा के लिए यह 5 से भी कम हो गया।

(ग) और (घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के आकर्षण में गिरावट के कारणों में से एक कारण निजी क्षेत्र में नौकरी का बढ़ता हुआ आकर्षण हो सकता है जो कि मुकाबले में बेहतर वेतन देते हैं। शेष सूचना का एक विवरण औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा कम्पनी मामलों के मंत्री द्वारा सदन के सभा-पटल पर रखा जायेगा।

**आगरा में "समाधि लेखों का नष्ट किया जाना" (हैवोकप्लेड विद एपिटोफस)**

**7517. श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान आगरा में 'समाधि लेखों का नष्ट किया जाना' शीर्षक के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1970 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्पूर्ण मामले में एक जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) 18 मार्च, 1970 को हरि पर्वत, आगरा के पुलिस-स्थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी जो हेसिंग-गुम्बद की छत के खम्बे के तीन तराशे गये पत्थर के टुकड़ों की चोरी के बारे में थी। आवश्यक मरम्मतों के करने के लिये कार्यवाई पहले ही की जा चुकी है और वर्षा ऋतु के पहले ही इस कार्य के पूरा होने की आशा है।

(ग) की गई कार्यवाई को ध्यान में रखते हुये जांच कराने की कोई जरूरत नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**अध्यक्ष महोदय :** अब काम दिलाने वाली सूचना पर चर्चा होगी।

**श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) :** आप ने संसद्-सदस्यों को सेन्ट्रल हाल में अपनी पत्नियां लाने की अनुमति दे दी है। क्या संसद्-सदस्य अन्य महिलाओं को भी सेन्ट्रल हाल में ला सकते हैं अथवा नहीं।

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने संसद्-सदस्यों को पत्नियां लाने की ही अनुमति दी है क्योंकि वे अपने पतियों पर संदेह करती हैं।

### अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

#### CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

#### बिहार विधान परिषद् के लिए चुनाव

**Shri Gunanand Thakur (Saharsa) :** I call the attention of the Minister of Law and Social Welfare to the following matter of Urgent public importance and request him to make a statement thereon :

“Justification of holding elections to the Bihar Legislative Council in view of the resolution passed by Bihar Legislative Assembly to abolish the Council”.

**विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) :** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 16 के अधीन, निर्वाचन आयोग का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे राज्य के, जिसमें विधान परिषद् है, राज्यपाल से सिफारिश करे कि वह हर दूसरे वर्ष होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए, राज्य की विधान सभा के सदस्यों तथा सम्बद्ध परिषद्-निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्यों को निर्वाचित करने की मांग करने वाली अधिसूचनाएं निकाले। तदनुसार, बिहार विधान-परिषद् में रिक्त होने वाले स्थानों को भरने के लिए अधिसूचनाएं 10 मार्च, 1970 और 20 मार्च, 1970 को निकाली गईं।

बिहार की विधान सभा ने 3 अप्रैल, 1970 के अपने अधिवेशन में एक संकल्प पारित किया जिसमें विधान परिषद् के उत्सादन की सिफारिश की गई थी। बाद में, 11 अप्रैल, 1970 को बिहार की विधान परिषद् ने एक प्रस्ताव पारित किया कि परिषद् का उत्सादन न किया जाए। सभा और परिषद् के संकल्पों की प्रतियां लोक सभा के सचिव को भेजी गई हैं और वे पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

बिहार सरकार ने बिहार की विधान परिषद् के उत्सादन का विधान पेश करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन नहीं किया है। बिहार की विधान परिषद् का उत्सादन तभी होगा जब कि संविधान के अनुच्छेद 169 के अधीन विधि को पारित कर दिया जाता है।

बिहार की विधान परिषद् का उत्सादन जब तक नहीं हो जाता, निर्वाचन आयोग का यह कानूनी कर्तव्य है कि वह विधान परिषद् के निर्वाचनों के सम्बन्ध में कार्रवाई करे।

**Shri Gunanand Thakur :** Sir, the Hon. Minister has stated that the Bihar Government has not taken initiative in this case. In this connection I may state that the Secretary of Bihar Legislative Assembly in his letter, dated 4th April, has informed the Government that a resolution to the effect that Bihar Legislative Council may be abolished has been passed by the Bihar Assembly under Article 169 (1) of the Constitution. It has also been stated therein that this resolution has been passed by two third majority of members present and voting. In this connection I may also state that Punjab and Bengal Legislative Councils were abolished as and when the respective Assemblies of those States passed resolutions to that effect. I, therefore, want to know why he is hesitating in taking action for the abolition of Bihar Legislative Council? May I know whether the hon. Minister will bring forward a Bill in the current session of Lok Sabha for the abolition of Bihar Legislative Council? I also want to know whether the Hon. Minister will advise the Election Commissioner to postpone the Elections to the Bihar Legislative Council? May I also know whether there is any precedent that a letter should come from the Chief Minister of the respective State where a resolution might have been passed in the Assembly for the abolition of the Legislative Council?

**श्री गोविन्द मेनन :** मैंने अपने उत्तर में केवल इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा वहां पर चुनाव कराने का क्या औचित्य है।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रवाड़ा) :** कानून बनाने के बारे में स्थिति क्या है?

**श्री गोविन्द मेनन :** यह बात प्रश्न में नहीं थी अन्यथा मैं इसका भी उत्तर दे देता।

**Shri Rabi Ray (Puri) :** May I know why you are hesitating in taking action for the abolition of Bihar Council when the Punjab and Bengal Legislative Councils have already been abolished?

**श्री गोविन्द मेनन :** सरकार ने इस मामले पर अभी विचार नहीं किया है कि वह बिहार परिषद् ये उत्सादन हेतु विधेयक प्रस्तुत करे अथवा नहीं। 26 मार्च को विधान सभा के सदस्यों ने मतदान द्वारा परिषद् के लिये एक सदस्य चुना था परन्तु उन्हीं सदस्यों ने यह प्रस्ताव पारित करा दिया।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** इसमें गलत क्या है?

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि क्या विधान सभा द्वारा संकल्प पास किया गया था और यदि हां तो क्या वह संसद् को भेजा गया था? जब विधान सभा द्वारा परिषद् के उत्सादन हेतु संकल्प पास किया जाता है तो क्या परिषद् इस बारे में पूछताछ करने में सक्षम है?

**श्री गोविन्द मेनन :** परिषद् इस आशय की घोषणा करने अथवा मांग करने के लिए कि उसको खत्म न किया जाये, सक्षम नहीं है। परन्तु परिषद् के सदस्य इस विषय पर अपनी राय व्यक्त करने के हकदार हैं। अब सरकार को इस मामले पर विचार करना है। विधान सभा द्वारा पास



किये गये संकल्प को क्रियान्वित करना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है। इस पर संसद् द्वारा विचार किया जाता है और हम नहीं जानते कि संसद् इस बारे में क्या निर्णय करेगी।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** आप इस बारे में विधेयक क्यों नहीं प्रस्तुत करते। इसको बिना चर्चा के पास किया जा सकता है जैसा कि अन्य दो मामलों में किया गया है।

**श्री गोविन्द मेनन :** संविधान के अनुच्छेद 169 के अन्तर्गत विधान सभा द्वारा संकल्प पास किये जाने के पश्चात् सरकार को यह निर्णय करना है कि क्या सरकार इस आशय का विधेयक प्रस्तुत करे। संसद् के अन्य सदस्य भी निर्णय कर सकते हैं।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** एक गैर-सरकारी विधेयक को पास होने में अधिक समय लगेगा। आप क्यों हिचकिचा रहे हैं ?

**श्री गोविन्द मेनन :** मैं हिचकिचा नहीं रहा हूँ।

**Shri Madhu Limaye (Monghyr) :** Why are you not abolishing the Bihar Legislative Council when you have already abolished the Punjab and Bengal Legislative Councils ?

**श्री गोविन्द मेनन :** जहाँ तक पश्चिम बंगाल और पंजाब का मामला है वहाँ की सरकारों ने संकल्प पास करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार को इस बारे में लिखा था।

**श्री मधु लिसये :** There is no need for it

**श्री गोविन्द मेनन :** उन्होंने केन्द्रीय सरकार को लिखा था कि विधान परिषद् के उत्सादन के लिए कार्यवाही की जाये। ऐसा कराना आवश्यक है क्योंकि जब हम राज्य के किसी विषय से निपट रहे होते हैं और जब हम एक ऐसी संस्था को खत्म करने जा रहे हैं जो कि राज्य में पिछले 20 वर्षों से कार्य कर रही है तो हमें राज्य सरकार की राय पर विचार करना होता है। अतः इस प्रश्न पर निर्णय करना होता है कि विधेयक को प्रस्तुत किया जाये अथवा नहीं। यदि अन्य सदस्य चाहें तो विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। मैंने यह नहीं कहा है कि सरकार ने इस मामले पर निर्णय कर लिया है। सरकार को अभी इस पर निर्णय करना है।

**Shri Gunanand Thakur ;** I want to know from the Hon. Minister as to why he wants to undo the resolution passed by the Bihar Assembly ?

**श्री स० कुण्डू (बालासौर) :** मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस बारे में संबंधानिक स्थिति बहुत स्पष्ट है। यदि कोई संकल्प विधान सभा द्वारा पास कर दिया जाता है तो वह संसद् के समक्ष आता है। संसद् इस पर विचार करके इस बारे में कानून बना सकती है। इस बीच सरकार का कार्य संकल्प को संसद् के समक्ष रखना होता है। सरकार इसको रोक नहीं सकती। अतः अध्यक्ष महोदय आप सरकार को इस बारे में सभा में विधेयक प्रस्तुत करने के लिये कहें क्योंकि यह अब संसद् की सम्पत्ति है।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं अपना विनिर्णय पहले ही दे चुका हूँ।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) :** इस संकल्प को पास कराने में सरकार का भी हाथ है। मुख्य मंत्री ने इस विधेयक को पास कराया है। यदि सरकार इस संकल्प का समर्थन नहीं करती तो

संकल्प पास नहीं हो सकता था । अतः माननीय मंत्री के लिये यह कहना कि इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है उचित नहीं है ।

**Shri Rabi Ray :** I rise on a point of order. The Legislative Assembly has already passed the resolution. Now the Hon. Minister is saying that Bihar Government should have written to them in this respect, I want to know how far it is necessary under the rules, as the Secretary of the Assembly has already written to the Secretary, Lok Sabha. In my view it is not necessary for the Bihar Government to write to the Central Government in this regard.

**Shri Bhogendra Jha (Jainagar) :** The Hon. Minister in his reply has tried to instigate the Chief Minister to go against the decision of the Assembly. It is against the Constitution and it must be expunged from the proceedings of the House.

**अध्यक्ष महोदय :** आपने अपना दृष्टिकोण विधि मंत्री के समक्ष रख दिया है । अब इसकी व्याख्या करना उनका काम है । मेरे विनिर्णय देने का कोई प्रश्न नहीं है । मैंने अपने संदेह के बारे में उन्हें पहले ही संकेत दे दिया था और उन्होंने उसका उत्तर दे दिया था । यह अलग बात है कि हम उससे संतुष्ट हुये हैं अथवा नहीं ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) :** बिहार सरकार के लिये केन्द्रीय सरकार को यह लिखना कि इस बारे में कानून बनाया जाये कानूनी तौर पर आवश्यक नहीं है । आप इस बारे में मेरे साथ सहमत होंगे ।

**अध्यक्ष महोदय :** एक अथवा दो बातों का स्पष्टीकरण किये जाने की आवश्यकता है । पहली बात यह है कि सरकार के लिये विधेयक प्रस्तुत करना आवश्यक है अथवा नहीं, दूसरे मेरे विचार में इसके साथ परिषद् के संकल्प को भेजने की आवश्यकता नहीं थी । तीसरे, यदि सरकार को विचार अथवा यदि सरकार के लिये विधेयक प्रस्तुत करना अनिवार्य है तो जब तक यह सभा इस मामले पर निर्णय नहीं कर लेती तब तक चुनाव रोके रखने तथा अनावश्यक व्यय करने का क्या औचित्य है ?

**श्री गोविन्द मेनन :** अनुच्छेद 169 के अन्तर्गत विधेयक प्रस्तुत करना सरकार के लिये अनिवार्य नहीं है । मैंने पहले ही कहा है कि सरकार ने अभी इस पर विचार नहीं किया है ।

परिषद् के संकल्प के बारे में लोक सभा के सचिव को सूचित किया गया था और आपने उसको पुस्तकालय में रखने का निर्णय किया है । २६ मार्च को विधान सभा ने परिषद् के लिये सदस्यों का चुनाव किया था और ३ अप्रैल को ... (अन्तर्बाधा)

**श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) :** मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या यह सभा अथवा विधि मंत्री कोई ऐसी बात कर सकते हैं अथवा कह सकते हैं जो राज्य विधान सभा के घोषित निर्णय के विरुद्ध हो जाती हो ।

**अध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार में विधान सभा का निर्णय हमारे लिये अनिवार्य नहीं है । विधि मंत्री को, मेरा प्रश्न यह था कि जब हमें संकल्प के बारे में पता है तो, क्या विधेयक प्रस्तुत करना सरकार के लिये अनिवार्य है अथवा नहीं ?

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** मंत्री महोदय बार-बार यह प्रश्न उठा रहे हैं कि 26 मार्च को विधान सभा ने परिषद् के लिये सदस्यों को निर्वाचित किया था। मैं नहीं जानता इस बात का यहां पर क्या सम्बन्ध है। ऐसा करके विधान सभा ने अपना सांविधिक दायित्व ही पूरा किया था।

**श्री गोविन्द मेनन :** इस संकल्प के पास होने से संसद् को वह शक्ति प्राप्त हो गई है कि जिसके अन्तर्गत वह विधान परिषद् का उत्पादन कर सकती है। अतः इस बारे में सरकार अथवा कोई गैर-सरकारी सदस्य भी सभा में विधेयक प्रस्तुत कर सकता है।

**अध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार में हमें इसकी कानूनी जटिलताओं पर नहीं जाना चाहिये।

**Shri Madhu Limaye :** The private member has to face many hardships for bringing forward a Bill. Moreover it cannot be done without ballotting. The Government can bring forward a bill any time.

**श्री मोरार जी देसाई :** यह सच है कि संविधान में “हो सकता है (मे)” शब्द का प्रयोग किया गया है। परन्तु क्या एक भी ऐसा मामला है जिसमें संसद् ने इन्कार किया हो अथवा इस विकल्प का प्रयोग किया हो। पंजाब और बंगाल में ऐसा किया गया है। अब ऐसा कहने के क्या कारण हैं कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है?

**Shri Ramavtar Shastri (Patna):** The Legislative Councils of West Bengal and Punjab have already been abolished. The Bihar Legislative Assembly have now keeping in view the feeling of the people, passed a resolution that Bihar Legislative Council may be abolished. They feel that it is a useless body as only defeated people are given place in it. They also feel that there is no use spending Rs 8 lakhs every year on such a body. This resolution was introduced by the Chief Whip of the Communist Party in the Assembly. It was passed as 235 members voted in favour and only 3 members voted against it. A copy of the resolution has already been sent to the Government. Now I have to know that a representation has been sent to the Central Government by more than one hundred legislators to stall the implementation of this resolution. I want to know whether it is fact that a representation has been sent by the legislators of the Bihar Legislature and, if so, the number of persons who have signed this representation and their party affiliation? I also want to know whether Bihar Government has made any representation to the effect that this resolution should not be implemented and, if so, whether the Hon. Minister will place it before the House. I also want to know whether any delegation from Bihar Government has met the Hon. Home Minister and, if so, the nature of the discussions held and Government's reaction thereto?

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

**श्री गोविन्द मेनन :** मुझे नहीं पता कि किसी प्रतिनिधि मण्डल ने गृह-कार्य मंत्री अथवा किसी अन्य मंत्री से भेंट की है और उसने विधान सभा द्वारा पास किये गये संकल्प की उपेक्षा करने को कहा है। मेरा कहना केवल इतना ही है कि केन्द्रीय सरकार ने अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। मामला सरकार के विचाराधीन है।

**Shri Ramavtar Shastri :** My question has not been answered. May I know whether the Government of Bihar has written any letter opposing this resolution?

**श्री गोविन्द मेनन :** जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा कोई पत्र अथवा अभ्यावेदन नहीं आया है ।

**Shri K. M. Madhukar (Kssaria) :** All the progessive forces of the country are of the view that State Legislative Councils and Rajya Sabha in the Centre should be abolished. The resolution for abolishing the Bihar Legislative Council was moved by the Chief Whip of our party and the resolution was supported by almost all the members except three present in the House. May I know whether for fear of being toppled the Government of Bihar are pressurising the Ceetral Government for stalling the implementation of the resolution? May I also know the constitutional and other legal hurdless for which the Central Government is not prepared to implement the resolution concerning the abolition of Bihar Legislative Council? May I also know whether the Government is bringing forward a Bill in accordance with the said resolution and if so, when?

**श्री गोविन्द मेनन :** मैंने यह नहीं कहा है कि केन्द्रीय सरकार इस बारे में विधेयक नहीं ला रही है । सरकार ने अभी इस मामले पर विचार नहीं किया है कि इस विधेयक को कब प्रस्तुत किया जाये ।

**श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) :** माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अपना प्रश्न यह है कि सरकार विधेयक को कब पुरःस्थापित करेगी । उनका उत्तर यह है कि सरकार को इस मामले पर विचार करने का अभी अवसर नहीं मिला है ।

**Shri B. P. Mandal (Madhepura) :** Mr. Deputy Speaker, a healthy convention has already been established by passing the Bills for the abolition of Legislative Councils of West Bengal and Punjab. In accordance with this healthy convention the Hon. Law Minister should bring forward a Bill for abolition of Bihar Legislative Council without any further delay. The Hon. Law Minister has just now stated that they have not received any letter or representation from the Government of Bihar. In this connection I may state that there is no mention of states in Article 169 of the Constitution. It appears from the answer of the Hon. Minister that he has changed his attitude towards this issue after seeing the persons of his party from Bihar. In this connection I may further state that there is a coalition Government in Bihar. If the Central Government continue to put forward excuses for the non-implementation of the resolution the other parties will be forced to withdraw their support in Bihar and no-confidence motion will be brought here. It is, therefore, necessary that in accordance with the already established convention a Bill for the abolition of Bihar Legislative Council may be brought without any further delay.

**श्री गोविन्द मेनन :** पश्चिम बंगाल से परिषद् के उत्सादन का प्रस्ताव 24 मार्च, 1969 को प्राप्त हुआ था और इसके उत्सादन का विधेयक का लोक सभा में 16 मई, 1969 को, अर्थात् ठीक दो महीने बाद पास हुआ था ।

पंजाब विधान सभा का प्रस्ताव 15 मई, 1969 को प्राप्त हुआ था और परिषद् के उत्सादन सम्बन्धी विधेयक को लोक सभा में 19 नवम्बर, 1969 को तथा राज्य सभा में 24 दिसम्बर, 1969 को पास किया गया था ।

बिहार विधान सभा के प्रस्ताव को 20 अप्रैल को लोक सभा के पुस्तकालय में रखा गया है और अभी मुझसे प्रश्न पूछ जा रहे हैं कि विधेयक क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया है । कोई विधेयक सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जबकि मन्त्रिमण्डल इस बारे में निर्णय न करे । मुझे इस

प्रस्ताव के बारे में अभी कुछ दिन पूर्व ही पता लगा है। आज स्थिति यह है कि बिहार विधान सभा ने परिषद् के उत्पादन के लिये संकल्प पास कर दिया है और तत्सम्बन्धी मामला सरकार के विचाराधीन है।

**श्री वि० प्र० मण्डल :** माननीय मन्त्री ने मुझे बताया था कि वह परिषद् के चुनाव रोकने के लिये चुनाव आयोग से परामर्श करेंगे। इन चुनावों का औचित्य क्या है जबकि एक अथवा दो सप्ताह में वह परिषद् को समाप्त करने के लिये विधेयक प्रस्तुत करने वाले हैं।

**श्री गोविन्द मेनन :** जब तक बिहार विधान परिषद् को समाप्त करने वाला विधेयक यहां पर पास नहीं हो जाता उसमें रिक्त स्थानों को भरने के लिये चुनाव कराना चुनाव आयोग का सांविधिक कर्तव्य है।

**Shri Madhu Limaye :** They could have been postponed. Elections to Lok Sabha have been postponed several times.

**श्री गोविन्द मेनन :** ऐसा उपचुनाव के बारे में होता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत परिषद् के द्विवर्षीय चुनाव कराना चुनाव आयोग का कर्तव्य है।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या वह इस सत्र में विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं?

**श्री गोविन्द मेनन :** मन्त्रिमण्डल के अपने साथियों से परामर्श किये बिना मैं कुछ नहीं कह सकता कि विधेयक को कब प्रस्तुत किया जायेगा।

**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या चुनाव आयोग को चुनाव कराने अथवा न कराने के अनुदेश देने की अनुमति सरकार को है?

**श्री गोविन्द मेनन :** जी नहीं। चुनाव कराना उक्त आयोग का कर्तव्य है।

**Shri Bhogendra Jha (Jainagar) :** I want to introduce a motion against the 'Aryavart' being published from Patna in Hindi for the contempt of the House and privileges of the Hon. Members.

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) :** इसको मध्याह्न भोजन के पश्चात् लिया जा सकता है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब तक यह प्रथा रही है कि ध्यान दिलाने वाला प्रस्ताव सभापटल पर रखे जाने वाले पत्र तथा अन्य मदों को मध्याह्न भोजन से पूर्व ही लिया जाता है। परन्तु यदि सभा इस पर मध्याह्न भोजन के पश्चात् चर्चा करना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 15 मिनट 40 प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till quarter past fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर अठारह मिनट पर पुनः सत्रवेत्त हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Eighteen minutes past fourteen of the clock.



(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)  
(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

श्री ज्योतिर्मय बासु (डायमंड हावी) : आज के कुछ समाचारपत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि केन्द्रीय सरकार चोर दरवाजे से निवारक निरोध अधिनियम को बंगाल में लागू करने जा रही है। इस अधिनियम को राष्ट्रीय स्तर पर तथा इस सभा में रद्द कर दिया गया है। सरकार ने केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों को वहां नकली वातावरण उत्पन्न करने के लिए भेजा है ताकि इस अधिनियम को वहां पर लागू किया जा सके। सरकार को इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कहनी चाहिए कि क्या वह इस अधिनियम को वहां पर लागू करने जा रही है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : वहां पर विधान सभा को स्थगित किया गया है, विघटित नहीं किया गया। अतः सरकार चोर दरवाजे से इस अधिनियम को वहां पर लागू नहीं कर सकती।

### विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

#### RE : QUESTION OF PRIVILEGES

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Mr. Deputy Speaker : Under rule 222 I charge that the Hindi Daily 'Aryavart' in its article on the 19th April, 1970 has made a serious attack on the patriotism and loyalty of the Communist Members. It has been stated in the article that although Communists have been born in India yet they regard some other country as their 'paternal' country and, therefore, they do not want that the Indian ideology, traditions, culture, civilization etc. should remain safe. In this connection I may state that the Hon. Members simply expressed their views on the sale of some Sanskrit books by Shekh Abdulla to save foreigners at a time when he was the Prime Minister of the state of Jammu & Kashmir. It is not proper to say that they do not regard this country as their mother land and therefore they do not want that old culture should remain safe. It is a contempt of the House and breach of the privileges of the Members. The matter should be referred to the Privileges Committee.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इसका समर्थन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में हमने समाचारपत्र के सम्पादक को लिखा है। हमें उसके उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

### सभा पटल पर रखे गये पत्र

#### PAPERS LAID ON THE TABLE

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : डा० वी० के० आर० वी० राव की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के लेखे संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति।



(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3294/70]

(2) वर्ष 1968-69 के लिये आयोजन तथा वास्तुकला विद्यालय (स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर) नई दिल्ली, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3295/70]

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कर्मचारियों की शर्तें) संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 28 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 508 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3296/70]

श्री भक्त दर्शन : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपाधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति : —

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1970, जो दिनांक 21 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 458 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 1970, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 4 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 545 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3297/70]

(2) (एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 14 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4632 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3298/70]

श्री भक्त दर्शन : मैं जहां आरा जयपाल सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(6) वर्ष 1968-69 के लिये कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल के न्यासधारियों की कार्य-कारणी के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3299/70]

**Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) :** I rise on a point of order. The Hon. Speaker had decided last time that papers cannot be laid on the Table of the House by any other Minister in the absence of the one who had to lay them. How can he lay them on the Table ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** ये दोनों मंत्री एक ही मंत्रालय के हैं और उन्होंने अध्यक्ष महोदय से इस बारे में अनुमति भी ली थी ।

**सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति**  
**COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKING**

**कार्यवाही सारांश**

**श्री एम० बी० राणा (भड़ौच) :** मैं सरकारी उपक्रमों में उत्पादन प्रबन्ध के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 67वें प्रतिवेदन से सम्बद्ध समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूँ ।

**67वां प्रतिवेदन**

**श्री एम० बी० राणा :** मैं सरकारी उपक्रमों में उत्पादन प्रबन्ध के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 67वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

**प्राक्कन समिति**

**Estimate Committee**

**119वां प्रतिवेदन**

**श्री बेदभत बरुआ (कलिपाबोर) :** मैं रेलवे मंत्रालय डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी, के बारे में प्राक्कन समिति का 119वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

**नियम 377 के अन्तर्गत मामला**

**MATTER UNDER RULE 377**

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब श्री बनर्जी नियम 377 के अन्तर्गत चर्चा प्रारम्भ करेंगे ।

**श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) :** कल वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्र० चं० सेठी ने तीसरे वेतन आयोग की नियुक्ति के बारे में एक वक्तव्य दिया था । मुझे इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना है कि आयोग का जो गठन किया गया है उसमें श्रमिकों के प्रतिनिधियों को कोई स्थान नहीं दिया गया । उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री रघुबर दयाल आयोग के अध्यक्ष हैं और डा० निहार राजन रे, प्रो० ए० के० दासगुप्त और डा० वी० आर० पिल्ले इसके अन्य सदस्य हैं । मैं इन लोगों की सदस्यता का कोई विरोध नहीं करता परन्तु 21 नवम्बर, 1969 को प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सभा के समक्ष यह घोषणा की थी कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को आयोग में स्थान दिया जायेगा । यही बात श्री प्र० चं० सेठी ने 30 मार्च, 1970 के पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में कही थी ।

अब जो आयोग नियुक्त किया गया है जरा उसकी सदस्यता पर ध्यान दीजिये । डा० निहार

राजन रे, उच्चतर अध्ययन संस्थान से सम्बद्ध एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं। श्रमिकों से सम्बद्ध सभी समस्याओं से वह पूर्णतया अनभिज्ञ हैं। प्रो० दासगुप्त केवल एक अर्थशास्त्री हैं और डा० पिल्ले के सम्बन्ध में भी मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे तो केवल इतना ही कहना है कि लोक सभा और राज्य सभा ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने तीस-तीस वर्ष तक श्रमिक उत्थान के लिए कार्य किया है। वह सभी लोग आज भी जीवित हैं परन्तु फिर भी एक व्यक्ति को भी श्रमिक प्रतिनिधि के रूप में आयोग में स्थान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से आश्वासन भंग किया है। इसके साथ ही श्री प्र० चं० सेठी ने आयोग की स्थापना के समय में जो अन्तरिम सहायता का उल्लेख किया है उसमें कोई निश्चित काल भी निर्धारित नहीं किया गया। तो फिर अन्तरिम सहायता किस आधार पर दी जायेगी? अतः अन्तरिम सहायता के उल्लेख बहुत अस्पष्ट हैं।

मंत्री महोदय ने रेलवे को छोड़कर उन केन्द्रीय कर्मचारियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है जो गत कुछ वर्षों से अपने वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंच गये हैं।

आज हजारों सरकारी कर्मचारी प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधान मंत्री को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करनी चाहिये और उन्हें अपने सुझाव एक अधिसूचना में शामिल करने के लिए प्रयत्न करना चाहिये। मैं सरकार को धमकी तो नहीं देता परन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जब तक ये सुझाव पूरे नहीं किये जायेंगे तब तक हमारा संगठन आयोग को सहयोग नहीं दे सकेगा। वही सरकारी कर्मचारी जिन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयता के समय प्रधानमंत्री का साथ दिया है आज इस अन्याय के विरुद्ध देश भर में प्रदर्शन करने को बाध्य हो जायेंगे।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : प्रस्तुत आयोग की स्थापना तो कुछ लोगों को धोखा देने और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की आंखों में धूल झोंकने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब हमने सरकार से यह मांग की कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वेतन आयोग होना चाहिये तो उससे सदा हमारा तात्पर्य तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों से था। परन्तु अब जब सरकार ने आयोग की स्थापना की है तो भारतीय प्रशासन सेवा और प्रतिरक्षा कर्मचारियों सहित सभी वर्गों को ले लिया गया है। अन्य वर्ग के लोगों के साथ हमारा कोई बैर नहीं परन्तु इस तरह इस कार्य में अनेक वर्ष लगेंगे और जब तक हमारा प्रतिवेदन तैयार होगा तब तक इसे कार्यान्वित नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही आयोग के उल्लेख में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों के सम्बन्ध में आयोग विचार करेगा या नहीं, क्योंकि इनकी संख्या भी कुछ लाख तो है ही। मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि आयोग विभिन्न स्तरों के वेतनमानों, कम-से-कम आवश्यकता के अनुसार वेतन और इनसे सम्बद्ध अन्य सभी पहलुओं पर भी विचार करेगा। यह सम्बद्ध पहलू होंगे हमारी विकास योजनाएँ, प्रतिरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव जिसे दूसरे शब्दों में अतिरिक्त व्यय कहा जा सकता है। तो इस प्रकार आवश्यकता-नुसार मजूरी नहीं मिलेगी। परन्तु मैं सरकार से स्पष्ट कह दूँ कि अब श्रमिक भी चुप नहीं रहेगा। रेलवे के अतिरिक्त बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो अपने वेतनमानों की अधिकतम सीमा पर स्थिर हो गये हैं। क्या आयोग इन लोगों की मांगों पर भी कुछ विचार करेगा। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि जब तक आयोग में श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधि नहीं होंगे तब तक श्रमिकों की स्थिति

स्पष्ट करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि (क) सरकार श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधि अवश्य नियुक्त करे।

(ख) दो विभिन्न आयोगों की स्थापना की जाये जिनमें से एक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए हो और दूसरा अखिल भारतीय प्रतिरक्षा के कर्मचारियों के लिए।

**Shri Balraj Madhok (South Delhi):** Mr. Deputy Speaker. The Statement by the Hon. Finance Minister is disappointing. The Commission has been formed in such a way that it cannot win the confidence of the employees. If the Government does not want to change any Member of the Commission, it should and at least one Member who should be a representative of labour. Such person can be found in Parliament as well as outside the Parliament.

After the introduction of the Central Budget, the prices have gone up by 10 per cent. It is high time that the Government should pay some interim relief at least to class III and IV employees. Necessary announcement to this effect should be made.

**डा० मेलकोटे (हैदराबाद) :** हम कुछ अन्तरिम सहायता की मांग कर रहे हैं परन्तु हम नहीं जानते कि क्या यह दो या तीन वर्षों में दे दी जायेगी। वास्तव में यह समस्या इतनी आवश्यक है कि इस पर अलग रूप से विचार किया जाना चाहिये था। मैं श्री बैनर्जी की सभी बातों का समर्थन करते हुए आयोग में श्रमिकों के प्रतिनिधि की मांग करता हूँ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) :** आयोग के गठन से हम सभी को निराशा हुई है। उसमें जिन लोगों की नियुक्ति की गई है उनका श्रम से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस आयोग का पुनर्गठन कर उसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल करें। साथ ही सरकार को अन्तरिम राहत की घोषणा तुरन्त करनी चाहिये और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय भी निर्धारित करना चाहिये।

**श्री पीलू मोडी (गोधरा) :** प्रस्तुत आयोग को जो विस्तृत विचारार्थ विषय दिये गये हैं उनसे यह आयोग एक दशक तक भी कोई उपयुक्त निर्णय नहीं ले सकेगा। इसीलिये इसके लिये एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिये जिसके अन्दर यह आयोग अपना प्रतिवेदन तैयार कर ले।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) :** हमें यह मालूम नहीं कि सरकार अब इस सिद्धांत से क्यों पीछे हट रही है, जिसका आज तक पालन होता रहा है। इस प्रकार के वेतन निर्धारण निकाय में श्रमिकों के प्रतिनिधि को हमेशा ही स्थान मिलता रहा है। हमारी समझ में यह नहीं आता कि श्री निहार रंजन रे को आयोग में क्यों शामिल किया गया है। इस निकाय में काम करने के लिये उनके पास क्या योग्यता है? शिमला के उच्च शिक्षा स्थान के निकाय के रूप में उन का कार्यकाल 21 मई को समाप्त हो रहा है। क्या इसीलिये उन्हें वेतन आयोग में स्थान दिया जा रहा है?

**श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) :** वेतन आयोग के क्षेत्राधिकार में चौथी श्रेणी से नीचे वाले कर्मचारियों को नहीं लिया गया है। ये कर्मचारी तथा कथित नैमित्तिक और अन्य कर्मचारी हैं। इन सभी कर्मचारियों के मामले पर विचार करने के लिए एक पृथक् आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये क्योंकि इन लोगों की दशा सब से खराब है। इन लोगों को तत्काल अन्तरिम राहत दी जानी चाहिये। आयोग में एक श्रम प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाना चाहिये।

**श्री ही० ना० मुकर्जी :** इतनी महत्वपूर्ण घोषणा प्रधान मंत्री द्वारा की जानी चाहिये थी। पहले भी जब दूसरे वेतन आयोग की स्थापना की गई थी तो श्री जवाहर लाल ने स्वयं इसकी घोषणा की थी क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला था। परन्तु वर्तमान प्रधान मंत्री द्वारा यह घोषणा स्वयं करना तो दूर रहा, जब यह घोषणा की गई तो वह सभा में उपस्थित ही नहीं थीं। सभा को इस बात पर ध्यान देना चाहिये। जहां तक आयोग के गठन का सम्बन्ध है, डा० निहार रंजन रे को आयोग में शायद इसलिये शामिल किया गया है कि उनके लिये कोई और स्थान ढूढ़ना आवश्यक था। आयोग में उनको शामिल करने का कोई औचित्य दृष्टिगोचर नहीं होता, विशेषकर जबकि आयोग में उनके शामिल करने का अर्थ शायद श्रमिक प्रतिनिधि को छोड़ना है।

हमारी समझ में यह भी नहीं आता कि विचारार्थ विषय में रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों, नैमित्तिक श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों को तथा अन्तरिम राहत दिये जाने के किसी उल्लेख को, जिसकी सभा के सभी दलों ने मांग की थी, क्यों शामिल नहीं किया गया।

**श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) :** हमें अन्तरिम राहत के प्रश्न पर बहुत चिंता है परन्तु इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। अन्तरिम कटौती प्रस्ताव पर जब मतदान हुआ तो सरकार की लगभग हार होने वाली थी। आयोग के विचारार्थ विषय में इस प्रश्न को शामिल न करके सरकार ने इस सभा का अपमान किया है।

**Shri S. M. Joshi (Poona) :** The House has been constantly demanding some interim relief for the employees but nothing has been done in this direction. In the announcement of the Commission, there is only a mention that the Commission will think over this issue also.

There is no labour representative on the Commission although the House was assured of it. No reference has been made about the casual labour. Will the Minister look into these matters and do the needful?

**श्री ई० के० नायनार :** जिस आयोग की घोषणा की गई है उसकी कोई कार्य-सीमा निर्धारित नहीं की गई। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह वेतन आयोग के प्रतिवेदन के लिये सीमा निर्धारित करे। उसे ही वेतन आयोग नियुक्त करने चाहिये—एक तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये और दूसरा बड़े अधिकारियों के लिये। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत की सख्त आवश्यकता है और सरकार को तुरन्त इसकी घोषणा कर देनी चाहिये।

**Shri Ramavtar Shastri :** I have attended various meetings of the Central Government Employees and they are very much frustrated with the appointment of the Third Pay Commission, because no labour leader has been included in it. The Minister must take a note of this discontent which will also be known from the employees demonstration at Prime Minister's residence this evening. I wish that in view of people's sentiments, Government should at least announce the Interim Relief without further delay.

**Shri Shiv Chandra Jha :** There should two representatives of labour in the Commission, one from the Parliament and the other from outside. Interim relief should immediately be given.

**श्री एस० कण्डप्पन (मत्तूर) :** प्रस्तुत वेतन आयोग की परिधि इतनी विस्तृत कर दी गई है कि इससे निम्न वर्ग के लोगों को उचित लाभ होने की संभावना बहुत कम है। दूसरी बात यह है



कि वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव राज्यों पर भी पड़ेगा। पहले भी हर बार ऐसा ही हुआ है। जब भी केन्द्रीय वेतनमानों में वृद्धि की गई है, राज्यों के कर्मचारियों ने भी इसकी मांग की है। राज्य के लिये अपने कर्मचारियों की मांगों को मानना कठिन हो जाता है अतः केन्द्रीय सरकार को इस कार्य के लिये राज्य सरकारों की कुछ सहायता करनी चाहिये।

**श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) :** माननीय प्रधान मंत्री द्वारा तीसरे वेतन आयोग को बैठाये जाने की घोषणा करने के उपरान्त मैंने और अन्य सदस्यों ने अन्तरिम सहायता देने के बारे में उल्लेख किया। कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अतः इस सरकार को दो बातें अवश्य स्वीकार कर लेनी चाहिए। प्रथम तो शीघ्र ही अन्तरिम सहायता देनी चाहिए तथा दूसरी बात यह है कि रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सीमा निर्धारित करनी चाहिए अन्यथा सरकारी कर्मचारियों को इससे कोई लाभ नहीं होगा।

**श्री अब्राहम (कोट्टयम) :** सरकारी कर्मचारियों ने 19 सितम्बर को जिन मांगों को लेकर हड़ताल की, उनमें से एक मांग आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन की थी। सरकार द्वारा अब इस प्रश्न को वेतन आयोग को सौंप देने से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि सरकार सैद्धान्तिक रूप से आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन को स्वीकार कर रही है। लेकिन अपनी सद्भावना को सिद्ध करने के लिए सरकार को अपने उत्पीड़न कार्यों को रोक देना चाहिए जैसे कर्मचारियों की नौकरी समाप्त करना और उनका स्थानान्तरण करना, आदि। उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही भी न की जाये। इस आयोग में एक श्रमिक सदस्य को भी शामिल किया जाये।

**श्री भोगेन्द्र भा (जयनगर) :** सरकार विज्ञप्ति में यह शामिल करे कि आयोग अपनी रिपोर्ट को चार महीनों के अन्दर प्रस्तुत करेगा।

**श्री श्रमूत नाहटा (बाडमेर) :** सदन के सभी दलों और वर्गों की यह सर्वसम्मति राय है कि आयोग में श्रमिकों का एक प्रतिनिधि अवश्य सम्मिलित किया जाये। रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की अवधि नियत की जानी चाहिए तथा कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने की घोषणा की जानी चाहिए।

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** मैं माननीय सदस्यों के विभिन्न सुझावों का स्वागत करता हूँ। श्रमिक प्रतिनिधि को आयोग में शामिल नहीं किया गया है, इसके लिए सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, फिर भी तीसरे वेतन आयोग की नियुक्ति को समाज के सभी वर्गों द्वारा सराहा गया है तथा कर्मचारियों ने भी इसका स्वागत किया है। जहां तक श्रमिक प्रतिनिधि लिये जाने का सवाल है मैंने यह कहा था कि हम एक ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति को आयोग में निश्चय ही लेना चाहेंगे जिसको श्रम समस्याओं और श्रम कानूनों का अच्छा ज्ञान हो तथा वह श्रमिकों की आधुनिक परिस्थितियों से भी अवगत हो। श्री पिल्ले ऐसे एक विख्यात व्यक्ति हैं जिनकी हमने नियुक्ति की है। वह केरल और मैसूर में कई जांच समितियों के सभापति के रूप में कार्य कर चुके हैं। 1965 से आज तक वह केरल राज्य की न्यूनतम मजूरी परामर्श बोर्ड के सभापति रहे हैं, अतः श्री पिल्ले एक अनुभवी व्यक्ति हैं जो श्रम समस्याओं और श्रम विधियों से भलीभांति परिचित हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि दूसरे वेतन आयोग में एक श्रमिक प्रतिनिधि था और इस बार सरकार पुरानी पद्धति से परे हट रही है। वस्तुतः माननीय सदस्य के मस्तिष्क में श्रमिक प्रतिनिधियों का जो चित्र



है वह इस आयोग में नहीं; फिर भी सरकार किसी विशेष रूप से पुरानी पद्धति से पीछे नहीं हट रही है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) :** क्या आप आयोग को पुनर्गठित करने जा रहे हैं जिसमें उचित श्रमिक प्रतिनिधि हों ? आप हमें सुस्पष्ट उत्तर दें।

**श्री प्र० च० सेठी :** जहां तक संभव है मैं इसे स्पष्ट कर चुका हूं। जहां तक अन्तरिम सहायता का प्रश्न है, उसके बारे में हमारा मत यह है कि हम अब किसी अस्थायी निर्णय की घोषणा नहीं करना चाहते। हम इस वेतन आयोग की सिफारिशों पर इस बात के लिए विश्वास रखेंगे और देखेंगे कि अन्तरिम सहायता के लिए आयोग क्या सिफारिश करता है।

ऐसा कहा गया है कि शायद वेतन आयोग अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय लेगा। आयोग को चूंकि इस विषय में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, अतः सम्भवतः उन्हें अधिक समय लगेगा। लेकिन यदि आयोग चाहे तो शीघ्रतिशीघ्र अन्तरिम सहायता के बारे में अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर सकता है, इस बारे में उनके समक्ष कोई बाधा नहीं।

**श्री स० मो० बनर्जी :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने केवल समय की सीमा-निर्धारण का प्रश्न ही नहीं उठाया। आयोग अन्तरिम सहायता को बढ़े हुए महंगाई भत्ते के रूप में देना चाहता है जो उचित नहीं है। विभिन्न सरकारी उपक्रमों में सरकारी कर्मचारियों का वेतन 160 रुपये से बढ़ाकर 195 रुपये तथा 207 रुपये कर दिया गया है जबकि केन्द्रीय कर्मचारी 141 रुपये ही प्राप्त कर रहा है। इस तथ्य को भुला नहीं देना चाहिए।

**श्री स० कुण्डू (बालासौर) :** अन्तरिम सहायता का आधार क्या होगा, इस बात को भी सूचित नहीं किया गया है। क्या यह पूरी राशि पर आधारित होगा ? इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

**श्री प्र० च० सेठी :** सरकार का निर्णय विशेष वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित होगा। सहायता की राशि कितनी होगी, इसका आधार क्या होगा या इसमें कितनी अवधि लगेगी, यह सभी बातें हम आयोग की बुद्धिमत्ता पर छोड़ते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आयोग सदन में व्यक्त किये गये विचारों तथा श्रमिक वर्ग की राय को समक्ष रख कर ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

जो सरकारी कर्मचारी अपने वेतनों की उच्चतम सीमा पर पहुंच चुके हैं, ऐसे कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के बारे में रेलवे ने कुछ कदम उठाये हैं। जहां तक केन्द्रीय कर्मचारियों का सम्बन्ध है, हम इस विषय में गृह-कार्य मंत्रालय से विचार-विमर्श कर रहे हैं। सरकार इस मामले पर सहानुभूति से विचार करेगी और इस समस्या को शीघ्र ही सुलझाने का यत्न करेगी।

अनियत श्रमिकों के बारे में हमने विशेष रूप से, आयोग के विचारार्थ विषयों में यह शामिल नहीं किया, परन्तु दूसरे वेतन आयोग ने इस बारे में भी अपना मत व्यक्त किया था और इस आयोग को भी ऐसा करने के लिए हमने रोका नहीं है अर्थात् यदि आयोग चाहे तो वह इस विषय पर अपना मत व्यक्त कर सकता है।

जहां तक आयोग के क्षेत्राधिकार का सम्बन्ध है, वह दूसरे वेतन आयोग की अपेक्षा अधिक

व्यापक एवं विस्तृत है। आयोग को रेलवे, डाक-तार और प्रतिरक्षा विभागों को अलग-अलग से लेना होगा और उन विभागों के सलाहकारों को आयोग में निश्चय ही शामिल करना होगा। यह निर्णय करना भी उनका ही काम है कि इन विभागों की विशिष्ट समस्याओं पर विचार करने के लिए क्या किसी विशेषज्ञ समिति को नियुक्त किया जाना चाहिए या किसी छोटे अध्ययन दल से ही काम चलाया जा सकेगा।

सरकार ने अब वेतन आयोग की नियुक्ति की है। मुझे पूरा विश्वास है कि श्रमिक और उनके प्रतिनिधि सरकार की इस सहानुभूति और सद्भावना पर अब कोई संदेह नहीं करेंगे और आयोग की नियुक्ति का स्वागत करेंगे।

### सामान्य बजट—अनुदानों की मांगें—जारी

GENERAL BUDGET—DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

### श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय—जारी

Ministry of Labour Employment and Rehabilitation—Contd.

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्रम मन्त्रालय की मांगों के बारे में अब और आगे विचार-विमर्श किया जायेगा। श्री कुन्डू, आप बोलिये।

**श्री स० कुन्डू (बालासौर) :** इस मन्त्रालय की मांगों पर बोलते हुए, मुझे इस मन्त्रालय के अस्तित्व पर भी सन्देह होता है। मन्त्रालय की कोई भी अपनी नीति अपनाने के लिए अथवा कार्यान्वित करने के लिए नहीं है। रिपोर्ट को पढ़ने के उपरान्त मैं मन्त्री जी से वेतन मण्डल की नीति पर जानना चाहता हूँ। 1957 में आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन की नीति थी जिसे वस्तुतः सरकार ने कुछ अंशों तक स्वीकार भी किया है परन्तु शीघ्र ही, बाद में सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया।

औद्योगिक सम्बन्धों की नीति भी सफल नहीं कही जा सकती है क्योंकि 1964 में बेकार गंवाये गये 77.2 लाख दिनों की संख्या बढ़कर 1968 में 172.4 लाख हो गई, और इसका प्रधान भाग सरकारी क्षेत्र में है।

मन्त्रालय की सामूहिक सौदाकारी सम्बन्धी नीति क्या है? राज्य मन्त्री श्री आजाद ने कहा है कि सामूहिक सौदाकारी नीति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। परन्तु क्या ऐसा उन्होंने किया है? नहीं, उन्होंने इसे बेकार कर के रख दिया है। श्रमिकों को अब कुछ भी प्राप्त करने की आशा नहीं रही है। उसने मध्यस्थता, न्यायाधिकरण द्वारा इसे विभक्त कर दिया है। निर्धन श्रमिक को इससे कुछ भी मतलब नहीं है और वे सामूहिक सौदाकारी के द्वारा कुछ भी प्राप्त करने में असमर्थ हैं क्योंकि सदैव कानून का डर सताता रहता है।

पुनर्वास के सम्बन्ध में सरकार की बिल्कुल कोई भी नीति नहीं है। केवल यही नीति दिखाई देती है और वह है अधिक विभागों को हथियाना और अधिकारियों और मंत्रियों का पुनर्वास सम्बन्धी नौकरशाही रवैया अपनाना। परन्तु इसके अतिरिक्त कोई और पुनर्वास सम्बन्धी नीति नहीं दिखाई देती है। क्योंकि इस मन्त्रालय ने श्रमिक वर्ग के लिये कोई ठोस कार्य नहीं किया और न ही उनके

अधिकारों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा ही कर सकी है, अतः इस मन्त्रालय को बन्द कर देना चाहिए ।

इस प्रतिवेदन में वेतन सम्बन्धी नीति का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है । मन्त्रालय को यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि आवश्यकता के आधार पर वेतन नीति से उत्पादन बढ़ता है । जापान और इजरायल में भी यह सिद्ध हो चुका है । आज सदमा पहुंचाने वाली बात यह है कि भारत सरकार इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं देती है । वस्तुतः विकासशील देश के लिये यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है कि मानव-श्रम को प्रतिष्ठापित किया जाये और उसे सम्मान दिया जाये क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि होती है ।

राष्ट्रीय श्रम आयोग ने एक अच्छा कार्य किया है और वह है अभी तक दिये गये सभी प्रकार के वेतनों का विश्लेषण जिससे पता चलता है कि वास्तविक वेतन कम हो चुका है । 1967 में, 1949 की तुलना में वास्तविक वेतन लगभग 40 प्रतिशत कम हो गया था । इसके बावजूद, राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कहा है कि वेतन में कमी के होने पर भी 1952 और 1964 के बीच प्रति श्रमिक उत्पादन में 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । तथ्य तो यह है कि श्रमिक अधिक उत्पादन करते हैं जब कि उन्हें वेतन कम मिलता है ।

आयोग द्वारा श्रम लागत का भी उल्लेख किया गया है और कहा है कि कुल उत्पादन का मूल्य कम हो गया है । उत्पादन की श्रम लागत 1949 में 53.3 प्रतिशत थी जो अब कम होकर 1964 में 36.5 प्रतिशत रह गई है । यह बड़ी चिन्ताजनक स्थिति है । अब भी जब श्रमिक आवश्यकता के आधार पर वेतन की मांग करते हैं तो सरकार कहती है कि वह इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकती है ।

यह जानकर चकित रह जाना पड़ता है कि जापान में 1954 से 1965 तक 67 प्रतिशत उत्पादित में वृद्धि हुई, जबकि इस दौरान वास्तविक वेतन में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसके बावजूद यह मन्त्रालय हमारी अर्थव्यवस्था की ओर से विवेकशून्य है । करोड़ों व्यक्ति नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अब और अधिक समय तक वे इसे सहन नहीं करेंगे ।

श्रमिकों की शिक्षा के प्रश्न पर माननीय मन्त्री को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये क्योंकि उनकी शिक्षा से उत्पादन में वृद्धि होगी और उद्योग का विकास भी होगा । श्रमिकों में 80 प्रतिशत अर्शिक्षित हैं । श्रमिकों की शिक्षा के लिए मन्त्रालय ने करोड़ों कर्मचारियों के लिए केवल 25,000 रुपये की ही वृद्धि की है । आजकल श्रमिक शिक्षा योजना में नौकरशाही का प्रभाव है तथा इसमें श्रमिक प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है । मैं इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले पर मन्त्री जी से स्पष्ट उत्तर जानना चाहता हूं । सरकार ने अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की दो महत्वपूर्ण परम्पराओं का अनुसमर्थन नहीं किया है, वे हैं श्रमिकों को संगठन बनाने का अधिकार हो तथा हड़ताल करने का अधिकार प्रदान करना ।

भारतीय श्रमिक सम्मेलन के बारे में स्थिति अत्यन्त शोचनीय है । उस सम्मेलन से हिन्दुस्तान मजदूर संघ और अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस ने त्याग क्यों किया ? इसका कारण यह है

कि इस मन्त्रालय ने जानबूझ कर श्रमिकों के हित की सभी बातों को विफल करने का प्रयास किया है। सरकार को भारतीय श्रमिक सम्मेलन में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे श्रमिक वर्ग के हितों में बढ़ोतरी की जा सके।

आज की दुखद घटना यह है कि श्रमिक अधिनियमों में संवृद्धि होती जा रही है। कुछ राज्यों द्वारा अधिनियम बनाने के परिणामस्वरूप अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से ये अधिनियम देश के हित में नहीं हैं।

अभी हाल में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि अस्पतालों के कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम में “कर्मचारी” की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आएंगे। यह ऐसा निर्णय है जिसका परिणाम गम्भीर हो सकता है। मेरे विचार से सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए और एक विधेयक पेश करना चाहिए जिसमें कर्मचारियों को सभी विशेष लाभ की व्यवस्था की जानी चाहिए जिन्हें अखिल भारतीय स्तर पर स्वीकार किया गया है जैसे बीमारी अवकाश, आकस्मिक अवकाश, त्यौहारों के लिए छुट्टियाँ, छंटनी क्षतिपूर्ति, उपदान आदि मिलने चाहिए।

इसके बाद हमारे सामने बेरोजगारी की अत्यन्त विशाल समस्या है। चौथी योजना के अन्त तक 4 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। हमारी योजना रोजगार प्रधान नहीं है। सरकार इस समस्या को किस तरह सुलझाने का प्रयास कर रही है। अधिक पूँजी लगाने और अधिक उत्पादन होने पर भी बेरोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। यहां तक कि चौथी योजना का मसौदा भी रोजगार प्रधान नहीं है।

ग्रामों में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप अधिक फसल हुई है तथा समृद्ध लोगों का एक नया वर्ग आकर्षित होकर शहरों की ओर आ रहा है। अगले 20 या 25 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ हो जायेगी। यद्यपि खाद्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा परन्तु, फिर भी भुखमरी से कई लोग मरेंगे क्योंकि लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए धन नहीं होगा। जब तक श्रम, योजना और गृह मन्त्रालय एक साथ मिल कर काम नहीं करते, तब तक यह समस्या सुलझ नहीं सकती।

प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में मैंने अन्दमान द्वीपों में पुनर्वास की स्थिति देखी थी। मैं यह देख कर चकित रह गया कि नील द्वीप में शरणार्थियों का पुनर्वास किस प्रकार किया जा रहा है, जहां भूमि रसायनशास्त्री के अनुसार केवल पत्थर और रेत है। इसके साथ ही सरकार को कालकाजी में कानून के अनुसार जो कार्यवाही करनी चाहिये, वह नहीं कर रही है। सरकार कालकाजी के शरणार्थियों की उचित मांगें क्यों नहीं पूरी कर रही है?

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। जीवन-निर्वाह की लागत और निर्धनता बढ़ रही है। निर्धनता, बेरोजगारी और शिक्षा साथ-साथ चलेंगी। विश्व में जहां कहीं क्रान्ति हुई है, इन्हीं तत्वों के कारण हुई है। यदि सरकार ने इन तत्वों की ओर ध्यान नहीं दिया, वही स्थिति यहां भी पैदा हो सकती है। पहले इस मन्त्रालय द्वारा अपनी गति-विधियों का ब्यौरा दिया जाता था और हम उसकी समालोचना करते थे। परन्तु अब उन्होंने वह प्रथा समाप्त कर दी है। इस मन्त्रालय पर मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि वह हमें ब्यौरा नहीं देते। इसके अतिरिक्त क्या मैं पूछ सकता हूं कि बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिये यह

मन्त्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है ? मैं केवल शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि उन लोगों की, जो मैट्रिक तक भी नहीं पहुँच पाते और जो तकनीकी प्रशिक्षण स्कूलों में कुछ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उनको भी रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। यदि यही स्थिति रही और बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बढ़ती रही तो हमारे देश की स्थिति क्या होगी ? विदेशों में प्रदर्शनियों में लड़कियों को भेजने के बजाय हमें वहाँ उन मजदूरों को भेजना चाहिये जो उन वस्तुओं को बनाते हैं और विदेशियों को बताना चाहिये कि ये वस्तुएँ इन मजदूरों की बनाई हुई हैं।

जब विदेशों से हमारे देश में श्रमिक आते हैं तो उन देशों के दूतावासों के कर्मचारी उनको साथ लेकर सब स्थान और चीजें दिखाते हैं जैसा कि वे उन देशों के राजा हों। परन्तु जब हमारे श्रमिक अन्य देशों में जाते हैं तो हमारे दूतावासों के कर्मचारी उनकी परवाह तक नहीं करते। इस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष शिकायतें करने पर भी श्रम मन्त्रालय इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। क्या श्रम विभाग ने किसी एक श्रमिक के लिये भी सिफारिश की है कि इस व्यक्ति को पद्मश्री आदि की कोई उपाधि दी जाये ? श्रमजीवी वर्ग के साथ श्रम विभाग का यही रवैया है। कभी-कभी तो हम सोचते हैं कि इस विभाग को बन्द कर दिया जाना चाहिये।

मैं गत 20 वर्षों से देख रहा हूँ कि राज्य सभा में राष्ट्रपति विख्यात व्यक्तियों, गायकों, कलाकारों आदि का नामनिर्देशन करते हैं ; मैं यह पूछना चाहता हूँ कि श्रमजीवी वर्ग में से अब तक कितने व्यक्तियों का नामनिर्देशन किया गया है ?

फिर उत्पादकता परिषदों में ऐसे सुझाव दिये जाते हैं जिनका श्रमिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उत्पादकता परिषदों में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित किये जाने चाहिये जो तकनीकी परामर्श दे सकें।

गत कई वर्षों में सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के मामले पर काफी चर्चा होती रही है। इसका परिणाम यह है कि अंग्रेज तो हमें कुली कहते थे परन्तु हमारे अपने शासक हमें श्रमजीवी वर्ग के नाम से पुकारते हैं। प्रधान मंत्री ने एक घोषणा की है कि जिन श्रमिकों की भविष्य निधि प्रतिवर्ष 40 रुपये बनती है, उन्हें पेंशन तथा अन्य लाभ दिये जाने चाहिये। अब कोयला खानों में ऐसे श्रमिक भी हैं जिनकी भविष्य निधि 40 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक बनती है तो क्या श्रम भाग को प्रधान मंत्री की घोषणा पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिये ? मुझे समझ में नहीं आता है कि श्रम विभाग किस लिये है ? क्या उन्हें श्रमजीवी वर्ग के नवयुवकों के कल्याण के लिये, जो देश में सभी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये ?

औद्योगिक संयंत्र स्थापित करने पर हम करोड़ों रुपये लगा रहे हैं। हम विदेशों से सर्वोत्तम मशीनें खरीदते हैं। जब अन्य देशों में हमारे श्रमिक जाते हैं और विदेशियों के साथ मिल कर काम करते हैं तो वहाँ उत्पादन अधिक होता है। परन्तु जब वही मशीन हमारे देश में आती है तो उसका उत्पादन कम हो जाता है। जिस श्रमिक को वहाँ पर 1500 रुपये मिलते हैं उसको हमारे देश में 250 रुपये मिलते हैं। अतः यहाँ पर उतना उत्पादन नहीं हो सकता। एक विदेशी हमारे देश में सस्ते दामों पर सामान बेचता है और यहाँ के लोग महंगा बेचते हैं ? क्या प्रबन्ध ठीक नहीं है और यदि हाँ, तो उन्हें अर्थात् प्रबन्धकों को सेवामुक्त कर दिया जाना चाहिये। इसी प्रकार यदि श्रमिक



का कार्य ठीक नहीं तो उसे सेवामुक्त कर दिया जाना चाहिये। परन्तु श्रमिक का दोष नहीं है। सरकार को इसके कारण का पता लगाना चाहिये। हम देखते हैं कि सब ओर असन्तोष की भावना फैली हुई है। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने इस मामले पर ठीक प्रकार से विचार नहीं किया है।

जहां तक मजूरी बोर्ड के निर्णयों की क्रियान्विति का सम्बन्ध है, कुछ सरकारी उपक्रमों ने अन्तरिम राहत देने की सिफारिश की है। परन्तु किसी सरकारी उपक्रम में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने से अन्य उपक्रमों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिये सरकार को श्रमिकों के बीच भेदभाव की नीति नहीं अपनानी चाहिये। श्रम विभाग ने इन निर्णयों को क्रियान्वित करते समय अन्य उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में विचार नहीं किया है।

भविष्य निधि का गोलमाल दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और सरकार इस सम्बन्ध में सम्भवतः कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इस स्थिति में सुधार करने के लिये श्रम मंत्रालय को अवश्य कोई कार्यवाही करनी चाहिये।

मैं यह कहना चाहूंगा कि उद्योगपति इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। वे स्वयं लाभ अर्जित कर रहे हैं परन्तु श्रमिकों को पर्याप्त मजूरी नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार वे श्रमजीवी वर्ग के कल्याण की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कलकत्ता से उद्योगपतियों के निकलने के सम्बन्ध में श्रम मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है?

खेतिहर श्रमिकों की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। इन श्रमिकों के पास भूमि नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में करोड़ों रुपये खर्च किये जायें जिससे यह श्रमिक वर्ग अपने संघ स्थापित कर सके और अपना काम चला सके।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत-सी कल्याण योजनाएं संतोषपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं। क्या सरकार चाहती है कि साधारण श्रमिक सदा के लिये साधारण श्रमिक ही बना रहे? क्या उसे प्रबन्धक के स्तर तक कभी भी नहीं पहुंचना चाहिये? सरकार श्रमिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत किस प्रकार की शिक्षा दे रही है? श्रम मंत्रालय को उनके जीवन में सुधार करने के लिये अवश्य कोई कार्यवाही करनी चाहिये।

डा० मैत्रेयी बसु (दारजीलिंग) : यह कहना अनुचित है कि रोड़केला में इंटक संघ को मान्यता प्राप्त हुई है। वहां पर एच० एम० एस० संघ को अनुशासन संहिता तोड़ने के बावजूद मान्यता मिली है (व्यवधान) श्री उमानाथ ने कहा था कि इंटक के साथ सम्बद्ध दुर्गापुर यूनियन का कुछ तोड़फोड़ में हाथ है। यह सिद्ध हो गया था कि यह बात गलत है। श्रम मंत्रालय समझौता करवाने के सिवाय और कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। वास्तव में सरकार की आर्थिक नीति और इस सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा दिये जाने वाले परामर्श से देश में श्रमिकों की स्थिति में सुधार हो सकता है। आयात लाइसेंस, आयात नीति, कोयले का उपयोग, अशोधित तेल का आयात आदि महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक ओर सरकार की आर्थिक नीति तथा योजना आयोग का परामर्श है परन्तु दूसरी ओर श्रम सम्बन्धी आंदोलनों में राजनीतिक हस्तक्षेप है। देश में उपनिवेशवादी स्थिति को देखते हुये श्रमिक वर्ग की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने की सहज इच्छा थी और उनकी सभी आकांक्षाएं तथा आशाएं राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के साथ सम्बद्ध थीं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि



मजदूर आन्दोलनों में आरम्भ से ही राजनीतिक प्रभाव रहा है। मैं चाहती हूँ कि श्रमिक वर्ग में एकता होनी चाहिये। इस वर्ग का शत्रु है शोषक वर्ग और शोषण अब भी चल रहा है। शोषण की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परन्तु इसमें श्रम मंत्रालय क्या कर सकता है। क्या वह देश की आर्थिक नीति बदल सकता है अथवा क्या वह अधिक लोगों के रोजगार की व्यवस्था कर सकता है? उन्हें स्पष्ट रूप से कह देना चाहिये कि इस मामले में वह कुछ नहीं कर सकता।

श्रम मन्त्रालय ने वर्ष 1969-70 में 350 मकानों का निर्माण किया है और गम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड का विचार 1970-71 में 250 मकान बनाने का है। मेरे विचार में यह एक बहुत बड़ी सफलता है। यह एक अच्छी बात है। परन्तु स्थिति यह है कि ये मकान बम्बई और कलकत्ता में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या को देखते हुये बहुत कम हैं।

### संविधान (संशोधन) विधेयक CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

#### अनुच्छेद 16, 19 आदि का संशोधन

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I move, "that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I move the Bill.

### कम्पनी (संशोधन) विधेयक COMPANIES (AMENDMENT) BILL

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया "कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : मैं विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूँ। विधेयक में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति पांच से अधिक कम्पनियों का लेखापरीक्षक नहीं होगा। यह अनुचित है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को कोई भी पेशा करने या कोई भी व्यवसाय-व्यापार या रोजगार करने का अधिकार प्राप्त होगा। इस अनुच्छेद के खण्ड 6 के अन्तर्गत कहा गया है कि व्यवसाय करने सम्बन्धी अधिकार पर समुचित प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। प्रश्न यह है कि क्या यह प्रतिबन्ध कि कोई व्यक्ति पांच लिमिटेड कम्पनियों से अधिक की लेखा परीक्षा नहीं करेगा, उचित है या नहीं? इस तरह का प्रतिबन्ध सर्वथा अनुचित है और संविधान का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है, और जो विधेयक पूर्ण रूप से असंवैधानिक है सदन में उस पर विचार नहीं किया जा सकता।

**श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) :** मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोलना चाहता हूँ। विधेयक प्रस्तुत करने के समय केवल यह विरोध किया जा सकता है कि विधेयक सदन के वैधानिक अधिकारों के अन्तर्गत नहीं आता है। माननीय सदस्य यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि विधेयक संविधानों के नियमों के विरुद्ध है। यह कार्य न्यायपालिका का है, सदन का नहीं।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** यह विधेयक संविधान की शक्ति से परे नहीं है। कम्पनी अधिनियम में पहले से ही धारा 224 विद्यमान है और इस विधेयक में नई उपधाराएँ 224क, 224ख, 224ग जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जब सदन में विधेयक पर चर्चा की जायगी तब मैं माननीय सदस्य के प्रश्नों का उत्तर दूंगा।

**Shri Madhu Limaye :** I would like to request the Hon. Member to withdraw his objection in view of the existing traditions that Private Member's Bill would not be opposed at the introducing stage. He may oppose the bill at the discussion stage.

**श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** श्री मधुलिमये जी ने सदन की जो परिपाटी बतायी है, उसे ध्यान में रखते हुये मैं अपना विरोध वापस लेता हूँ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है—“कि कम्पनी अधिनियम, 1956 आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय”

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** मैं विधेयक पेश करता हूँ।

**संविधान (संशोधन) विधेयक**

**CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL**

**अनुच्छेद 314 का हटाया जाना**

**Shri Raghbir Singh Shastri (Baghpat) :** The Administrative Reform Commission has recommended that if some people in the services of the Government of India has got certain privileges, they should be done away with. People of all classes should be provided equal opportunities. In view of these recommendations the privileges of Indian Civil Services should go. If amendment of the Constitution is necessary for the purpose, it should be done.

There are 27 lakh Central Government employees and if to that we add the States Government employees also, the total number would be 80-90 lakhs. Now it does not look nice that in such a large fraternity a handful of people have certain special privileges. If something has been provided in the Constitution or some assurance has been given in that regard it is at the instance of departing British rulers. Whatever might have been the justification at that time it is totally unfit in the present context and must be done away with.

**Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) :** When this Bill was introduced in 1967, conditions were entirely different from those of today. At that time ruling party was enjoying absolute majority and as such they did not accept the Bill. But now that majority is no more. Hence the Government have agreed to support the bill in order to save its own position. Bills intended to bring progressive measures should always be supported by the

Government. If the Government does not want to support Private Members' Bill, they should bring such a legislation themselves.

The people in Indian Civil Services were neither civil nor servants, they were having para-military mentality they had a feeling to dominate over Indian people. Those who got acquainted with the mentality of this service, they atonce resigned and devoted themselves to social services.

During British segime, civil services were having two objectives—the stability and the continuity. Now the time has changed, the privileges of civil service officers can no longer continue. Even in the capitalist countries social equalities are brought to the front they are trying to give a practical shape to the doctrine of 'All are equal'

The idea behind the Bill is not merely to put an end to the privilege of Indian Civil Services, we want to put an end to the spirit of domination amongst our officers. The feelings of discrimination among the officers right from the district level require to be put to an end. The Government should issue a directive to all officers that whenever anyone comes to them with a request they should show him due courtesy and meet with him on equal level. Only then it would be proved that they really believe in socialistic pattern of Society.

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकंदराबाद) : इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों ने हमारे देश में अत्यन्त अभद्र भूमिका निभाई। ये अधिकारी उपयुक्त नहीं हैं और इन्हें सहन नहीं किया जा सकता। देश को स्वतन्त्रता प्राप्ति में जितनी भी देरी हुई इन्हीं के कारण हुई। यह प्रश्न का केवल एक भाग है। संविधान के अनुच्छेद 314 के अन्तर्गत इन लोगों को सेवा शर्तों की कुछ गारन्टी दी गयी थी। भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों ने इन शर्तों को अपने आप नहीं मांगा था बल्कि ये शर्तें सरकार द्वारा ही दी गयी थीं। गृह मन्त्रालय के एक नोट में कहा गया कि भारत सरकार अनुभवी अधिकारियों की सेवा से वंचित होकर देश के प्रशासन को दुर्बल बनाना नहीं चाहती है। इसलिये सरकार ने कुछ शर्तें देकर इन लोगों की सेवायें उपलब्ध करनी चाही थीं। मुझे ज्ञात है कि यह सारी कार्यवाही अंग्रेजों द्वारा ही की गयी थी क्योंकि वे अपने सच्चे सेवकों की रक्षा करना चाहते थे परन्तु उन्होंने अपने विचारों को भारत सरकार द्वारा व्यावहारिक रूप दिलाया। उन्होंने देश का विभाजन किया परन्तु इस विचार को भारतीय निवासियों द्वारा ही जन्म दिया गया। अतः जब हम कोई वस्तु किसी को प्रदान करते हैं और दूसरी पार्टी उसे स्वीकार कर लेती है तब यह एक प्रकार का अनुबन्ध ठहरता है कोई विशेषाधिकार नहीं। विशेषाधिकार वास्तव में संसद् सदस्यों और नरेशों को प्राप्त हैं, भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों को नहीं। विशेषाधिकारों की समाप्ति संसद् सदस्यों से ही आरम्भ की जानी चाहिये। संसद् सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, प्रायः वे इनका दुरुपयोग भी करते हैं और इनको आवश्यकता के अनुसार जितनी इच्छा होती है बढ़ा भी लिया जाता है।

दूसरी बात यह है कि आपने कुछ वायदे किये थे, कुछ गारन्टियां दी थीं। आप केवल इसलिये कि देश की स्थिति में परिवर्तन हो गया है उन गारन्टियों को समाप्त नहीं कर सकते। भारतीय सिविल सेवा अधिकारी समाजवाद के मार्ग में बाधक नहीं हैं। वास्तविकता तो यह है कि सरकार स्वयं कुछ करती नहीं है और अपनी असफलता के लिये दूसरों को उत्तरदायी ठहराती है। इससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। हमने जो वचन दे रखे हैं, उन्हें अवश्य पूरा करना होगा।

यह ठीक है कि हमारा उद्देश्य या अभिप्राय बहुत अच्छा है, परन्तु अपनी बात को इतना जल्दी तथा बार-बार बदलने से देश को कोई लाभ नहीं होगा।

**श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) :** यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। इस पर वाद-विवाद में हम भाग लेना चाहते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी इस पर बोलना चाहते हैं और वह हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बतायेंगे। अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि इस विधेयक के लिये समय दो घंटे बढ़ा दिया जाए।”

**श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) :** मैं इसका समर्थन करता हूँ।

**श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) :** मैं श्री स० मो० बनर्जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। वर्तमान राजनीतिक वातावरण को ध्यान में रखते हुये, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की उप-समिति ने मेरे विधेयक को महत्वपूर्ण समझा है और इसका दर्जा बढ़ा कर इसे श्रेणी 'क' में रख दिया है। इसके अलावा श्री मधु लिमये के विधेयक के लिये केवल एक घंटा निर्धारित किया गया था जबकि इस पर पांच घंटे पहले ही चर्चा हो चुकी है और इसके साथ-साथ इसके सभी पहलुओं पर पहले ही विचार किया जा चुका है। अतः मैं समापन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** पहला प्रस्ताव अब सभा के विचाराधीन है।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) :** जैसा कि श्री बनर्जी ने कहा यह महत्वपूर्ण विधेयक है तथा इस पर वाद-विवाद में कई सदस्य भाग लेना चाहते हैं और शायद सरकार भी इसका समर्थन कर रही है तो मेरे विचार में यह अच्छा रहेगा कि सरकार अपने समय में से कुछ समय इस विधेयक के लिये निकाले और तारीख निश्चित कर दे। चूँकि इसे पारित करने के लिये हमें दो-तिहाई बहु-संख्या की आवश्यकता होगी इसलिये इसे 28 तारीख को लिया जाना चाहिये क्योंकि उस दिन प्राक्कलन समिति के लिये निर्वाचन होना है और उस दिन आवश्यक संख्या से भी अधिक सदस्य यहां उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा यदि इस विधेयक के लिये समय बढ़ाया गया, तो गैर-सरकारी सदस्यों के अन्य विधेयकों को नहीं लिया जा सकेगा।

**श्री स० मो० बनर्जी :** श्री द्विवेदी द्वारा दिये गये सुझाव के पक्ष में मैं अपना पहला सुझाव वापस लेता हूँ।

**श्री एस० कण्डप्पन (मैटूर) :** मेरे विचार में श्री प्र० के० देव का विधेयक भी महत्वपूर्ण है और इसे अवश्य लिया जाना चाहिये, चूँकि सरकार श्री मधुलिमये के विधेयक का समर्थन करती है, इसलिये सरकार को चाहिये कि वह इसके लिये सरकारी समय में से कुछ समय निकाले, जैसा कि श्री नाथ पाई के विधेयक के बारे में किया गया था। इसे अब सरकारी विधेयक ही समझा जाना चाहिये।

**श्री प्र० के० देव :** चूँकि आज सदस्यों की संख्या कम होने से इस विधेयक को पारित कराना कठिन है, इसलिये इस पर अग्रेतर विचार 28 तारीख को, जिस दिन प्राक्कलन समिति के लिये निर्वाचन होना है, किया जाये, यह एक बहुत ही अवांछनीय प्रक्रिया होगी। अतः मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

**श्री नम्बियार :** क्या सरकार इस विधेयक के लिये अपने कोटे में से समय देने के लिये तैयार है ?

**विधि तथा समाज-कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) :** सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में सरकार सर्वश्री द्विवेदी तथा नम्बियार द्वारा दिये गये सुझाव का समर्थन करती है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है और इस पर अच्छी तरह से विचार किया जाना चाहिये।

**श्री प्र० के० देव :** परन्तु इसे 28 तारीख को ही क्यों लिया जाना चाहिये ? मुझे केवल इसी पर आपत्ति है क्योंकि यह एक अनुचित परम्परा होगी और यह एक गलत बात होगी। अतः मैं श्री द्विवेदी के सुझाव का विरोध करता हूँ।

**श्री एस० कण्डप्पन :** यह सुझाव तो केवल श्री प्र० के० देव के विधेयक के लिये समय निकालने हेतु दिया गया है। इस सुझाव के पीछे तो बहुत ही अच्छी भावना है। इसलिये उन्हें इसका विरोध नहीं करना चाहिये।

**श्री प्र० के० देव :** मैं इस कार्य के लिये 28 तारीख का विरोध करता हूँ।

**Shri Madhu Limaye (Monghyr) :** Shri Surendranath Dwivedi has given an apt suggestion. First of all the relevant rule will have to be suspended as was done in the case of the Bill of Shri Nath Pai.

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि श्री मधु लिमये के संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 314 का हटाया जाना) पर वाद-विवाद मंगलवार, 28 अप्रैल, 1970 के 6 बजे म० प० तक के लिये स्थगित कर दिया जाए।”

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव यह है :

“कि श्री मधु लिमये के संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 314 का हटाया जाना) पर वाद-विवाद मंगलवार, 28 अप्रैल, 1970 के 6 बजे म० प० तक के लिये स्थगित कर दिया जाए।”

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was Adopted**

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि श्री मधु लिमये के संविधान (संशोधन) विधेयक पर वाद-विवाद पर, जो मंगलवार, 28 अप्रैल, 1970 तक के लिये स्थगित कर दिया गया है, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 30 (1) का लागू होना निलम्बित किया जाए।”

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

“कि श्री मधु लिमये के संविधान (संशोधन) विधेयक पर वाद-विवाद पर, जो मंगलवार,



28 अप्रैल, 1970 तक के लिये स्थगित कर दिया गया है, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 30 (1) का लागू होना निलम्बित किया जाये।”

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motions was Adopted**

श्री प्र० के० देव : श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, मैं इसका समर्थन करता हूँ।

**संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 164 का संशोधन)**

**CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 164)**

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।”

इस विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 164 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिसके अन्तर्गत राज्यपाल राज्यों में मुख्य मन्त्रियों तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करते हैं। यह अनुच्छेद अनुच्छेद 75 के अनुरूप ही है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रियों को नियुक्त करने का अधिकार है। इस सम्बन्ध में त्रुटि यह है कि इस मामले में राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को समान शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, उसे इस पद से संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लिखित विशेष प्रक्रिया द्वारा हटाया भी जा सकता है, और वह मंत्रिपरिषद् की सलाह से सारा कार्य करता है, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति एक प्रकार से गृह-कार्य मन्त्रालय द्वारा की जाती है और इसीलिये वह गृह-कार्य मन्त्रालय अथवा गृह-कार्य मन्त्री के प्रति ही उत्तरदायी होता है और उसे उस मन्त्रालय के अलावा इस पद से कोई नहीं हटा सकता है। इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है कि राज्यों के राज्यपालों का दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण होता है क्योंकि उन्हें केन्द्रीय सरकार के संकेतों पर कार्य करना पड़ता है। यदि देश में केवल दो ही राजनीतिक दल होते, तो इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई न होती। इस समय सारे संसार का ध्यान विश्व भर में सब से बड़े लोकतंत्र की ओर है, परन्तु हमें यह सोचते हुए डर लगता है कि तानाशही इस देश में अपना मूंडा सिर उठा रही है।

आज देश में जान व माल को खतरा बना हुआ है। राजनीतिक प्रतिपक्षियों का जीवन खतरे में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की निर्मम हत्या का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। सर्वश्री मधु लिमये, जार्ज फर्नेंडीज और राजनारायण को जब वे संसद के सत्रों में भाग लेने ले लिये आ रहे थे, संसद् भवन के समक्ष बुरी तरह से पीटा गया। एक प्रदर्शनकारी को मार डाला गया। देश भर में अत्याचार हो रहे हैं। उच्चतम न्यायालयों के फैसलों की सभा में खिली उड़ाई जाती है। देश में इन परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि लोकतंत्र को अधिक सुदृढ़ बनाया जाये। 1967 के बाद जब कुछ राज्यों में प्रतिपक्षी दलों की सरकारें बनीं और केन्द्र में भी एक अल्पसंख्यक सरकार बनी तब राज्यपालों के कर्तव्यों का और भी महत्व बढ़ गया है। इन पदों को दलबदलुओं, सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा अवांछनीय साथियों द्वारा भरा जाता है। राष्ट्रपति



को तो उसके पद से हटाया जा सकता है परन्तु राज्यपालों को इन के पद से नहीं हटाया जा सकता है। इसीलिये ये पक्षपात करते हैं। इनका संविधान की मर्यादा को बनाये रखने से कोई सम्बन्ध नहीं है। हरियाणा में एक ऐसी सरकार को, जिसे विधान सभा के बहुसंख्यक सदस्यों का समर्थन प्राप्त था, बर्खास्त कर दिया गया। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में 280 सदस्यों को सभा में विधान सभा के 17 सदस्यों के नेता को सरकार बनाने दी गई।

[श्री पी० के० वासुदेवन नायर पीठासीन हुए]

Mr. P. K. Vasudevan Nair in the Chair

मध्य प्रदेश में जब अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही थी तब एक अल्पसंख्यक मुख्य मन्त्री की सलाह से सभा को स्थगित कर दिया गया। अध्यक्ष द्वारा स्थगित किये जाने के तुरन्त बाद राज्यपाल ने विधान सभा का सत्रावसान कर दिया। राजस्थान में एक अल्पसंख्यक दल के नेता, श्री सुखाडिया को सरकार बनाने के लिये कहा गया। इसी प्रकार पंजाब में राज्यपाल ने श्री गुरनाम सिंह को 24 घण्टे का समय भी नहीं दिया। जब वह प्रधान मंत्री से बातचीत करने के लिये दिल्ली आये हुये थे, तब पीछे से राज्यपाल ने एक दलबदलू को शपथ ग्रहण करा दी।

कांग्रेस में फूट पड़ने के पश्चात् लोक-सभा में सरकार एक अल्पसंख्यक सरकार हो कर रह गई। उसने राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों को पदच्युत् करने का बीड़ा उठा लिया। इस कार्य में रूसी धन का खूब उपयोग हो रहा है। हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिये न केवल अध्यक्ष ने सभा को स्थगित ही कर दिया बल्कि राज्यपाल ने विधान-सभा का सत्रावसान भी कर दिया। इसी प्रकार जम्मू तथा काश्मीर में भी राज्यपाल ने विधान का सत्रावसान कर दिया जब उन्होंने देखा कि सादिक सरकार लड़खड़ा रही है।

देश में उत्पन्न की गई इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक पर विचार किया जाना चाहिये। आज हम देखते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के माध्यम से गृह-कार्य मंत्रालय की कठपुतली बन के रह गये हैं। उनका लोगों की भावनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारे संविधान में चूँकि वापस बुलाने का कोई उपबन्ध नहीं है इसलिये जनता इस अवसरवाद तथा नैतिक पतन के तमाशे को केवल देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पा रही है। वे कब तक इसे सहन करते रहेंगे। अब समय आ गया है जब हमें इन अलोकतंत्रीय प्रवृत्तियों को रोक कर लोकतन्त्र को सुदृढ़ बनाना होगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मैं चाहता हूँ कि राज्यपालों के लिये कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाये जायें। इसीलिये मैंने संविधान के अनुच्छेद 164 का संशोधन करने का यह सुझाव दिया है :

“(1) (एक) किसी राज्य में प्रत्येक मामान्य निर्वाचन अथवा मध्यावधि निर्वाचनों के परिणामों के प्रकाशित होने, अथवा (दो) मुख्य मंत्री के पद के अन्य किसी कारण से रिक्त होने के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर राज्यपाल राज्य की विधान सभा को सभा के ऐसे नेता का निर्वाचन करने के लिये बुलायेगा जिसे वह मुख्य मंत्री नियुक्त करेगा।”

स्पष्टीकरण : सभा के नेता का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे सभा की उसे स्पष्ट बहुसंख्या का विश्वास प्राप्त हो जिसके लिये, यदि आवश्यक हो, तो दो, तीन बार तब तक बैलट किया जाये जब तक कि स्पष्ट बहुसंख्या का विश्वास प्राप्त न हो जाये।”

पश्चिमी जर्मनी के संविधान के अनुच्छेद 63 तथा आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 13 (1) में ऐसे ही उपबन्ध हैं। बर्मा के संविधान में भी ऐसा ही उपबन्ध है जिसे सैनिक शासन के कारण अब निलम्बित कर दिया गया है। इसके अलावा वर्तमान उपबन्धों को संविधान में शामिल करने के प्रश्न पर पंडित ठाकुर दास भार्गव तथा श्री मुहम्मद ताहिर ने यह कहा था कि राज्यपाल को निर्बाध शक्तियां दी जा रही हैं जिनका राज्यपाल दुरुपयोग कर सकेंगे और उन्हें ऐसा करने से रोक भी नहीं जा सकेगा। प्रशासनिक सुधार आयोग तथा इस सभा में सभी दलों ने इस बात का समर्थन किया है कि राज्यपालों के लिये कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त होने चाहियें। गृह-कार्य मंत्री ने इस प्रश्न पर विधिवेत्ताओं से सलाह ली है और उनका भी यही विचार है कि मार्गदर्शक सिद्धान्त होने चाहियें। इन सिद्धान्तों को संविधान में ही प्रतिपादित किया जाना चाहिये अन्यथा हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। विधान सभा को सबसे पहले सभा का नेता चुनना होगा और राज्यपाल को इस प्रकार चुने गये सभा के नेता को ही सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करना होगा। विधान सभा जिस प्रकार सरकार को हटा सकती है उसी प्रकार उसे सरकार बनाने की शक्ति देने का उपबन्ध करने का प्रस्ताव इस विधेयक में किया गया है। विधिवेत्ताओं द्वारा दिये गये तर्क मेरे विधेयक का समर्थन करते हैं। अतः इस विधेयक पर विचार किया जाना चाहिये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि भारत के संविधान का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।”

**श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) :** मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि विधेयक पर 31 जुलाई, 1970 तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये।”

**श्री क० प्र० सिंहदेव (ढेंकानाल) :** मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को श्री प्र० के० देव, श्री कंवरलाल गुप्त, डा० कर्णी सिंह, श्री स० कुन्दू, श्री दत्तामय कुंटे, महाराजा माणिक बहादुर, श्री मुरासोली मारन, श्री मुहम्मद इस्माइल, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री चेंगलराया नायडू, श्री वासुदेवन नायर, श्री नम्बियार, श्रीमती निर्लेप कौर, श्री रणधीर सिंह, श्री रविराय, श्री शंकरानन्द, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री देवेन्द्र विजय सिंह, श्री सूपकार तथा प्रस्तावक की एक प्रकार समिति को निर्दिष्ट किया जाये और उसे आगामी पत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन देने के लिये कहा जाये।”

**Shri Randhir Singh (Rohtak) :** I vehemently oppose the Bill introduced by Mr. P. K. Deo. The whole trouble arises in this country due to the unlimited number of political parties. One forms a new party only to suit his ambitions. This is the basic cause of the confusion prevailing in the political life of India.

But at present, India is passing through a testing time. Democracy is an experiment here. Today the situation is that even the Congress organisation is split into two fragments. In almost all political parties, inner conflicts raise their head and hence they are in the danger of being divided. Therefore the only alternative is to forge an alliance with

the like-minded parties. But this raises the problem as to how the Chief Minister should be elected.

My friend wants Article 164 to be amended. But then, in my opinion, it will be impossible to elect a leader.

What happened in various States has been discussed here many a time. Mr. C. B. Gupta set a very good example by tendering his resignation the very moment he came to know that he did not command majority in the House. But the Chief Minister of Punjab is clinging on to power even if he lost majority. But any way we must not be allergic. In the changed circumstances, to make an outcry that democracy is in peril, makes not much sense. After all we are making an experiment. In Bengal and Kerala, United Front Governments were formed. When in Kerala, the former front collapsed another was formed, and there the administration is being run effectively now. Similarly, the Central Government functions effectively and according to the will of the people; but the Swatantra and Jan Sangh attack the Government vehemently.

What I mean to say is that our democratic system is in a melting pot. It is yet to be seen whether it succeeds or not. But one thing is sure. In the long run, the like minded parties will come together and thus the process of political polarisation will be completed. The Socialist minded parties will have to come together. Similarly, all the reactionary parties will come together. This is a period of transition. During this period, there is no need of such legislation as proposed by my hon. friend. If the powers vested in the Chief Minister or the Governor are scrapped, how the Government can function? If this is done, then either there will be permanent president rule or unstable Govts. in States lasting for some two or three weeks. Then again midterm-elections will be held. The people of India are not prepared to waste their precious time in these elections. The Bill introduced by my hon. friend will help only create more problems, instead of solving any. In various States the Governments are run by various political parties. Some hon. members are of opinion that whatever happened in Punjab was quite unfair. But, according to me, by forming another alternative Government, they have done fairly well. In Bihar, also, the Government is functioning very effectively although some people say that it is a minority Govt.

Mr. Chairman. Sir, this Bill is untimely and immature. It is against the spirit of democracy. This will create more troubles. So I strongly oppose this Bill.

**Shri Rabi Ray (Puri) :** Mr. Chairman, Sir, I stand in support of the Bill introduced by Shri P. K. Deo. The year 1967 was a very important one in the history of democracy in India. Through the general election held in this year the people of India expressed their strong resentment against Congress and in some of the States, Congress rule was wiped out.

Now, in the changed circumstances, we have to create new conventions and bring up new policies. There has been much discussion in Parliament regarding the discretion of Governors. There are provisions for impeachment of the President of India. But there is no provision for censuring the Governors who are appointed by the President. The Bill introduced by Shri P. K. Deo seeks to make provision for this.

When we closely watch the events, from Rajasthan to Bihar, we become aware of the fact that the Governors are acting in an arbitrary manner. It is more evident from the role played by the Governor in Bihar recently. Before the formation of Daroga Rai Government, the Governor said that he would not instal a minority Government in power. But what happened was just the reverse. The Governors have become the mere tools in the hands of the Home Ministry. I charge this Government for having violated the Constitution. What is Mr. Dhavan doing in West Bengal? He demanded a show-cause from various parties as to why they should support the Communist Marxist party. The advisers are

like Cabinet Ministers there. Mr. Dhavan is acting like an independent Governor. Hence my point is that there must be some sort of control over the executive. Otherwise democracy will become a farce.

The suggestion made in the Speakers' Conference was that the question of majority should be settled in the Assembly and not in the Raj Bhawan. The opinion of Shri P. K. Deo is that it is the duty of the Governor to summon the Assembly immediately after a General Election or a mid-term election and ask the leader of the majority party to form the Government. Defection, enticing and all that started from Haryana from where Mr. Chaudhary comes. So long as this Government is here, the problem of defection cannot be solved. This Government has not taken any step to implement the recommendations of the Defection Committee. Swami Bhrahmanand and two Swantantra members have crossed the floor and joined the ruling party. Was it not their duty to tell them that they must first get the fresh mandate of the people and then come back. But this Government is acting against all principles and political ethics. Democracy has become a hoax in the hands of this Govt. Hon. P. K. Deo says that this Bill must be passed and thereby check the unfettered freedom enjoyed by the Governors. He has thereby pointed out a basic defect in the Constitution.

I extend my support to this Bill. The purpose of this Bill is appreciable. I hope this will be passed.

श्री श० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : सभापति महोदय, मुझे यह देख आश्चर्य होता है कि श्री पी० के० देव के मन में संविधान के मूल उपबन्धों और परम्पराओं के बजट में भ्रांतियां कायम हैं। संविधान के इतिहास के ज्ञाताओं को यह पूरी तरह से मालूम है कि अनुच्छेद 74 और 75 में और राज्य सरकारों के संबंध में अनुच्छेद 163 और 164 में यह सिद्धांत कैसे रखा गया है। इस सिलसिले में मैं कुछ मुख्य तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि यह संवैधानिक परम्परा कैसे विकसित हुई।

1721 में इंग्लैंड में शेबर्ट वालपोल प्रधानमंत्री हुए। उन्होंने बहुमत का दावा किया और प्रधानमंत्री बने। वे 21 वर्ष तक प्रधानमंत्री बने रहे। आखिर 1742 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि हाउस आफ कामंस में उनका बहुमत समाप्त हो गया। तब से लेकर इस परम्परा का सख्ती से पालन किया जाता रहा है। जिन लोगों में संसदीय शासन प्रणाली कायम है, वहां यह परम्परा चलती रही। इस संदर्भ में इंग्लैंड के राजा या भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों की भूमिका के संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

जब ये उपबन्ध संविधान में रखे गए, तो संविधान सभा के कुछ सदस्यों के मन में आशंका हुई थी कि कहीं किसी दल के नेता सत्ता छीनकर यह झूठा दावा तो न करेगा कि उसे बहुमत प्राप्त है और इस प्रकार वह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो न बनेगा। संविधान निर्माताओं ने संविधान में इस आशंका को दूर करने के लिए उक्त उपबन्ध को रखना बुद्धिसंगत समझा।

संविधान में अब यह प्रावधान किया गया है कि किसी आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति को या राज्य में राज्यपाल को यह देखना चाहिए कि किस दल को या किस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त है। उनके विवेक के अनुसार वे उस व्यक्ति को सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे जिसे बहुमत प्राप्त है। अगर उस विशिष्ट व्यक्ति को बहुमत प्राप्त नहीं है तो अन्य दल के नेता राष्ट्रपति या राज्यपाल के



पास जाकर बहुमत का अपना दावा सिद्ध कर सकते हैं। 1967 के आम चुनाव के उपरांत पहली बार विभिन्न राजनैतिक दलों के कुछ सदस्यों के मन में इस संबंध में कुछ भ्रांति पैदा हुई।

सत्ता के लिए एक प्रकार की होड़ हमेशा लगी रहती है चाहे वह संवैधानिक तरीके से चलने वाली सरकार में हो या तानाशाही में हो। राजस्थान में चुनाव के उपरांत क्या स्थिति पैदा हो गई? वहां दो व्यक्ति बहुमत का दावा करने लगे। उस स्थिति में राज्यपाल ने अपनी विवेक शक्ति और सूझ-बूझ का प्रयोग किया और बहुमत प्राप्त नेता को सरकार बनाने का निमन्त्रण दिया।

**श्री प्र० के० देव :** विधान सभा की बैठक के पूर्व ही सुखादिया ने इस्तीफा क्यों दे दिया? विधान सभा का सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं थी।

**श्री श० ढो० भंडारे :** मैं उस मुद्दे को भी लूंगा। जब उन्होंने शपथ ग्रहण की, उसके बाद कुछ सदस्यों ने दावा किया कि सुखादिया को बहुमत प्राप्त नहीं है। आप सब जानते हैं कि वहां आगे क्या हुआ। कोई व्यक्ति बहुमत का दावा करता है और अगर उसे सचमुच बहुमत प्राप्त नहीं है, तो उसे विधान सभा का सामना करना चाहिए।

**श्री प्र० के० देव :** विधायकों के अज्ञान और गरीबी का फायदा उठाया जा रहा है।

**श्री श० ढो० भंडारे :** कोई यह नहीं कहेगा कि गरीबी और अज्ञान के कारण संविधान से अनुच्छेद 325, 326 और 327 को निकाल दिया जाय। संविधान के निर्माण के समय श्री के० टी० शाह ने एक सुझाव रखा था कि चुनाव के उम्मीदवार कम से कम स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हो। मेरे विचार से कोई भी माननीय सदस्य यहां तक कहने की धृष्टता न करेंगे कि चूंकि जनता गरीब और नादान है, अतः वयस्क मताधिकार को समाप्त किया जाना चाहिये। मैं यहां लोक तन्त्र के चार बुनियादी सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कुछ विचार कर रहा हूं।

संसदीय लोकतंत्र जानकारी मांगने के अधिकार, आलोचना करने के अधिकार, अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के अधिकार और चुनाव के लिए जनता के पास जाने के अधिकार पर आधारित है।

यदि किसी नेता का बहुमत समाप्त हो जाये तो दूसरे लोग अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 में इसका प्रावधान किया गया है। इधर-उधर कछ कमियां जरूर होंगी। मगर इन कमियों के आधार पर अनुच्छेद 163 और 164 को निकालने की मांग नहीं की जा सकती। 25 नवम्बर 1949 को डा० अम्बेदकर ने अपने भाषण में कहा था कि चाहे संविधान कितना भी श्रेष्ठ हो अगर जनता उसको कार्यरूप नहीं देना चाहती तो दोष जनता का है, न कि संविधान का।

अतः मैं विधेयक का विरोध करता हूं और विधेयक के प्रस्तुतकर्ता से अनुरोध करता हूं कि वे संविधान को उसके इतिहास तथा परम्पराओं को और राज्य स्तर तथा केन्द्रीय स्तर पर संसदीय लोकतंत्र के संचालन का अच्छी तरह अध्ययन करें।

**Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj) :** Mr. Chairman, Sir, this problem which is highlighted in the House, did not arise before 1967 because at that time in almost all States Congress Governments were in power. But immediately after the 1967 General Elections,

the political climate of India has changed considerably. In almost all States, except three or four, non-Congress Governments came into power. In the changed circumstances, the role of the Governors has greater importance now than ever before.

The dispute over the discretionary powers of Governors has assumed greater proportions in the country. A Committee consisting of greater constitutional lawyers like Shri Mahajan, Shri Sarkar, Shri Gajendragadkar, Shri Setalvad and Shri Seerwai went into this question many times and agreed on three points. One of the points was that after assuming office, the Chief Minister must get an opportunity to prove his majority within 15 days. But what we often see here is that the Chief Minister, taking recourse to legal or illegal methods, won't summon the Assembly for six months and make use of that period to muster majority by hook or crook. Often it is seen that the hand of the Central Government is behind all these political dramas. It is quite unfair. The second thing is that such a Government which has not the support of even 50% of the total members has no right, constitutional or otherwise, to continue in power. But unfortunately even the Central Government have not got the requisite majority and yet continue in power. But they are wellversed in the art of political horse-trading. They know how to buy the opposition members. That is why some of the opposition members who usually make scathing attacks on this Govt. go out and remain silent at the time of voting. The problem here is whether the Chief Minister has to prove his claim of majority, before his becoming the Chief Minister or after that. If the Chief Minister has lost his majority, the Government will continue in power until a no-confidence motion comes. But even after that if it tries to cling on to power, it is some thing obnoxious. That is not the democratic way.

Finally, I would like to say one thing. It is essential that he who commands majority should be invited to form the Govt. It is unfair that the Governor invites such a person who has no majority in the hope that he will get majority support later on. In Bihar, if we had been given a chance to prove our majority, such things that happened there later on would not have happened. We had 115 members in the Assembly. But the Prime Minister did not like Shri Harihar Singh. The Governor was playing second fiddle of the ruling party at the centre. We do not want the Governor to make arbitrary choice in the matter of formation of a Government. Let that Government alone come into power which can stand on its own legs, no matter if it falls down when it loses majority.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मुख्य मंत्रियों के चुनाव और मंत्रिमंडल के गठन के पीछे घटित होने वाली घटना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटनायें हमारे राजनैतिक जीवन में बुनियादी तौर पर रह रही बुराइयों को प्रकट करती हैं। इधर-उधर कुछ नियमों में परिवर्तन करने से ये बुरायाँ दूर होने वाली नहीं हैं। संविधान में संशोधन करने से भी इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। अतः इस विधेयक से प्रस्तावित उद्देश्यों की पूर्ति कभी भी सम्भव नहीं है। इस कारण से मैं इसका विरोध करता हूँ।

यह एक तथ्य है कि हमने राजनैतिक जीवन में किन्हीं नैतिक प्रतिमानों को कायम नहीं किया। कई प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिए हमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हम सार्वजनिक जीवन में कुछ नैतिक प्रतिमानों को कायम कर सकते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 164 में किसी परिवर्तन करने की आवश्यकता ही न होगी। अगर हम यह न करें, तो लाखों बार कानून में परिवर्तन करने पर भी ईप्सित परिणाम नहीं निकलेगा। हमें व्यक्तिगत स्वार्थ के ऊपर उठना चाहिए।

मुझे संविधान सभा में हुए वाद-विवाद को पढ़ने का मौका मिला है। नियत रूप से संविधान



में यह क्यों नहीं कहा गया कि केवल बहुमत प्राप्त व्यक्ति को ही सरकार बनाने के लिए बुलाया जाएगा ? डा० अम्बेदकर ने स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले को अगर राज्यपाल के विवेक पर न छोड़ा जाए तो यह कई गलत आचार प्रक्रियाओं को जन्म देगा, और राज्यपाल को केवल एक दर्शक की भांति रहना पड़ेगा । इस विधेयक में प्रस्तावित अधिकार अगर दिया जाएगा तो यह और अधिक कदाचारों को पैदा करेगा । विधेयक के प्रस्तुतकर्ता अथवा उसके समर्थकों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि हमारे लोकतंत्र की बुनियादी बुराई को वे कैसे दूर करेंगे । इस बुनियादी बुराई के कारणों को दूर करने के बजाए केवल कुछ नियम निर्माण से क्या लाभ हो सकता है ? यह बड़े गर्व की बात है कि बाईस साल से यहां लोकतंत्र शासन चल रहा है । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जितने अन्य देश स्वतन्त्र हुए अधिकांश में सैनिक शासन कायम हो गये हैं । हमारे देश में गत २२ वर्षों से लोकतन्त्र प्रणाली चल रही है और अब एक ऐसा वायुमंडल बन गया है जिसमें लोकतन्त्र का और अधिक विकास हो सकता है । फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समय हमारे देश में लोकतंत्र को खतरा है । हमें इस समस्या की जड़ तक पहुंच कर इसका समाधान करना चाहिये ।

मूल कठिनाई यह है कि हमारे देश में 137 दल हैं । जब तक हमारे देश में दो दल नहीं बन जाते, तीसरा दल साम्यवादी दल हो सकता है, तब तक कठिनाई रहेगी । इस देश में दो दल वाली प्रणाली रहनी चाहिये तभी हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ बन सकता है और देश में स्थिरता रह सकती है । जब तक कुछ नेता अपने निहित स्वार्थों को छोड़कर अखिल भारतीय दलों में सम्मिलित नहीं हो जाते तब तक दलों की संख्या कम नहीं होगी और इस देश में लोकतंत्र का कोई भविष्य नहीं बन सकेगा । इस विधेयक के प्रस्तावक ने कहा है कि राज्यपाल ने मध्य प्रदेश में हस्तक्षेप किया था और विधान सभा का सत्रावसान कर दिया था और वहां पर लोकतंत्र को नहीं चलने दिया था । परन्तु उसके दो दिन बाद जब विधान सभा की बैठक हुई तो कुछ बेईमान सदस्य दल बदल गये और उन्होंने एक स्थायी सरकार को अपदस्थ कर दिया था । क्या दो दिन के सत्रावसान की तुलना में उपर्युक्त कार्यवाही से लोकतंत्र की जड़ों पर अधिक आघात नहीं हुआ ? राजमाता तक ने यह कहा था कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाना बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि वहां पर बहुत ही बेशर्म लोग थे जो अन्य दलों में मिल गये थे । परन्तु वे लोग बेशर्म तो 18 महीने के कुशासन के बाद बने थे । पहले तो वे बहुत अच्छे लोग थे (व्यवधान) शक्ति-लोलुप राजनीतिज्ञों के कारनामों को कोई रोक नहीं सकता । भ्रष्टाचार और लालच की प्रवृत्ति समाप्त करने के लिये हमें इस समस्या के मूल कारणों में जाना होगा । मध्य प्रदेश में ठीक 18 महीनों के बाद सरकार बनी तो उपर्युक्त लोग फिर मेरे दल में सम्मिलित हो गये । उन्होंने फिर मंत्री पदों की मांग की और सरकार को गिराने की और धमकी दी तब हमारे अध्यक्ष ने उन्हें मंत्रीपद देने से साफ इन्कार कर दिया था । मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हम समस्या के मूल कारणों में नहीं जाते तब तक हम भ्रष्ट राजनीतिज्ञों द्वारा पैदा की गई समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते ।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम अपने आप को सुधार नहीं सकते, तो हमें चुनावों तक प्रतीक्षा करनी चाहिये । निःसंदेह हमारे मतदाता इस प्रकार के लोगों को जो कि कुछ धन प्राप्त करके अपनी आत्मा का सौदा करते हैं, सबक देंगे ।

**Shri Sharda Nand (Sitapur) :** I support this Bill. I fact Government themselves should have taken this step. Today every body is worried about the future of this country. The actions of Governors vary from State to State. Defections have become the fashion of the day. It has been stated that the question of majority could be decided by convening the State Assembly Session. It has been observed that Governors have been taking decisions arbitrarily and it is high time that it should be checked. This is the purpose of the present Bill. It has been pointed out that such doubts had not been expressed at the time of framing the constitution. But the reason is that they had never visualized these defections. Now some of the eminent leaders are trying to topple Governments and they are thus indulging in sabotage. M. L. As and M. Ps. are being purchased. The people of this country are very much worried owing to this sort of atmosphere and this Bill has been introduced to remedy the situation.

**श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) :** राज्यपालों द्वारा विभिन्न राज्यों में की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में हम भी चिंतित हैं यद्यपि द्रवड़ मुन्नेत्र कषगम के अपने राज्यपाल के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध है। यह आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल पक्षपात करते हैं परन्तु मेरे विचार में इस कार्य में भी राजनीतिक दल ही अधिक दोषी हैं। जब हम लोग किसी कारणवश इकट्ठे नहीं हो पाते और एक राय नहीं बना पाते तो स्थिति जटिल बन जाती है।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मेरे विचार में सदन का नेता सभा में चुने जाने का तरीका बहुत खतरनाक होगा। यह बात उन दलों के सम्बन्ध में भी उतनी ही सत्य है जिनका चुनाव के बाद बहुमत होता है। अब जैसे वर्ष 1967 में आम चुनाव के बाद केन्द्रीय सरकार बनाने के लिये यदि सदन के नेता का चुनाव सभा में होता तो क्या स्थिति होती? ऐसी स्थिति में यह सम्भव था कि पराजित उम्मीदवार विरोधी पक्ष के कुछ मत प्राप्त करके सदन का नेता चुना जाता। यदि बहुमत वाले दल में ऐसे दो-तीन उम्मीदवार हों जिन्हें समान समर्थन हो सकता हो तो क्या स्थिति होगी? आज जो स्थिति नगरपालिकाओं और पंचायतों की है वही स्थिति यहां पर भी पैदा हो जायेगी। अतः मेरे विचार में इस समय जिस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है वही ठीक है।

परन्तु इस मामले का एक दूसरा पक्ष भी है। यदि मध्यावधि चुनाव में अथवा 1972 के आम चुनाव के बाद इस सदन की यही स्थिति रहती है तो राष्ट्रपति के लिये इस बात का निर्णय करना कठिन हो जायेगा कि बहुमत किस दल का है। इस समय कुल राज्यों में यही स्थिति है। कुछ सदस्य वचन दे कर भी समर्थन नहीं करते। इसी प्रकार यदि शासक कांग्रेस दल तथा दूसरा कांग्रेस दल—दोनों ही बहुमत का दावा करें तो स्वभावतः राष्ट्रपति अन्य दलों से भी पूछेंगे कि वे किस पक्ष का समर्थन करते हैं। अतः इस प्रकार की स्थिति में राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के लिये कठिनाई पैदा हो जाती है। परन्तु इस समस्या का समाधान क्या है? मेरे विचार में ऐसी स्थिति में श्री देव द्वारा दिये गये सुझाव लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं। हमें इस दृष्टि से इस विधेयक पर विचार करना चाहिये। मेरे विचार में विधि मंत्री, गृह मंत्री तथा केन्द्रीय सरकार को इस संबन्ध में विधि विशेषज्ञों के साथ ही नहीं, बल्कि विरोधी पक्ष के नेताओं तथा देश के अन्य सुप्रसिद्ध नेताओं के साथ परामर्श करके आगामी चुनावों से पूर्व इस समस्या का कोई समाधान ढूंढ़ निकालना चाहिये, अन्यथा देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है।

**श्री क० नारायण राव (बोम्बे) :** अधिकांश संसद् सदस्यों ने इस बात से सहमति व्यक्त की है कि हमें इस बुराई का सामना करना पड़ रहा है परन्तु प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तुत विधेयक

उन बुराइयों को दूर कर सकता है ? इस सम्बन्ध में विचार करने की बात यह है कि हम संविधान की भावना के अनुसार कहां तक कार्यवाही कर सकते हैं।

यदि हम यह चाहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र चलता रहे तो मेरे विचार में सबसे अधिक चिन्ता की बात यह है कि हमारे देश में दलों की संख्या अत्यधिक है। हमारे देश में कुछ समय के लिये सभी सरकारें स्थिर रहनी चाहिये क्योंकि स्थिर सरकार के बिना हम आर्थिक अथवा सामाजिक जीवन में कोई उन्नति नहीं कर सकते। अतः हमें स्थिर सरकार बनाने के लिये प्रयत्न करने चाहिये। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में विभिन्न दलों को विकास के समान अवसर दिये गये हैं। पश्चिम बंगाल में 14 दल हैं जो अपनी निरक्षर जनता से यह कहना चाहते हैं कि वह उनकी विचारधाराओं का मूल्यांकन करे। क्या निरक्षर जनता द्वारा निर्वाचित सरकार प्रतिनिधि सरकार बन सकती है ? फिर दलों की संख्या अधिक होने के कारण मिली-जुली सरकार का जन्म होता है। विभिन्न दलों में से कुछ दलों की विचारधाराओं में बहुत कम अन्तर है और कुछ में अधिक है और वे जनता को भ्रम में डाल देते हैं। अतः हमें इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि एक जन-जाति विकास मंत्रालय बनाया जाये। इस देश में जन-जाति विकास के लिये बहुत कम काम किया गया है। इस दृष्टि से आन्ध्र प्रदेश या उड़ीसा अथवा मध्य प्रदेश में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है। श्रीकाकुलम जिले में जन-जाति के एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने बी० ए० की परीक्षा पास की हो और वह पहाड़ी क्षेत्र में रहता हो। कुछ क्षेत्रों में ईसाई प्रचारकों ने अवश्य सराहनीय कार्य किया है। शेष क्षेत्रों में उनकी स्थिति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अतः मैं चाहता हूं कि इस कार्य के लिये एक पृथक् मंत्रालय बनाया जाये जिससे जन-जातियों के हितों का ध्यान रखा जा सके।

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : मैं श्री प्र० के० देव द्वारा प्रस्तुत विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं।

अब आधे घण्टे की चर्चा होगी।

### आधे घंटे की चर्चा

#### HALF-AN-HOUR DISCUSSION

#### पाकिस्तान के प्रति संयुक्त राज्य अमरीका की राष्ट्रीय शस्त्रास्त्र नीति

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किये जाने के कारण ही अमरीका और भारत के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सके हैं। वर्ष 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध से पूर्व अमरीका पाकिस्तान को हर प्रकार के घातक हथियार सप्लाई करता था और भारत को आश्वासन देता था कि उपर्युक्त हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जायेगा। परन्तु वास्तविकता यह है कि भारत-पाक युद्ध में उक्त हथियारों का खुलकर प्रयोग किया गया था। इस युद्ध के बाद यह निर्णय किया गया था कि पाकिस्तान अथवा भारत को भविष्य में

शस्त्रास्त्र सप्लाई न करना अमरीका की राष्ट्रीय शस्त्रास्त्र नीति का अंग होगा। कुछ समय यह स्थिति रही। पाकिस्तान को इस नीति से काफी धक्का पहुंचा क्योंकि 1965 के युद्ध में उसके हथियारों की काफी हानि हुई थी। अतः पाकिस्तान ने अमरीका से कहा कि 15000 लाख डालर के मूल्य के उनको सप्लाई किये गये शस्त्रास्त्र लोहे और इस्पात के मूल्य के भी नहीं हैं यदि अन्य शस्त्रास्त्र सप्लाई नहीं किये जाते और उपर्युक्त शस्त्रास्त्रों की मरम्मत नहीं की जाती। परन्तु अमरीका पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद पाकिस्तान ने उन हथियारों की मांग की जो घातक नहीं होते। अब यह तथ्य है कि अमरीका पाकिस्तान को विमानों के पुर्जे बड़े पैमाने पर सप्लाई करने जा रहा है। रूस और अमरीका दोनों ही पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं और वे हमें यह बता रहे हैं कि वे यह कार्यवाही पाकिस्तान को चीन की ओर से हटाने के लिये कर रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या अमरीका यह नहीं जानता था कि पैटन टैंक हिमालय को पार नहीं कर सकेंगे। वे केवल भारत की ओर ही बढ़ सकते थे। भारत ने पाकिस्तान से कई बार कहा है कि हमारा तरीका बातचीत करके समस्याओं का समाधान करने का है। दुर्भाग्य से पाकिस्तान काश्मीर की यथार्थ स्थिति को समझने का प्रयत्न नहीं कर रहा है और इस समस्या का समाधान नहीं कर रहा है।

हमें बताया गया है कि चीन और पाकिस्तान के बीच गठबन्धन है और मोरखुन से खुंजेरब तक सड़क बना ली गई है। यह सड़क पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। फिर यह सड़क चीन की सहायता से बनी है। निःसंदेह चीन पाकिस्तान को काफी हथियार सप्लाई करता रहा है। उन्होंने पाकिस्तान को दो डिवीजन का पूरा सामान सप्लाई किया है। चीन के पास परमाणु शक्ति का भंडार है। यह ठीक है कि चीन पाकिस्तान का मित्र नहीं है। परन्तु इस बात की क्या गारन्टी है कि चीन पाकिस्तान को अणु तथा परमाणु शस्त्र नहीं देगा। फिर यदि पाकिस्तान आक्रमण करता है और हमारे नगरों पर परमाणु बम गिराता है तो हमारा देश क्या करेगा। इस खतरे को देखते हुए हमारी सरकार को कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यदि पाकिस्तान परमाणु आक्रमण करता है तो अमरीका और रूस को यह पक्का वचन देना चाहिए कि वे पेशावर रावलपिंडी, कराची आदि को नष्ट कर देंगे और इसी प्रकार की अन्य जवाबी कार्यवाही की जायेगी। क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे कि यदि पाकिस्तान चीन से अणु बम प्राप्त करके भारत पर आक्रमण करता है तो उससे अपनी रक्षा करने के लिये सरकार क्या ठोस कार्यवाही करेगी?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : जिस प्रश्न के उत्तर के बारे में आधे घण्टे की चर्चा उठाई गई है उसमें इस मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान के प्रति अमरीका की राष्ट्रीय शस्त्रास्त्र नीति का अर्थ क्या है। क्या मंत्री महोदय इस समय उपर्युक्त नीति को स्पष्ट कर सकते हैं। अब पाकिस्तान किसी सैनिक गुट का सीधे रूप से सदस्य न रहने के कारण अमरीका से किसी तीसरे देश के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब भी हमें अमरीका द्वारा पाकिस्तान की दी जाने वाली सहायता का पता चलता है और इस सम्बन्ध में सभा में प्रश्न उठाया जाता है तो भारत सरकार से यही उत्तर मिलता है कि भारत सरकार ने अमरीका सरकार को कई बार स्पष्ट रूप से कहा है कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार मुहैया करना हमारे लिये एक गम्भीर बात है और इससे पाकिस्तान को भारत के साथ युद्ध करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या अमरीका की पाकिस्तान के प्रति राष्ट्रीय शस्त्रास्त्र नीति

यही है कि अब पाकिस्तान को अमरीका से सीधे रूप से शस्त्रास्त्र न मिल कर किसी तीसरे देश के माध्यम से मिलेंगे ? यदि हाँ तो क्या सरकार ने इस कार्यवाही के जवाब में कोई नीति निर्धारित की है क्योंकि केवल विरोध प्रकट कर देने का तो कोई लाभ नहीं हो रहा है ।

**Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) :** I want to know whether it is not a fact that the change in the USA's policy of supply of arms to Pakistan was indicated by the President of USA in his Union of Congress Message and in view of this National Security Council of American Administration have undertaken the study of this matter themselves ? If it is a fact then what steps have been taken by our Government in this regard ? Has any protest been lodged, and if so, the details thereof ?

Secondly, I want to know the total number of tanks supplied to Pakistan by U. S. A. directly or indirectly since 1965.

Thirdly, I would like to know whether Government have ever tried to ascertain the reasons for which U. S. A., U. S. S. R., China, and other countries have been supplying arms to Pakistan but have not been willing to supply the same to India ?

In the end, I want to know whether our foreign policy is incomprehensible so far as these countries are concerned.

**श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) :** भारत की अमरीका तथा रूस दोनों ही देशों से मित्रता होने के उपरांत भी ये दोनों देश पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं । मैं जानना चाहता हूँ क्या हमारी वैदेशिक नीति में कोई दोष है अथवा क्या ये देश हमारी नीति को समझ ही नहीं पाये । साथ ही क्या सरकार ने 1965 के बाद अपनी विदेश नीति में कोई परिवर्तन किया है ?

दूसरे, सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि पाकिस्तान और चीन में सांठ गांठ होने के कारण हमारे देश को खतरा उत्पन्न हो गया है । इस बात को ध्यान में रखते हुये पाकिस्तान को इन देशों से मिलने वाली हथियारों की सहायता को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ।

**श्री स० कुण्डू (बालासौर) :** विश्व में व्याप्त वर्तमान स्थिति को देखते हुये मंत्री महोदय भी हथियारों की सप्लाई सम्बन्धी नीति का उत्तर नहीं दे सकते । शीत युद्ध की प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई है कि हमारे मित्र राष्ट्र भी पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं यद्यपि उन्होंने माना है कि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था । अतः इस समय गुट निर्पेक्ष राष्ट्रों को स्वतन्त्र नीति अपनाने की आवश्यकता है ।

मंत्री महोदय इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि अमरीका तथा रूस हमारे मित्र राष्ट्र होने पर भी पाकिस्तान को हथियार क्यों दे रहे हैं । अमरीका पाकिस्तान को हथियार देते समय यह स्पष्टीकरण देता है कि चूंकि रूस पाकिस्तान को हथियार दे रहा है अतः उससे रूसी प्रभाव कम करने के लिये यह आवश्यक है । यही रवैया रूस का भी है । अमरीका तथा रूस में लगी इस होड़ में भारत को हानि हो रही है अतः इस समस्या को सुलझाने की आवश्यकता है तथा इसके लिये प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वाले देशों से बातचीत करना अनिवार्य है । इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी सरकार ने अमरीकी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि पाकिस्तान



को इतनी बड़ी मात्रा में हथियार मिलने से हम गुट-निर्पेक्ष नीति बनाये रखने में कैसे सफल हो सकते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि चूंकि हमने परमाणु प्रसार रोक सम्बन्धी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं अतः इस क्षेत्र में यदि कभी परमाणु युद्ध हुआ तो अमरीका की राष्ट्रीय हथियार नीति क्या रहेगी ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :** माननीय सदस्यों का इस बात पर चिंता व्यक्त करना स्वाभाविक है कि अमरीका, रूस, चीन तथा अन्य देश पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं। मैं स्वयं इस बात से चिंतित हूं। पाकिस्तान ने हमारे देश पर तीन बार आक्रमण किया है। पाकिस्तान यह भी मानता है कि उसका एक मात्र शत्रु भारत है। अतः वहाँ की सैनिक शक्ति में वृद्धि होने का स्पष्ट अर्थ है कि वह हमारे विरुद्ध ही प्रयोग करने के लिये हथियार जुटा रहा है।

माननीय सदस्यों की यह आशंका उचित है कि पाकिस्तान को अमरीका, रूस, चीन तथा अन्य देशों से हथियार प्राप्त हो रहे हैं किन्तु हमारे देश को यह देश हथियार देने को तैयार नहीं हैं। विश्व में पाकिस्तान की स्थिति अनुकूल है; यह बात भी सच है। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि भारत को इस सम्बन्ध में कहीं से भी सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। हमें अमरीका आदि देशों से भी हथियार प्राप्त हुये हैं तथा हम स्वयं भी हथियार बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे इनकी कमी पूरी की जा सके।

एक बात यह भी कही गई है कि अमरीका आदि देश यह जानते हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा नहीं है किन्तु फिर भी वे पाकिस्तान को हथियार दिये जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि चाहे रूस हो अथवा अमरीका हो, ये स्वतंत्र राष्ट्र हैं तथा हम उनको किसी भी तरह इस बात के लिये विवश नहीं कर सकते कि यह किया जाय और वह न किया जाये। वास्तव में उनकी भी अपनी नीति है तथा उनके भी अपने सम्बन्ध हैं। अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुये वे अपनी नीतियां निर्धारित करते हैं। हमने अपनी समस्याएं उनके समक्ष रख दी हैं तथा उन्होंने उनको माना भी है किन्तु उन्हें अपने हितों को भी देखना पड़ता है।

हमने अमरीका तथा रूस दोनों ही देशों की सरकारों को इस बात से अवगत करा दिया है कि पाकिस्तान अपनी आवश्यकता से अधिक हथियार जुटा रहा है। हमने इन देशों को यह भी बता दिया है कि पाकिस्तान में बढ़ते हुये सैनिक बल से तनाव की स्थिति बढ़ेगी तथा पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिये हमारे प्रयत्नों को धक्का लगेगा। इन देशों ने यह आश्वासन भी दिलाया है कि वे इस बात को ध्यान में रखेंगे। हमें आशा है कि ये देश हमारे तर्कों से संतुष्ट होकर शीघ्र ही ऐसी नीति निर्धारित करेंगे जो पाकिस्तान तथा भारत दोनों के ही हित में रहेगी।

रूस से भी निवेदन किया गया है कि पाकिस्तान को उनके द्वारा दी जाने वाली सहायता हमारे हितों के प्रतिकूल होगी; उन्होंने यह विश्वास दिलाया है कि वे इस बात का ध्यान रखेंगे तथा भारतीय हितों के प्रतिकूल कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। अमरीका की शस्त्रों की सप्लाई के सम्बन्ध



में निवेदन है कि पुरानी नीति के अनुसार उन्होंने 1965 के बाद शस्त्रों की सप्लाई पर पूरी रोक लगा दी थी। वर्ष 1967 में उन्होंने अपनी नीति कुछ बदल दी जिससे पाकिस्तान तथा भारत को घातक हथियारों के कल पुर्जे और अघातक हथियार दिये जा सकें। इस निश्चय के अनुसार अमरीका ने किसी तीसरे देश द्वारा भारत या पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रों की बिक्री पर रोक लगाने की भी जिम्मेदारी ली है ?

वैसे तो पाकिस्तान और भारत के साथ अमरीका की समानता की नीति निष्पक्ष लगती है किन्तु व्यावहारिकता इसके विपरीत है। 1965 से पहले पाकिस्तान को भारी हथियार दिये गये हैं किन्तु भारत को मिले हथियारों की संख्या नगण्य है। भारत को आक्रामक हथियार केवल 10 लाख डालर के मूल्य के मिले हैं जबकि पाकिस्तान को 15000-17000 लाख डालर के मूल्य के हथियार प्राप्त हुये हैं। पाकिस्तान को अमरीका से अधिक मात्रा में कल पुर्जे प्राप्त हुये हैं कि 1965 के युद्ध में क्षतिग्रस्त हुये सभी विमानों और टैंकों की मरम्मत की जा सकती है तथा उन्हें फिर उपयोग में लाया जा सकता है। इतनी सहायता कम नहीं है किन्तु हमें इतने उपकरण प्राप्त नहीं हुये।

हमें यह भी ज्ञात है कि 1967 से पाकिस्तान 'नारो' देशों से छुपे रूप से हथियार प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है तथा सरकार समय-समय पर सदन को इस बात से अवगत कराती रही है। 1968 ने पाकिस्तान से इटली से टैंक प्राप्त करने चाहे किन्तु हमने इटली की सरकार से बातचीत करके उस व्यापार को समाप्त कर दिया। पाकिस्तान ने तुर्की से भी टैंक खरीदने की कोशिश की किन्तु हमारे प्रयत्नों से वह वहां भी सफल न हो सका। गत मार्च में पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव फिर रखा किन्तु हमने अमरीका सरकार को स्पष्ट बता दिया कि यदि यह व्यापार किया गया तो इसके प्रतिकूल परिणाम होंगे।

अब हमें सूचना मिली है कि 1967 की नीति को पुनरीक्षित किया जा रहा है जिसमें तुर्की के माध्यम से टैंकों की सप्लाई करना भी सम्मिलित है। अभी तक इस सम्बन्ध में अमरीका ने कोई निर्णय नहीं किया है। आशा है हमारी चिंता का ध्यान रखते हुये वे ऐसी नीति अपनायेंगे जो हमारे हितों के प्रतिकूल नहीं होगी।

जहां तक आण्विक हथियारों का प्रश्न है, माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार की इच्छा परमाणु बम बनाने की नहीं है।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल)**:- यदि हमारे देश पर आण्विक शस्त्रों का प्रहार किया गया तो क्या रूस और अमरीका इस बात का दृढ़ वचन देते हैं कि इसके जवाब में करांची, पेशावर और ढाका पर भी आक्रमण किया जायेगा।

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : मेरे विचार से विश्व का कोई देश इस प्रकार की गारन्टी नहीं दे सकता। ऐसे अवसरों के लिये तो हमें अपनी शक्ति पर ही निर्भर करना पड़ेगा। हमें अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना होगा। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का प्रतिरक्षा मंत्रालय हमारी सैनिक क्षमता में वृद्धि कर रहा है। (व्यवधान) जब हमें यह ज्ञात हो जाता है कि कोई मित्र देश पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई करना चाहता है तो उससे सप्लाई रोकने के लिये

बातचीत करने में क्या दोष है। मेरा निवेदन है कि अन्तोगत्वा हमें अपनी सैनिक शक्ति पर ही निर्भर रहना होगा।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 27 अप्रैल, 1970/7 वैशाख, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 27, 1970/Vaisakha 7, 1892 (Saka).

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा वाद-विवाद का संपिप्त अनूदित संस्करण

24 अप्रैल, 1970 । 4 दिसम्बर, 1892 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या

पृष्ठ

विषय-सूची /Contents

पृष्ठ xiv

में पंक्ति 12 के पश्चात्

निम्नलिखित पदों में :

साधे घंटे की चर्चा

Half an Hour Discussion

पाकिस्तान के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका  
की राष्ट्रीय आरम्भिक नीति

U.S.A's National Arms Policy  
towards Pakistan

श्री नरेन्द्र कुमार गालवे

Shri N.K.P. Salve

Pages

155-160

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

Shri Surendre Pal  
Singh

155-56

157-60